NEXT IAS

THE CRUX

अप्रैल अंक; 2026

मुख्य संपादक

बी. सिंह

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

Published by:

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2026

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

कवर स्टोरी

उभरती वैश्विक व्यवस्था और भारत 4
भारत में खाद्य प्रसंस्करण 7
वन हेल्थ दृष्टिकोण 9
पारंपरिक कृषि में जैव प्रौद्योगिकी 12

विशेष लेख

भारत में सहकारी समितियाँ 14
उच्च स्तर की NBFCs 16
भारत-श्रीलंका संबंध 17
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध 19
भारत-दक्षिण कोरिया संबंध 21
भारत में इंटरनेट शटडाउन 23
भारत में प्रवासन शासन 25
नदी बेसिन प्रबंधन योजना 26
डिजिटल पाइरेसी 28
भारत की नई निर्वासन नीति 30
राज्यों के फोरेंसिक बैकलॉग 32
प्रकाश प्रदूषण 33
सिविल सेवा दिवस 34
ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 35
अंतर-राज्यीय जल विवाद 37
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 39
बैड लोन्स 40
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 41
मिथोस चुनौती 43

Disclaimer:

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

विषयसूची | संक्षिप्त लेख

THE CRUX
अप्रैल अंक; 2026

1. राजव्यवस्था एवं शासन

नया आयकर अधिनियम, 2025 44
राज्यपाल का विवेकाधिकार 44
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 45
एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 46
युवा संगम 46
बिना किसी समय-सीमा के कार्यपालिका का पद 47
भारत ट्राइब्स उत्सव 2026 47
कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यचर्या 48
नमो ड्रोन दीदी स्कीम 48
दो नई रिपॉजिटरी 49
विश्व असमानता लैब रिपोर्ट 49
पशु आहार का विनियमन 50
विधायिकाओं में महिलाओं का आरक्षण 50
सिंधी भाषा में भारत का संविधान 51
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) 51
व्हिप 52
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) 52
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का त्यागपत्र 53
बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली 53
संविधान संशोधन विधेयक 54
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) 55
अर्बन चैलेंज फंड (UCF) 56
स्माइल योजना 57
अटल पेंशन योजना (APY) 57
दल-बदल विरोधी कानून 58
प्रोजेक्ट एआई4 वाटर पॉलिसी 58
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश अनिवार्य 59
ई-प्राप्ति पोर्टल 59
नीति आयोग 60

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) 61
मैडमैन सिद्धान्त 61
भारत-डेनमार्क आर्थिक संबंध 62
स्थानों का चीन द्वारा काल्पनिक नामकरण 62
ब्रिक्स और क्वाड समूह 62
पश्चिम एशिया संघर्ष पर UNDP की रिपोर्ट 63
एजेक प्लस 64
दक्षिणी लेबनान में इजराइल की 'येलो लाइन' 64
चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध छूट की समाप्ति 65
भारत-रूस रीलोस (RELOS) समझौता 65
द्रुज्बा पाइपलाइन 66
संयुक्त अरब अमीरात ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर 66
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) 67
चांगी नौसैनिक अड्डा 67
भारत-मिस्र रक्षा सहयोग 67
जापान द्वारा रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में ढील 68
सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 69
शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 70
ब्रिक्स-मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका (MENA) दूतों की बैठक: पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा 71

3. अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री आवास योजना 72
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) 72
कर साथी 72
एड वैलोरम ड्यूटी 72
RBI द्वारा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के वर्गीकरण में बदलाव 73
सॉइल सखियाँ 73
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 73
खनिज रियायत नियमों में संशोधन 73
स्टैगफ्लेशन 74
स्किल्स आउटकम्स फंड 74
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) 75
मोरचेला मशरूम 75
रिलीफ योजना 75
राष्ट्रीय न्यूनतम आधार वेतन स्तर 76
ट्रक माउंटेड एटेन्यूएटर्स 76
निजी स्वर्ण खनन परियोजना 76
भारत जामुन के विकास के केंद्र के रूप में 76
भारत समुद्री बीमा पूल 77
प्रोजेक्ट दंतक 77
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड 77
भूमिगत कोयला गैसीकरण 78
त्याग अनुपात 79
सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) 79

4. पर्यावरण

बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी 80
राइस व्हेल 80
E20 पेट्रोल 80
फॉरएवर केमिकल्स 81
ऑक्टोपस में हेक्टोकोटाइलस 81
जम्मू और कश्मीर में झीलों का पतन 81
सिंधु नदी डॉल्फिन 81
माइक्रोबियल मीथेन 82
ओक वृक्ष 82
प्रोजेक्ट हिम सरोवर 82
शहतूश ऊन 83
समुद्री स्थानिक योजना 83
आक्रामक प्रजातियाँ 83
अमेजन वर्षावन 84
जियोफेजी 84
शेखा झील पक्षी अभयारण्य 84
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 84
G7 की मरुस्थलीकरण संबंधी घोषणा 85
विश्व टैपिर दिवस 86
नीलगिरि तहर सर्वेक्षण 86
डॉल्फिन मित्र पहल 86
लैंडफिल से मीथेन का उत्सर्जन 87
वाष्पीकरण की माँग 87
विश्व पृथ्वी दिवस 2026 88
E100 ईंधन, फ्लेक्स-फ्यूल वाहन 88

5. भूगोल

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य 89
अंडमान सागर 89
सिजिमाली बॉक्साइट खदान 89
घग्गर नदी 90
अटाकामा रेगिस्तान 90
लुजोन द्वीप 90
समुद्री हीटवेव्स 90
इंडोनेशिया 90
अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण 91

6. आंतरिक सुरक्षा

E-3 सेंट्री AWACS 92
LWE-प्रभावित जिले 92
INS तारागिरी 93
INS अरिदमन 93
T-72 और T-90 टैंकों के लिए TRAWL असेंबली 94
डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क 94
प्रोजेक्ट चेतक 94
भारत का सैन्य व्यय 95

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

आदित्य एल-1 मिशन 96
मिशन मित्र 96
जीएलपी-1 थेरेपी 97
उल्कापिंड 97
नैफ्थलीन डायइमाइड 97
फाता मोर्गाना 98
हैफ्नियम-ऑक्साइड मेम्रिस्टर 98
ग्लूफोसिनेट 99
हबल टेंशन 99
पैथोजन एक्सेस एन्ड बेनिफिट शेयरिंग 99
अल्ट्राल्यूमिनस एक्स-रे सोर्स 100
प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर 100

8. समाज

भारत की शैक्षणिक संस्कृति में छात्रवृत्तियाँ 102
उच्च शिक्षा में रियल इक्विटी गैप 102

9. संस्कृति एवं इतिहास

सम्राट सम्प्रति 103
राजा रवि वर्मा 103
एलिफेंटा की गुफाएँ 103
विनायक दामोदर सावरकर 104
महात्मा ज्योतिराव फुले 104
जरथुस्त्र धर्म 104
अम्बेडकर जयंती 105
चन्द्र शेखर (1927-2007) 106
जगद्गुरु बसवेश्वर 106
आदि शंकराचार्य 107
विश्व सूत्र 107
प्राचीन वस्तुओं की वापसी संबंधी विधियाँ 108
विरली खंडार उत्खनन 108

10. विविध

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 110
भारत का पहला जल-तटस्थ कोचिंग डिपो 110
बायोनेस्ट 110
दुर्बलता 111
बाबू जगजीवन राम (1908-1986) 111
ऑपरेशन नुमखोर 112
समृद्ध ग्राम पहल तथा WSIS पुरस्कार 2026 112
सुरक्षित यात्रा का अधिकार 113
बनेई मेनाशे 113
विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 113

डेटा पुनर्कथन 115

स्वयं परीक्षण 116

उभरती वैश्विक व्यवस्था और भारत

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है और एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में भारत की संभावित भूमिका को भी रेखांकित किया है।

उभरती हुई विश्व व्यवस्था को समझना

- विश्व व्यवस्था (World Order) से आशय शक्ति और अधिकार की उस संरचना से है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति को संचालित करती है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् स्थापित बहुपक्षीय संस्थाओं के कमजोर होने, बहु-संकट (Polycrisis) अर्थात युद्ध, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे आपस में जुड़े कई वैश्विक संकटों के बढ़ने, तथा बहुध्रुवीयता (Multipolarity) के उभार के कारण वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है।
- उभरती हुई विश्व व्यवस्था में कठोर गुटों (Rigid Blocs) की बजाय क्षेत्रीय सहयोग, रणनीतिक स्वायत्तता और मुद्दा-आधारित गठबंधनों पर अधिक बल दिया जा रहा है।
- भारत के विदेश मंत्री द्वारा प्रस्तुत "रणनीतिक स्व-सहायता" (Strategic Self-Help) का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि देशों को खाद्य, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूती और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करनी चाहिए।

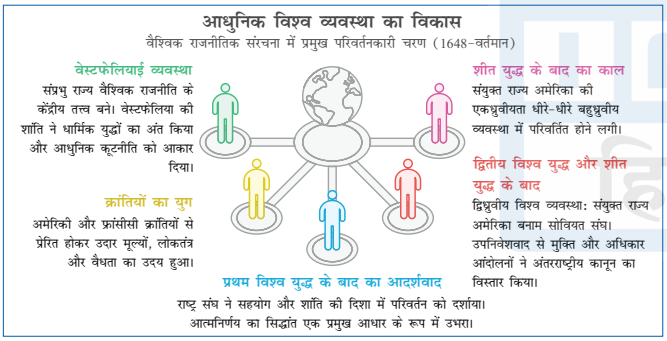

बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता

समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था गहरी अस्थिरता से प्रभावित है, जिसकी पहचान स्थापित मानदंडों के कमजोर होने और उन बहुपक्षीय संस्थाओं के घटते प्रभाव से होती है, जिन्होंने कई दशकों तक वैश्विक मामलों को संचालित किया है।

संस्थागत और मानक आधारित गिरावट

- **बहुपक्षवाद की विफलता:** वैश्विक संस्थाएँ, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, लगातार चल रहे संघर्षों के दौरान बढ़ती हिंसा को रोकने या अंतरराष्ट्रीय विधिक मानकों को लागू करने में असमर्थ दिखाई दी हैं।
- **संप्रभुता का कमजोर होना:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल स्तंभ, अर्थात् राज्य की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत, बड़ी शक्तियों की सैन्य कार्रवाइयों के कारण काफी कमजोर हुए हैं।
- **तनावपूर्ण गठबंधन:** उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के भीतर आंतरिक मतभेदों ने यह दिखाया है कि आधुनिक संकटों से निपटने में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यावहारिक सीमाएँ हैं।
- **बदलती वैश्विक व्यवस्था:** विश्व एक बहुध्रुवीय लेकिन अस्थिर व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहाँ विभिन्न शक्तियाँ प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन प्रभावी संस्थागत समन्वय का अभाव है।

आर्थिक और पर्यावरणीय विखंडन

- **वैश्वीकरण में कमी:** बढ़ता संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएँ वैश्विक विखंडन को बढ़ा रही हैं। विश्व व्यापार संगठन के कमजोर होने से विवाद समाधान प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों के व्यापारिक हितों पर पड़ रहा है।
- **जलवायु कार्रवाई में ठहराव:** विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वार्ताओं को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं, विशेष रूप से वित्तीय जिम्मेदारी और समान बोझ बाँटने के मुद्दे पर।

भू-राजनीतिक परिवर्तन और क्षेत्रीय प्रभाव

- **रूस:** रूस ने वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय ध्यान के बँटने का लाभ उठाकर अपनी ऊर्जा आय में वृद्धि की है।
- **चीन:** चीन ऊर्जा लेन-देन में युआन को बढ़ावा देकर डॉलर पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है, साथ ही कूटनीतिक संयम की नीति बनाए हुए है।
- **खाड़ी सहयोग परिषद:** सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ा है, जिससे बाहरी सुरक्षा गारंटी पर निर्भरता की कमजोरी उजागर हुई है।

भारत के लिए निहितार्थ

लगातार बढ़ती वैश्विक अस्थिरता ने भारत को रणनीतिक असुरक्षा और आर्थिक दबाव से भरे वातावरण में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है, जिससे उसकी कूटनीतिक और वित्तीय मजबूती की परीक्षा हो रही है।

भू-राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियाँ

- **रणनीतिक संतुलन:** भारत के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित रखने तथा बढ़ते क्षेत्रीय तनावों से निपटने की जटिल चुनौती है।
- **कूटनीतिक अस्पष्टता:** संयुक्त राज्य अमेरिका-इजराइल हमलों पर "रणनीतिक चुप्पी" अपनाकर भारत ने व्यावहारिक राजनीति को प्राथमिकता दी, लेकिन इससे ऐसी अस्पष्टता उत्पन्न होती है जो "वैश्विक दक्षिण" की प्रमुख आवाज के रूप में उसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है।
- **सीमित प्रभाव:** यद्यपि भारत ने अल्पकालिक अनुकूलन क्षमता दिखाई, फिर भी इस संकट ने अंतरराष्ट्रीय परिणामों को सीधे प्रभावित करने में उसकी सीमित भू-राजनीतिक क्षमता को उजागर किया।

ऊर्जा सुरक्षा और असुरक्षा

- **निर्भरता:** भारत के लगभग 40-50 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिससे देश समुद्री बाधाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना रहता है।
- **आपूर्ति का विविधीकरण:** क्षेत्रीय संकट के कारण व्यापारिक बदलाव आवश्यक हो गए, जिससे रूस के कच्चे तेल पर निर्भरता बढ़ी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में वृद्धि हुई।

आर्थिक और वित्तीय प्रभाव

- **मुद्रास्फीति का दबाव:** वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि ने घरेलू महँगाई को बढ़ाया, जिससे परिवारों की खपत और समग्र आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- **वित्तीय हस्तक्षेप:** इन झटकों को कम करने के लिए सरकार ने व्यापक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने हेतु अल्पकालिक उपाय लागू किए, जैसे ईंधन करों में कटौती।

एक स्थिरकारी और मध्यस्थ शक्ति के रूप में भारत

वैश्विक दक्षिण की आवाज

- भारत समान वैश्विक शासन और आर्थिक न्याय की वकालत करके विकासशील देशों के हितों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।
- बीस देशों के समूह की अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को शामिल करवाया, जिससे 1.4 अरब से अधिक लोगों की आवाज को वैश्विक मंच मिला।
- भारत ने 60 से अधिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए संप्रभु ऋण के पुनर्गठन की माँग की है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में सौम्य शक्ति

- भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (जैसे आधार और एकीकृत भुगतान प्रणाली जैसी खुली डिजिटल व्यवस्थाएँ) को पश्चिमी और चीनी मॉडल के गैर-शोषणकारी विकल्प के रूप में अन्य देशों तक पहुँचा रहा है।
- एकीकृत भुगतान प्रणाली को संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और नामीबिया जैसे देशों से जोड़ा गया है।
- वैक्सीन मैत्री के माध्यम से भारत ने 100 से अधिक देशों को 30 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक उपलब्ध कराई, जिससे मानव-केंद्रित वैश्विक नेतृत्व मजबूत हुआ।

रणनीतिक पृथक्करण नीति

- भारत प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखने की रणनीतिक पृथक्करण नीति अपनाता है। इसके अंतर्गत बिना किसी एक गुट के साथ पूरी तरह जुड़े, वह इजराइल, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ संबंध रखता है।
- भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु 10 वर्षीय समझौता किया, जिससे संतुलित क्षेत्रीय जुड़ाव सुनिश्चित हुआ।
- यह स्थिति भारत को संघर्ष की परिस्थितियों में एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।

यूरेशियाई संघर्ष में विश्वसनीय मध्यस्थ

- भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाए हैं, जिससे वह यूरेशियाई संघर्ष में तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभा पा रहा है।
- जनवरी 2026 में भारत ने रूस से 1.98 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया, जबकि जुलाई 2025 में यूक्रेन के डीजल आयात का 15.5 प्रतिशत भारत से आया, जो संतुलित जुड़ाव को दर्शाता है।
- भारत का लगातार यह संदेश कि "यह युद्ध का युग नहीं है" उसकी शांति-आधारित कूटनीतिक नीति को मजबूत करता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता

- भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है तथा समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- भारत सामूहिक अभ्यासों, जैसे मालाबार अभ्यास, में भाग लेकर समन्वय क्षमता को मजबूत करता है।
- भारतीय नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में युद्धपोत तैनात किए हैं, ताकि समुद्री डकैती का मुकाबला किया जा सके और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित बनाना

- भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी के हथियारीकरण का मुकाबला करने के लिए मजबूत आपूर्ति शृंखलाएँ विकसित कर रहा है।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना ने अर्धचालक और औषधि जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित किए हैं।
- एप्पल जैसी कंपनियों ने अपने वैश्विक दूरभाष उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत भारत में स्थानांतरित किया है, जिससे संवेदनशील विनिर्माण केंद्रों पर निर्भरता कम हुई है।

जलवायु कूटनीति में मध्यस्थ

- भारत साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत के माध्यम से जलवायु न्याय को बढ़ावा देता है, जिससे विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100 से अधिक देश शामिल हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की पहुँच बढ़ी है।
- भारत ने हानि और क्षति कोष का समर्थन किया, जिससे जलवायु संकट से प्रभावित देशों के लिए 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की वैश्विक सहायता सुनिश्चित हुई।
- भारत कोयले को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसके "क्रमिक उपयोग में कमी" की वकालत करता है, ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए संतुलित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

बहुपक्षीय सुधारों का प्रेरक

- भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं में संरचनात्मक सुधारों की वकालत करता है।

- चार देशों के समूह (भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील) के सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की माँग करता है, ताकि वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
- भारत ने विश्व व्यापार संगठन में सार्वजनिक भंडारण व्यवस्था का समर्थन किया है, ताकि विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका सुरक्षित रह सके।

मानवीय सहायता में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाला देश

- भारत ने ऑपरेशन दोस्त (तुर्किये और सीरिया में भूकंप राहत, 2023) तथा ऑपरेशन सद्भाव (दक्षिण-पूर्व एशिया में मानवीय सहायता, 2024) जैसे अभियानों के माध्यम से अपना मानवीय नेतृत्व प्रदर्शित किया है।
- ये पहलें यह दर्शाती हैं कि भारत बिना दबाव डाले सहायता प्रदान करने, विश्वास निर्माण करने और संकट के समय क्षेत्रों को स्थिर बनाने की क्षमता रखता है।

भारत की वैश्विक भूमिका पर सीमाएँ

- वैश्विक राजनीति में बढ़ती लेन-देन आधारित प्रवृत्ति भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी शक्तियों के साथ जुड़ने का दबाव डालती है, जिससे उसकी तटस्थ स्थिति सीमित होती है।
- चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव, जिनमें सीमा विवाद और सैन्य तैनाती शामिल हैं, भारत की कूटनीतिक क्षमता को सीमित करते हैं।
- भारत की कूटनीतिक क्षमता अभी भी सीमित है, क्योंकि उसकी विदेश सेवा अपेक्षाकृत छोटी है और 50 से अधिक देशों में उसकी उपस्थिति नहीं है, जिससे निरंतर वैश्विक जुड़ाव प्रभावित होता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का अभाव वैश्विक निर्णयों को लागू कराने में भारत की औपचारिक शक्ति को सीमित करता है।
- भारत "विकास बनाम भू-राजनीति" की दुविधा का सामना कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय 3,000 अमेरिकी डॉलर से कम है, जिससे वैश्विक शक्ति प्रदर्शन के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं।
- होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अस्थिर क्षेत्रों से होकर होने वाले ऊर्जा आयात पर अधिक निर्भरता संघर्षों के दौरान भारत की तटस्थता को सीमित करती है।
- स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के अनुसार, भारत अभी भी विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, जिससे विदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी पर रणनीतिक निर्भरता बनी रहती है।

आगे की राह

भारत के लिए रणनीतिक उपाय

- **कूटनीतिक और मध्यस्थता क्षमता:** भारत को अपनी विदेश सेवा का विस्तार करना चाहिए तथा ट्रैक 1.5 कूटनीति सहित मध्यस्थता ढाँचों को औपचारिक रूप देना चाहिए, ताकि एक निरंतर वैश्विक शांति निर्माता के रूप में उसकी भूमिका मजबूत हो सके।
- **रक्षा आत्मनिर्भरता:** रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण में तीव्रता लाना अत्यंत आवश्यक है।
- **सक्रिय पहुँच:** अग्रिम रूप से तैनात मानवीय सहायता एवं आपदा राहत ढाँचों की स्थापना तथा छोटे बहुपक्षीय समूहों का नेतृत्व भारत को क्षेत्रीय संकटों और डिजिटल शासन से पारंपरिक संस्थाओं की तुलना में अधिक प्रभावी ढँग से निपटने में सक्षम बनाता है।
- **मानक निर्माण:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक नियमों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए आवश्यक है।
- **सैद्धांतिक विकास:** बहुलवाद और सह-अस्तित्व जैसे सभ्यतागत मूल्यों को आधुनिक कूटनीतिक सिद्धांत में औपचारिक रूप देना पारंपरिक शक्ति राजनीति का एक स्थिर विकल्प प्रस्तुत करता है।

वैश्विक नेतृत्व के अवसर

- **वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व:** वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलनों के माध्यम से भारत अधिक समान वैश्विक शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है।
- **रणनीतिक बहु-संतुलन:** ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, चतुष्पक्षीय समूह और बीस देशों के समूह जैसे विभिन्न समूहों के साथ संतुलित जुड़ाव भारत को प्रतिस्पर्धी शक्तियों के हितों के बीच प्रभावी ढँग से आगे बढ़ने में सहायता करता है।
- **डिजिटल और जलवायु कूटनीति:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (जैसे एकीकृत भुगतान प्रणाली और खुले डिजिटल वाणिज्य नेटवर्क) में भारत की सफलता तथा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में उसका नेतृत्व उसे नवाचार और पर्यावरणीय स्थिरता के वैश्विक आदर्श के रूप में स्थापित करता है।
- **सौम्य शक्ति:** सांस्कृतिक पहलों और वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय का उपयोग भारत की अंतरराष्ट्रीय आकर्षण क्षमता और सभ्यतागत प्रभाव को लगातार मजबूत कर रहा है।

उभरती वैश्विक व्यवस्था में वैश्विक एजेंडा का प्रबंधन

- **विविधता:** अनेक दृष्टिकोणों और विचारों को शामिल करने को प्रोत्साहित करना।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** संतुलित भागीदारी के लिए क्रमिक नेतृत्व को बढ़ावा देना।
- **लचीले समूह:** विभिन्न समूहों को प्रमुख मुद्दों पर नेतृत्व करने की अनुमति देना।
- **वैश्विक जटिलताएँ:** विश्व की समस्याओं की परस्पर जुड़ी प्रकृति को समझना।
- **उभरती वैश्विक व्यवस्था:** बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियों को अपनाना।
- **संवेदनशील मुद्दों को अलग रखना:** चिंताओं को अलग करके विवादों को बढ़ने से रोकना।
- **वार्ता मंच:** विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रभुत्व को कम करना।
- **अनेक दृष्टिकोण:** विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि और उद्योग के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है, जो मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात क्षमता का विस्तार करने में सहायक है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

- खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ कच्चे कृषि उत्पादों को उपभोग योग्य वस्तुओं में परिवर्तित करना है, जिसमें साधारण सफाई से लेकर जटिल औद्योगिक निर्माण तक की प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।
- **यह तीन स्तरों पर कार्य करता है:**
  - प्राथमिक प्रसंस्करण में उत्पादों की सफाई, श्रेणीकरण और पैकेजिंग शामिल होती है।
  - द्वितीयक प्रसंस्करण में कच्चे पदार्थों को आटा जैसे मध्यवर्ती उत्पादों में बदला जाता है।
  - तृतीयक प्रसंस्करण में तुरंत खाने योग्य या तुरंत पकाने योग्य खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

इस क्षेत्र का महत्त्व

- खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की भंडारण अवधि बढ़ाता है और प्रदूषण के जोखिम को कम करके खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है।
- यह पोषण और सुविधा को समर्थन देता है, जिससे शहरी आबादी के लिए प्रसंस्कृत और तुरंत खाने योग्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो पाते हैं।
- यह क्षेत्र कृषि उत्पादों की माँग बढ़ाकर और मूल्य शृंखला के विभिन्न स्तरों पर रोजगार उत्पन्न करके किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार को मजबूत करता है।
- यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जहाँ सकल मूल्य संवध Zu 2014-15 में 1.34 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- यह निर्यात वृद्धि में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का कृषि निर्यात में हिस्सा 2014-15 के 13.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 20.4 प्रतिशत हो गया।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास के कारक

- भारत की जनसांख्यिकीय लाभ स्थिति और शहरीकरण प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की माँग बढ़ा रहे हैं, जहाँ बाजार का आकार 263 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 470 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- डिजिटल परिवर्तन ने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने तथा ई-वाणिज्य और खाद्य वितरण मंचों के विस्तार को संभव बनाया है।
- 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसी सहायक नीतियों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं ने निवेश को बढ़ावा दिया है।
- स्वास्थ्य-केंद्रित और मोटे अनाज आधारित उत्पादों में नवाचार तथा कृषि-प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने से उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह इस व्यवस्था को मजबूत करने और भारत को वैश्विक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल रही है।

- इस योजना का उद्देश्य वैश्विक भारतीय खाद्य ब्रांड तैयार करना तथा उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है।
- **यह योजना तीन घटकों में विभाजित है:**
  - **श्रेणी I** का केंद्र बड़े स्तर के विनिर्माण पर है, जिसमें तुरंत खाने योग्य खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ, समुद्री उत्पाद तथा मोजरेला पनीर जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
  - **श्रेणी II** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच नवाचार को बढ़ावा देती है, जिसमें जैविक और विशेष उत्पाद भी शामिल हैं।
  - **श्रेणी III** विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन को समर्थन देती है, जिसमें निर्धारित सीमा के अधीन 50 प्रतिशत तक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए एक विशेष घटक मूल्य संवर्धन और विविधीकरण को बढ़ावा देता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- 274 परियोजना स्थलों पर 165 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो उद्योगों की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हैं।

  - 165 स्वीकृत आवेदनों में से 69 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, जो छोटे उद्यमों की मजबूत भागीदारी को दिखाता है। सूक्ष्म, लघु और

भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित आँकड़े

मध्यम उद्यमों को लक्षित प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे नवाचार और विकेंद्रीकृत विकास को समर्थन मिला है।

- लगभग 9,207 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया गया है, जबकि 2,162.55 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं।
- प्रसंस्करण क्षमता में प्रति वर्ष 34 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जिससे अवसंरचना मजबूत हुई है।
- रोजगार सृजन 3.39 लाख नौकरियों तक पहुँच गया है, जो 2.5 लाख के लक्ष्य से अधिक है।
- प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 13.23 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, जबकि 2021-2025 के दौरान कुल निर्यात 89,053 करोड़ रुपये रहा।

इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- इस क्षेत्र को खंडित आपूर्ति श्रृंखला की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जहाँ 86 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिससे बड़े स्तर पर कार्य और दक्षता सीमित होती है।
- अवसंरचना की कमी, विशेष रूप से शीत भंडारण की अपर्याप्तता, कटाई के पश्चात् 25-30 प्रतिशत तक नुकसान का कारण बनती है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 92,651 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
- अनेक संस्थाओं से जुड़ी जटिल नियामक व्यवस्था अनुपालन का बोझ और अनिश्चितता बढ़ाती है। कौशल की कमी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि केवल 3 प्रतिशत कार्यबल को औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है।
- विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक सीमित पहुँच प्रौद्योगिकी और विस्तार में निवेश को बाधित करती है।
- गुणवत्ता मानकों और निर्यात अनुपालन से जुड़ी समस्याओं के कारण वैश्विक बाजारों में उत्पादों को अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।
- प्लास्टिक पैकेजिंग और स्थिरता संबंधी चुनौतियों जैसी पर्यावरणीय चिंताएँ नियामक दबाव बढ़ा रही हैं।
- कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव उत्पादन और मूल्य निर्धारण में अनिश्चितता उत्पन्न करता है।

सरकारी पहल

- प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण योजना शामिल हैं।
- निवेश को समर्थन देने के लिए नाबार्ड के साथ 2,000 करोड़ रुपये का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष बनाया गया है।

आगे की राह

- उत्पादन केंद्रों के निकट एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण समूहों का विकास करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक श्रृंखला और वस्तुओं के अंतरजाल का उपयोग करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपनाना।
- क्षेत्र-विशिष्ट ऋण योजनाओं और ऋण गारंटी जैसी वित्तीय सुधारों को लागू करना। गुणवत्ता मानकीकरण और वैश्विक अनुपालन को मजबूत करने से निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- एकल खिड़की स्वीकृति व्यवस्था के माध्यम से नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- स्थायी प्रसंस्करण और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना।

निष्कर्ष

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि और उद्योग के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो मूल्य संवर्धन और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।
- इस क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो भारत की औद्योगिक वृद्धि में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अब कृषि निर्यात का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बन चुके हैं, जिसका कारण वैश्विक माँग और बेहतर गुणवत्ता मानक हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं ने 9,207 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे बड़े स्तर के विनिर्माण और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों में नवाचार को बढ़ावा मिला है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण

विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल 2026) पर विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि महामारी तैयारी को मजबूत करने और समान स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान-आधारित तथा सहयोगात्मक एक स्वास्थ्य ढाँचे की आवश्यकता है।

'वन हेल्थ' दृष्टिकोण क्या है?

- वन हेल्थ एक समेकित और एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य लोगों, पशुओं, पौधों और पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करना और उसे सतत् रूप से बेहतर बनाना है।
- यह मानता है कि मनुष्यों, पालतू और वन्य पशुओं तथा पर्यावरण का स्वास्थ्य परस्पर जुड़ा और एक-दूसरे पर निर्भर है, इसलिए समन्वित प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- यह दृष्टिकोण सामुदायिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्य करता है तथा सहयोग, साझा शासन और बहु-विषयक समन्वय पर आधारित होता है।
- यह व्यापक रोग नियंत्रण, प्रारम्भिक पहचान और अधिक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को सक्षम बनाता है।

'वन हेल्थ' अवधारणा का विकास

- यह अवधारणा 2003-04 में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम प्रकोप के दौरान वैश्विक स्तर पर प्रमुखता में आई, जिसने पशु-मानव रोग संचरण को उजागर किया।
- इसके पश्चात् पक्षी इन्फ्लुएंजा के प्रसार के दौरान इसे और अधिक बल मिला, जिसने विभिन्न प्रजातियों के बीच रोग जोखिमों को प्रदर्शित किया।
- मैनहैटन सिद्धांतों ने मानव, पशु और पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य के बीच संबंधों को औपचारिक रूप से मान्यता दी तथा वैश्विक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर उनके प्रभावों को रेखांकित किया।
- वैज्ञानिक प्रमाणों ने स्थापित किया है कि लगभग 75 प्रतिशत उभरते संक्रामक रोग जन्तुजनित होते हैं तथा भूमि उपयोग परिवर्तन, शहरीकरण और वैश्विक व्यापार जैसे मानव-जनित कारक रोगों के उभरने के प्रमुख कारण हैं।

'वन हेल्थ' दृष्टिकोण का औचित्य

- जन्तुजनित रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती घटनाओं ने मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जोड़ने वाले समन्वित वन हेल्थ दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।
- उभरते रोगों का एक बड़ा भाग पशुओं से उत्पन्न होता है, और वन्यजीव आवासों में बढ़ते मानव अतिक्रमण ने संक्रमण फैलने के जोखिम को और बढ़ा दिया है।
- जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्रों, वाहक वितरण और रोग संचरण के स्वरूपों को बदल रहा है, जबकि चरम मौसम घटनाएँ पहले से कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा रही हैं।
- मनुष्यों, पशुधन और कृषि में प्रतिजैविकों के व्यापक और अंधाधुंध उपयोग से रोगाणुरोधी प्रतिरोध तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
- लोगों और वस्तुओं की बढ़ती वैश्विक आवाजाही ने रोगों के तीव्र अंतरराष्ट्रीय प्रसार को संभव बना दिया है, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा एक वैश्विक सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है।

'वन हेल्थ' का समर्थन करने वाली वैश्विक पहलें

- चतुष्पक्षीय सहयोग, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं, वैश्विक स्तर पर वन हेल्थ दृष्टिकोण के क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व और समन्वय प्रदान करता है।
- वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना (2022) का उद्देश्य जन्तुजनित रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए निगरानी व्यवस्थाओं, प्रारम्भिक चेतावनी तंत्रों और समन्वित प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी समझौता टीकों, जाँच साधनों और उपचारों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के साथ-साथ रोगजनक आँकड़ों के बेहतर साझाकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- अंतरराष्ट्रीय वन हेल्थ शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी फ्रांस ने G7 अध्यक्षता के अंतर्गत की, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी केंद्रों का वैश्विक मंच, जिसमें 80 से अधिक देशों के 800 संस्थानों का नेटवर्क शामिल है, वैज्ञानिक सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देते हैं।

भारत में 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण की आवश्यकता

- भारत के पास विश्व के कुल भू-क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत भाग है, लेकिन वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा यहाँ पाया जाता है, जिससे मानव-पशु संपर्क और जन्तुजनित जोखिम अधिक बढ़ जाते हैं।

- निपाह विषाणु, पक्षी इन्फ्लुएंजा और रेबीज जैसे प्रकोप यह संकेत देते हैं कि भारत में उभरते संक्रामक रोगों के लगभग 60-70 प्रतिशत मामले पशु-जनित हैं।
- भारत विश्व की सबसे बड़ी पशुधन आबादियों में से एक रखता है, जो अक्सर वन्यजीव और मानव संक्रमणों के बीच सेतु का कार्य करती है।
- स्वास्थ्य सेवा और कृषि में प्रतिजैविकों के अत्यधिक उपयोग से रोगाणुरोधी प्रतिरोध बढ़ रहा है, जिससे औषधि-प्रतिरोधी "सुपरबग" उत्पन्न हो रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन डेंगू और मलेरिया जैसे वाहक-जनित रोगों के प्रसार को बढ़ा रहे हैं, साथ ही क्यासानूर वन रोग जैसी वन-जनित बीमारियों को मानव बस्तियों तक पहुँचा रहे हैं।

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन

- राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन को 2022 में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा बहु-मंत्रालयीय पहल के रूप में स्वीकृति दी गई थी।
- इसका उद्देश्य जन्तुजनित रोगों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उभरते स्वास्थ्य खतरों की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक समेकित व्यवस्था विकसित करना है।
- इस मिशन का संचालन नागपुर स्थित राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान द्वारा किया जाता है तथा इसका क्रियान्वयन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद करती है।
- यह दो-स्तरीय शासन संरचना का पालन करता है, जिसमें नीतिगत निर्णयों के लिए कार्यकारी समिति और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक संचालन समिति शामिल है।
- यह मिशन स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि और पर्यावरण सहित 13 से अधिक सरकारी विभागों को एकीकृत करता है, जिससे समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित होती है।
- इसके संचालन संबंधी प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रारम्भिक रोगजनक पहचान, टीकों और जाँच साधनों का अनुसंधान एवं विकास तथा रोग फैलाव जोखिमों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति की स्थापना शामिल है।
- यह प्रतिक्रियात्मक स्वास्थ्य सेवा से निवारक और समेकित जैव-सुरक्षा ढाँचे की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।

'वन हेल्थ' के अंतर्गत फोकस क्षेत्र

- निपाह, पक्षी इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 से जुड़े जोखिमों जैसे जन्तुजनित रोगों से समेकित निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से निपटना। मानव और पशु स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध को नियंत्रित करना।
- वाहक-जनित और पर्यावरणीय रोगों सहित रोग प्रसार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना।
- प्रभावी निर्णय-निर्माण के लिए प्रयोगशाला क्षमता, आँकड़ा एकीकरण मंचों और वास्तविक समय निगरानी व्यवस्थाओं को मजबूत करना।

'वन हेल्थ' को लागू करने में चुनौतियाँ

- संस्थागत विखंडन के कारण खंडित शासन व्यवस्था उत्पन्न होती है, जहाँ मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ सीमित समन्वय के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।
- विशेष रूप से जिला और स्थानीय स्तर पर महामारी वैज्ञानिकों, जन्तुजनित रोग विशेषज्ञों और आँकड़ा वैज्ञानिकों जैसे प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।
- राज्यों के बीच अवसंरचनात्मक असमानताएँ निगरानी क्षमताओं, प्रयोगशाला नेटवर्कों और डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण को प्रभावित करती हैं।
- गोपनीयता संबंधी चिंताओं और मानकीकृत व्यवस्थाओं के अभाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच सुरक्षित और प्रभावी आँकड़ा साझाकरण सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.1 प्रतिशत के बराबर सीमित सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सहित वित्तीय संसाधनों की कमी समेकित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विस्तार को बाधित करती है।
- वनों की कटाई और शहरीकरण सहित पारिस्थितिक क्षरण मानव-वन्यजीव संपर्क और रोग जोखिमों को बढ़ाता है।

'वन हेल्थ' के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उपाय

- प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व वाले वैधानिक संस्थागत ढाँचे की स्थापना समन्वित नीति-निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकती है।
- मानव, पशु और पर्यावरणीय क्षेत्रों में समेकित और वास्तविक समय निगरानी व्यवस्थाओं का विकास प्रारम्भिक पहचान और प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकता है।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने से रोग रोकथाम और जमीनी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है।
- पशुधन और कृषि में प्रतिजैविक उपयोग पर कठोर विनियम लागू करने से रोगाणुरोधी प्रतिरोध से मुकाबला करने में सहायता मिल सकती है।
- क्षमता निर्माण, कार्यबल प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने से जागरूकता और सहनशीलता में वृद्धि हो सकती है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर विभिन्न देशों में टीकों, जाँच साधनों और उपचारों तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।

'वन हेल्थ' दृष्टिकोण का महत्त्व

- यह दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन से निवारक और समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन को सक्षम बनाता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर होती है।
- यह निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी व्यवस्थाओं और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्रों के एकीकरण के माध्यम से महामारी तैयारी को मजबूत करता है।
- यह स्वास्थ्य परिणामों को पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण से जोड़कर सतत् विकास को समर्थन देता है।
- यह देशों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वित कार्यवाही को बढ़ावा देकर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

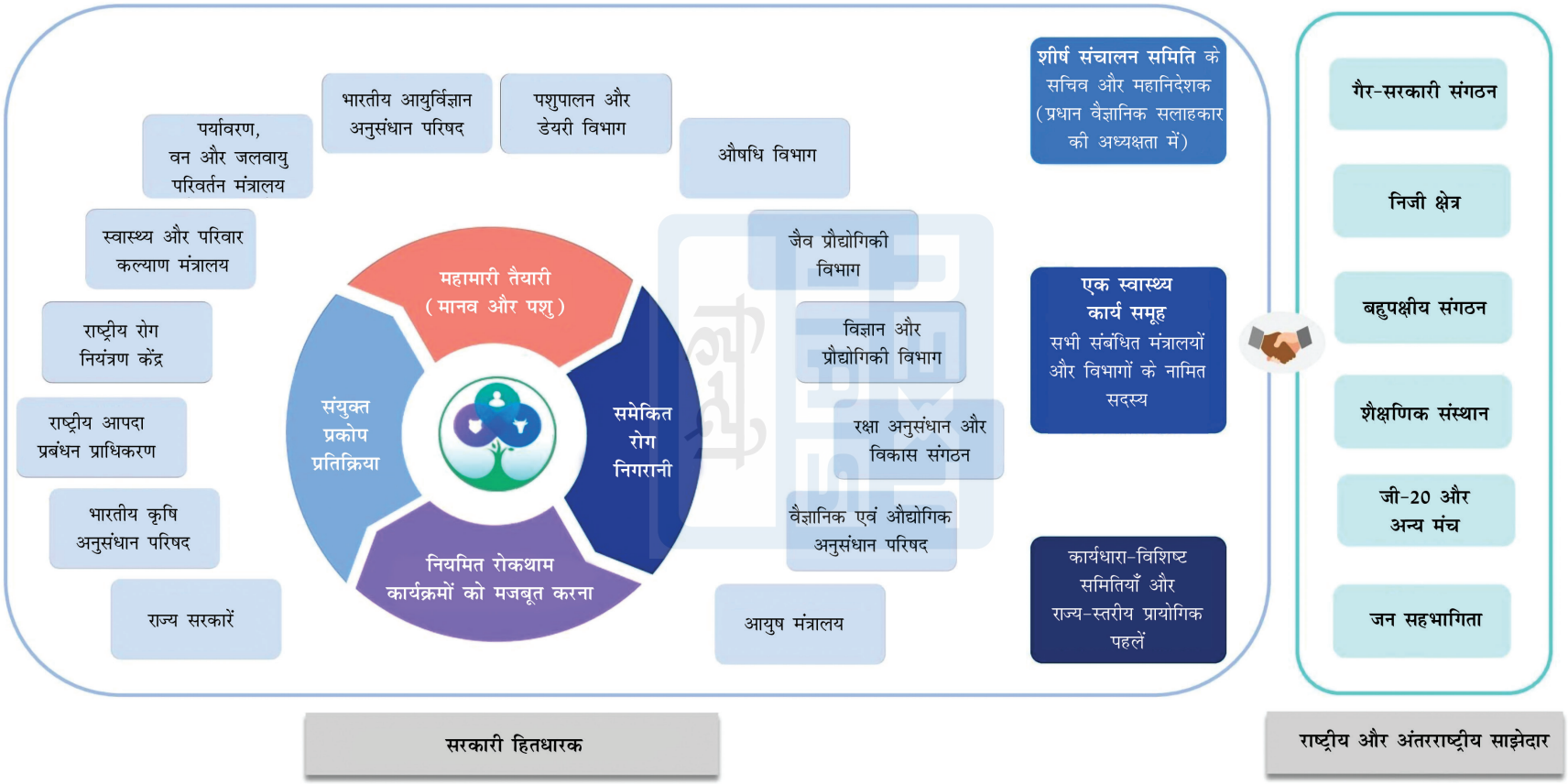
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
पशुपालन और डेयरी विभाग
औषधि विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
राज्य सरकारें
महामारी तैयारी (मानव और पशु)
संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया
समेकित रोग निगरानी
नियमित रोकथाम कार्यक्रमों को मजबूत करना
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
आयुष मंत्रालय
शीर्ष संचालन समिति के सचिव और महानिदेशक (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में)
एक स्वास्थ्य कार्य समूह सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के नामित सदस्य
कार्यधारा-विशिष्ट समितियाँ और राज्य-स्तरीय प्रायोगिक पहलें
गैर-सरकारी संगठन
निजी क्षेत्र
बहुपक्षीय संगठन
शैक्षणिक संस्थान
जी-20 और अन्य मंच
जन सहभागिता
सरकारी हितधारक
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार

पारंपरिक कृषि में जैव प्रौद्योगिकी

वर्ष 2033 तक कृषि उद्योग के 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है, इसलिए जैव-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने आने वाले वर्षों में कृषि-जैव प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्त्व पर बल दिया।

जलवायु-अनुकूल कृषि (CRA) क्या है?

- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तापमान में प्रत्येक एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ भारत में गेहूँ की उपज 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक घट सकती है।
- जलवायु-अनुकूल कृषि खेती की प्रक्रियाओं को दिशा देने और रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता कम करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी तथा अन्य सहायक प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत शृंखला का उपयोग करती है, साथ ही उत्पादकता को बनाए रखने या बढ़ाने में सहायता करती है।
- **इनके अंतर्गत शामिल हैं:**
  - जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक तथा मिट्टी के सूक्ष्मजीव समुदाय का विश्लेषण।
  - जीन-संपादित फसलें विकसित की जा सकती हैं, जो सूखा, गर्मी, लवणता या कीट दबाव को सहन करने में सक्षम हों।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण अनेक पर्यावरणीय और कृषि संबंधी कारकों को जोड़कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खेती की रणनीतियाँ तैयार कर सकता है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था

- भारत विश्व में जैव-प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 गंतव्यों में शामिल है तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में प्रभावशाली 165.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई है, अर्थात इसमें सोलह गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4.25 प्रतिशत योगदान देने वाले इस क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में 17.9 प्रतिशत की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है।
- भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र को जैव-औषधि, जैव-कृषि, जैव-सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव-सेवाओं में विभाजित किया गया है।
- **भविष्य के लक्ष्य:** वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत टीके, निदान और उपचार सहित जैव-औषधि क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहा है।

भारत को CRA की आवश्यकता क्यों है?

- **कृषि अर्थव्यवस्था:** भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की तेजी से बढ़ती जनसंख्या कृषि उत्पादकता को अधिक तथा विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता पर लगातार दबाव डाल रही है।
  - भारत के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 51 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है और यह देश के लगभग 40 प्रतिशत खाद्य उत्पादन में योगदान देता है, जिससे यह जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बन जाता है।
- **पारंपरिक खेती की विधियाँ पर्याप्त नहीं हैं:** केवल पारंपरिक खेती की विधियाँ जलवायु परिवर्तन से बढ़ते दबावों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकतीं। हाल के प्रतिरूप आधारित आकलनों से संकेत मिलता है कि इस शताब्दी के अंत तक चावल जैसी प्रमुख फसलों की उपज 3 से 22 प्रतिशत तक घट सकती है, और सबसे खराब परिस्थितियों में यह गिरावट 30 प्रतिशत से भी अधिक हो सकती है।
- **उन्नत उत्पादकता:** जलवायु-अनुकूल कृषि ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करती है, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। यह खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और खाद्य क्षेत्र में देश की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में भी सहायक हो सकती है।

वैश्विक परिदृश्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि और वानिकी के लिए जलवायु-अनुकूल पहल के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि को संघीय नीति में शामिल करता है तथा जलवायु-अनुकूल प्रक्रियाओं में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है।
- जलवायु-अनुकूल कृषि को यूरोपीय संघ की हरित व्यवस्था और खेत से थाली तक रणनीति में शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य रासायनिक पदार्थों के उपयोग को कम करना और स्थिरता बढ़ाना है।
- चीन की जलवायु-अनुकूल कृषि रणनीति जलवायु-सहनशील फसलों के विकास, बड़े स्तर पर जल-बचत सिंचाई और कृषि के डिजिटल रूपांतरण पर केंद्रित है। ब्राजील उष्णकटिबंधीय जलवायु-अनुकूल फसल विकास में अग्रणी है, जिसे उसके जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान से बढ़ावा मिला है।

चुनौतियाँ

- **कम अपनाव:** सीमित पहुँच, जागरूकता और वहन क्षमता के कारण छोटे और सीमांत किसानों के बीच जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों का अपनाव कम है। साथ ही जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों की गुणवत्ता में असमानता जैविक विकल्पों पर विश्वास को कमजोर करती है।
- **असमान वितरण:** जलवायु-अनुकूल बीजों का प्रसार अभी धीमा है, जबकि जीन संपादन जैसे नए साधनों का उपयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है और विभिन्न राज्यों में इसका वितरण भी असमान है।
- **डिजिटल विभाजन** सटीक कृषि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निर्णय साधनों की पहुँच को सीमित करता है।
- इन चुनौतियों के साथ-साथ मिट्टी का लगातार क्षरण, जल की कमी और तेजी से बढ़ती जलवायु अस्थिरता भी जुड़ी हुई है, जो वर्तमान अनुकूलन प्रयासों से अधिक तेज हो सकती है। नीतिगत समन्वय का विखंडन भी प्रगति की गति को धीमा करने का जोखिम उत्पन्न करता है।

कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग

- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग का कृषि जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगतियों का उपयोग करते हुए सतत् कृषि प्राप्त करने के लिए नवाचारी जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान को समर्थन देता है।

- **मुख्य उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:**
  - **जलवायु-अनुकूल फसलें:** सूखा सहन करने वाली उच्च उपज क्षमता वाली नई और उन्नत चना किस्म "सात्विक (NC 9)" को हाल ही में अधिसूचित किया गया है, जो सूखे की स्थिति में बेहतर उपज देती है।
  - **जीन-संपादित फसलें:** जीन संपादन का उपयोग चावल के कई ऐसे जीनों में कार्यहीन परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया गया, जो फसल उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- **राजगीरा आनुवंशिक संसाधन:** जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने राजगीरा जीनोमिक संसाधन आँकड़ा भंडार, राजगीरा अनाज की पोषण गुणवत्ता की जाँच के लिए निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक तथा 64K SNP चिप विकसित की है। उपरोक्त संसाधनों का उपयोग करके जाँची गई राजगीरा प्रजातियों ने अधिक वसा वाले भोजन से उत्पन्न मोटापे को कम करने की क्षमता दिखाई है।
- **फफूंद आधारित जैव नियंत्रण:** टमाटर और अंगूर में चूर्णी फफूंद रोग के पर्यावरण-अनुकूल जैव नियंत्रण के लिए माइरोथीसियम वेरूकैरिया से एक स्थिर फफूंद एंजाइम नैनो-निर्माण विकसित किया गया है।

सरकारी पहल

- **जलवायु-अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार:** वर्ष 2011 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "जलवायु-अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार" नामक प्रमुख नेटवर्क परियोजना प्रारंभ की।
- सतत् कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इसका केंद्र एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण के समन्वय पर है।
- जैव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति ने भी जैव-प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के विकास के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि को एक प्रमुख विषय क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है।
- बायोस्टैड, इफको, गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन, राष्ट्रीय उर्वरक तथा आईपीएल जैविक जैसी प्रमुख कंपनियाँ जैव-आधारित पदार्थ उपलब्ध कराती हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और रासायनिक निर्भरता कम करने में सहायक हैं।
- भारत का डिजिटल कृषि क्षेत्र भी तेजी से विस्तार कर रहा है, जहाँ कृषि-प्रौद्योगिकी नवउद्यम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परामर्श, सटीक सिंचाई, फसल स्वास्थ्य निगरानी और उपज पूर्वानुमान उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं।

आगे की राह

- जलवायु-सहनशील और जीन-संपादित फसलों के विकास तथा प्रसार को तेज करने की आवश्यकता है।
- परिवर्तन की इस प्रक्रिया के दौरान किसानों को समर्थन देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, जलवायु बीमा और ऋण तक पहुँच अत्यंत आवश्यक हैं।
- भारत को जैव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार ढाँचे के अंतर्गत एक समन्वित राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि रूपरेखा की आवश्यकता है, जो जैव-प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूलन और नीतियों को एक साथ जोड़कर बड़े स्तर पर स्थिरता प्रदान कर सके।

निष्कर्ष

- जलवायु-अनुकूल कृषि अब भारत के लिए विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि बढ़ता तापमान गेहूँ की उपज को 10 प्रतिशत तक और इस शताब्दी के अंत तक चावल जैसी प्रमुख फसलों की उपज को 30 प्रतिशत तक घटा सकता है।
- जीन संपादन, मिट्टी के सूक्ष्मजीव समुदाय के विश्लेषण तथा जैव-आधारित पदार्थों का समन्वय उच्च उत्पादकता बनाए रखने के साथ-साथ रासायनिक आधारित खेती के पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करने का उन्नत मार्ग प्रदान करता है।
- वर्ष 2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के 300 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे कृषि क्षेत्र को एक मजबूत व्यवस्था का लाभ मिलने की संभावना है।
- डिजिटल विभाजन को कम करना और सभी राज्यों में जलवायु-अनुकूल बीजों का समान वितरण सुनिश्चित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, ताकि भारत के 51 प्रतिशत शुद्ध बोए गए क्षेत्र की सुरक्षा की जा सके, जो अभी भी वर्षा आधारित परिस्थितियों पर निर्भर है।
- सफलता एक समन्वित राष्ट्रीय रूपरेखा पर निर्भर करती है, जो जैव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार ढाँचे के अंतर्गत तैयार की जाए तथा जिसे वित्तीय प्रोत्साहनों और बीमा योजनाओं का समर्थन प्राप्त हो, ताकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया का जोखिम कम किया जा सके।
- जैव-प्रौद्योगिकी के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके भारत घरेलू खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर सतत्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित और स्थिर कृषि प्रक्रियाओं में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त कर सकता है।

पिछले 10 वर्षों में विकसित अथवा जारी की गई फसल किस्में

भारत में सहकारी समितियाँ

केंद्र सरकार ने लोकसभा को सूचित किया है कि 8.48 लाख समितियों में से 2.11 लाख घाटे में हैं, 1.41 लाख निष्क्रिय हैं और 47,688 परिसमापन (Liquidation) की प्रक्रिया में हैं।

मुख्य बातें

- केवल 3.49 लाख सहकारी समितियाँ लाभ में हैं। उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय समितियों का प्रतिशत सबसे अधिक 41.8% है, इसके पश्चात् मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है।
  - छोटे राज्यों की स्थिति और भी खराब है – नागालैंड (72.7%), दिल्ली (67.1%), सिक्किम (55.3%), मणिपुर (52%) और चंडीगढ़ (46.4%)
- सहकारी समितियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष दस राज्यों में दक्षिणी और पश्चिमी राज्य – महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना अपनी अधिकांश समितियों को संचालित बनाए रखने में सफल रहे हैं।
  - पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम-से-कम 25% समितियाँ निष्क्रिय हैं।
- सहकारी समितियों की सर्वाधिक संख्या वाले पाँच राज्य – महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश परिसमापन के अंतर्गत आने वाली समितियों का 93.44% हिस्सा रखते हैं।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- सहकारी समिति एक ऐसा संगठन या व्यवसाय है, जिसका स्वामित्व और संचालन ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जिनकी कोई समान रुचि, उद्देश्य या आवश्यकता होती है।
- इन व्यक्तियों को सदस्य कहा जाता है, जो सहकारी समिति की गतिविधियों और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सामान्यत: "एक सदस्य, एक मत" के आधार पर, चाहे प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई पूँजी या संसाधनों की मात्रा कितनी भी हो।
- सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, न कि बाहरी शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करना।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (UN SDGs) सहकारी समितियों को सतत् विकास के महत्त्वपूर्ण प्रेरक के रूप में विशेषकर असमानता कम करने, सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में मान्यता देते हैं।

97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011

- इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) के रूप में स्थापित किया। इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया सिद्धांत (अनुच्छेद 43-B) शामिल किया गया।
- इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा, जिसका शीर्षक "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) है।
- यह संसद को बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (MSCS) के मामले में, और राज्य विधानमंडलों को अन्य सहकारी समितियों के मामले में, संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है।

भारत में सहकारी समितियों के प्रकार

- **कृषि सहकारी समितियाँ:**
  - **डेयरी सहकारी समितियाँ:** दुग्ध उत्पादों के सामूहिक उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन पर केंद्रित होती हैं (जैसे – अमूल)
  - **किसान सहकारी समितियाँ:** बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों तक पहुँच जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं तथा फसलों के विपणन और प्रसंस्करण में सहायता करती हैं।
  - **मछुआरा सहकारी समितियाँ:** मछुआरों को संसाधनों के प्रबंधन तथा सामूहिक रूप से अपनी पकड़ के विपणन में सहायता प्रदान करती हैं।
- **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ:**
  - ये सहकारी समितियाँ सदस्यों को उचित मूल्य पर वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।
  - उदाहरणों में उपभोक्ता भंडार और उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं।
- **श्रमिक सहकारी समितियाँ:** इन सहकारी समितियों में श्रमिक व्यवसाय के स्वामी और प्रबंधक होते हैं तथा लाभ और निर्णय-निर्माण में भागीदारी साझा करते हैं। उदाहरणों में लघु विनिर्माण सहकारी समितियाँ या शिल्पकार सहकारी समितियाँ शामिल हैं।
- **ऋण सहकारी समितियाँ:** सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ सदस्यों को वित्तीय सेवाएँ, जैसे बचत खाते, ऋण और साख प्रदान करती हैं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
- **आवास सहकारी समितियाँ:** ये सहकारी समितियाँ सदस्यों को सामूहिक रूप से आवास परियोजनाओं के निर्माण या प्रबंधन में सहायता करती हैं तथा विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराती हैं।

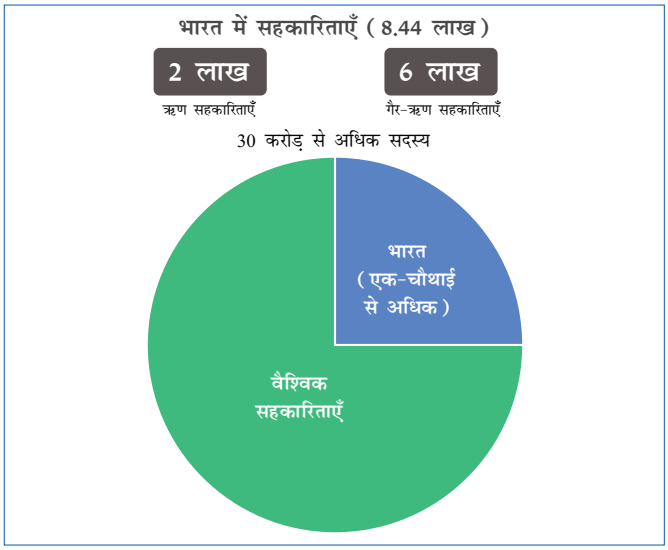

सहकारी समितियाँ खराब प्रदर्शन क्यों कर रही हैं

- **डेयरी सहकारी समितियाँ:** किसानों के लिए आय स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, लेकिन कोविड के पश्चात् मूल्य गिरावट ने उनकी व्यवहार्यता को प्रभावित किया। उत्पादन में 25% वृद्धि के बावजूद, जलवायु और वैश्विक कारकों के कारण बढ़ती इनपुट एवं खरीद लागतें इस क्षेत्र पर दबाव बनाए हुए हैं।
- **आवास सहकारी समितियाँ:** घोटालों से प्रभावित सहकारी बैंकों में हानि के कारण वित्तीय दबाव का सामना कर रही हैं, साथ ही आंतरिक समस्याएँ जैसे बकाया भुगतान न होना, निधियों का कुप्रबंधन और पुनर्विकास में देरी भी मौजूद हैं।
- **ऋण एवं बचत समितियाँ:** कमजोर विनियमन और सीमित वित्तीय आधार मनमानी ऋण प्रथाओं, उच्च ब्याज भार तथा घोटालों और कुशासन के कारण बढ़ती संवेदनशीलता को जन्म देते हैं।
- **महिला सहकारी समितियाँ:** सीमित वित्तीय पहुँच, सामाजिक बाधाएँ, नेटवर्क की कमी तथा कार्य-जीवन तनाव के कारण विकास बाधित होता है, जिससे प्रभावी भागीदारी और उद्यमिता सीमित रहती है।

सहकारी समितियों के लाभ

- **लोकतांत्रिक नियंत्रण:** सदस्यों की निर्णय-निर्माण में भागीदारी होती है।
- **आर्थिक भागीदारी:** लाभ का वितरण उपयोग या योगदान के आधार पर होता है, न कि निवेशित पूँजी के आधार पर।
- **सामुदायिक केंद्रितता:** सहकारी समितियाँ प्राय: संसाधनों और लाभ को समूह के भीतर बनाए रखकर स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखती हैं।
- **बेहतर सेवाएँ/मूल्य:** संसाधनों के सामूहिक उपयोग के कारण सहकारी समितियाँ प्राय: लाभ-उन्मुख व्यवसायों की तुलना में बेहतर सेवाएँ या मूल्य प्रदान करती हैं।

सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **कमजोर शासन:** कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ हैं, जो अक्षमता और पारदर्शिता की कमी को जन्म देती हैं।
- **ऋण तक सीमित पहुँच:** अनेक सहकारी समितियाँ वित्तपोषण तक पहुँच में संघर्ष करती हैं, जिससे उनके विस्तार या संचालन सुधार की क्षमता बाधित होती है।
- **निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा:** सहकारी समितियों को विशेष रूप से खुदरा और कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़े निजी उद्यमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- **प्रौद्योगिकीय अंतराल:** अनेक सहकारी समितियाँ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आधुनिक तकनीक तक पहुँच से वंचित हैं या ऐसी नई प्रणालियों को अपनाने में धीमी हैं जो दक्षता में सुधार कर सकती हैं।

सहकारी समितियों के लिए विधिक ढाँचा और समर्थन

भारत में सहकारी समितियाँ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत शासित होती हैं, जिसे राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लागू किया जाता है।

- **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (2002):** यह विधि उन सहकारी समितियों को विनियमित करता है जो एक से अधिक राज्यों में कार्य करती हैं।
- **राष्ट्रीय सहकारिता नीति (2002):** सहकारी आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से यह नीति शासन, सदस्य भागीदारी और वित्तीय स्थिरता में सुधार पर केंद्रित है।
- **सहकारिता मंत्रालय:** 2021 में स्थापित यह मंत्रालय भारत में सहकारी समितियों की वृद्धि को समर्थन देने, उनके शासन में सुधार करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025:** इसका उद्देश्य भारत की सहकारिता परंपरा की विशिष्ट शक्तियों को सुदृढ़ करना, आर्थिक लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना तथा सामूहिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत करना है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति का क्रियान्वयन

भारत में सहकारिताओं का विकास

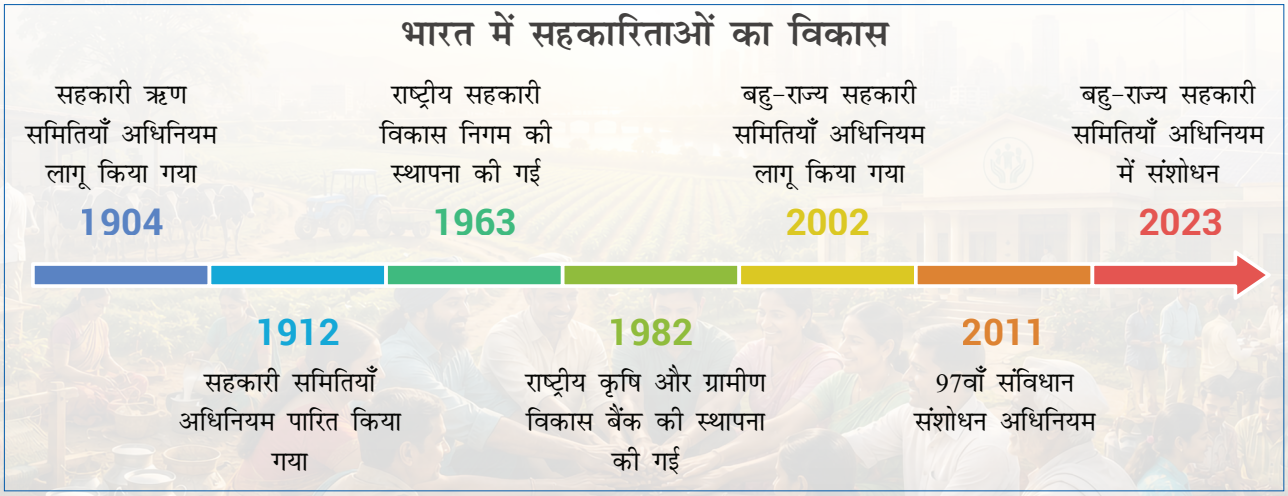

उच्च स्तर की NBFCs

RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की पहचान करने की प्रक्रिया में संशोधन के लिए मसौदा संशोधन निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, सरलता और विनियामक समानता को बढ़ाना है।

परिचय

- NBFC के लिए वर्तमान स्केल आधारित विनियामक (Scale Based Regulatory - SBR) ढाँचा NBFC-UL की पहचान हेतु दो-आयामी कार्यप्रणाली निर्धारित करता है, अर्थात् - संपत्ति आकार के आधार पर शीर्ष दस पात्र NBFC तथा पैरामीट्रिक स्कोरिंग कार्यप्रणाली।
- इस द्वैध दृष्टिकोण की जटिल और कम पारदर्शी होने के कारण आलोचना की गई है।

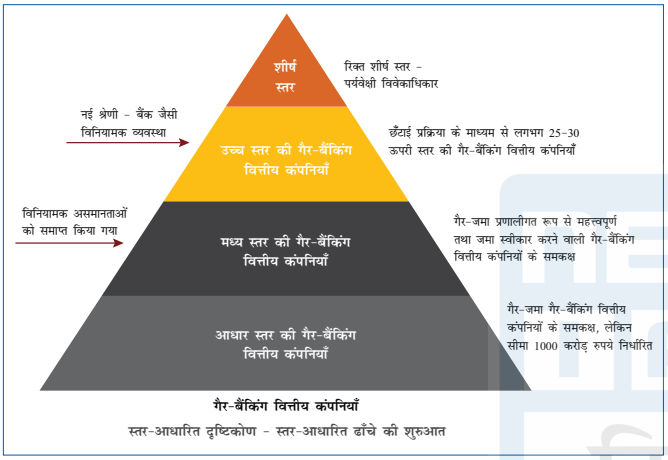

- NBFC-UL वे संस्थाएँ हैं जो अपने आकार, जटिलता और परस्पर संबद्धता के कारण महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करती हैं।
- संपत्ति आकार के आधार पर शीर्ष 10 NBFC + पैरामीट्रिक स्कोरिंग कार्यप्रणाली, जैसे - बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कैपिटल, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस।

आरबीआई द्वारा प्रस्तावित संशोधन

- **संपत्ति आकार सीमा:** एकल वस्तुनिष्ठ मानदंड के अनुसार, ₹1,00,000 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति आकार वाले NBFC को NBFC-UL माना जाएगा, जिससे द्वैध कार्यप्रणाली का स्थान लिया जाएगा। इसकी समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। इससे पूर्वानुमेयता और अनुपालन की सुगमता बढ़ेगी।
- **सरकारी NBFC का समावेशन:** वर्तमान में आधार स्तर (BL) या मध्य स्तर (ML) में रखी गई राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाएँ, जैसे - नाबार्ड, एक्जिम बैंक और सिडबी, अब आकार के आधार पर उच्च स्तर में वर्गीकृत की जाएँगी।
- **राज्य सरकार की गारंटी:** NBFC-UL संस्थाओं को राज्य सरकार की गारंटी को किसी सीमा के बिना (कुछ शर्तों के अधीन) ऋण जोखिम अंतरण साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति होगी, जिससे जोखिम प्रबंधन में अधिक लचीलापन मिलेगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)

- **NBFC की परिभाषा:** गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) वह कंपनी है जो कंपनी अधिनियम (1956 या 2013) के अंतर्गत पंजीकृत होती है तथा मुख्यतः ऋण, अग्रिम, लीजिंग, हायर-परचेज और प्रतिभूतियों में निवेश जैसी वित्तीय गतिविधियाँ संचालित करती है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा NBFC को किसी भी अपंजीकृत निकाय के साथ संबद्ध होने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **अपवर्जित गतिविधियाँ:** इसमें वे कंपनियाँ शामिल नहीं हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि, उद्योग, वस्तुओं का व्यापार (प्रतिभूतियों को छोड़कर), सेवाएँ या रियल एस्टेट गतिविधियाँ हैं।
- **अवशिष्ट NBFC:** वे कंपनियाँ जो मुख्यतः जमा या किस्त योजनाओं के माध्यम से धन एकत्र करती हैं, उन्हें भी NBFC (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ) की श्रेणी में रखा जाता है।
- **पात्रता:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में पंजीकरण हेतु किसी कंपनी का कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अंतर्गत निगमित होना तथा न्यूनतम ₹10 करोड़ की नेट ओन्ड फंड (NOF) होना आवश्यक है।
  - हालाँकि, विशिष्ट NBFC के लिए उच्च पूँजी आवश्यकताएँ लागू होती हैं, जैसे - NBFC-IFCs और IDF-NBFCs के लिए 300 करोड़, मॉर्गेज गारंटी कंपनियों के लिए 100 करोड़, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए 20 करोड़, गतिविधियों के आधार पर स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए 150-250 करोड़, तथा NBFC-II और NBFC-P2P श्रेणियों के लिए ₹2 करोड़।

NBFC बैंकों से कैसे भिन्न हैं?

- NBFC माँग जमा स्वीकार नहीं कर सकते।
- वे चेक जारी नहीं कर सकते या भुगतान प्रणाली संचालित नहीं कर सकते।
- उनकी जमा राशि DICGC द्वारा बीमित नहीं होती।

मुख्य चुनौतियाँ

- **विनियामक बोझ:** अपर लेयर में अधिक संस्थाओं के आने से अनुपालन लागत और पूँजी/शासन संबंधी मानकों की कठोरता बढ़ेगी।
- **सीमा की कठोरता:** केवल संपत्ति आकार पर निर्भरता जोखिमों की विविधता तथा परस्पर संबद्धता जैसे गुणात्मक कारकों की उपेक्षा कर सकती है।
- **सरकारी NBFC पर प्रभाव:** इनके समावेशन से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के परिचालन लचीलेपन पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **कॉरपोरेट गवर्नेंस संघर्ष:** टाटा संस जैसे मामलों से स्पष्ट है कि विनियामक परिवर्तन स्वामित्व विवादों और पुनर्संरचना के दबाव को उत्पन्न कर सकते हैं।

भारत-श्रीलंका संबंध

भारत के उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल रही। इस दौरान भारत द्वारा 'ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया' (OCI) योजना के विस्तार की घोषणा की गयी।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- भारत ने भारतीय मूल के तमिलों के लिए OCI पात्रता को पाँचवीं और छठी पीढ़ी तक विस्तारित कर दिया, जिससे यह पहले की चौथी पीढ़ी की सीमा से आगे बढ़ गई। साथ ही, श्रीलंका सरकार द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- इस यात्रा ने भारतीय मूल के तमिलों को दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों के सेतु के रूप में मान्यता देकर प्रवासी सहभागिता को सुदृढ़ किया।
- भारत ने सीलोन एस्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत समर्थन बढ़ाकर तथा भारतीय आवास परियोजना के चरण-III के अंतर्गत 145 घर सौंपकर विकास सहयोग को सुदृढ़ किया। यह परियोजना 2010 में घोषित 50,000 घरों के निर्माण की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
- दोनों देशों ने त्रिंकोमाली ऊर्जा केंद्र (एक प्रमुख ऊर्जा अवसंरचना परियोजना) के विकास पर बल दिया, जिसमें प्रस्तावित ईंधन पाइपलाइन तथा द्वितीय विश्व युद्ध कालीन तेल टैंक फार्मों का विकास शामिल है। यह 2025 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत है।
- श्रीलंका ने चक्रवात दित्वाह के पश्चात् भारत द्वारा प्रदान की गई 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की सराहना की, जिसने एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ किया।
- दोनों पक्षों ने पाक जलडमरूमध्य में मछुआरा विवाद को मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से हल करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आजीविका संबंधी चिंताओं और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत और श्रीलंका ने 2,500 वर्षों से अधिक समय से सभ्यतागत संबंध बनाए रखे हैं, जिन्हें मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का समर्थन प्राप्त है।
- तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महिंद द्वारा बौद्ध धर्म श्रीलंका में पहुँचाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध स्थापित हुआ।
- 10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के चोल वंश ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजनीतिक संघर्षों के बावजूद उसकी कला, स्थापत्य और भाषा को प्रभावित किया।
- औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय मूल के तमिलों के प्रवासन ने दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय और सामाजिक-राजनीतिक संबंध बनाए, जिन्हें पश्चात् में 1964 के सिरिमा-शास्त्री समझौते जैसे समझौतों के माध्यम से संबोधित किया गया।
- भारत और श्रीलंका ने क्रमशः 1947 और 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, और भारत ने श्रीलंका की लोकतांत्रिक संस्थाओं के समर्थन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE - उग्रवादी संगठन) का गठन 1976 में हुआ और उसने 1983 से 2009 तक श्रीलंकाई सेनाओं के साथ सशस्त्र संघर्ष किया।
- भारत और श्रीलंका ने 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप 13वाँ संशोधन तथा भारतीय शांति सेना (IPKF) की तैनाती हुई। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या ने श्रीलंका के प्रति भारत की नीति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
- श्रीलंका का गृहयुद्ध 2009 में सैन्य अभियान के माध्यम से समाप्त हुआ, जिसके पश्चात् संबंधों का केंद्र आर्थिक सहयोग, संपर्कता और हिंद महासागर क्षेत्र में विकास साझेदारी की ओर स्थानांतरित हो गया।

महत्त्व

- भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करता है तथा एक विश्वसनीय "प्रथम प्रत्युत्तरकर्त्ता (First Responder)" की भूमिका निभाता है। विशेष रूप से, उसने श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट के दौरान 4 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता तथा 2025 में चक्रवात दित्वाह के पश्चात् 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की।
- श्रीलंका की सामरिक स्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाले समुद्री व्यापार मार्गों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI एकीकरण) तथा नवीकरणीय ऊर्जा (त्रिंकोमाली तेल फार्म) में सहयोग भारत की "पड़ोसी प्रथम" नीति को सुदृढ़ करता है।
- इन संबंधों को मजबूत करना श्रीलंका के बंदरगाह अवसंरचना में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने तथा एक सुरक्षित और समावेशी हिंद महासागर क्षेत्र बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

भू-आर्थिक संबंध

- भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में लगभग 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा तथा भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों और निवेशकों में से एक है।
- 2020 में भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसमें द्विपक्षीय वस्तु व्यापार लगभग 3.6 अरब अमेरिकी डॉलर का था।
- भारत ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता, जिसमें ऋण सुविधाएँ और अनुदान शामिल हैं, प्रदान की है, जिसने श्रीलंका की आर्थिक पुनर्प्राप्ति में सहायता की है।
- भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA), जो 2000 से लागू है, ने दोनों देशों के बीच व्यापार को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। दोनों देश आर्थिक एकीकरण को गहरा करने हेतु आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) पर वार्ता कर रहे हैं।

- भारत ने विद्युत, रेलवे संपर्कता और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास पहलों सहित अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है।

भू-राजनीतिक संबंध

- हिंद महासागर क्षेत्र में श्रीलंका की सामरिक स्थिति उसे भारत के भू-राजनीतिक हितों और समुद्री रणनीति के केंद्र में रखती है।
- श्रीलंका के साथ भारत की सहभागिता का उद्देश्य बाहरी प्रभावों, विशेष रूप से समुद्री रेशम मार्ग पहल के अंतर्गत हंबनटोटा और कोलंबो बंदरगाह परियोजनाओं में चीन की उपस्थिति, को संतुलित करना है।
- दोनों देश सार्क, बिम्सटेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे क्षेत्रीय समूहों में सहयोग करते हैं।
- वे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक मंचों पर भी सहयोग करते हैं।

प्रौद्योगिकी संबंध

- भारत और श्रीलंका डिजिटल और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI - वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली) की शुरुआत शामिल है।
- प्रौद्योगिकीय सहयोग ऊर्जा अवसंरचना, उत्तरी श्रीलंका में हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं तथा व्यापक संपर्कता पहलों में भी परिलक्षित होता है।

रक्षा संबंध

- रक्षा सहयोग में SLINEX (नौसैनिक अभ्यास) और मित्र शक्ति (थल सेना अभ्यास) जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
- 2012 से दोनों देश भारत-श्रीलंका रक्षा संवाद में भाग ले रहे हैं, जो रक्षा सहयोग और सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा करता है।
- दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयासों और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग करते हैं।

रणनीतिक संबंध

- भारत और श्रीलंका कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (क्षेत्रीय सुरक्षा मंच) के माध्यम से सहयोग करते हैं, जो सुरक्षा चुनौतियों पर समन्वय को सुदृढ़ करता है।
- दोनों देशों के हित समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और आपदा प्रतिक्रिया सहयोग में समान हैं।
- त्रिंकोमाली ऊर्जा केंद्र, कंकेसनतुरई बंदरगाह विकास और संपर्कता पहल जैसी रणनीतिक परियोजनाएँ दीर्घकालिक सामंजस्य को सुदृढ़ करती हैं।
- भारत ने बंदरगाहों और ऊर्जा क्षेत्रों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं, जिनमें हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाएँ और बंदरगाह आधुनिकीकरण शामिल हैं, का समर्थन किया है।

जन-से-जन संबंध

- जन-से-जन संबंध साझा सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक आदान-प्रदान, पर आधारित हैं।
- सांस्कृतिक सहयोग को सांस्कृतिक सहयोग समझौता (1977) तथा भारत-श्रीलंका फाउंडेशन (1998) जैसी पहलों के माध्यम से समर्थन प्राप्त है।

भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI) कार्ड

- यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली स्थायी निवास स्थिति का एक रूप है। इसे भारत की प्रवासी सहभागिता नीति के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम, 1955 में 2005 के संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- इसे 2015 में भारतीय मूल व्यक्ति व्यवस्था के साथ मिला दिया गया।
- **पात्रता मानदंड:** कोई विदेशी नागरिक पात्र होगा यदि वह:
- 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात् भारत का नागरिक रहा हो, या
- उस क्षेत्र से संबंधित हो जो स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का हिस्सा बना हो, अथवा ऐसे व्यक्तियों के बच्चे, पोते-पोतियाँ या परपोते-परपोतियाँ हों।
- **पात्र नहीं:** पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक, अथवा अन्य अधिसूचित देशों के नागरिक।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - भारत आने के लिए आजीवन वीजा।
  - बिना किसी प्रतिबंध के बहु-प्रवेश और बहुउद्देश्यीय यात्रा की सुविधा।
  - विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण से छूट।
  - शिक्षा, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान सुविधाएँ।
  - कार्डधारक आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि और बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते।
  - कार्डधारकों को मतदान का अधिकार, संवैधानिक या सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, सरकारी सेवाओं में रोजगार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते।

- कोलंबो स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र संगीत, नृत्य, हिंदी कक्षाओं और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- भारत भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- भारतीय मूल का तमिल समुदाय दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चुनौतियाँ

- **विवाद:** अवैध मछली पकड़ना, bottom trawling (समुद्र तल पर भारी जालों को घसीटकर मछली पकड़ने की एक औद्योगिक विधि) और कच्चतीवु संप्रभुता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा प्रमुख तनाव के कारण बने हुए हैं।
- **राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ:** तमिल 13वाँ संशोधन अब भी अनसुलझा है तथा चीन की रणनीतिक बंदरगाह अवसंरचना की उपस्थिति गंभीर सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- **आर्थिक चुनौतियाँ:** व्यापार असंतुलन और श्रीलंका की घरेलू अस्थिरता अक्सर प्रभावी नीति क्रियान्वयन में बाधा डालती है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर होने के बाद चार वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जो द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।

समझौते के मुख्य पहलू

- भारत ने अपनी 70.3 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों पर रियायती बाजार पहुँच प्रदान की, जो व्यापार मूल्य के 90.6 प्रतिशत को कवर करती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 100 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों पर पहुँच प्रदान की, जो भारत से होने वाले सभी आयातों के बराबर है।
- लगभग 98.3 प्रतिशत शुल्क श्रेणियाँ तुरंत शुल्क-मुक्त हो गईं, जबकि शेष 1.7 प्रतिशत को पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जिससे क्रमिक उदारीकरण सुनिश्चित हो सके।
- 1 जनवरी 2026 से भारत के सभी निर्यातों को ऑस्ट्रेलिया में शून्य-शुल्क बाजार पहुँच प्राप्त होगी, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा में महत्त्वपूर्ण सुधार होगा।
- ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो समझौते के पश्चात् दो गुने से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।
- कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि भारत के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यापार 19.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो उतार-चढ़ाव के बावजूद निरंतर सहयोग को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (2009) से आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2020) तक उन्नत किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में गहरे सहयोग को दर्शाता है।
- **संबंधों को समर्थन देने वाली संस्थागत व्यवस्थाओं में शामिल हैं:** 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रियों की वार्ता, संयुक्त व्यापार और वाणिज्य मंत्रिस्तरीय आयोग, रक्षा नीति वार्ताएँ, ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद, रक्षा सेवा स्टाफ वार्ताएँ, ऊर्जा वार्ता, तथा संयुक्त कार्य समूह।
- द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें भारत का निर्यात 8.58 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 15.52 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इससे भारत ऑस्ट्रेलिया का आठवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा ऑस्ट्रेलिया भारत का चौदहवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।
- आर्थिक संबंधों को और गहरा करने के लिए एक अधिक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ताएँ जारी हैं।

महत्त्व

- ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने के लिए भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है, जो भारत के समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है।
- यह लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्त्व, कोयला और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख स्रोत है, जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत किया है तथा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के माध्यम से गहरे आर्थिक एकीकरण का मार्ग तैयार किया है।
- ऑस्ट्रेलिया भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण गंतव्य है तथा विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख भागीदार है।
- चतुष्पक्षीय सुरक्षा वार्ता, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र संगठन तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग भू-राजनीतिक समन्वय को मजबूत करता है और क्षेत्रीय प्रभावों को संतुलित करने में सहायता करता है।

भू-आर्थिक संबंध

- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने शुल्कों में महत्त्वपूर्ण कमी की है, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई है और भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार पहुँच बेहतर हुई है।
- भारत के निर्यात में विविधता बढ़ी है, लेकिन वे अभी भी ऑस्ट्रेलिया के संसाधन-आधारित निर्यात की तुलना में सीमित हैं, जिससे लगातार व्यापार असंतुलन बना हुआ है।
- ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए नई रूपरेखा प्रारंभ की, जिसमें रक्षा, खेल, संस्कृति, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित लगभग 50 अवसरों की पहचान की गई।
- सहयोग के क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन और अवसंरचना शामिल हैं, जो दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को समर्थन देते हैं।

भू-राजनीतिक संबंध

- भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए निकट सहयोग करते हैं।
- दोनों देश चतुष्पक्षीय समूह, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र संगठन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे रणनीतिक समन्वय मजबूत होता है।
- यह साझेदारी भारत को अपने वैश्विक सहयोगों में विविधता लाने और विशेष रूप से चीन जैसी बड़ी शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में सहायता करती है।

प्रौद्योगिकी संबंध

- ऑस्ट्रेलिया-भारत महत्त्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी (2022) के अंतर्गत 2023 में महत्त्वपूर्ण खनिज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसके

लिए नवाचार और अनुसंधान को समर्थन देने हेतु 50 लाख अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण प्रदान किया गया।

- सहयोग का केंद्र महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए सतत् खनन, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति शृंखला विकास पर है।
- संयुक्त पहलों में नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार और कौशल विकास में सहयोग भी शामिल है, जिससे प्रौद्योगिकीय क्षमताएँ मजबूत हो रही हैं।

रक्षा संबंध

- रक्षा सहयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी शामिल है, जिससे नौसैनिक समन्वय क्षमता मजबूत होती है।
- औसइंडेक्स नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और शाही ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच समन्वय को बढ़ाता है।
- भारतीय वायु सेना ने पिच ब्लैक अभ्यास (2018) में भाग लिया, जिससे संचालन संबंधी समन्वय में सुधार हुआ।
- पारस्परिक रसद समर्थन व्यवस्था तथा रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था (2020) संयुक्त सैन्य अभियानों को सक्षम बनाती हैं और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करती हैं।
- नौसेना-से-नौसेना संबंधों के लिए संयुक्त मार्गदर्शन (2021) गहरे नौसैनिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

रणनीतिक संबंध

- भारत और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने में समान रणनीतिक हित साझा करते हैं।
- यह साझेदारी महत्त्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के लिए सुरक्षित आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण पर केंद्रित है, जिससे सीमित स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके।
- दोनों देश जलवायु स्थिरता, अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, जिससे दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को समर्थन मिल सके।

लोगों के बीच संबंध

- प्रवास और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था (2023) वैध प्रवास को सुगम बनाती है तथा अनियमित प्रवास से जुड़े मुद्दों का समाधान करती है।
- ऑस्ट्रेलिया भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है, जो शैक्षणिक सहयोग और कौशल विकास को समर्थन देता है।
- पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सरल वीजा प्रक्रियाओं और बढ़ी हुई सहभागिता पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी (2025) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य 2,000 महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे सामाजिक और कौशल आधारित संबंध मजबूत हों।

चुनौतियाँ

- ऑस्ट्रेलिया के संसाधन-आधारित निर्यात के प्रभुत्व और भारतीय निर्यात में सीमित विविधता के कारण व्यापार असंतुलन बना हुआ है।
- भारत को गैर-शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों का, जो लगभग 32 प्रतिशत प्रतिबंधों का हिस्सा हैं और कृषि निर्यात को प्रभावित करते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में अभी भी कम बनी हुई है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते जैसे समग्र समझौते की अनुपस्थिति डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद और उत्पत्ति के नियमों जैसे क्षेत्रों के कवरेज को सीमित करती है।
- 2025 में ऑस्ट्रेलिया के संघीय चुनावों के कारण व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ताओं की प्रगति धीमी हो गई।
- वीजा प्रक्रियाओं, कौशल मान्यता और अध्ययन के पश्चात् अवसरों से जुड़े मुद्दे अभी भी गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर चिंताएँ उत्पन्न होती रहती हैं।
- रक्षा सहयोग अभ्यासों में तो मजबूत बना हुआ है, लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त विनिर्माण और अनुसंधान सहयोग के क्षेत्रों में अभी सीमित है।

आगे की राह

- दोनों देशों को व्यापार को गहरा करने और वर्तमान कमियों को दूर करने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को शीघ्र आगे बढ़ाना चाहिए।
- विशेष रूप से सेवाओं, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मूल्य संवर्धित क्षेत्रों में व्यापार में विविधता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि मजबूत आपूर्ति शृंखलाएँ विकसित की जा सकें और जलवायु लक्ष्यों को समर्थन मिल सके।
- रणनीतिक और रक्षा सहयोग को संयुक्त उत्पादन, खुफिया जानकारी साझा करने तथा चतुष्पक्षीय समूह की पहलों के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए।
- वीजा, कौशल मान्यता और विद्यार्थियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों का समाधान करके गतिशीलता और शिक्षा साझेदारियों को बेहतर बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और संस्थागत जुड़ावों के आधार पर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो चुके हैं।
- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने व्यापार और सहयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है, लेकिन व्यापार असंतुलन, नियामक बाधाएँ और सीमित विविधता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- आर्थिक एकीकरण, रणनीतिक सहयोग और संस्थागत मजबूती को साथ लेकर चलने वाला संतुलित दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इस साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक होगा।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को उन्नत करने के लिए वार्ताएँ फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के नए प्रयास का संकेत देता है।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों का विकास

- कोरियाई युद्ध (वर्ष 1950-53) के दौरान भारत ने एक तटस्थ मानवीय भूमिका निभाई। भारत ने एक चिकित्सीय इकाई भेजी और युद्धबंदियों की वापसी के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिससे प्रारंभिक सद्भावना स्थापित हुई।
- औपचारिक कूटनीतिक संबंध वर्ष 1973 में स्थापित हुए, लेकिन भारत की बंद अर्थव्यवस्था और दक्षिण कोरिया के पश्चिमी गुटों के साथ जुड़ाव के कारण सहयोग सीमित बना रहा।
- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् भारत की पूर्वोन्मुख नीति तथा हुंडई, एलजी और सैमसंग जैसी कोरियाई कंपनियों के प्रवेश से आर्थिक संबंध मजबूत हुए।
- वर्ष 2010 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के साथ संबंधों में प्रगति हुई और वर्ष 2015 में इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया गया, जिससे सहयोग व्यापार से आगे बढ़कर रक्षा और प्रौद्योगिकी तक विस्तारित हुआ।
- वर्ष 2026 में उच्च-स्तरीय सहभागिताओं सहित हाल की प्रगतियाँ उन्नत प्रौद्योगिकी, आपूर्ति शृंखलाओं और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर बढ़ते सहयोग को दर्शाती हैं।

रणनीतिक अभिसरण

- दोनों देश आर्थिक पूरकता से आगे बढ़कर गहरे रणनीतिक समन्वय की ओर बढ़ चुके हैं।
- वे लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता तथा स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन को साझा करते हैं, जिससे वैश्विक शासन में समान दृष्टिकोण विकसित हुआ है।
- दक्षिण कोरिया का औद्योगिक सफलता मॉडल और भारत की विकास यात्रा विनिर्माण, अवसंरचना और मानव पूँजी निवेश के क्षेत्रों में मजबूत समानता दिखाते हैं।

आर्थिक संबंध

- द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2010 के 14.2 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में लगभग 26.89 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के पश्चात् मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।
- व्यापार संरचना में असंतुलन दिखाई देता है, जहाँ भारत लगभग 21 अरब डॉलर का आयात करता है और लगभग 5.8 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जिससे दक्षिण कोरिया के पक्ष में व्यापार घाटा बना हुआ है।
- दक्षिण कोरिया भारत में प्रमुख निवेशकों में शामिल है, जिसने विशेष रूप से मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी उद्योगों में 6-7 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
- सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसी प्रमुख कोरियाई कंपनियों ने भारत में बड़े विनिर्माण केंद्र स्थापित किए हैं, जो "मेक इन इंडिया" पहल को समर्थन देते हैं।

CEPA और व्यापार सुधार

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (वर्ष 2010) ने व्यापार को बढ़ावा दिया, लेकिन सीमित दायरे और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की कम भागीदारी के कारण इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है।
- प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 2.0 उन्नयन का उद्देश्य है:
- वर्ष 2030 तक व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाना।
- बाजार पहुँच में सुधार करना और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करना।
- सेवा व्यापार और डिजिटल वाणिज्य का विस्तार करना। संतुलित विकास के लिए व्यापार असंतुलन और नियामक बाधाओं का समाधान आवश्यक है।

तकनीकी सहयोग

- सहयोग का केंद्र अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विद्युत वाहन, बैटरियाँ और स्वच्छ ऊर्जा हैं। भारत का अर्धचालक मिशन और उन्नत विनिर्माण में दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञता मजबूत पूरकता उत्पन्न करती है।
- भारत-कोरिया डिजिटल सेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा शासन और डिजिटल नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है।
- "सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता" और समावेशी प्रौद्योगिकी पर संयुक्त बल प्रौद्योगिकीय विकास के प्रति साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रक्षा सहयोग

- रक्षा संबंध आयात-आधारित खरीदार-विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त विकास और विनिर्माण साझेदारियों की ओर विकसित हो रहे हैं।
- K-9 वज्र तोप प्रणाली सफल सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ा रहे हैं।
- साझा चिंताओं में उत्तर कोरिया और चीन-पाकिस्तान धुरी जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे शामिल हैं।

समुद्री और औद्योगिक सहयोग

- जहाज निर्माण में सहयोग दक्षिण कोरिया की उन्नत प्रौद्योगिकी और भारत की औद्योगिक नीतिगत सहायता को एक साथ जोड़ता है।
- योजनाओं में भारत में आधुनिक जहाज निर्माण केंद्रों का विकास, रसद नेटवर्क का विस्तार और समुद्री अवसंरचना में सुधार शामिल हैं।
- कोरियाई औद्योगिक नगर की स्थापना का प्रस्ताव कोरियाई लघु और मध्यम उद्यमों को आकर्षित करने तथा विनिर्माण व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से रखा गया है।

भू-राजनीतिक संरेखण

- दोनों देश स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं, जिसका केंद्र समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता है।
- दक्षिण कोरिया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और हिंद-प्रशांत महासागर पहल जैसी पहलों में शामिल हुआ है, जो भारत की क्षेत्रीय दृष्टि के अनुरूप है।

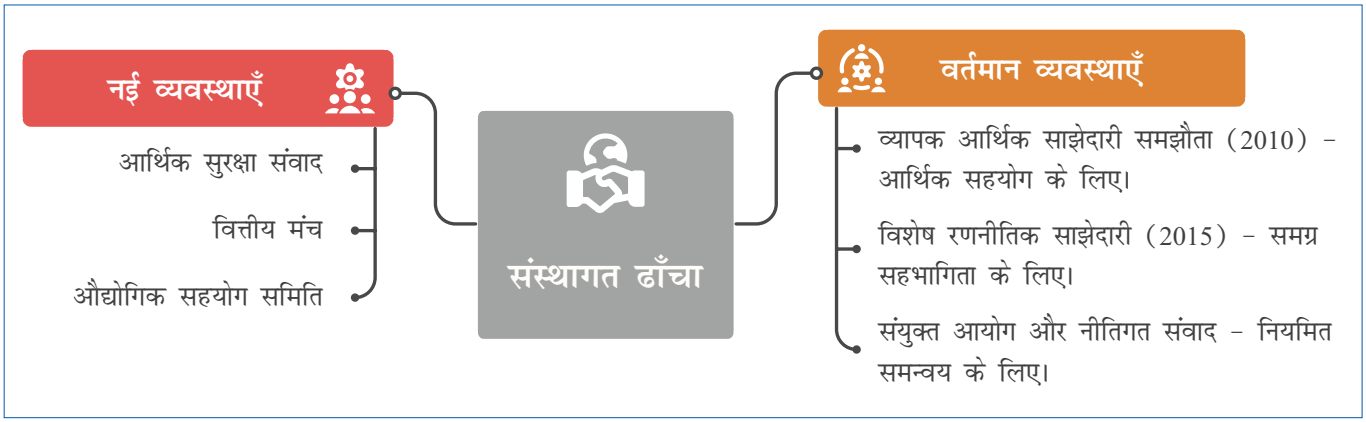

- दोनों देश वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत करते हैं तथा यूरोप और पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों सहित वैश्विक संकटों पर सहयोग करते हैं।
- उनकी साझेदारी आपूर्ति शृंखला की मजबूती और वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान देती है।
- सहयोग का केंद्र अर्धचालकों और रणनीतिक खनिजों सहित महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के लिए मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण है।
- दोनों देश स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और संवेदनशील वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

सांस्कृतिक और जन-जन के बीच संबंध

- सांस्कृतिक संबंध मुंबई कोरिया केंद्र जैसी पहलों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, जो कोरियाई सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक मंच है।
- भारत में कोरियाई संगीत और संस्कृति की लोकप्रियता तथा कोरिया में भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता सौम्य शक्ति संबंधों को मजबूत कर रही है।
- अयोध्या-कोरिया संबंध जैसे ऐतिहासिक जुड़ाव सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करते हैं।
- हालाँकि, सीमित शैक्षणिक आदान-प्रदान, पर्यटन और पेशेवर गतिशीलता अभी भी गहरे सामाजिक जुड़ाव को सीमित करते हैं।

चुनौतियाँ

- व्यापार असंतुलन एक प्रमुख समस्या बना हुआ है, जहाँ भारतीय निर्यात को कोरियाई बाजारों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- गैर-शुल्क बाधाएँ, जैसे नियामक और प्रमाणन संबंधी प्रतिबंध, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बाजार पहुँच को सीमित करते हैं।
- उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग की सीमित स्थिति रणनीतिक उद्देश्य और वास्तविक संयुक्त नवाचार के बीच अंतर को दर्शाती है।
- औद्योगिक क्षमता में संरचनात्मक भिन्नताएँ व्यापार में असमान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती हैं।
- भारत में नियामक और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ कोरियाई निवेश को हतोत्साहित करती हैं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को धीमा करती हैं।
- विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आपूर्ति शृंखला का एकीकरण अभी भी कमजोर बना हुआ है।
- भू-राजनीतिक सीमाएँ, जिनमें चीन के साथ कोरिया के संबंध और भारत की रणनीतिक चिंताएँ शामिल हैं, समन्वय को जटिल बनाती हैं।
- सीमित जन-से-जन संपर्क साझेदारी की दीर्घकालिक गहराई को कम करता है। समर्पित प्रौद्योगिकी ढाँचे की अनुपस्थिति समन्वित अनुसंधान और विकास को सीमित करती है।

आगे की राह

- व्यापार असंतुलन को सुधारने, बाधाओं को हटाने तथा डिजिटल और सेवा व्यापार का विस्तार करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 2.0 को उन्नत किया जाए।
- अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ ऊर्जा में संयुक्त अनुसंधान के लिए एक प्रौद्योगिकी साझेदारी ढाँचा स्थापित किया जाए।
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विविध और विश्वसनीय नेटवर्क विकसित करके आपूर्ति शृंखला की मजबूती बढ़ाई जाए। संयुक्त उत्पादन और सुरक्षा समन्वय सहित रक्षा और समुद्री सहयोग का विस्तार किया जाए।
- अधिक कोरियाई निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आकर्षित करने के लिए व्यापार सुगमता में सुधार किया जाए।
- शैक्षणिक आदान-प्रदान, पर्यटन और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देकर सामाजिक संबंधों को गहरा किया जाए।
- समन्वित नीतिनिर्माण के लिए 2+2 व्यवस्थाओं सहित नियमित रणनीतिक वार्ताओं को संस्थागत रूप दिया जाए।
- क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने के लिए हिंद-प्रशांत और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग किया जाए। हरित हाइड्रोजन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

निष्कर्ष

- भारत-दक्षिण कोरिया संबंध सीमित सहयोग से आगे बढ़कर साझा मूल्यों और पारस्परिक हितों पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो चुके हैं।
- यह साझेदारी भारत के विशाल बाजार और प्रतिभा को कोरिया की प्रौद्योगिकीय शक्ति के साथ जोड़ती है, जिससे वैश्विक प्रभाव की मजबूत संभावना उत्पन्न होती है।
- व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सहयोग में सुधारों के साथ यह संबंध हिंद-प्रशांत स्थिरता और वैश्विक आपूर्ति शृंखला की मजबूती का एक प्रमुख स्तंभ बन सकता है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन

भारत में 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन दर्ज की गईं, जो 2017 के पश्चात् सबसे कम संख्या है, फिर भी भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन वाले देशों में शामिल बना हुआ है।

वैश्विक परिदृश्य

- **यह आँकड़ा "बढ़ते दमन के बीच वैश्विक प्रतिरोध:** 2025 में इंटरनेट शटडाउन" नामक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे एक्सेस नाउ और #KeepItOn coalition ने प्रकाशित किया है।
- वर्ष 2025 में 52 देशों में जानबूझकर किए गए 313 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए, जो 2016 के पश्चात् किसी भी वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रहा, जहाँ 11 देशों में 195 शटडाउन दर्ज किए गए। यह प्रशासनिक साधन के रूप में शटडाउन के उपयोग की क्षेत्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- म्यांमार में 95 शटडाउन दर्ज किए गए, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक थे, जबकि भारत 65 शटडाउन के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- 2016 के पश्चात् से वैश्विक स्तर पर हुए 2,102 शटडाउन में से अकेले भारत में 920 शटडाउन दर्ज किए गए हैं, जिससे भारत इंटरनेट शटडाउन की सबसे अधिक कुल संख्या वाला देश बन गया है।

भारत के ट्रेंड्स

भारत में इंटरनेट शटडाउन की प्रवृत्ति उतार-चढ़ाव वाली रही है, लेकिन कुल मिलाकर इसका स्तर उच्च बना हुआ है।

2016	30 शटडाउन
2017	69 शटडाउन
2018	134 शटडाउन (उच्चतम)
2019	121 शटडाउन
2020 और 2021	108 शटडाउन (प्रत्येक)
2022	85 शटडाउन
2023	116 शटडाउन
2024	84 शटडाउन
2025	65 शटडाउन

2025 में कमी आने के बावजूद, एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह संख्या अभी भी काफी अधिक बनी हुई है, जिससे अनुपातिकता और आवश्यकता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

शटडाउन होने के कारण

- भारत में इंटरनेट शटडाउन मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शनों, साम्प्रदायिक हिंसा, संघर्ष की स्थितियों और धार्मिक आयोजनों के दौरान लगाए गए, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साधन के रूप में इनके उपयोग को दर्शाता है।
- इन शटडाउन का प्रभाव 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में इनके व्यापक उपयोग को दिखाता है।
- प्राधिकरणों ने प्रतिबंधों को पार करने वाले साधनों को भी निशाना बनाया, जिनमें आभासी निजी नेटवर्क पर लगाए गए प्रतिबंध शामिल थे।
- जम्मू और कश्मीर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत बिना अनुमति आभासी निजी नेटवर्क के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 800 उपयोगकर्त्ताओं पर दंड लगाया गया और उपकरणों की जाँच की गई।

विधिक ढाँचा

- भारत में इंटरनेट शटडाउन भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित किए जाते हैं, जो केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में सेवाओं के निलंबन की अनुमति देता है। हालाँकि, इन शब्दों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे व्यापक व्याख्या और संभावित दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
- वर्ष 2017 से पहले शटडाउन अक्सर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लगाए जाते थे, जो प्राधिकरणों को जमावड़े रोकने और व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देती थी। वर्ष 2017 में सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम लागू किए, जो:
  - शटडाउन के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
  - पाँच दिनों के भीतर एक सलाहकार समिति द्वारा समीक्षा की आवश्यकता निर्धारित करते हैं।
  - जवाबदेही और वैधता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखते हैं।

न्यायिक सुरक्षा उपाय

- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निर्धारित किए:
  - इंटरनेट तक पहुँच अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
  - अनिश्चितकालीन शटडाउन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  - शटडाउन अस्थायी, आवश्यक और अनुपातिक होने चाहिए।
  - पारदर्शिता के लिए सभी आदेश प्रकाशित किए जाने चाहिए।
  - शटडाउन संबंधी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 144 का उपयोग वैध विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है।

पक्ष में तर्क

- सरकार का तर्क है कि शटडाउन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से गैर-विधिक गतिविधियों के समन्वय को रोकने के लिए।
- इन्हें अस्थायी और लक्षित उपाय माना जाता है, जिनका उद्देश्य दीर्घकालिक पहुँच को सीमित करना नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों से निपटना होता है।
- शटडाउन हिंसा और अशांति को रोकने में सहायता करते हैं, विशेष रूप से दंगों या साम्प्रदायिक तनाव जैसी संवेदनशील परिस्थितियों के दौरान। इनका उद्देश्य गलत सूचना और झूठी खबरों को नियंत्रित करना भी होता है, जो संकट के समय संघर्ष को बढ़ा सकती हैं।

विरुद्ध में तर्क

- इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच को प्रभावित करते हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के आवश्यक घटक हैं।
- बार-बार होने वाले शटडाउन भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच चिंताएँ बढ़ती हैं।
- ये मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करते हैं, जिनमें अभिव्यक्ति, सभा और संचार पर प्रतिबंध शामिल हैं। शटडाउन डिजिटल अर्थव्यवस्था को बाधित करते हैं, जिससे व्यवसायों और श्रमिकों को आर्थिक नुकसान होता है।
- इनका शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन मंचों और संसाधनों तक पहुँच खो देते हैं।

चुनौतियाँ

- सार्वजनिक आपातकाल की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में प्राधिकरणों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ मिल जाती हैं।
- विधिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, क्रियान्वयन में पारदर्शिता, अनुपातिकता और जवाबदेही को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- असाधारण उपाय के बजाय नियमित प्रशासनिक साधन के रूप में शटडाउन के उपयोग से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं।

महत्त्व

- इंटरनेट शटडाउन सीधे आर्थिक गतिविधियों, शासन व्यवस्था और नागरिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जिससे वे एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा बन जाते हैं। वे सुरक्षा संबंधी चिंताओं और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच तनाव को दर्शाते हैं।
- यह मुद्दा अब बढ़ते हुए डिजिटल अधिकारों, आर्थिक विकास और वैश्विक विश्वसनीयता से भी जुड़ गया है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को इंटरनेट शटडाउन को नियमित प्रशासनिक साधन के रूप में उपयोग करने के बजाय पूर्णत: अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए।
- बार-बार होने वाले शटडाउन की ओर ले जाने वाली व्यापक व्याख्याओं को रोकने के लिए सरकार को भारतीय तार अधिनियम में "सार्वजनिक आपातकाल" और "सार्वजनिक सुरक्षा" की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित करनी चाहिए।
- पूर्ण बंदी लगाने के बजाय, प्राधिकरणों को लक्षित प्रतिबंधों का उपयोग करना चाहिए, जैसे विशेष सामाजिक माध्यम खातों या यूआरएल को अवरुद्ध करना, ताकि पूरे डिजिटल अर्थतंत्र या आवश्यक सेवाओं को बाधित किए बिना गलत सूचना को नियंत्रित किया जा सके।
- अनुराधा भसीन निर्णय के अनुरूप, सार्वजनिक जाँच और समय पर न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए सभी शटडाउन आदेशों को तुरंत प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- पाँच दिनों के भीतर शटडाउन आदेशों की समीक्षा करने वाली सलाहकार समितियों को स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि "आवश्यकता" और "अनुपातिकता" का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।

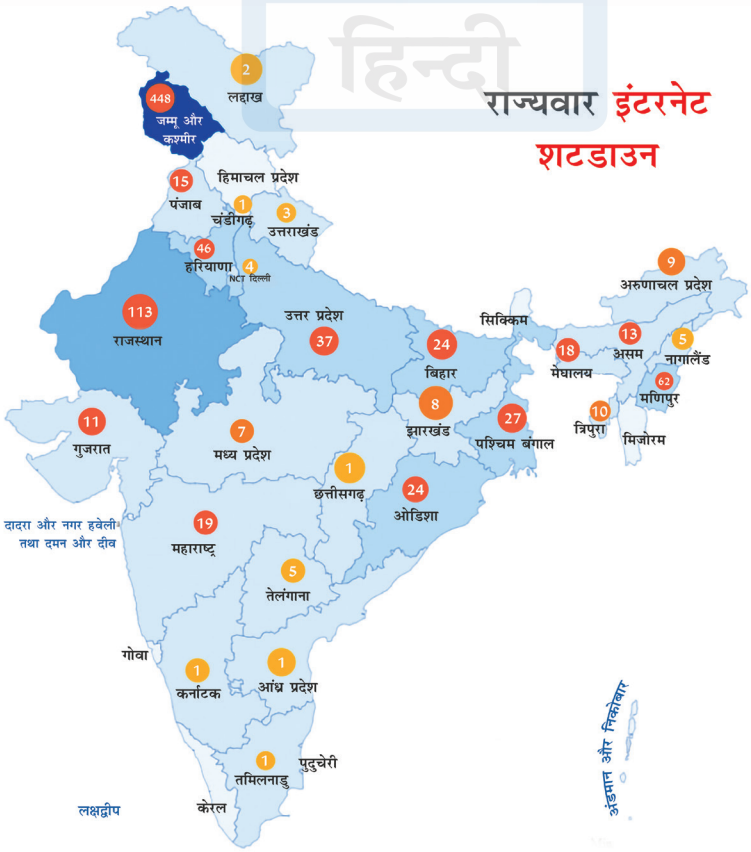

भारत में प्रवासन शासन

पश्चिम एशिया से 4.75 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की निकासी भारत की मजबूत संकट प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाती है, लेकिन यह प्रवासन शासन की एक गहरी समस्या को भी उजागर करती है, जहाँ व्यवस्था निरंतर और संरचित होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक तथा संकट-आधारित बनी हुई है।

प्रवासन का महत्त्व

- **आर्थिक भूमिका:** प्रवासन विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में श्रमिकों के कुशल वितरण को समर्थन देता है, जहाँ रोजगार उपलब्ध होते हैं वहाँ श्रमिकों की आवाजाही सुनिश्चित करता है, जिससे औद्योगीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है।
  - आंतरिक प्रवासी निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को श्रम उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि बनी रहती है।
  - प्रवासन उन परिस्थितियों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ अतिरिक्त श्रम को समाहित नहीं कर पातीं। इस प्रकार यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी के विरुद्ध एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- **प्रेषण का योगदान:** भारतीय प्रवासी वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े प्रेषण योगदानकर्त्ताओं में शामिल हैं, जो परिवारों की आय और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को समर्थन देते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद देशों में लगभग 99.35 लाख भारतीय रहते हैं और 2023-24 में भारत के कुल प्रेषण प्रवाह का 37.9 प्रतिशत योगदान इन्हीं देशों से आया।
- **मानव पूँजी:** प्रवासी कौशल, प्रौद्योगिकीय अनुभव और कार्य अनुभव प्राप्त करते हैं, तथा लौटने वाले प्रवासी अक्सर उद्यमिता और बेहतर उत्पादकता के माध्यम से योगदान देते हैं।
- **कूटनीतिक महत्त्व:** भारतीय प्रवासी समुदाय वैश्विक उपस्थिति और सौम्य शक्ति को मजबूत करता है तथा व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए सेतु के रूप में कार्य करता है।
- **व्यवस्था की संरचना:** भारत में प्रवासन शासन अनेक संस्थाओं में विभाजित है, जिससे एक खंडित व्यवस्था बनती है:
  - विदेश मंत्रालय प्रवासन और अंतरराष्ट्रीय समन्वय का प्रबंधन करता है।
  - श्रम और रोजगार मंत्रालय भर्ती तथा श्रमिक कल्याण को नियंत्रित करता है।
  - राज्य सरकारें कौशल विकास और कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करती हैं।
  - इस संरचना के कारण प्रवासियों के विभिन्न चरणों में आंशिक और असंबद्ध निगरानी की स्थिति उत्पन्न होती है।

मुख्य चुनौतियाँ

- **संस्थागत कमियाँ:** शासन व्यवस्था अभी भी खंडित बनी हुई है और दीर्घकालिक तैयारी के बजाय संकट-आधारित तरीके से संचालित होती है, जिससे प्रयासों की पुनरावृत्ति और पूर्वानुमान क्षमता की कमजोरी उत्पन्न होती है।
- **आँकड़े और दृश्यता:** जिला स्तर पर गंभीर आँकड़ा कमी के कारण अधूरी दृश्यता की स्थिति बनती है, जहाँ प्रवासियों का पता केवल भर्ती या वापसी के समय लगाया जाता है, जिससे उनकी पूरी यात्रा असुरक्षित रह जाती है।
- **संरचनात्मक दबाव:** वेतन ठहराव और ऊँची जीवन-यापन लागत जैसी छिपी कमजोरियाँ अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, जबकि अनौपचारिक भर्ती माध्यम श्रमिकों को धोखाधड़ी और ऋण जाल के जोखिम में डालते हैं।
- **क्षेत्रीय संवेदनशीलता:** खाड़ी जैसे क्षेत्रों में अधिकार-क्षेत्र संबंधी व्यवधानों के प्रति व्यवस्थाएँ अत्यधिक संवेदनशील हैं, जिसका सीधा प्रभाव घरेलू कल्याण पर पड़ता है।

पूरी प्रवासन यात्रा आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता

- प्रवासन को एक निरंतर जीवनचक्र प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जाना चाहिए, जिसमें मूल स्थान, भर्ती, आवागमन, गंतव्य और वापसी सभी चरण शामिल हों।
- **ऐसा दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है:**
  - अधिकारों की सुरक्षा, जिसमें उचित वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ शामिल हैं।
  - भर्ती और रोजगार के दौरान शोषण के जोखिम में कमी।
  - मंत्रालयों और संस्थाओं के बीच नीतिगत समन्वय।
  - केंद्र, राज्यों और गंतव्य देशों के बीच बेहतर समन्वय।
  - आर्थिक लाभों का सर्वोत्तम उपयोग, जिसमें प्रेषण और कौशल का प्रभावी उपयोग शामिल है।

अवसर

- केरल की प्रवासन आँकड़ा व्यवस्थाओं जैसी पहलें दिखाती हैं कि प्रमाण-आधारित नीति शासन व्यवस्था को बेहतर बना सकती है।
- प्रस्तावित विदेशी गतिशीलता सुविधा और कल्याण विधेयक प्रवासन शासन और कल्याण को एकीकृत करके अधिक संरचित ढाँचा तैयार कर सकता है।
- भारत के पास पहले से ही कूटनीतिक सहयोग और प्रवासन नेटवर्क का मजबूत आधार मौजूद है, जिसका उपयोग सुधारों के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह

- **एकीकृत शासन और समन्वय:** केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्यों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए एक एकीकृत संस्थागत ढाँचा विकसित किया जाए, ताकि खंडित व्यवस्थाओं के स्थान पर सुचारु समन्वय स्थापित हो सके।
- **आँकड़ा-आधारित योजना:** प्रवाह, कौशल और रोजगार स्थिति का पता लगाने के लिए जिला स्तर तक विस्तृत राष्ट्रीय प्रवासन आँकड़ा भंडार स्थापित किया जाए, जिसे डिजिटल मंचों के माध्यम से संचालित किया जाए।
- **भर्ती और विधिक सुधार:** धोखाधड़ी रोकने के लिए भर्ती एजेंसियों के नियमन को मजबूत किया जाए तथा प्रवासी अधिकारों की सुरक्षा और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विधिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाए।
- **द्विपक्षीय और पुनर्समावेशन समर्थन:** मानकीकृत अनुबंधों और सामाजिक सुरक्षा के लिए श्रम गतिशीलता समझौतों का विस्तार किया जाए, साथ ही लौटने वाले प्रवासियों के घरेलू पुनर्समावेशन हेतु कौशल मान्यता और रोजगार सहायता प्रदान की जाए।

नदी बेसिन प्रबंधन योजना

भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग अवधि (2026-27 से 2030-31) के लिए नदी बेसिन प्रबंधन योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसके लिए कुल 2,183 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

योजना का अर्थ

- नदी बेसिन प्रबंधन योजना जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्रीय पहल है।
- इसका उद्देश्य जल शासन को खंडित और परियोजना-आधारित दृष्टिकोण से हटाकर समग्र बेसिन-स्तरीय दृष्टिकोण की ओर ले जाना है, जहाँ पूरी नदी व्यवस्था को एक इकाई के रूप में माना जाता है।
- यह योजना नदियों, सहायक नदियों, झीलों और भूजल को एक ही परस्पर जुड़ी हुई व्यवस्था का हिस्सा मानती है, जिससे समन्वित योजना और प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

नदी बेसिन की अवधारणा

- नदी बेसिन वह संपूर्ण भू-क्षेत्र है, जहाँ की जलधाराएँ किसी नदी और उसकी सभी सहायक नदियों में प्रवाहित होती हैं, और भारत में इसे जल योजना की मूल जलवैज्ञानिक इकाई माना जाता है।
- **नदी बेसिन की प्रमुख विशेषताएँ शामिल हैं:**
  - **सहायक नदियाँ** - छोटी जलधाराएँ जो मुख्य नदी में मिलती हैं।
  - **संगम** - वह स्थान जहाँ नदियाँ मिलती हैं।
  - **जल विभाजक** - वह सीमा जो विभिन्न बेसिनों को अलग करती है।
  - **उद्गम** - नदी का प्रारंभिक स्रोत।
  - **मुहाना** - वह स्थान जहाँ नदी समुद्र, झील या महासागर में जाकर मिलती है।

भारत में नदी बेसिन

- भारत की जल निकासी व्यवस्था को 20 नदी बेसिन समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें 12 प्रमुख और 8 संयुक्त बेसिन शामिल हैं।
- प्रमुख नदी बेसिन (20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले) में सिंधु, गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी-बैतरनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती शामिल हैं।
- गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन सबसे बड़ा है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह प्रमुख नदियों के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 43 प्रतिशत से अधिक भाग बनाता है।
- मध्यम बेसिनों का क्षेत्रफल 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है, जबकि लघु बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र वाले होते हैं।
- 8 संयुक्त बेसिन छोटे नदी तंत्रों को मिलाकर बनाए गए हैं, जिनमें सुवर्णरेखा समूह, प्रमुख बेसिनों के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ (लूनी सहित), ताप्ती से कन्याकुमारी तक की तटीय नदियाँ तथा राजस्थान के आंतरिक जल निकासी क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत के लगभग 81 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का भाग अंतरराज्यीय नदी बेसिनों के अंतर्गत आता है, जिससे समन्वित शासन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

संस्थागत संरचना

- **संस्थागत संरचना:** इस योजना का प्रबंधन तीन विशेषीकृत संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनकी अलग-अलग जिम्मेदारियाँ निर्धारित हैं:
  - **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए समर्पित है। यह ब्रह्मपुत्र और बराक नदी तंत्रों के लिए नदी बेसिन योजना, बाढ़ नियंत्रण, कटाव प्रबंधन और सतत् जल उपयोग का कार्य करता है।
  - **केंद्रीय जल आयोग:** यह जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे कठिन क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय जल परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करता है।
- **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण:** यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो कार्यक्रम का संचालन करता है। यह अंतर-बेसिन जल अंतरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करता है तथा दीर्घकालिक योजना को समर्थन देने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करता है।
- **भौगोलिक केंद्रबिंदु:** यह रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण और जल-समृद्ध क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, जिनमें उत्तर-पूर्वी राज्य, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। इसका केंद्र ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता और सिंधु बेसिनों पर है, जो राष्ट्रीय और जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

उद्देश्य

- **बाढ़ और कटाव नियंत्रण:** असम के माजुली द्वीप को नदी की धाराओं से बचाने जैसे उपाय लागू किए जाते हैं।
- **परियोजना विकास:** विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में सिंचाई और जलविद्युत को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सटीक योजना के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्रकाश पहचान और दूरी मापन तकनीक तथा ड्रोन का उपयोग किया जाता है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए स्रोत क्षेत्र प्रबंधन जैसी स्थानीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है।

महत्त्व

- **जल कूटनीति:** सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के लिए आँकड़े उपलब्ध कराता है।
- **जलवायु स्थिरता:** एकीकृत बेसिन योजना के माध्यम से अनियमित मानसून और हिमानी झील फटने से आने वाली बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करता है।
- **अंतरराज्यीय समानता:** राज्यों के बीच जल का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है, ताकि विवादों को कम किया जा सके।
- **आर्थिक क्षमता:** क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जलविद्युत और सिंचाई संसाधनों की क्षमता को विकसित करता है।

चुनौतियाँ

- **कठिन भू-भाग:** पर्वतीय क्षेत्रों में 4-6 महीनों के छोटे कार्यकाल, कमजोर संपर्क व्यवस्था और अधिक लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **अंतरराज्यीय विवाद:** बाध्यकारी राष्ट्रीय ढाँचे के अभाव में परियोजनाओं की स्वीकृति जटिल हो जाती है।
- **आँकड़ा कमी:** वास्तविक समय के जलवैज्ञानिक आँकड़ों की कमी पूर्वानुमान की सटीकता को कम करती है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** अवसंरचना का अवसाद प्रवाह और जैव विविधता पर पड़ने वाला प्रभाव अक्सर पर्याप्त रूप से आकलित नहीं किया जाता।
- **लागत वृद्धि:** ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की अनिश्चित प्रकृति के कारण बजट से अधिक व्यय सामान्य रूप से देखा जाता है।

आगे की राह

- बेहतर योजना निर्माण के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन मानचित्रण तैयार करने हेतु प्रकाश पहचान और दूरी मापन तकनीक तथा ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के उपयोग का विस्तार किया जाए।
- तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर-पूर्व जलगतिकी और संबद्ध अनुसंधान संस्थान जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाए। परियोजना स्वीकृतियों में पर्यावरणीय प्रवाह आकलन को अनिवार्य बनाया जाए, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।
- अंतरराज्यीय जल बँटवारे के लिए स्पष्ट नियम प्रदान करने तथा नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन को समर्थन देने हेतु एक राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधि बनाया जाए।

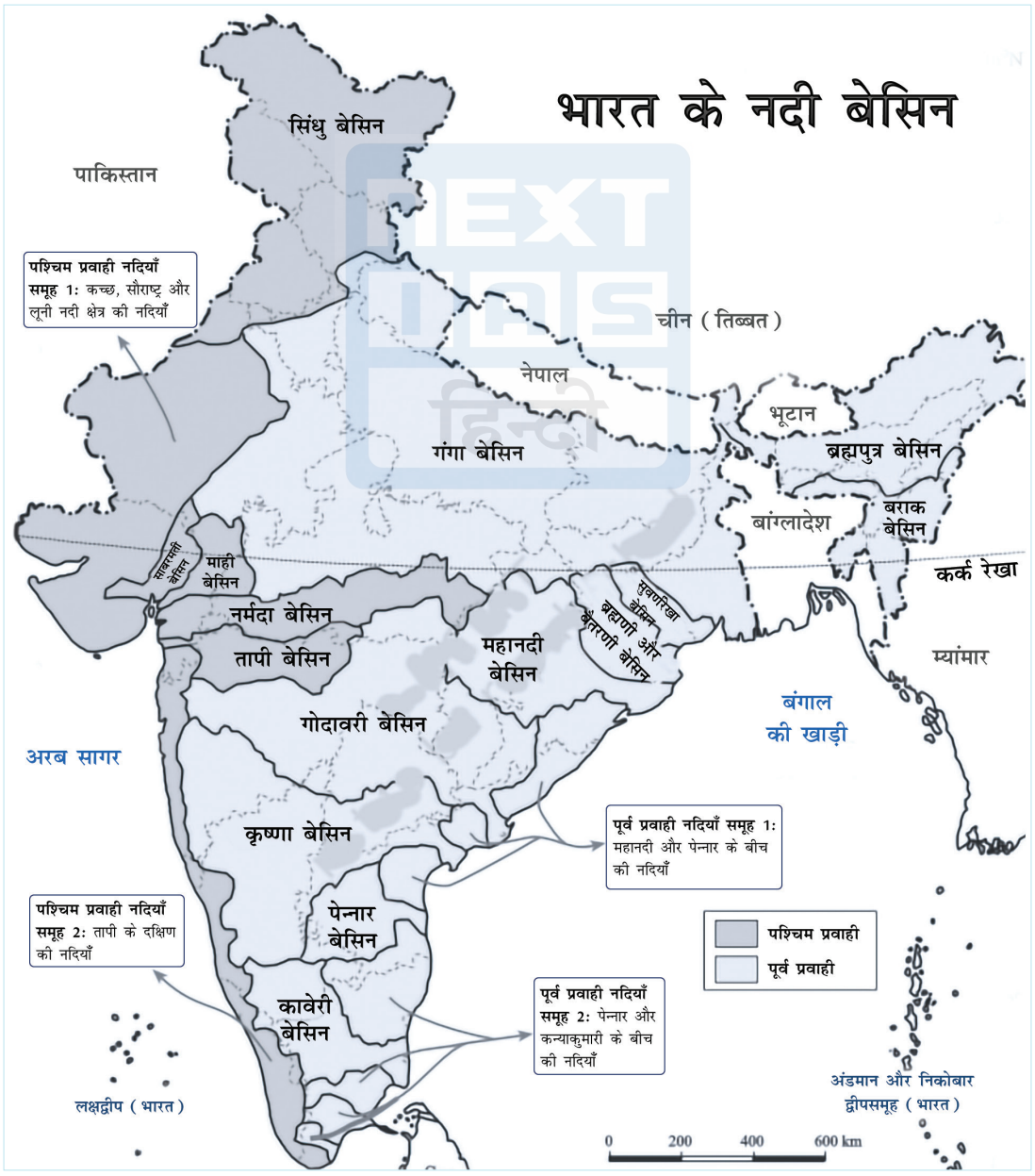

डिजिटल पाइरेसी

तमिल फिल्म जन नायकन के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से पहले ही उच्च गुणवत्ता में लीक हो जाने की हालिया घटना फिल्म चोरी और आंतरिक आपूर्ति शृंखला में सेंध जैसी गंभीर चिंताओं को उजागर करती है, जहाँ अधिकृत पहुँच का दुरुपयोग किया गया हो सकता है।

पाइरेसी का अर्थ

- पाइरेसी का अर्थ कॉपीराइट संरक्षित सामग्री, जैसे फिल्में, संगीत, सॉफ्टवेयर, पुस्तकें और डिजिटल सामग्री का बिना अनुमति उपयोग, प्रतिलिपि बनाना, वितरण या बिक्री करना है।
- यह कॉपीराइट उल्लंघन का एक रूप है, जहाँ अधिकार धारक की अनुमति के बिना सामग्री का उपयोग किया जाता है।

पाइरेसी के प्रकार

- भौतिक पाइरेसी में सीडी, डीवीडी या यूएसबी ड्राइव के माध्यम से अवैध प्रतिलिपि बनाना शामिल होता है, जो इंटरनेट के व्यापक उपयोग से पहले अधिक सामान्य था। डिजिटल पाइरेसी में टॉरेंट वेबसाइटों, टेलीग्राम माध्यमों और क्लाउड कड़ियों के जरिए सामग्री को डाउनलोड करना या प्रसारित करना शामिल है। सस्ते आँकड़ा उपयोग और इंटरनेट की अधिक पहुँच के कारण आज यह सबसे अधिक प्रचलित रूप बन गया है।
- फिल्म पाइरेसी में सिनेमाघरों में कैमरा रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन मंचों से सामग्री लीक होना और प्रदर्शन से पहले लीक जैसी घटनाएँ शामिल हैं, जिनमें अक्सर अंदरूनी लोगों की भूमिका या कमजोर पहुँच नियंत्रण होता है।
- सॉफ्टवेयर पाइरेसी में तोड़े गए सॉफ्टवेयर, कुंजी निर्माण साधनों या लाइसेंस प्राप्त कार्यक्रमों की बिना अनुमति प्रतियों का उपयोग शामिल है।
- पुस्तक और शैक्षणिक पाइरेसी में पाठ्यपुस्तकों की फोटोकॉपी करना और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से अवैध पीडीएफ सामग्री साझा करना शामिल है।

प्रकृति और प्रवृत्तियाँ

- भारत वैश्विक स्तर पर अवैध सामग्री के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में शामिल है, जहाँ पाइरेसी भौतिक माध्यमों से डिजिटल व्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित हो चुकी है।
- आधुनिक पाइरेसी नेटवर्क अत्यधिक अनुकूलनशील, विकेंद्रीकृत और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत हैं, जिससे उनका नियमन कठिन हो जाता है।
- उच्च गुणवत्ता वाली लीक सामग्री अक्सर ऑनलाइन मंचों से डिजिटल अधिकार प्रबंधन को पार करके या फिर संपादन तथा वितरण इकाइयों जैसी आंतरिक निर्माण शृंखलाओं से उत्पन्न होती है।

विधिक ढाँचा

कॉपीराइट अधिनियम, 1957

- यह विधि चलचित्र कृतियों और अन्य बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है तथा निर्माताओं को प्राथमिक अधिकार धारक के रूप में मान्यता देता है।
- धारा 63 के अंतर्गत उल्लंघन के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- धारा 63A बार-बार अपराध करने वालों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान करती है, जहाँ प्रत्येक उल्लंघन पर अलग दंड लागू होता है।
- डिजिटल अधिकार प्रबंधन सुरक्षा को पार करना भी अपराध माना गया है, जिसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023

- यह विधि कैमरा रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन से पहले सामग्री लीक होने जैसी घटनाओं से संबंधित है, जो फिल्मों की आय को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।
- यह फिल्मों की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग और प्रसारण को अपराध घोषित करता है, जिसके लिए फिल्म की निर्माण लागत के 5 प्रतिशत तक का दंड लगाया जा सकता है, जिससे मजबूत आर्थिक निवारण उत्पन्न होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

- यह विधि अवैध सामग्री वाली वेबसाइटों को अवरुद्ध करने और सामग्री उपलब्ध कराने वाले डिजिटल मंचों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
- धारा 79 के अंतर्गत मंचों को उपयोगकर्त्ता सामग्री के लिए स्वत: जिम्मेदार नहीं माना जाता। हालाँकि, यदि न्यायालय के आदेश या सरकारी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी मंच अवैध सामग्री को नहीं हटाते, तो वे संरक्षण खो देते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- इस प्रावधान का उपयोग करते हुए सरकार ने पाइरेसी में शामिल 3,100 से अधिक टेलीग्राम माध्यमों और 800 वेबसाइटों को अवरुद्ध किया है।

न्यायिक व्यवस्थाएँ

- जॉन डो ऑर्डर्स अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध पूर्व-निवारक न्यायालय आदेश होते हैं, जो पाइरेसी होने से पहले ही उसे रोकने की अनुमति देते हैं।
- गतिशील निषेधाज्ञाएँ न्यायालयों को नई पाइरेसी कड़ियों को सामने आते ही लगातार अवरुद्ध करने में सक्षम बनाती हैं।
- ये साधन ऑनलाइन पाइरेसी नेटवर्क की तेज और अनुकूलनशील प्रकृति से निपटने में सहायता करते हैं।

संस्थागत प्रयास

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रमाणन की देखरेख करता है तथा पाइरेसी विरोधी जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा नीति और उसके प्रवर्तन का प्रबंधन करता है।
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016 मजबूत प्रवर्तन और जागरूकता पर बल देती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर अपराध इकाइयाँ ऑनलाइन पाइरेसी नेटवर्क का पता लगाती हैं और उनकी जाँच करती हैं।

उद्योग द्वारा किए गए उपाय

निवारक व्यवस्थाएँ

- डिजिटल अधिकार प्रबंधन सामग्री को सांकेतिक रूप से सुरक्षित करता है, ताकि केवल अधिकृत उपकरण ही उस तक पहुँच सकें।

- सांकेतिक वितरण व्यवस्थाएँ डिजिटल सिनेमा पैकेज और कुंजी वितरण संदेशों का उपयोग करती हैं, जो प्रदर्शन को केवल विशेष सिनेमाघरों और निर्धारित समयावधि तक सीमित रखते हैं।
- फॉरेंसिक जलचिह्न में प्रत्येक प्रति में छिपे हुए डिजिटल संकेत जोड़े जाते हैं, ताकि लीक के सटीक स्रोत का पता लगाया जा सके।
- निर्माण के दौरान तकनीशियनों के साथ दृश्य या अदृश्य चिह्नों वाली व्यक्तिगत प्रतियाँ साझा की जाती हैं, ताकि अंदरूनी लीक की पहचान की जा सके।

लीक के पश्चात् की कार्यवाही

- स्टूडियो अवैध सामग्री को मंचों से हटाने के लिए हटाने संबंधी सूचनाएँ जारी करते हैं। वे अवैध सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए पाइरेसी विरोधी कंपनियों के साथ सहयोग करते हैं।
- न्यायालय वेबसाइटों और यूआरएल को अवरुद्ध करने के आदेश जारी करते हैं, जिससे अवैध सामग्री तक पहुँच सीमित हो जाती है।

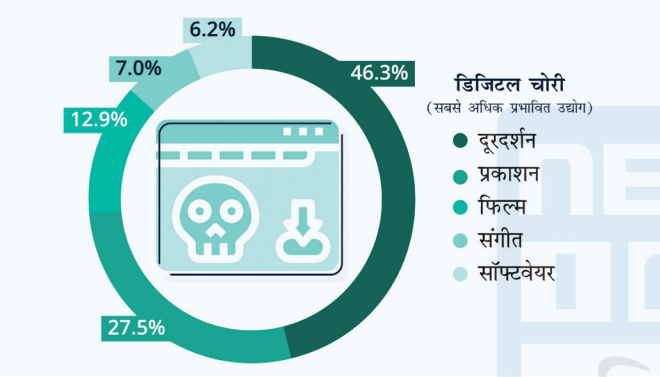

चुनौतियाँ

- इंटरनेट एक "व्हैक-ए-मोल सिस्टम" की तरह कार्य करता है, जहाँ ब्लॉक की गई वेबसाइटें नए डोमेन नामों के साथ 'मिरर साइट्स' के रूप में जल्दी फिर से सामने आ जाती हैं।
- पाइरेसी करने वाले लोग आभासी निजी नेटवर्क और प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करके अपनी पहचान और स्थान छिपाते हैं, जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है।
- अनेक पाइरेसी वेबसाइटें ऐसे विदेशी सर्वरों पर संचालित होती हैं, जहाँ कॉपीराइट विधि कमजोर हैं। इससे पारस्परिक विधिक सहायता संधियों जैसी धीमी अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है।
- टेलीग्राम और व्हाट्सऐप जैसे सांकेतिक मंचों की ओर बदलाव सामग्री साझा करने की निगरानी को कठिन बना देता है।
- टॉरेंट व्यवस्थाएँ फाइलों को अनेक उपयोगकर्त्ताओं के बीच वितरित करती हैं, जिससे किसी एक स्रोत को बंद करना लगभग असंभव हो जाता है।
- भारतीय न्यायिक व्यवस्था में देरी की समस्या है, जहाँ पाइरेसी से जुड़े मामलों के समाधान में अक्सर वर्षों लग जाते हैं, जिससे दंड का प्रभाव कम हो जाता है।
- विशेषीकृत बौद्धिक संपदा और साइबर न्यायालयों की कमी जटिल डिजिटल पाइरेसी मामलों के प्रभावी निपटान को सीमित करती है।
- अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने कमजोर प्रवर्तन और धीमी कार्रवाई का हवाला देते हुए भारत को पाइरेसी के लिए "बदनाम बाजार" बताया है।
- **व्यवहारिक और संरचनात्मक समस्याएँ:**
  - मुफ्त या कम लागत वाली सामग्री की अधिक माँग उपभोक्ताओं के बीच पाइरेसी को बढ़ावा देती है।
  - विधिक परिणामों और नैतिक चिंताओं के प्रति सीमित जागरूकता के कारण अवैध सामग्री का उपयोग जारी रहता है।
  - विशेष रूप से जहाँ वैध सामग्री की वहन क्षमता कम होती है, वहाँ पाइरेसी को सामाजिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है।

महत्त्व

- डिजिटल पाइरेसी फिल्म, सॉफ्टवेयर और प्रकाशन उद्योगों को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाती है।
- यह निवेश और नवाचार को हतोत्साहित करती है, जिससे उद्योगों की दीर्घकालिक वृद्धि प्रभावित होती है।
- यह बौद्धिक संपदा अधिकारों और विधिक व्यवस्थाओं को कमजोर करती है, जिससे प्रवर्तन तंत्र पर विश्वास कम होता है।

आगे की राह

- प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए विशेषीकृत बौद्धिक संपदा न्यायालयों और त्वरित सुनवाई व्यवस्था को विकसित किया जाए।
- पाइरेसी नेटवर्क का प्रभावी पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं में सुधार किया जाए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पहचान, अधिक मजबूत डिजिटल अधिकार प्रबंधन और उन्नत जलचिह्न व्यवस्थाओं जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाए।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा साइबर अपराध इकाइयों जैसी सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाया जाए।
- विदेशों में संचालित पाइरेसी नेटवर्कों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए।
- नैतिक उपभोग और विधिक परिणामों की समझ को बढ़ावा देने के लिए जन-जागरूकता अभियानों को बढ़ाया जाए।
- निर्माण से पहले के चरणों में कड़ी पहुँच नियंत्रण व्यवस्था और सीमित प्रदर्शन सहित उद्योग संबंधी प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष

- भारत में डिजिटल पाइरेसी एक जटिल समस्या है, जिसमें प्रौद्योगिकी, विधि और उपभोक्ता व्यवहार शामिल हैं, तथा जिसका समाधान केवल विधि बनाकर नहीं किया जा सकता।
- यद्यपि मजबूत विधिक प्रावधान मौजूद हैं, फिर भी पाइरेसी को कम करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन, प्रौद्योगिकीय अनुकूलन और जन-जागरूकता अत्यंत आवश्यक हैं।

भारत की नई निर्वासन नीति

गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक व्यापक निर्वासन नीति प्रस्तुत की है, ताकि विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

नीति के पीछे का तर्क

- भारत में अवैध प्रवासन का ऐतिहासिक विकास विभाजन (1947), बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (1971) तथा खुली सीमाओं और आर्थिक असमानताओं के कारण लगातार होने वाले प्रवाह से जुड़ा रहा है।
- असम आंदोलन और असम समझौता (1985) जैसी घटनाएँ पहचान, जनसांख्यिकी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दर्शाती हैं।
- पड़ोसी देशों में आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय दबाव और राजनीतिक अस्थिरता से प्रेरित लगातार प्रवासन ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है।
- बांग्लादेश में शासन परिवर्तन (2024) जैसी हाल की घटनाओं ने जाली दस्तावेजों के माध्यम से अवैध प्रवेश को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- यह नीति बढ़ती राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं, जनसांख्यिकीय दबावों और भू-राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में सामने आई है, जिनमें पहलगाम आतंकी हमला (अप्रैल 2025) और ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) जैसी घटनाएँ शामिल हैं।
- यह प्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 के अंतर्गत व्यापक सुधारों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य प्रवासन शासन को मजबूत करना है।
- यह नीति प्रतिक्रियात्मक प्रवर्तन से आगे बढ़कर सक्रिय और व्यवस्था-आधारित प्रवासन प्रबंधन की ओर परिवर्तन को दर्शाती है, जिससे पहले की खंडित व्यवस्थाओं में मौजूद कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

निर्वासन बनाम पुशबैक

- निर्वासन एक औपचारिक विधिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी विदेशी नागरिक को उसके मूल देश द्वारा राष्ट्रीयता की पुष्टि और विधिसम्मत प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् ही हिरासत, निर्णय और निष्कासन के माध्यम से बाहर भेजा जाता है।
- पुशबैक एक अनौपचारिक और विवेकाधीन सीमा प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तियों को पूर्ण विधिक प्रक्रिया के बिना तुरंत वापस भेज दिया जाता है।
- जहाँ निर्वासन विधि के शासन और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अनुरूप है, वहीं पुशबैक विधिसम्मत प्रक्रिया और मानवीय दायित्वों से जुड़ी चिंताएँ उत्पन्न करता है, विशेष रूप से उस सिद्धांत से संबंधित, जो व्यक्तियों को ऐसे स्थानों पर वापस भेजने से रोकता है जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अवैध प्रवासी वह विदेशी नागरिक माना जाता है, जो वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करे या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुका रहे।

नई निर्वासन नीति की मुख्य विशेषताएँ

- 30 से 90 दिनों की समय-सीमा वाली सत्यापन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके पश्चात् निर्वासन की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ कर दी जाएगी।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस पर्यवेक्षण के अंतर्गत जिला-स्तरीय विशेष कार्य बल स्थापित करने होंगे, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान और प्रक्रिया पूरी की जा सके।
- सुरक्षित अवसंरचना, मानवीय परिस्थितियों, पारिवारिक एकता तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वाले समर्पित निरोध केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
- प्राधिकरणों को जैविक पहचान और जनसांख्यिकीय आँकड़े एकत्र कर उन्हें विदेशी पहचान पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल निगरानी व्यवस्था है।
- राज्यों को प्रत्येक माह अनुपालन प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होगा, ताकि निरंतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- अवैध रूप से प्राप्त पहचान दस्तावेज, जैसे आधार, स्थायी खाता संख्या और मतदाता पहचान पत्र, रद्द किए जाएँगे तथा निर्वासित व्यक्तियों को आव्रजन ब्यूरो द्वारा ब्लेक लिस्ट में डाला जाएगा।
- आव्रजन ब्यूरो निर्वासित व्यक्तियों के आँकड़े भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, निर्वाचन आयोग और विदेश मंत्रालय जैसी संस्थाओं के साथ साझा करेगा, ताकि दोबारा प्रवेश और पहचान धोखाधड़ी को रोका जा सके।
- सीमाओं पर पकड़े गए प्रवासियों को जैविक पहचान दर्ज करने के पश्चात् तुरंत वापस भेजा जा सकता है, जबकि अनजाने में सीमा पार करने वालों को पड़ोसी देशों के प्राधिकरणों को सौंपा जा सकता है।
- यह नीति उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है, जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किया गया है।

अवैध प्रवासन के प्रभाव

- अवैध प्रवासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करता है, जहाँ कुछ समूहों के चरमपंथी नेटवर्कों से संभावित संबंधों को लेकर चिन्हित किया गया है।
- यह असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय असंतुलन उत्पन्न करता है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं।
- यह सार्वजनिक कल्याण व्यवस्थाओं, जैसे खाद्य वितरण, स्वास्थ्य सेवा और आवास पर अतिरिक्त दबाव डालता है।
- मतदाता सूचियों में गैर-नागरिकों के शामिल होने से चुनावी शुचिता और लोकतांत्रिक वैधता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- यह विधि और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को बढ़ाता है तथा झुग्गी बस्तियों के विस्तार और सेवाओं की कमी के माध्यम से शहरी अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है।

विधिक और संस्थागत ढाँचा

- प्रवासन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 पहले के विधियों को एकीकृत करता है तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित निगरानी, प्रवर्तन और दंड व्यवस्थाओं को मजबूत बनाता है।

- यह होटलों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं को विदेशी नागरिकों की सूचना देने के लिए अनिवार्य करता है तथा परिवहन सेवाओं को अग्रिम यात्री आँकड़े साझा करने की आवश्यकता निर्धारित करता है।
- यह पहचान, निरोध और निर्वासन के लिए आव्रजन ब्यूरो को वैधानिक आधार प्रदान करता है।
- विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 प्राधिकरणों को नागरिकता निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है।
- संविधान के अनुच्छेद 258(1) के अंतर्गत संघ सरकार प्रशासनिक व्यावहारिकता के कारण निर्वासन संबंधी शक्तियाँ राज्यों को सौंपती है। नेपाल के साथ मुक्त सीमा व्यवस्था और म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था जैसी सीमाई व्यवस्थाएँ प्रवर्तन को जटिल बनाती हैं।
- भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या उसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, जिससे औपचारिक शरणार्थी संरक्षण व्यवस्थाएँ सीमित रहती हैं।

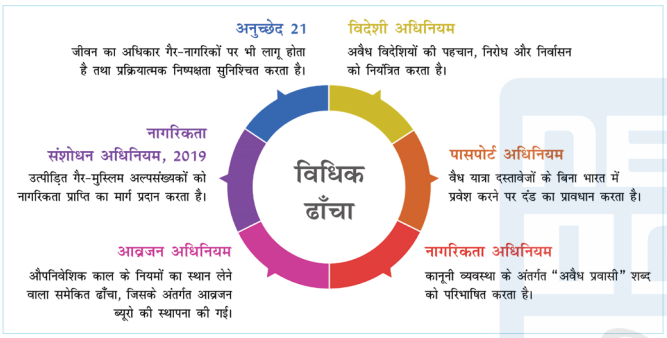

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- पहचान की प्रक्रिया जटिल बनी रहती है, क्योंकि अनेक व्यक्तियों, विशेष रूप से वंचित समुदायों से जुड़े लोगों के पास औपचारिक दस्तावेज नहीं होते, जिससे गलत निरोध का जोखिम बढ़ जाता है।
- निर्वासन मूल देश की स्वीकृति पर निर्भर करता है, और यदि स्वीकृति नहीं मिलती तो इससे राज्यविहीनता और लंबे समय तक निरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानवाधिकारों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, जिनमें निरोध की परिस्थितियाँ, संवेदनशील समूहों के साथ व्यवहार और लंबी अवधि तक बंदी बनाए रखना शामिल है।
- पुशबैक जैसी प्रक्रियाएँ विधिसम्मत प्रक्रिया और उस सिद्धांत के उल्लंघन से जुड़े प्रश्न उठाती हैं, जो व्यक्तियों को उत्पीड़न वाले स्थानों पर वापस भेजने से रोकता है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि भी प्रभावित होती है।
- राज्य स्तर पर प्रशासनिक क्षमता की सीमाएँ देरी, प्रक्रियागत त्रुटियों और अधिकारों के संभावित दुरुपयोग का कारण बन सकती हैं।
- क्रियान्वयन से जुड़े जोखिमों में भ्रष्टाचार, नौकरशाही अक्षमताएँ और संवेदनशील आबादी पर असमान प्रभाव शामिल हैं।

प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय

- नागरिकों की गलत पहचान को रोकने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और बहु-स्तरीय सत्यापन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
- भारत को बांग्लादेश और म्यांमार के साथ द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौते करने चाहिए, ताकि समय-सीमा आधारित और विधिक रूप से अनुरूप निर्वासन प्रक्रियाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
- शरण चाहने वालों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर स्पष्ट करने तथा मानवीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक घरेलू शरणार्थी विधि बनाया जाना चाहिए।
- विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणों में प्रशिक्षित निर्णयकर्त्ताओं, मानकीकृत प्रक्रियाओं और सख्त समय-सीमाओं के माध्यम से सुधार किए जाने चाहिए।
- जैविक पहचान आँकड़ा भंडार और डिजिटल पोर्टलों जैसी प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए, साथ ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
- निरोध केंद्रों की परिस्थितियाँ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जहाँ गरिमा, स्वास्थ्य सेवा और मनोवैज्ञानिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
- स्मार्ट बाड़बंदी और व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से सीमा अवसंरचना को मजबूत करके अवैध घुसपैठ को कम किया जा सकता है।
- दस्तावेजीकरण व्यवस्थाओं, स्थानीय खुफिया नेटवर्कों और जन-जागरूकता को मजबूत करके पहचान धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

महत्त्व

- यह नीति अवैध प्रवासन से निपटने के लिए एक संरचित, समय-सीमा आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित ढाँचा प्रस्तुत करती है।
- यह आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और शासन व्यवस्था की दक्षता को मजबूत करती है।
- यह आँकड़ा एकीकरण और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय में सुधार करती है, जिससे दोहराव और रिसाव कम होते हैं।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और विधिसम्मत प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

- भारत की नई निर्वासन नीति प्रवासन प्रबंधन में व्यवस्थित और सक्रिय दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाती है, जो लंबे समय से मौजूद प्रवर्तन संबंधी कमियों को दूर करने का प्रयास करती है।
- इसकी सफलता निष्पक्ष क्रियान्वयन, संस्थागत क्षमता और पड़ोसी देशों के साथ निरंतर कूटनीतिक सहयोग पर निर्भर करेगी।
- सुरक्षा, वैधता और मानवीय चिंताओं को साथ लेकर चलने वाला संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि यह नीति प्रभावी और न्यायसंगत दोनों बनी रहे तथा भारत की लोकतांत्रिक और वैश्विक प्रतिबद्धताओं की रक्षा हो सके।

राज्यों के फोरेंसिक बैकलॉग

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, सभी मौजूदा रिक्त पदों को भरने और तीन महीने की अवधि के भीतर लंबित मामलों को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्देश

- **समन्वय:** गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के माध्यम से अपने प्रयासों का समन्वय करें।
- **निगरानी:** राज्यों को ऐसी निगरानी व्यवस्थाएँ स्थापित करनी होंगी, जिससे फॉरेंसिक प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराए जा सकें। जुलाई तक सभी लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।
- **अवसंरचना विस्तार:** राज्यों को क्षेत्रीय और जिला-स्तरीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार करना होगा। भौतिक, जैविक, रासायनिक और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए उन्नत उपकरण तैनात किए जाने चाहिए।
- **स्थल पर संग्रहण:** अपराध स्थलों से साक्ष्य एकत्र करने के लिए चलित फॉरेंसिक वाहनों का नियमित उपयोग किया जाना चाहिए।
- **विशेषीकृत दल:** जिला और उप-विभागीय स्तर पर समर्पित फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रहण दल स्थापित किए जाने चाहिए।
- **प्रशिक्षण और मान्यता:** पुलिस कर्मियों को साक्ष्य संबंधी प्रक्रियाओं पर संरचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रयोगशालाओं को फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत अनिवार्य मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- **नवाचार:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें राज्य प्रयोगशालाओं में नवाचार प्रतियोगिताओं का आयोजन भी शामिल है।

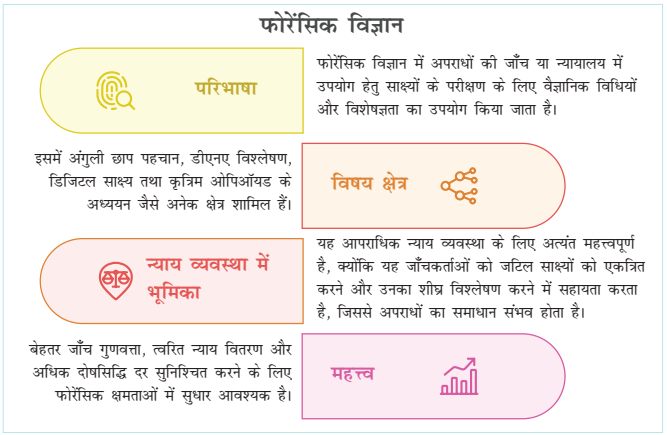

भारत में संस्थागत ढाँचा

- **फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय:** यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, जो देशभर की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का समन्वय करती है।
- **केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ:** वर्तमान में 7 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं, जो चंडीगढ़, दिल्ली, कामरूप (असम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), भोपाल (मध्य प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) और हैदराबाद (तेलंगाना) में स्थित हैं।
- **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय:** यह फॉरेंसिक शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय संस्थान है।
- **राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ:** ये प्रयोगशालाएँ संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं।

चुनौतियाँ

- **अवसंरचना और कमी:** अनेक प्रयोगशालाएँ कमजोर उपकरणों से संचालित हैं और उनका वितरण असमान है। साथ ही राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय होने के बावजूद विशेषज्ञों की गंभीर कमी बनी हुई है।
- **प्रक्रियात्मक देरी:** प्रतिवेदनों के भारी लंबित भार के कारण न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जबकि अप्रशिक्षित पुलिस द्वारा साक्ष्य का गलत संग्रहण अपराध स्थलों को दूषित कर देता है।
- **स्वीकारोक्ति पर निर्भरता:** भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद जाँचकर्त्ता अक्सर वैज्ञानिक साक्ष्यों को नजरअंदाज करके स्वीकारोक्ति पर निर्भर रहते हैं।

सरकारी पहल

- **विस्तार:** उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 8 नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी गई तथा विशेषीकृत कार्यबल तैयार करने के लिए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
- **डिजिटल भंडार:** सुरक्षित और व्यवस्थित साक्ष्य प्रबंधन के लिए ई-फॉरेंसिक तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक आँकड़ा केंद्र की शुरुआत की गई।
- **वित्तपोषण और गतिशीलता:** प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए 420 करोड़ रुपये तथा सभी जिलों में चलित फॉरेंसिक वाहनों के लिए 496.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, ताकि घटनास्थल पर साक्ष्यों की शुचिता सुनिश्चित की जा सके।

मलिमथ समिति (2000)

- इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार करना था।
- **सुझाव दिए गए:**
  - दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान को न्याय व्यवस्था में गहराई से एकीकृत किया जाए।
  - स्वीकारोक्ति आधारित जाँच से साक्ष्य आधारित जाँच की ओर बढ़ा जाए।
  - सभी राज्यों में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाए।
  - फॉरेंसिक प्रक्रियाओं में समान राष्ट्रीय मानक लागू किए जाएँ।

प्रकाश प्रदूषण

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2014 से 2022 के बीच रात के समय कृत्रिम प्रकाश में वैश्विक स्तर पर 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रकाश प्रदूषण क्या है?

- सबसे तीव्र वृद्धि उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में देखी गई है, जबकि एशिया में भारत और चीन प्रमुख योगदानकर्त्ता के रूप में उभरे हैं।
- प्रकाश प्रदूषण का अर्थ बाहरी प्रकाश स्तरों में मानव-निर्मित परिवर्तन से है, जो प्राकृतिक रूप से होने वाले स्तरों से अलग होता है। व्यवहारिक रूप से यह अवांछित, अनुपयुक्त या अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से रात के समय कृत्रिम प्रकाश के कारण उत्पन्न होता है।
- इसे बढ़ते हुए मानव-जनित पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में मान्यता दी जा रही है। अनुमान है कि विश्व की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रकाश प्रदूषित आकाश के नीचे रहती है, जबकि पृथ्वी के लगभग 23 प्रतिशत भू-भाग पर आकाशीय चमक का प्रभाव है।

कारण

- **तेज शहरीकरण:** वर्तमान में वैश्विक आबादी का लगभग 55 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है और वर्ष 2050 तक इसके 68 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे बाहरी प्रकाश की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- **अनियंत्रित बाहरी प्रकाश व्यवस्था:** बिना ढके स्ट्रीट लाइट, बिल बोर्ड और भवन प्रकाश व्यवस्था में उत्सर्जित प्रकाश का 30-50 प्रतिशत भाग ऊपर या किनारों की ओर व्यर्थ चला जाता है, जो सीधे आकाशीय चमक को बढ़ाता है।
- **वाहन-जनित प्रकाश प्रदूषण:** वाहनों की संख्या में तेज वृद्धि के कारण हेडलाइट की चमक और सड़कों की रोशनी बढ़ रही है। भारत में 30 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, जो शहरी रात्रिकालीन चमक में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **शिफ्ट-आधारित कार्य व्यवस्था:** सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और विनिर्माण जैसी 24×7 सेवाओं के विस्तार से लगातार प्रकाश की माँग बढ़ रही है।

प्रभाव

- **मानव स्वास्थ्य:**
  - रात के समय कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे अनिद्रा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
  - प्रकाश प्रदूषण के लंबे समय तक प्रभाव में रहने को बढ़ते तनाव और कम होती संज्ञानात्मक क्षमता से भी जोड़ा गया है।
- **पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव:**
  - रात्रिचर जीव, प्रवासी पक्षी और कीट प्राकृतिक प्रकाश चक्रों पर निर्भर रहते हैं। अधिक रोशनी वाले क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी सुबह जल्दी और शाम देर से गाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक जैविक लय बाधित होती है और प्रवासन, भोजन तथा प्रजनन संबंधी व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - जुगनुओं जैसी प्रजातियों में भी इसी प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं, जहाँ उनकी संचार प्रक्रिया प्रभावित होती है। कृत्रिम प्रकाश दिशा-निर्धारण और भोजन संबंधी व्यवहार को भ्रमित कर देता है।
- **खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान:** रात्रि आकाश की बढ़ती चमक खगोलीय अवलोकनों में बाधा उत्पन्न करती है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के आसपास।
- **ऊर्जा की बर्बादी:** गलत दिशा में की गई प्रकाश व्यवस्था के कारण प्रतिवर्ष अरबों इकाई विद्युत व्यर्थ होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है।

प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी पहल

- **ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (2017):** यह भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य सतत् भवन निर्माण को बढ़ावा देना और नए वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा खपत को 25-50 प्रतिशत तक कम करना है।
- **सड़क प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम:** वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम देशभर में पारंपरिक सड़क प्रकाश व्यवस्था को स्मार्ट और ऊर्जा-कुशल एलईडी सड़क प्रकाश से बदलने के लिए लागू किया गया।
- **स्मार्ट शहर मिशन:** अनुकूलनशील प्रकाश व्यवस्था भारत के स्मार्ट शहर मिशन का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के यातायात और समय की परिस्थितियों के आधार पर सड़क प्रकाश की तीव्रता को गतिशील रूप से समायोजित करके ऊर्जा खपत को बेहतर बनाना और प्रकाश प्रदूषण को कम करना है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** यह विधि केंद्र सरकार को सभी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। प्रकाश प्रदूषण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे पर्यावरणीय व्यवधान के एक रूप के रूप में नियंत्रित किया जा सकता है।

सिविल सेवा दिवस

18वें सिविल सेवा दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि लोक प्रशासन में शक्ति संचालन जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण से निर्देशित होना चाहिए, जिससे विकसित भारत @2047 के विज़न को सुदृढ़ किया जा सके।

परिचय

- सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि वर्ष 1947 में मेटकाफ हाउस में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा दिए गए उस संबोधन को स्मरण किया जा सके, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों को "भारत का इस्पाती ढाँचा" कहा था।

PMAEPA

- लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों के क्रियान्वयन में जिलों तथा सरकारी संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देते हैं।
- चयन प्रक्रिया में जाँच समितियों, विशेषज्ञ समितियों द्वारा बहु-स्तरीय मूल्यांकन तथा अंततः मंत्रिमंडल सचिव और प्रधानमंत्री की स्वीकृति शामिल होती है।
- इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसका उपयोग जनकल्याणकारी पहलों के लिए किया जाता है।

सिविल सेवाओं का संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 309** संसद और राज्य विधानमंडलों को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 310** प्रसादपर्यंत सिद्धांत स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कार्य करते हैं।
- **अनुच्छेद 311** मनमाने ढँग से बर्खास्तगी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है तथा प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और पद की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 312** भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की अनुमति देता है, जिससे प्रशासनिक एकरूपता सुनिश्चित होती है।
- **अनुच्छेद 315** से **323** संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करते हैं, जिससे योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित होती है।

सिविल सेवाओं के नैतिक आयाम

- लोक सेवकों के निर्णय सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जिससे जनकल्याण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दायित्व उत्पन्न होता है।
- निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोक सेवकों को वस्तुनिष्ठता, तटस्थता और न्यायपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए तथा अनुचित राजनीतिक या बाहरी प्रभावों का प्रतिरोध करना चाहिए।
- भारतीय चिंतन की नैतिक परंपराएँ, जैसे "अरम" अर्थात धर्मपूर्ण आचरण की अवधारणा, इस बात पर बल देती हैं कि शासन व्यवस्था नैतिक जिम्मेदारी और न्याय पर आधारित होनी चाहिए।

सिविल सेवाओं के कामकाज में चुनौतियाँ

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** नियुक्तियों और निर्णयों में बार-बार होने वाला हस्तक्षेप प्रशासनिक तटस्थता और स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
- **संरचनात्मक सीमाएँ:** सामान्यवादी दृष्टिकोण में अक्सर जटिल और तकनीकी नीतिगत क्षेत्रों के लिए आवश्यक विषयगत विशेषज्ञता का अभाव होता है।
- **अक्षमता:** औपनिवेशिक काल के कठोर नियम और अत्यधिक प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ लालफीताशाही को बढ़ावा देती हैं, जिससे अत्यधिक देरी होती है।
- **कार्यस्थल तनाव:** अत्यधिक कार्यभार और नवाचार के प्रति प्रतिरोधी कार्य संस्कृति दक्षता तथा मानसिक कल्याण दोनों को प्रभावित करती है।

सिविल सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु सुधार

- मिशन कर्मयोगी, जो वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, का उद्देश्य सिविल सेवाओं को नियम-आधारित कार्यप्रणाली से भूमिका-आधारित और नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली में बदलना है।
- सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश के माध्यम से विषय विशेषज्ञों को प्रशासन में शामिल किया जाता है, जिससे दक्षता और विशेषीकृत निर्णय-निर्माण में सुधार होता है।
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी व्यवस्था जैसी डिजिटल पहलों से शिकायत निवारण और नागरिक सहभागिता बेहतर होती है।
- स्पैरो जैसी डिजिटल प्रदर्शन मूल्यांकन व्यवस्था और सेवा अभिलेखों के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होती है।
- e-Samiksha जैसे मंच शासन और नीतियों के क्रियान्वयन की वास्तविक समय में निगरानी को समर्थन देते हैं।

भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास

- लॉर्ड कॉर्नवालिस को 'भारत में सिविल सेवाओं का जनक' माना जाता है।
- लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवाओं के लिए युवा भर्ती कर्मियों को शिक्षित करने हेतु वर्ष 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।
- लेकिन वर्ष 1806 में कंपनी के निदेशकों ने इसे समाप्त कर इंग्लैंड के हेलीबरी में अपना ईस्ट इंडियन कॉलेज स्थापित कर दिया।
- वर्ष 1853 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक सिविल सेवकों की नियुक्ति करते थे। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भी कुछ नामांकन करने की अनुमति थी।
- वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम ने संरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की। भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षाएँ वर्ष 1855 में लंदन में आयोजित की गईं।
- सत्येंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय बने।

ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम, 2026

भारत सरकार ने तेजी से विस्तार कर रहे ऑनलाइन गेमिंग तंत्र को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।

भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग

- भारत का ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 2025-26 में लगभग 5-6 अरब डॉलर मूल्य का है, जो तेज विस्तार और बढ़ती डिजिटल पहुँच को दर्शाता है। यह बाजार 2030-31 तक 9-10 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो भविष्य में मजबूत वृद्धि क्षमता को दर्शाता है।
- यह उद्योग 14-16 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण स्मार्टफोन उपयोग में वृद्धि, डिजिटल भुगतान और युवाओं की बढ़ती भागीदारी है।

नियमों के पीछे का तर्क

- इन नियमों का उद्देश्य हानिकारक ऑनलाइन धन-आधारित खेलों पर रोक लगाना, उपयोगकर्त्ताओं को आर्थिक और मानसिक जोखिमों से सुरक्षित करना तथा साथ ही भारत को वैश्विक गेमिंग और नवाचार केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप ई-खेल और वैध ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देना है।
- ऑनलाइन गेमिंग की तेज वृद्धि के साथ लत, आर्थिक धोखाधड़ी, शोषणकारी धन-संग्रह व्यवस्था और राज्यों के बीच नियामक विखंडन जैसी चिंताएँ भी बढ़ी हैं। एक समान राष्ट्रीय ढाँचे के अभाव में वैध खेलों और प्रतिबंधित सट्टेबाजी या जुए वाले मंचों के बीच विधिक अस्पष्टता बनी हुई थी।
- ये नियम स्पष्ट वर्गीकरण व्यवस्था, समन्वित प्रवर्तन ढाँचा और उपयोगकर्त्ता सुरक्षा तंत्र प्रस्तुत करके इन चुनौतियों का समाधान करते हैं, जबकि गैर-धन आधारित खेलों के लिए हल्के नियामक दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं।

नियामक ढाँचा

- ये नियम केंद्र सरकार, वित्तीय नियामकों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के साथ एक केंद्रीकृत और डिजिटल-प्रथम नियामक ढाँचा स्थापित करते हैं।
- ये बैंक, भुगतान माध्यमों और वित्तीय संस्थानों जैसी वित्तीय व्यवस्थाओं को अवैध ऑनलाइन धन-आधारित खेलों से जुड़े लेन-देन को सुगम बनाने से प्रतिबंधित करते हैं।
- यह ढाँचा संरचित शिकायत निवारण और वैधानिक अपील व्यवस्थाओं के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

भारत का ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण

- ये नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को एक एकीकृत नियामक संस्था के रूप में स्थापित करते हैं।
- यह नई दिल्ली मुख्यालय वाला डिजिटल-प्रथम निकाय है, जिसमें गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा विधिक कार्य विभाग जैसे प्रमुख मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व शामिल है।
- यह प्राधिकरण ऑनलाइन धन-आधारित खेलों की सूची बनाए रखने, अनुपालन संबंधी निर्देश और आचार संहिता जारी करने, शिकायतों का निपटान करने तथा वित्तीय और जाँच एजेंसियों के साथ प्रवर्तन समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है, जिससे प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क कम होता है और शासन की दक्षता बढ़ती है।

ऑनलाइन खेलों का निर्धारण और वर्गीकरण

- ये नियम खेलों को प्रतिबंधित ऑनलाइन धन-आधारित खेलों या अनुमेय सामाजिक खेलों और ई-खेलों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए समय-सीमा आधारित निर्धारण व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं।
- वर्गीकरण की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा स्वयं, सेवा प्रदाताओं के आवेदन के माध्यम से या सरकारी अधिसूचना के जरिए प्रारंभ की जा सकती है।
- निर्धारण प्रक्रिया में धन-आधारित दाँव की उपस्थिति, जीत की अपेक्षा, आय मॉडल तथा खेल के भीतर मिलने वाले पुरस्कारों के धन-संग्रह जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है।
- नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन या अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर निर्णय पूरा किया जाना अनिवार्य है।

पंजीकरण ढाँचा

- ई-खेल मंचों और अधिसूचित खेल श्रेणियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि अधिकांश ऑनलाइन सामाजिक खेलों को विशेष अधिसूचना के बिना छूट प्राप्त है।
- स्वीकृति मिलने पर मंचों को 10 वर्षों तक वैध डिजिटल पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक नियामक स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
- प्रतिबंधित ऑनलाइन धन-आधारित खेल खेल शासन ढाँचे के अंतर्गत मान्यता या पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे।

उपयोगकर्त्ता सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण

- ये नियम प्रत्येक खेल की प्रकृति के अनुरूप जोखिम-आधारित उपयोगकर्त्ता सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य बनाते हैं।
- इनमें आयु सत्यापन व्यवस्था, अभिभावक नियंत्रण, समय-सीमा प्रतिबंध, उपयोगकर्त्ता रिपोर्टिंग साधन, लत से संबंधित परामर्श सहायता और निष्पक्ष खेल निगरानी तंत्र शामिल हैं।
- सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा सुविधाओं और आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्थाओं का खुलासा करना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- यह ढाँचा विशेष रूप से बच्चों और युवाओं जैसे संवेदनशील उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

शिकायत निवारण

- उपयोगकर्त्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए दो-स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की गई है।
- पहले स्तर पर सेवा प्रदाताओं को प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।
- जो उपयोगकर्त्ता निर्णय से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 30 दिनों के भीतर भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं, जिसे अगले 30 दिनों के भीतर मामले का समाधान करना होगा।
- दूसरी अपील इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व वाले अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है, जिससे जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

प्रवर्तन

- ये नियम अनुपातिक प्रवर्तन व्यवस्था का प्रावधान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दंड उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप हों।
- कार्यवाहियाँ मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम में संचालित की जाती हैं, जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है।
- दंड निर्धारण में गैर-अनुपालन से प्राप्त आर्थिक लाभ, उपयोगकर्त्ताओं को हुई हानि, उल्लंघनों की पुनरावृत्ति तथा संबंधित संस्था द्वारा किए गए सुधारात्मक प्रयासों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
- शिकायतों का निपटान 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है, जिससे समयबद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।

महत्त्व

- ये नियम वैध और अवैध खेल प्रारूपों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करके नियामक स्पष्टता प्रदान करते हैं तथा अस्पष्टता को कम करते हैं।
- ये सुरक्षा सुविधाओं, शिकायत निवारण व्यवस्थाओं और वित्तीय सुरक्षा उपायों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करते हैं।
- यह ढाँचा ई-खेल व्यवस्था के औपचारिककरण और विकास को बढ़ावा देता है, जिससे निवेश और नवाचार आकर्षित होते हैं।
- यह बहु-मंत्रालयीय समन्वय के माध्यम से व्यापक नियमन सुनिश्चित करते हुए सम्पूर्ण-सरकार दृष्टिकोण को दर्शाता है। संतुलित नियामक वातावरण उपलब्ध कराकर ये नियम भारत को गेमिंग, नवाचार और डिजिटल सृजनात्मकता का वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा को समर्थन देते हैं।

सीमाएँ

- आभासी निजी नेटवर्क के उपयोग के कारण प्रवर्तन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि इनके माध्यम से उपयोगकर्त्ता प्रतिबंधों को पार करके विदेशी सट्टेबाजी मंचों तक पहुँच प्राप्त कर लेते हैं। अनेक अवैध गेमिंग मंच विदेशी अधिकार-क्षेत्रों से संचालित होते हैं, जिससे भारत की प्रवर्तन पहुँच सीमित हो जाती है और अंतरराष्ट्रीय नियामक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- सुरक्षा उपायों के बावजूद विशेष रूप से नाबालिगों में खेल लत के जोखिम बने हुए हैं। राज्यों और मंचों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकीय क्षमता और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।

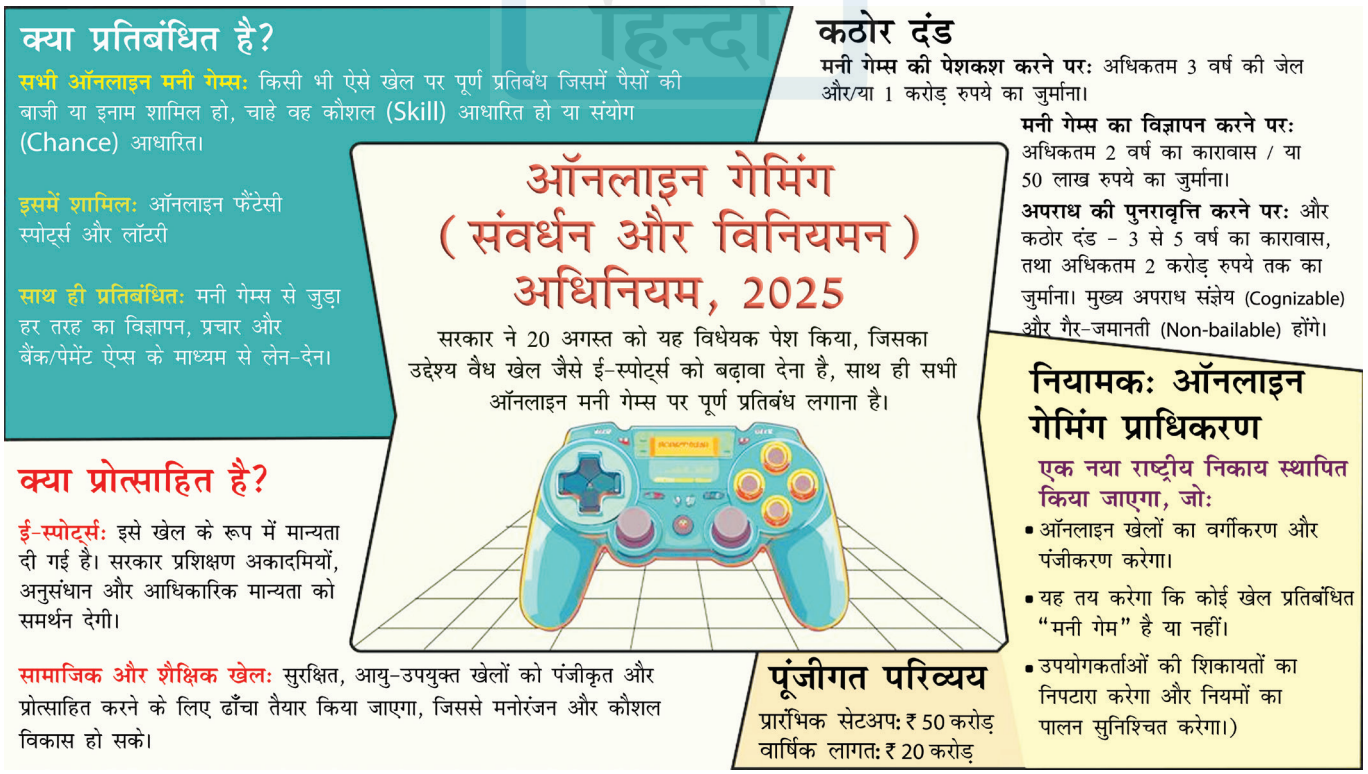

अंतर-राज्यीय जल विवाद

महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ को न्यायिक निर्णय प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले आपसी सहमति से समाधान निकालने का अंतिम अवसर दिया है, जिससे अंतरराज्यीय नदी जल बँटवारे से जुड़ी लगातार बनी चुनौतियाँ उजागर होती हैं।

अंतर-राज्यीय जल विवादों को समझना

- अंतरराज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं, जब दो या अधिक राज्य राजनीतिक सीमाओं से होकर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग, नियंत्रण या बँटवारे को लेकर विवाद करते हैं।
- ये विवाद जल संसाधनों पर राज्यों की स्वायत्तता और साझा पारिस्थितिक तंत्रों के सामूहिक प्रबंधन की आवश्यकता के बीच संतुलन को दर्शाते हैं।
- कृषि में लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल के उपयोग तथा बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिक माँग के कारण जल एक रणनीतिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील संसाधन बन गया है।

संरचनात्मक कारण

- असममित नदी भूगोल के कारण ऊपरी प्रवाह वाले राज्यों को जल प्रवाह नियंत्रित करने की क्षमता मिल जाती है, जिससे महत्त्वपूर्ण अवधियों में निचले प्रवाह वाले राज्यों में जल उपलब्धता कम हो जाती है।
- नदी बेसिनों के अनुरूप राज्य सीमाएँ निर्धारित न होने से समेकित योजना प्रभावित होती है, क्योंकि नदियाँ विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों से होकर गुजरती हैं, जिनकी प्राथमिकताएँ अलग-अलग होती हैं।
- कृषि, उद्योग और शहरी क्षेत्रों से बढ़ती जल माँग सीमित संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा को और तीव्र बनाती है।
- निचले प्रवाह वाले राज्यों से परामर्श किए बिना बाँधों और बैराजों जैसी अवसंरचना का एकपक्षीय निर्माण अविश्वास और संघर्ष को जन्म देता है।
- पारदर्शी जलवैज्ञानिक आँकड़ों के साझा न होने से जल उपलब्धता को लेकर विरोधाभासी दावे उत्पन्न होते हैं और वैज्ञानिक आधार पर जल बँटवारा कमजोर पड़ता है।
- अनियमित मानसून और सूखे जैसी जलवायु परिवर्तनशीलता अनिश्चितता बढ़ाती है और दीर्घकालिक समझौतों को जटिल बनाती है।
- जल मुद्दों का राजनीतिकरण तकनीकी विवादों को पहचान-आधारित संघर्षों में बदल देता है, जिससे समाधान में देरी होती है।

संवैधानिक और विधिक ढाँचा

- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी विवादों पर विधि बनाने की शक्ति देता है तथा ऐसे मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखने की अनुमति भी प्रदान करता है।
  - राज्य सूची की प्रविष्टि 17 राज्यों को सिंचाई और जल आपूर्ति जैसे जल संबंधी विषयों पर अधिकार प्रदान करती है।
  - संघ सूची की प्रविष्टि 56 संसद को जनहित में अंतरराज्यीय नदियों के विनियमन और विकास की शक्ति देती है, जिससे राष्ट्रीय समन्वय सुनिश्चित होता है।
- **संस्थागत और विधायी व्यवस्थाएँ:**
  - अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 जल विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो वार्ताएँ विफल होने पर विवादों का निर्णय करते हैं।

प्रमुख अंतरराज्यीय जल विवाद

कावेरी विवाद

इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं, तथा क्रियान्वयन की निगरानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण करता है।

रावी-ब्यास/महादयी विवाद

राजनीतिक विरोध के कारण समाधान में देरी हो रही है। (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान)

कृष्णा / गोदावरी विवाद

बहु-राज्यीय जल बँटवारा और माँगों से जुड़ा जटिल विवाद। (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र)

महानदी विवाद

आँकड़ों की कमी और ऊपरी प्रवाह क्षेत्र के विकास के कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुई है। (ओडिशा और छत्तीसगढ़)

- न्यायाधिकरणों के निर्णय बाध्यकारी होते हैं और उन्हें विधि का बल प्राप्त होता है, जिससे विधिक अंतिमता सुनिश्चित होती है।
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 नदी बोर्डों के माध्यम से बेसिन-स्तरीय समन्वय की परिकल्पना करता है, लेकिन व्यवहार में यह काफी हद तक अप्रभावी बना हुआ है।
- इस प्रकार संवैधानिक ढाँचा न्यायाधिकरणों के माध्यम से निर्णय और केंद्रीय निगरानी के माध्यम से विनियमन को एक साथ जोड़ता है।

- **न्यायपालिका की भूमिका:** न्यायाधिकरण के गठन के पश्चात् न्यायालयों को सामान्यत: अंतरराज्यीय जल विवादों के प्रत्यक्ष निर्णय से बाहर रखा जाता है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिकरणों के निर्णयों की व्याख्या, क्रियान्वयन और संवैधानिक वैधता से जुड़े मामलों में सीमित अधिकार क्षेत्र बनाए रखता है।

हाल के सुधार

- अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव करता है।
- यह न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय से पहले सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने हेतु विवाद समाधान समिति की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह अस्थायी न्यायाधिकरण व्यवस्था के स्थान पर अनेक पीठों वाले एक स्थायी न्यायाधिकरण का प्रस्ताव करता है।
- यह समय-सीमा आधारित निर्णय प्रक्रिया को अनिवार्य बनाता है तथा वैज्ञानिक निर्णय-निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत आँकड़ा भंडार और सूचना व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान करता है।

बेसिन-आधारित प्रबंधन की ओर बदलाव

- अब यह समझ बढ़ रही है कि विवादों के समाधान के लिए खंडित राज्य-आधारित प्रबंधन के बजाय नदी बेसिन आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- यह दृष्टिकोण समेकित योजना, न्यायसंगत उपयोग, पारिस्थितिक स्थिरता और निरंतर संस्थागत समन्वय पर बल देता है।
- यह केवल विधिक निर्णय प्रक्रिया से आगे बढ़कर साझा जल संसाधनों के दीर्घकालिक सहकारी शासन पर केंद्रित होता है।

चुनौतियाँ

- न्यायाधिकरण प्रक्रियाओं में अक्सर अत्यधिक देरी होती है, जिससे विश्वसनीयता और समयबद्ध समाधान दोनों प्रभावित होते हैं।
- कमजोर प्रवर्तन व्यवस्थाओं के कारण राज्य न्यायाधिकरणों के निर्णयों के क्रियान्वयन में देरी करते हैं या उन्हें आंशिक रूप से लागू करते हैं।
- खंडित संस्थागत संरचनाएँ समन्वित बेसिन-स्तरीय शासन को बाधित करती हैं।
- जलवैज्ञानिकों और जलवायु वैज्ञानिकों सहित बहु-विषयक विशेषज्ञों की सीमित भागीदारी निर्णयों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
- राजनीतिक दबाव और न्यायिक हस्तक्षेप विवाद समाधान को जटिल और लंबा बना देते हैं।
- पर्यावरणीय क्षरण और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जल उपलब्धता घटती है और संघर्ष अधिक तीव्र हो जाते हैं।

आगे की राह

- राज्यों के बीच संवाद, वार्ता और सहमति निर्माण के माध्यम से सहकारी संघवाद को मजबूत करना आवश्यक है।
- स्थायी न्यायाधिकरण व्यवस्था और प्रभावी नदी बेसिन प्राधिकरणों की स्थापना तेज और अधिक समन्वित समाधान सुनिश्चित कर सकती है।
- उपग्रह निगरानी से समर्थित केंद्रीकृत और पारदर्शी जल आँकड़ा व्यवस्था विकसित करने से विश्वास और वैज्ञानिक आधार पर जल बँटवारा बेहतर हो सकता है।
- सूक्ष्म सिंचाई और फसल विविधीकरण जैसी जल-कुशल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर जल माँग के दबाव को कम किया जा सकता है।
- जलवायु-सहिष्णु ढाँचों और पारिस्थितिक प्रवाह आवश्यकताओं को शामिल करके नदी तंत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष

- भारत में अंतरराज्यीय जल विवाद संरचनात्मक, पारिस्थितिक और राजनीतिक जटिलताओं में निहित हैं, जिनके समाधान के लिए केवल विधिक निर्णय प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है।
- प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन स्थापित करने और न्यायसंगत जल बँटवारा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी, आँकड़ा-आधारित और बेसिन-आधारित शासन की ओर परिवर्तन आवश्यक है।
- दीर्घकालिक जल सुरक्षा और संघीय समरसता सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और स्थिरता संबंधी सिद्धांतों को एकीकृत करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

महानदी नदी और विवाद

- महानदी लगभग 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से होता है और यह ओडिशा से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका बेसिन कृषि, उद्योग और घनी मानव बस्तियों को समर्थन देता है।
- मुख्य विवाद वार्षिक जल उपलब्धता के आकलन को लेकर है, जो किसी भी जल बँटवारे के सूत्र का आधार बनता है। विश्वसनीय और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए जलवैज्ञानिक आँकड़ों के अभाव में प्रगति रुकी हुई है।
- ओडिशा का आरोप है कि 500 से अधिक एनीकटों और अनेक बैराजों सहित ऊपरी प्रवाह क्षेत्र की व्यापक अवसंरचना ने नदी के प्रवाह को प्रभावित किया है, जबकि छत्तीसगढ़ का तर्क है कि उसकी विकास और सिंचाई संबंधी आवश्यकताएँ जल उपयोग को उचित ठहराती हैं।
- औपचारिक जल बँटवारा समझौते के अभाव ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है, जिससे भविष्य के जल आवंटन और शासन के लिए न्यायाधिकरण का निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- ओडिशा ने 2016 में केंद्र सरकार से संपर्क किया, जिसके पश्चात् वार्ताओं के असफल रहने पर 2018 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

भारत और न्यूजीलैंड ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (IN-NZ FTA) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता नौ महीनों में संपन्न हुआ और यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की सहभागिता में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- भारत पिछले साढ़े तीन वर्षों में अपना सातवाँ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी समझौतों की योजना है, जिससे कुल संख्या 38 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौतों तक पहुँच जाएगी, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 65-70 प्रतिशत हिस्से को कवर करेंगे।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

मुक्त व्यापार समझौता दो या अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता होता है, जिसमें वे:

- वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करने तथा सेवाओं के व्यापार को उदार बनाने पर सहमत होते हैं।
- निवेश संरक्षण प्रदान करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमत होते हैं।

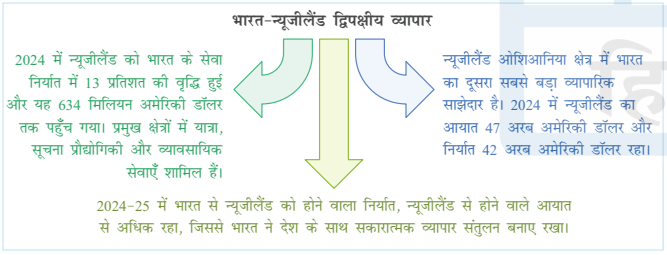

FTA की मुख्य विशेषताएँ

- **शून्य-शुल्क बाजार पहुँच:** भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क समाप्त किया गया है। भारत ने 70.03 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों में बाजार पहुँच प्रदान की है, जबकि 29.97 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों को अपवर्जन में रखा है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धता:** न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।
- **जैविक प्राथमिक उत्पाद:** दोनों पक्ष जैविक प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता पर सहमत होंगे।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहयोग:** छोटे व्यवसायों को व्यापार संबंधी जानकारी और वैश्विक बाजारों तक पहुँच प्रदान करने के लिए संस्थागत संबंध विकसित किए जाएँगे।
- **तकनीकी सहयोग:** आयुष, श्रव्य-दृश्य उद्योग, पर्यटन, खेल और पारंपरिक ज्ञान व्यवस्थाओं में सहयोग पर सहमति बनी है। यह समझौता भारत की आयुष व्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देता है, चिकित्सीय मूल्य यात्रा को प्रोत्साहित करता है तथा भारत को वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करता है।
- **सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र व्यवहार:** 118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धता दी गई है तथा 139 क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र व्यवहार सुनिश्चित किया गया है।
- **विद्यार्थी गतिशीलता:** न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ विद्यार्थी गतिशीलता और अध्ययन उपरांत कार्य वीजा संबंधी परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विद्यार्थी अध्ययन के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक कार्य कर सकेंगे, भले ही भविष्य में नीतिगत परिवर्तन हों। साथ ही अध्ययन उपरांत विस्तारित कार्य वीजा भी मिलेगा - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित स्नातक: 3 वर्ष; परास्नातक: अधिकतम 3 वर्ष; डॉक्टरेट: अधिकतम 4 वर्ष।
- **पेशेवर अवसर:** भारत की रुचि वाले क्षेत्रों में कुशल भारतीयों के लिए 3 वर्ष तक रहने हेतु 5,000 वीजा का प्रावधान किया गया है।
- **कार्य-अवकाश वीजा:** प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 महीनों की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में बहु-प्रवेश सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
  - भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्रों के कुछ उत्पादों को अपवर्जन में रखा गया है, जो श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
  - इनमें डेयरी, पशु उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल, हथियार और गोला-बारूद, रत्न और आभूषण, ताँबा और उससे बने उत्पाद, एल्युमिनियम और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।

FTA से भारत के लिए महत्त्व

- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अनेक क्षेत्रों में शुल्क-मुक्त या रियायती पहुँच सुनिश्चित करता है। इन लाभों से भारत के निर्यात में वृद्धि, रोजगार सृजन और ओशिआनिया क्षेत्र में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होने की संभावना है। आयुष और भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में विशेष सहयोग पर सहमति बनी है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी समुदायों के साथ सहभागिता की जाएगी। इससे भारत की सॉफ्ट पावर और उसकी सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक पहचान मजबूत होगी।
- **बागवानी क्षेत्र में लाभ:** न्यूजीलैंड ने कीवी फल, सेब और शहद के लिए विशेष कार्य योजनाओं पर सहमति दी है, जिससे भारत में इन फलों के उत्पादकों की उत्पादकता, गुणवत्ता और क्षेत्रीय क्षमताओं में सुधार होगा।
- उच्च गुणवत्ता वाले सेब उत्पादकों और सतत् मधुमक्खी पालन प्रक्रियाओं से जुड़े कार्यक्रम उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाएँगे।
- यह पहुँच शुल्क दर कोटा व्यवस्था, न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी आयातों के माध्यम से प्रबंधित की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेंगे और साथ ही घरेलू किसानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

बैड लोन्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैड लोन के वर्गीकरण, परिभाषा और वसूली से संबंधित नियमों को वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सख्त किया है। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।

NPA या बैड लोन्स के बारे में

- यह ऐसे ऋण को संदर्भित करता है, जिसमें उधारकर्त्ता ने 90 दिनों से अधिक समय तक न तो मूलधन और न ही ब्याज का भुगतान किया हो।
- इसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: उप-मानक परिसंपत्तियाँ (12 महीनों तक बकाया), संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (12 महीनों से अधिक बकाया और वसूली अनिश्चित) तथा हानि परिसंपत्तियाँ (जिन्हें अधिकांशत: अवसूलनीय माना जाता है)।

बैड लोन्स के कारण

- आय में कमी या व्यवसायिक नुकसान पुनर्भुगतान क्षमता को कमजोर कर देते हैं।
- ब्याज दरों में वृद्धि ऋण पुनर्भुगतान को कठिन बना देती है।
- अत्यधिक उधारी लेने से उधारकर्त्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।
- कमजोर ऋण मूल्यांकन जोखिमपूर्ण ऋण वितरण को बढ़ावा देता है।
- आर्थिक और क्षेत्र-विशेष की मंदी ऋण चूक को बढ़ाती है।
- बाजार अस्थिरता व्यवसायों के नकदी प्रवाह को प्रभावित करती है।
- भुगतान करने में सक्षम उधारकर्त्ताओं द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने से जानबूझकर ऋण चूक की स्थिति उत्पन्न होती है।
- आपात स्थितियाँ और आर्थिक झटके ऋण चूक का कारण बनते हैं।

NPA के प्रभाव

- **बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर करता है:** भारत की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ होने के कारण बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से आय में कमी और बढ़ते नुकसान का सामना करते हैं। इससे उन्हें अधिक प्रावधान करने पड़ते हैं, जिससे ऋण वितरण सीमित होता है और आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ती है।
- **ऋण प्रवाह को कम करता है:** उच्च खराब परिसंपत्तियाँ ऋणदाताओं में सतर्कता बढ़ाती हैं, जिससे व्यवसायों और अवसंरचना के लिए आवश्यक ऋण सीमित हो जाता है। इसका परिणाम रोजगार सृजन और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी के रूप में सामने आता है।
- **उधारी लागत बढ़ाता है:** बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ऋण दरें बढ़ा देते हैं, जिससे ऋण महँगे हो जाते हैं और आर्थिक विस्तार के लिए आवश्यक पूँजी निर्माण हतोत्साहित होता है।
- **सरकार पर राजकोषीय बोझ:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण करदाताओं के धन से पुन:पूँजीकरण करना पड़ता है, जिससे राजकोषीय बोझ बढ़ता है और कल्याण, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा से संसाधन हट जाते हैं।
- **रोजगार और आय को प्रभावित करता है:** सीमित ऋण वितरण औद्योगिक विस्तार को रोकता है, जिससे विनिर्माण, खुदरा और निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार हानि और खपत में कमी आती है।

सरकार और RBI द्वारा उठाए गए कदम

- **दिवाला और दिवालियापन संहिता:** 2016 में समय-सीमा आधारित ऋण चूक समाधान के लिए प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को 2026 के संशोधन के माध्यम से और अधिक सरल बनाया गया है। इसमें न्यायालय के बाहर समझौते, समूह दिवालियापन और अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- **ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत करना:** धन संबंधी अधिकार-सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे ऋण वसूली न्यायाधिकरण उच्च-मूल्य वाले मामलों को प्राथमिकता देकर वसूली दर में सुधार कर सकें।
- **SARFAESI अधिनियम, 2002:** यह विधि बैंकों को लंबी न्यायालयीय स्वीकृति की आवश्यकता के बिना गिरवी रखी परिसंपत्तियों को जब्त और बेचकर खराब ऋणों की वसूली करने की शक्ति देता है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखाएँ स्थापित की हैं तथा व्यवसाय संवाददाताओं और "फीट-ऑन-स्ट्रीट" मॉडल का उपयोग करके वसूली संबंधी अनुवर्ती कार्यों को तेज किया है।
- **बैंड बैंक:** 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 6,000 करोड़ रुपये वाली राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड को बड़े स्तर की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन और समाधान के लिए अनुमति प्रदान की।

RBI के नवीनतम मास्टर निर्देश

मुख्य निर्देशों में शामिल हैं:

- **अधिक सख्त गैर-निष्पादित परिसंपत्ति चिन्हांकन:** यदि किसी उधारकर्त्ता का एक भी ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है, तो उस उधारकर्त्ता के सभी ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति माना जाएगा। हालाँकि, वर्गीकरण अभी भी 90 दिनों की बकाया अवधि के नियम पर आधारित रहेगा।
  - कोई उधारकर्त्ता तभी "मानक परिसंपत्ति" की स्थिति में वापस आ सकेगा, जब वह सभी सुविधाओं से संबंधित बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दे।
- **स्वचालन की आवश्यकता:** बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान के लिए हाथ से किए जाने वाले चिन्हांकन के बजाय स्वचालित व्यवस्थाओं का उपयोग करना होगा।
- **नई प्रावधान व्यवस्था:** अब बैंक ऋण हानि का अग्रिम अनुमान तीन-स्तरीय ढाँचे के माध्यम से लगाएँगे, जो ऋण जोखिम के स्तर पर आधारित होगा।
- **ब्याज मापदंड में परिवर्तन:** अनुमानित ऋण हानि की गणना प्रभावी ब्याज दर के आधार पर की जाएगी, जिसमें केवल संविदात्मक ब्याज दरों के बजाय अनुमानित नकदी प्रवाह को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- **चरणबद्ध क्रियान्वयन:** अप्रैल 2027 से दिए जाने वाले नए ऋण प्रभावी ब्याज दर आधारित अनुमानित ऋण हानि व्यवस्था का पालन करेंगे, जबकि पुराने ऋणों को मार्च 2030 तक इस व्यवस्था में स्थानांतरित करना होगा।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

नीति आयोग ने विकसित भारत के लिए DPI@2047 की शुरुआत की है, जो भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के अगले चरण के लिए एक मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य समावेशी और उत्पादकता-आधारित विकास को आगे बढ़ाना है।

DPI के बारे में

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ऐसी आधारभूत डिजिटल व्यवस्थाओं को संदर्भित करती है, जो सुलभ, सुरक्षित और परस्पर संचालन योग्य हों तथा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को समर्थन प्रदान करें।
- भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की शुरुआत जन धन बैंक खाते, आधार पहचान और मोबाइल संपर्क वाली जैम ट्रिनिटी से हुई, जिसने नागरिकों को सीधे सरकारी व्यवस्थाओं से जोड़ दिया। इससे कल्याणकारी लाभों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण संभव हुआ, मध्यस्थों, देरी और रिसाव में कमी आई तथा भारत के व्यापक डिजिटल परिवर्तन की नींव पड़ी।

DPI का महत्त्व

- **शासन दक्षता:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सब्सिडी वितरण और ई-शासन मंचों को सक्षम बनाती है, जिससे रिसाव और भ्रष्टाचार में कमी आती है।
- **वित्तीय समावेशन:** एकीकृत भुगतान व्यवस्था ने भुगतान प्रणाली को बदल दिया है और यह अब 8 देशों में संचालित हो रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को समर्थन मिल रहा है।
- **आर्थिक वृद्धि:** भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटीकृत अर्थव्यवस्था बन चुका है, जहाँ डिजिटल मंच दैनिक आर्थिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना उद्यमिता, वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचार और डिजिटल वाणिज्य को बढ़ावा देती है।
- **वैश्विक नेतृत्व:** इंडिया स्टैक ग्लोबल और 24 देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग समझौते विश्वसनीय डिजिटल मार्गों के निर्माण में भारत की भूमिका को दर्शाते हैं।

प्रमुख DPIs और डिजिटल समाधान

- **आधार:** जैविक पहचान आधारित डिजिटल पहचान मंच, जो निवासियों की विशिष्ट पहचान और प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है, ताकि सेवाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित हो सके।
- **एकीकृत भुगतान व्यवस्था (UPI):** वास्तविक समय आधारित डिजिटल भुगतान व्यवस्था, जो त्वरित, परस्पर संचालन योग्य और सुरक्षित व्यक्ति-से-व्यक्ति तथा व्यापारी लेन-देन को सक्षम बनाती है। यह अब 8 देशों में सक्रिय है, जिससे अंतरराष्ट्रीय भुगतान, धन प्रेषण और वित्तीय समावेशन को समर्थन मिलता है तथा वैश्विक स्तर पर भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षमता मजबूत होती है।
- **कोविन (CoWIN):** टीकाकरण सेवाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए डिजिटल मंच, जिसमें पंजीकरण, समय-निर्धारण और प्रमाणन शामिल हैं।
- **एपीआई सेतु:** ऐसा मंच, जो एपीआई के माध्यम से सरकारी आँकड़ों और सेवाओं के सुरक्षित तथा मानकीकृत साझाकरण को सक्षम बनाता है।
- **डिजिलॉकर:** डिजिटल दस्तावेज भंडार, जो नागरिकों को प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सुरक्षित रखने, प्राप्त करने और साझा करने की सुविधा देता है।
- **आरोग्य सेतु:** डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग, जो जोखिम आकलन, स्वास्थ्य परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- **सरकारी ई-बाजार:** सरकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी तथा दक्ष खरीद के लिए ऑनलाइन मंच।
- **उमंग:** एकीकृत मोबाइल और वेब मंच, जो अनेक सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की पहुँच प्रदान करता है।
- **दीक्षा:** शिक्षकों और विद्यार्थियों को ई-सामग्री, प्रशिक्षण और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने वाला राष्ट्रीय डिजिटल मंच।
- **ई-संजीवनी:** दूरचिकित्सा मंच, जो विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरस्थ चिकित्सक-से-रोगी परामर्श को सक्षम बनाता है।
- **ई-अस्पताल:** अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था, जो ऑनलाइन पंजीकरण, नियुक्ति, जाँच और बिल भुगतान सेवाएँ प्रदान करती है।
- **ई-कार्यालय:** कागजरहित शासन के लिए डिजिटल मंच, जो सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन और निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाता है।
- **ई-न्यायालय:** न्यायालय प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और न्यायिक सेवाओं तक पहुँच सुधारने हेतु मिशन-आधारित परियोजना।
- **पोषण ट्रैकर:** समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत पोषण सेवाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए मोबाइल आधारित अनुप्रयोग।
- **राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग मंच:** प्रमुख गैर-संचारी रोगों की जाँच, निदान और प्रबंधन के लिए डिजिटल मंच।
- **कौशल भारत डिजिटल केंद्र:** कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी सेवाओं को एकीकृत करने वाला डिजिटल मंच।
- **लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था:** सरकारी निधियों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संपूर्ण निगरानी के लिए मंच।
- **प्रधानमंत्री गति शक्ति:** भौगोलिक सूचना व्यवस्था आधारित डिजिटल मंच, जो समेकित योजना और समन्वित क्रियान्वयन को सक्षम बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- भारत ने 24 देशों के साथ इंडिया स्टैक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित विशेषज्ञता साझा करने के लिए समझौते किए हैं। इनका केंद्र डिजिटल पहचान, भुगतान, आँकड़ा व्यवस्थाएँ और सेवा वितरण हैं। उद्देश्य निश्चित उत्पादों का निर्यात नहीं, बल्कि रूपरेखा सिद्धांतों पर सहयोग करना है।
- **इंडिया स्टैक ग्लोबल:** यह एक समर्पित मंच है, जो भारत के डिजिटल साधनों और रूपरेखाओं को साझेदार देशों के साथ साझा करता है तथा उन्हें डिजिटल व्यवस्थाओं के लिए अनुकूलन योग्य "निर्माण खंडों" के रूप में प्रस्तुत करता है।
- **G20 मान्यता:** भारत की 2023 G20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को एक महत्त्वपूर्ण विकास साधन के रूप में मान्यता दी गई। ज्ञान साझा करने के लिए एक वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार बनाया गया, जिसमें भारत ने सबसे अधिक समाधान उपलब्ध कराए।

- **मॉड्यूलर मुक्त-स्रोत पहचान मंच:** यह भारत में विकसित किया गया है और उन देशों को विन्यास योग्य तथा मुक्त-स्रोत ढाँचा प्रदान करता है, जो अपनी संप्रभु डिजिटल पहचान व्यवस्थाएँ विकसित करना चाहते हैं।
  - 25 से अधिक देश अपने राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रमों के लिए इस मंच को अपना रहे हैं या इसकी संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं।
- **भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के अगले चरण की मार्गदर्शिका:** इसे एकस्टेप फाउंडेशन और डेलॉइट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें दो चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
  - **चरण:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 2.0 (2025-2035) - जिसका उद्देश्य कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना है।
    - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 3.0 (2035-2047) - जिसका उद्देश्य व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना है।
  - यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बेहतर आँकड़ा व्यवस्थाओं, डिजिटल मंचों और स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन के माध्यम से आजीविका, उत्पादकता और बाजार पहुँच में सुधार पर बल देता है।

चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन, इंटरनेट संपर्क और डिजिटल साक्षरता तक असमान पहुँच।
- **आँकड़ा गोपनीयता और सुरक्षा:** निगरानी, व्यक्तिगत आँकड़ों के दुरुपयोग और कमजोर आँकड़ा संरक्षण ढाँचों को लेकर चिंताएँ।
- **परस्पर संचालन संबंधी समस्याएँ:** राज्यों, क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के बीच निर्बाध एकीकरण की आवश्यकता।
- **विश्वास की कमी:** नागरिकों और व्यवसायों के बीच डिजिटल विश्वास का निर्माण अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- **क्षमता संबंधी सीमाएँ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और क्वांटम संगणना जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के नियमन के लिए सीमित संस्थागत क्षमता।

सुझाव

- मजबूत आँकड़ा संरक्षण विधि बनाए जाएँ और साइबर सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ किया जाए।
- डिजिटल इंडिया के अंतर्गत व्यापक संपर्क मार्गों, मोबाइल संपर्क और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
- इंडिया स्टैक ग्लोबल का विस्तार करके साझेदार देशों को समर्थन दिया जाए, जिससे भारत को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वस्तुओं के इंटरनेट, ब्लॉकचेन और क्वांटम संगणना में निवेश करके डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को भविष्य के लिए सक्षम बनाया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना खुली, पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे, जिससे सार्वजनिक हित में उसकी भूमिका और मजबूत हो।

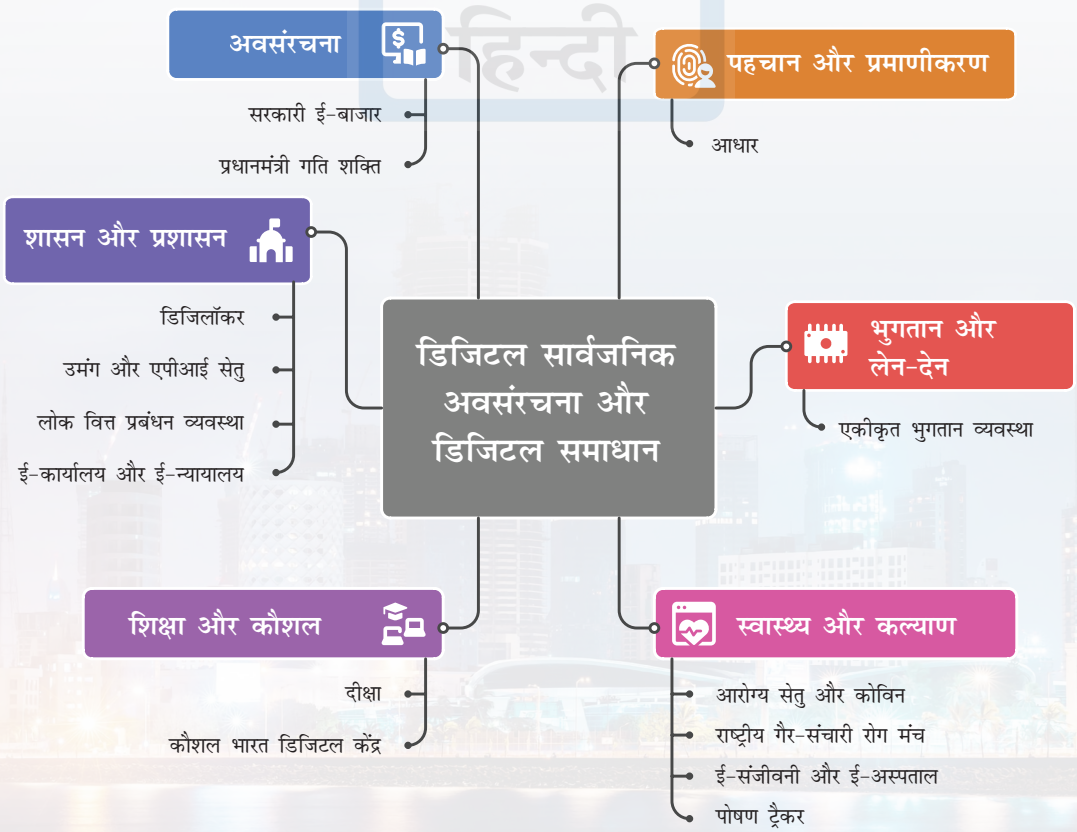

मिथोस चुनौती

एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे अत्यधिक उन्नत मॉडलों का उभरना, जिनमें महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की कमजोरियों को स्वायत्त रूप से खोजने और उनका दुरुपयोग करने की क्षमता है, शासन व्यवस्था को एक अत्यावश्यक वैश्विक प्राथमिकता बना चुका है।

AI और साइबर सुरक्षा की बदलती प्रकृति

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्नत खतरा पहचान, पूर्वानुमान आधारित जोखिम विश्लेषण और स्वचालित रक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से साइबर सुरक्षा को नया रूप दे रही है।
- साथ ही, यह स्वायत्त साइबर हमलों को सक्षम बना सकती है, कमजोरियों का दुरुपयोग कर सकती है और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को खतरे में डाल सकती है। एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उभरने से पारंपरिक साइबर सुरक्षा व्यवस्थाएँ लगातार अप्रभावी होती जा रही हैं।

एंथ्रोपिक के मिथोस का मामला

- मिथोस मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वि-उपयोग संकट का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, लेकिन व्यवस्थागत कमजोरियों का दुरुपयोग करने की इसकी क्षमता गंभीर खतरे भी उत्पन्न करती है:
  - गैर-राज्य तत्त्वों द्वारा संभावित दुरुपयोग
  - अनधिकृत पहुँच का जोखिम
  - मानव साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों से अधिक क्षमता प्राप्त करने की योग्यता
- ऐसे विकासों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन को एक तत्काल आवश्यकता बना दिया है।

AI युग में शासन संबंधी चुनौतियाँ

- **नियामक कमियाँ:** वर्तमान साइबर सुरक्षा विधि स्व-अध्ययन करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्थाओं के लिए निर्मित नहीं हैं। भारत के साइबर विधि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खतरों को समायोजित करने में संघर्ष कर रहे हैं।
- **वैश्विक सहमति का अभाव:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। साइबर कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर खतरे वैश्विक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्थाएँ अक्सर 'ब्लैक बॉक्स' की तरह कार्य करती हैं, जिससे जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है।
- **निजी क्षेत्र का प्रभुत्व:** शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडलों का विकास और उपयोग मुख्यत: निजी कंपनियों के नियंत्रण में है, जिससे दुरुपयोग की स्थिति में पहुँच, सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

भारत के लिए विशिष्ट चुनौतियाँ

- **वित्तीय और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र:** मिथोस जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल वित्तीय व्यवस्थाओं और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। सरकार ने खतरों का आकलन करने के लिए उच्च-स्तरीय परामर्श प्रारंभ किए हैं।
- **नियामक चुनौतियाँ:** खंडित नियामक ढाँचे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साइबर खतरों के लिए अपर्याप्त तैयारी।
- भारत की विशाल डिजिटल व्यवस्था, जैसे एकीकृत भुगतान व्यवस्था, आधार और दूरसंचार नेटवर्क, उसे विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। साथ ही इसका व्यापक स्तर उसे वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक भी बनाता है।

संबंधित वैश्विक प्रयास

- **नियामक परिवर्तन:** स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों से बाध्यकारी और जोखिम-आधारित नियमन की ओर परिवर्तन।
- **सुरक्षा और संरक्षा:** तैनाती से पहले सुरक्षा परीक्षणों तथा साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की द्वि-उपयोग भूमिका पर बल।
- **यूरोपीय संघ (जोखिम-आधारित):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम उच्च-जोखिम वाले उपयोगों, जैसे अवसंरचना, के लिए पारदर्शिता और मानवीय निगरानी पर केंद्रित कठोर अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका (सुरक्षा-केंद्रित):** सरकारी और निजी संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु कार्यकारी आदेशों का उपयोग करता है।
- **यूनाइटेड किंगडम (सीमांत जोखिम):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान स्वायत्त साइबर जोखिमों और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर केंद्रित है।
- **चीन (राज्य-नियंत्रित):** केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा और कठोर आँकड़ा नियंत्रणों के साथ एकीकृत करता है।

महत्त्वपूर्ण पहल

- **G7 हिरोशिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रक्रिया:** सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है तथा स्वैच्छिक आचार संहिताओं को प्रोत्साहित करती है।
- **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिद्धांत:** जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग, मानवाधिकारों और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र के प्रयास:** वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन ढाँचों पर चर्चा तथा विकासशील देशों की समावेशी भागीदारी पर बल।
- **साइबर सुरक्षा-विशिष्ट वैश्विक सहयोग:**
  - **नाटो सहयोगी साइबर रक्षा केंद्र:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम साइबर खतरों पर केंद्रित है।
  - **वैश्विक साइबर विशेषज्ञता मंच:** साइबर सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साइबर रक्षा सहयोग पर बढ़ता बल ।
- भारत सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है तथा साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन से निपटने के लिए कई कदम उठा चुका है:
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013) और डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम (2023)
  - नीति आयोग की राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति।

1 राजव्यवस्था एवं शासन

नया आयकर अधिनियम, 2025

आयकर अधिनियम, 2025 ने 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान ले लिया है।

प्रमुख पहलू

- नया विधि कर व्यवस्था में पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता, अनुपालन की सरलता तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है।
- इस अधिनियम में "कर वर्ष" की एकीकृत अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसे 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह माह की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे पूर्व प्रचलित वित्तीय वर्ष और निर्धारण वर्ष के बीच का अंतर समाप्त हो गया है।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु आयकर नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।
- यह सुधार मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों तथा विकसित भारत जैसे व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप है।
- इस अधिनियम ने जटिलता में उल्लेखनीय कमी की है। धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536, नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333, प्रपत्रों की संख्या 390 से घटाकर 190 कर दी गई है, जबकि अनुसूचियों का युक्तिकरण 14 से 16 तक किया गया है।
- **डिजिटल एवं अनुपालन सुधार:** अधिनियम ने डिजिटल-प्रथम ढाँचा अपनाया है, जिसके अंतर्गत ई-मेल, क्लाउड मंच तथा ऑनलाइन व्यापारिक खातों जैसे आभासी डिजिटल स्थलों को मान्यता दी गई है। इनका उपयोग तलाशी और जब्ती कार्यवाहियों में भी किया जा सकेगा।
- आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के दायरे का विस्तार करते हुए क्रिप्टो मुद्राओं तथा टोकनीकृत परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है।
  - प्रपत्र 16 के स्थान पर प्रणाली-निर्मित प्रपत्र 130, प्रपत्र 26AS के स्थान पर प्रपत्र 168 तथा एकीकृत प्रपत्र 121 लागू किया गया है।
  - प्रपत्र 15G और 15H को मिलाकर एकल प्रपत्र 121 बनाया गया है। इसके अंतर्गत सभी पात्र निवासी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा निर्दिष्ट संस्थाएँ आयु की परवाह किए बिना इस प्रपत्र का उपयोग कर सकती हैं।
- **कर प्रशासन एवं कर-परिहार निरोध:** यह अधिनियम सरकार को दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु आमने-सामने संपर्क रहित निर्धारण योजनाएँ लागू करने का अधिकार देता है। इसमें सामान्य कर-परिहार निरोध नियमों को सम्मिलित किया गया है, जो अवैध कर-परिहार व्यवस्थाओं को लक्षित करते हैं और कर प्राधिकरणों को कर लाभ अस्वीकार करने अथवा देयता का पुनर्निर्धारण करने की अनुमति देते हैं।
- स्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधानों को सरलता हेतु धारा 393 के अंतर्गत समेकित किया गया है।
- 10 लाख रुपये से अधिक की निर्दिष्ट धन प्रेषण राशियों पर स्रोत पर कर संग्रह की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।
- विदेशी परिसंपत्तियों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना, 2026 प्रारंभ की गई है।

सामान्य कर-परिहार निरोध नियम (GAAR)

- सामान्य कर-परिहार निरोध नियम ऐसे प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा केवल कर देयता घटाने के लिए कृत्रिम विधिक उपायों के उपयोग को रोकना है।
- भारत में इन्हें 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया। इनका लक्ष्य "अस्वीकार्य कर-परिहार व्यवस्थाएँ" हैं, अर्थात ऐसी व्यवस्थाएँ जिनका मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना हो।
- इन नियमों के अंतर्गत कर प्राधिकरण कर देयता का पुनर्गणना कर सकते हैं, कर लाभ अस्वीकार कर सकते हैं तथा कटौतियों एवं कर छूटों को निरस्त कर सकते हैं।

राज्यपाल का विवेकाधिकार

मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दया के माध्यम से क्षमा प्राप्ति तथा समयपूर्व रिहाई से संबंधित मामलों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है।

संविधान का अनुच्छेद 161

- अनुच्छेद 161 राज्यपाल को उन अपराधों के संबंध में क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, दंडादेश के निलम्बन तथा परिहार की शक्ति प्रदान करता है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के समान है, जो संघ स्तर पर राष्ट्रपति को समान शक्तियाँ प्रदान करता है। किंतु राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल मृत्यु-दंड को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता और न ही सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में हस्तक्षेप कर सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है।

हाल के निर्णय की मुख्य बातें

- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद से भिन्न मत नहीं अपना सकता।
- न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत की पुष्टि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक बार की जा चुकी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि म.प्र. विशेष पुलिस स्थापना बनाम मध्य प्रदेश राज्य के निर्णय का उपयोग विवेकाधिकार सिद्ध करने के लिए उचित नहीं है।

- इसके अलावा न्यायालय ने पूर्व के मुरुगन (थिरुमलाई मुरुगन) निर्णय को उस सीमा तक पर इनक्यूरियम (कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण) माना, जहाँ उसने राज्यपाल को विवेकाधिकार प्रदान किया था।

प्रमुख न्यायिक निर्णय

- शमसेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है और उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा।
- मारू राम बनाम भारत संघ में स्पष्ट किया गया कि दया शक्तियाँ व्यक्तिगत विवेकाधिकार नहीं हैं।
- ए.जी. पेरारिवलन मामला में न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल द्वारा अनावश्यक विलंब न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है तथा अनुच्छेद 142 के अंतर्गत राहत दी जा सकती है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों की तुलना

- भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले किसी विधि के विरुद्ध अपराध में दोषसिद्ध किसी भी व्यक्ति को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन या दण्डादेश के लघुकरण का अधिकार प्रदान कर सकते हैं।
- वे मृत्युदण्ड को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन या लघुकरण प्रदान कर सकते हैं। मृत्युदण्ड को पूर्णतः क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है।
- राज्यपाल मृत्युदण्ड को क्षमादान नहीं दे सकता। तथापि, राज्यपाल मृत्युदण्ड को निलंबित, परिहारित या लघुकृत कर सकता है।
- राष्ट्रपति उन मामलों में भी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें दण्ड सैन्य न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) द्वारा दिया गया हो।
- राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती।

क्षमादान शक्ति का स्वरूप

- **क्षमादानः** इसमें दोषसिद्धि और दण्ड दोनों समाप्त हो जाते हैं तथा दोषी को सभी दण्डों, सजाओं और अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
- **लघुकरणः** इसमें एक प्रकार के दण्ड के स्थान पर उससे हल्का दण्ड दिया जाता है।
- **परिहारः** इसमें दण्ड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है।
- **विरामः** इसमें किसी विशेष परिस्थिति, जैसे दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था, के कारण मूलतः दिए गए दण्ड के स्थान पर कम दण्ड दिया जाता है।
- **प्रविलंबनः** इसमें दण्ड (विशेषकर मृत्युदण्ड) के क्रियान्वयन को अस्थायी अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा स्थगित कर दी है, जिसके कारण व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ है।

FCRA का परिचय

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा संघों द्वारा विदेशी निधियों की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है।
- इसका प्रशासन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी अंशदान राष्ट्रीय हित, संप्रभुता अथवा लोक व्यवस्था को प्रभावित न करे।
- यह विधि 1976 के अधिनियम (आपातकाल काल) से विकसित होकर 2010 के अधिनियम तक पहुँचा, जिसने विनियमन और पारदर्शिता को अधिक सुदृढ़ बनाया।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - विदेशी निधि प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
  - विदेशी निधियों का उपयोग सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
  - राजनीतिक व्यक्तियों तथा कुछ लोक पदाधिकारियों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
  - संस्थाओं को पृथक बैंक खाते बनाए रखना तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- वर्ष 2020 के संशोधन द्वारा उप-अनुदान पर प्रतिबंध लगाया गया, नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्दिष्ट शाखा में खाता अनिवार्य किया गया, प्रशासनिक व्यय सीमा 20 प्रतिशत की गई, आधार की आवश्यकता जोड़ी गई तथा सरकार की शक्तियों का विस्तार किया गया।

संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधान

- विधेयक में एक "नामित प्राधिकारी" की व्यवस्था की गई है, जो पंजीकरण रद्द होने, समर्पित किए जाने अथवा समाप्त होने की स्थिति में गैर-सरकारी संगठनों की निधियों और परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा।
- इसमें परिसंपत्ति प्रबंधन का स्पष्ट ढाँचा प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत पंजीकरण की स्थिति के आधार पर परिसंपत्तियों का अंतरण, वापसी या निपटान किया जा सकेगा।
- यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन न किया जाए, आवेदन अस्वीकृत हो जाए अथवा अवधि समाप्त हो जाए, तो पंजीकरण स्वतः समाप्त माना जाएगा।
- पुनः पंजीकरण होने पर प्राधिकारी परिसंपत्तियाँ वापस कर सकता है।
- यदि संगठन निष्क्रिय हो जाए, तो प्राधिकारी स्थायी रूप से परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है तथा उन्हें सरकारी निकायों को हस्तांतरित या अन्य प्रकार से निपटान कर सकता है।
- धार्मिक संस्थाओं के मामले में प्राधिकारी संचालन का प्रबंधन कर सकेगा, किंतु उनकी धार्मिक प्रकृति को अक्षुण्ण रखना अनिवार्य होगा।

प्रमुख चिंताएँ और विवाद

- आलोचकों के अनुसार यह विधेयक शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण तथा कार्यपालिका के अतिक्रमण को बढ़ावा देता है।
- गैर-सरकारी संगठनों की स्वायत्तता में कमी की आशंका व्यक्त की गई है।

- प्रक्रियात्मक विलंब के कारण परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का जोखिम बढ़ सकता है।
- कल्याणकारी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- विपक्षी नेताओं ने अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा

शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को 'विश्वविद्यालय के समकक्ष मानी गई संस्था' (डीम्ड विश्वविद्यालय) घोषित किया है।

निर्णय के बारे में

- डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा केवल एनसीईआरटी मुख्यालय को ही नहीं, बल्कि इसकी छह क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं (RIEs) को भी कुछ शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है।

निर्णय का प्रभाव

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अब शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करने तथा डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इसमें शोध, डॉक्टरेट तथा नवोन्मेषी पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

डीम्ड विश्वविद्यालय

- विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान, जो शिक्षा के किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य कर रहे हों, उन्हें केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर 'विश्वविद्यालय के समकक्ष मानी गई संस्था' घोषित कर सकती है।
- डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित संस्थानों को विश्वविद्यालयों के समान शैक्षणिक मानक और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

प्रमुख शर्तें

- संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों तथा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप धीरे-धीरे अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों में विस्तार करना होगा।
- एनसीईआरटी को वाणिज्यिक अथवा लाभ कमाने वाली गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं होगी।
- नए कार्यक्रम, परिसर से बाहर केंद्र (Off-Campus Centres) या विदेशी परिसर (Offshore Campuses) स्थापित करने के लिए यूजीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- संस्था को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से कार्यक्रम प्रत्यायन तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से संस्थागत प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा (NIRF) में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थियों के लिए एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पहचान संख्या बनानी होगी तथा अभिलेखों को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा, ताकि वे एबीसी पोर्टल पर उपलब्ध हो सकें।

युवा संगम

युवा संगम चरण-VI (2026) के लिए पंजीकरण आयोजित किए गए हैं। इसमें 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह वर्ष 2023 में कार्यक्रम के प्रारंभ के पश्चात् से इसके निरंतर विस्तार को दर्शाता है।

युवा संगम के बारे में

- युवा संगम भारत सरकार की एक युवा आदान-प्रदान पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच आपसी संपर्क को सुदृढ़ करना है।
- यह एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जाता है तथा इसकी परिकल्पना शिक्षा मंत्रालय ने अनेक मंत्रालयों के सहयोग से की थी।
- यह कार्यक्रम काशी तमिल संगमम् के आदर्श से प्रेरित है, जो सांस्कृतिक एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB)

- EBSB को 31 अक्टूबर 2015 (राष्ट्रीय एकता दिवस) को, राज्यों के बीच व्यवस्थित जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
- यह संस्कृति, भाषा, पर्यटन और ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में निरंतर संवाद के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में जोड़ता है।

सहभागिता और क्रियान्वयन

- यह कार्यक्रम 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है, जिनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, नेहरू युवा केंद्र संगठन के सदस्य तथा युवा पेशेवर शामिल हैं।
- प्रतिभागी संबद्ध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्थागत परिचय यात्राएँ करते हैं, जहाँ वे स्थानीय समुदायों, संस्थानों तथा विकास पहलों से परिचित होते हैं।
- इस कार्यक्रम का संचालन शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। इसमें शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और युवा कार्य जैसे क्षेत्रों की सहभागिता के साथ समग्र शासन दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

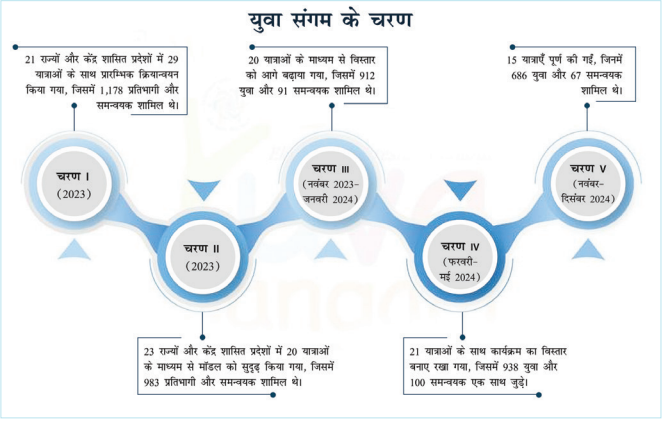

रूपरेखा और दृष्टिकोण

- यह कार्यक्रम '5P' रूपरेखा द्वारा संचालित होता है, जो अधिगम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रमुख आयामों के आधार पर सहभागिता को व्यवस्थित करती है।

युवा संगम के पाँच विषयगत स्तंभ

महत्त्व

- युवा संगम अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है तथा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को समर्थन प्रदान करता है।
- यह जागरूक, उत्तरदायी और परस्पर जुड़े युवा समुदाय के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बिना किसी समय-सीमा के कार्यपालिका का पद

भारत में परंपरागत रूप से राष्ट्रपति को दो कार्यकाल तक सीमित रखने की प्रथा है, किन्तु भारतीय संविधान प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं करता।

कार्यपालिका के कार्यकाल को सीमित करना

- कार्यपालिका के पद पर बने रहने की अवधि अथवा कार्यकालों की संख्या पर संवैधानिक या विधिक सीमा निर्धारित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि नेतृत्व में समय-समय पर परिवर्तन होता रहे, ताकि कोई एक व्यक्ति अनिश्चितकाल तक सत्ता में न बना रहे।
- **वैश्विक उदाहरण:** यह व्यवस्था सामान्यत: राष्ट्रपति शासन प्रणालियों में पाई जाती है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, कोलंबिया और इंडोनेशिया में राष्ट्रपति के कार्यकाल पर सीमा निर्धारित है।

ऐसे प्रतिबंध के विरुद्ध तर्क

- **संसदीय उत्तरदायित्व:** प्रधानमंत्री को निरंतर लोकसभा के बहुमत का समर्थन बनाए रखना होता है, इसलिए वे लगातार उत्तरदायी रहते हैं।
- **लोकतांत्रिक विकल्प:** कार्यकाल सीमा के कारण ऐसे प्रभावी नेता को पद छोड़ना पड़ सकता है, जिसे मतदाता पद पर बनाए रखना चाहते हों।
- **नीतिगत निरंतरता:** दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजनाओं और सुधारों के लिए स्थिर नेतृत्व लाभकारी होता है।
- **स्थिरता संबंधी जोखिम:** बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **विद्यमान नियंत्रण तंत्र:** चुनाव, अविश्वास प्रस्ताव तथा न्यायिक पर्यवेक्षण पहले से ही उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं।
- **प्रणाली की उपयुक्तता:** कार्यकाल सीमा राष्ट्रपति शासन प्रणाली में अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जहाँ शक्ति एक व्यक्ति में अधिक केंद्रित होती है; संसदीय प्रणाली में इसकी आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है।
- **अनुभव की हानि:** अनुभवी नेताओं को समय से पूर्व पद छोड़ना पड़ सकता है।

ऐसे प्रतिबंध के पक्ष में तर्क

- **शक्ति का केंद्रीकरण रोकना:** यह किसी एक व्यक्ति के हाथों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित होने के जोखिम को कम करता है।
- **निरंकुश प्रवृत्तियों पर नियंत्रण:** लंबे और निर्बाध शासन के दौरान लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण की संभावना को सीमित करता है।
- **नए नेतृत्व को प्रोत्साहन:** यह नए विचारों को अवसर देता है तथा राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करता है।
- **लोकतांत्रिक संस्कृति का सुदृढ़ीकरण:** यह सिद्धांत स्थापित करता है कि कोई भी पद स्थायी नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिलता है।
- **वैश्विक अनुरूपता:** यह अन्य प्रमुख लोकतंत्रों की प्रथाओं के अनुरूप उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है।
- **संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा:** दीर्घ कार्यकाल के कारण स्वतंत्र संस्थाओं पर अनुचित प्रभाव या नियंत्रण स्थापित होने की संभावना को कम करता है।

निष्कर्ष

भीमराव अंबेडकर ने कार्यपालिका की उत्तरदायित्व व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया था-

- **दैनिक मूल्यांकन:** संसदीय प्रस्तावों के माध्यम से।
- **आवधिक मूल्यांकन:** चुनावों के माध्यम से। ये दोनों व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका और जनता, दोनों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

भारत ट्राइब्स उत्सव 2026

भारत ट्राइब्स उत्सव 2026 का हाल ही में समापन हुआ।

परिचय

- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के सहयोग से किया गया।
- 19 दिनों तक चले इस उत्सव में देशभर के जनजातीय शिल्पकारों, उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत की विविध जनजातीय विरासत और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।
- मृद्भांड निर्माण, बेंत एवं बाँस शिल्प, आभूषण, व्यंजन, वस्त्र तथा वन-आधारित उत्पादों सहित दस श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजातीय शिल्पकारों और विक्रेताओं को सम्मानित किया गया।
- इस उत्सव के प्रमुख आकर्षणों में रीसा मंडप, जो समकालीन जनजातीय अभिकल्पना को प्रोत्साहित करता है, तथा भारत ट्राइब्स बाजार शामिल थे, जिनका उद्देश्य विपणन संबंधों को सुदृढ़ करना था।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन की गई थी। यह जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है।

दायित्व और उद्देश्य	विपणन और सहायता
• लघु वनोपज तथा अधिशेष कृषि उपज के व्यापार को सुगम बनाना। • स्वयं सहायता समूहों का गठन करना। • आधुनिक प्रौद्योगिकी और कलात्मक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उत्पाद वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें। • लक्षित समूहों की पहचान करना और गतिविधियों की निगरानी करना, जिससे स्थायी आजीविका सुनिश्चित हो सके।	• 'ट्राइब्स इंडिया' नामक ब्रांड के अंतर्गत खुदरा विक्रय केंद्रों, इलेक्ट्रॉनिक विपणन तथा आदिशिल्प और ऑक्टेव जैसे प्रदर्शनों के माध्यम से उत्पादों का विपणन करना। • लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का क्रियान्वयन करना, जिससे जनजातीय संग्राहकों और उत्पादकों को उचित प्रतिफल प्राप्त हो सके।

कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यचर्या

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कक्षा 3 से 8 तक के लिए सीबीएसई की कम्प्यूटेशनल थिंकिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यचर्या का शुभारंभ किया है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा।

पाठ्यचर्या का परिचय

- यह पाठ्यचर्या कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को एक अंतरविषयी कौशल के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे गणित, विज्ञान, भाषाओं तथा सामाजिक विज्ञान में समेकित किया जाएगा।
- **कक्षा 3 से 5:** इन कक्षाओं में अधिगम बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के गतिविधियों के माध्यम से कराया जाएगा, जैसे-पहेलियाँ, प्रतिरूपों की पहचान, तार्किक चिंतन आदि।
- **कक्षा 6 से 8:** इन कक्षाओं में निम्न विषय शामिल होंगे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल अवधारणाएँ, परियोजना-आधारित अधिगम, चिंतनात्मक मूल्यांकन आदि। इनके लिए डिजिटल साधनों की आवश्यकता होगी।

कम्प्यूटेशनल थिंकिंग की अवधारणा

- कम्प्यूटेशनल थिंकिंग समस्या-समाधान का एक व्यवस्थित तरीका है, जिसमें समस्या को छोटे हिस्सों में बाँटना (decomposition), पैटर्न पहचानना, अमूर्त सोच (abstraction) और एल्गोरिद्मिक सोच शामिल होती है।
- यह भाषा की मजबूत क्षमताओं (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) पर निर्भर करता है, क्योंकि समस्या-समाधान के लिए स्पष्ट समझ और उसे व्यक्त करने की क्षमता जरूरी होती है।

उद्देश्य

- इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य छात्रों में तार्किक सोच, समस्या-समाधान की क्षमता, डिजिटल साक्षरता और AI के इस्तेमाल के प्रति नैतिक जागरूकता विकसित करना है।
- यह छात्रों को AI तकनीकों का जानकार उपयोगकर्ता बनने के लिए तैयार करता है और भारत को सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे देशों में अपनाए जा रहे वैश्विक तरीकों के साथ जोड़ता है।
- यह पाठ्यक्रम AI-आधारित नवाचार के लिए एक संज्ञानात्मक आधार तैयार करता है और डिजिटल रूप से कुशल व भविष्य के लिए तैयार आबादी के दृष्टिकोण को समर्थन देता है।

चुनौतियाँ

- बुनियादी कमियाँ अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि कक्षा 5 के 50% से ज्यादा छात्र कक्षा 2 के स्तर का पाठ भी नहीं पढ़ पाते (ASER 2024)।
- परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, जिसमें 88,000 स्कूलों के 23 लाख छात्रों को शामिल किया गया, शहरी स्कूलों में भी सीखने की कमियों को उजागर करता है।
- इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और पर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।

नमो ड्रोन दीदी स्कीम

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 1,094 स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को ड्रोन चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

योजना का परिचय

- नमो ड्रोन दीदी योजना 1,261 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएँगे, ताकि वे किराये पर कृषि सेवाएँ प्रदान कर सकें, विशेष रूप से उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए।
- इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है-
  - सूक्ष्म कृषि को बढ़ावा देना।
  - फसल उत्पादकता में वृद्धि करना।
  - ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करना।

प्रशिक्षण

- प्रत्येक चयनित स्वयं सहायता समूह से एक सदस्य को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इस प्रशिक्षण में शामिल हैं-
  - 5 दिन का ड्रोन संचालन प्रशिक्षण।

- 10 दिन का पोषक तत्त्वों और कीटनाशकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण।
- यह प्रशिक्षण महिलाओं को प्रमाणित ड्रोन चालक बनाता है, जिससे वे पेशेवर कृषि सेवाएँ प्रदान कर सकें।

- **क्रियान्वयन:** इस योजना का क्रियान्वयन निम्न संस्थाओं के समन्वय से किया जाता है-
  - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
  - ग्रामीण विकास विभाग
  - उर्वरक विभाग
  - प्रमुख उर्वरक कंपनियाँ।

दो नई रिपॉजिटरी

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दो नई संस्थाओं को नामित रिपॉजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है।

परिचय

- **नई रिपॉजिटरी**
  - रेफरल केंद्र भवसागर - समुद्री जीवित संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, कोच्चि में स्थित।
  - सूक्ष्मजीव संग्रह तथा राष्ट्रीय कवक संवर्धन संग्रह - आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे में स्थित।
- **भूमिका और दायित्व:**
  - जैव विविधता अधिनियम, 2002 केंद्र सरकार को विभिन्न प्रकार के जैव संसाधनों के संरक्षण हेतु विशिष्ट संस्थानों को नामित रिपॉजिटरी घोषित करने का अधिकार देता है।
  - ये रिपॉजिटरी जैविक सामग्री को वैज्ञानिक परिस्थितियों में सुरक्षित रखते हैं।
  - किसी नए वर्गक (जीवों के एक या अधिक समूहों का वैज्ञानिक वर्ग) की खोज करने वाले व्यक्ति के लिए इन नामित रिपॉजिटरी को इसकी सूचना देना विधिक रूप से अनिवार्य है।

राष्ट्रीय रिपॉजिटरी तंत्र

- इन दो नई रिपॉजिटरी के जुड़ने के पश्चात् अब धारा 39 के अंतर्गत कुल 18 संस्थाएँ राष्ट्रीय रिपॉजिटरी के रूप में नामित हैं।
- यह विस्तार जैव विविधता के व्यवस्थित अभिलेखीकरण और संरक्षण को सुदृढ़ करता है तथा अनुसंधान और नवाचार के लिए जैविक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
- यह भारत सरकार को निम्न विषयों पर सहायक, नियामक और परामर्श संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है-
  - जैव विविधता का संरक्षण
  - जैव संसाधनों का सतत् उपयोग
  - जैव संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और समतामूलक बँटवारा
  - पूरक संस्थाएँ
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा जैव विविधता नियम, 2004 के अंतर्गत निम्न संस्थाएँ स्थापित की गई हैं-
  - राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड।
  - स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।

विश्व असमानता लैब रिपोर्ट

विश्व असमानता लैब द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना के आँकड़ों का उपयोग करते हुए भूमि असमानता का विश्लेषण किया गया है। इसमें लगभग 65 करोड़ लोगों, 2.7 लाख गाँवों तथा 10 राज्यों के आँकड़े सम्मिलित हैं, जो ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 75 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- ग्रामीण परिवारों के शीर्ष 10 प्रतिशत के पास 44 प्रतिशत भूमि है, शीर्ष 5 प्रतिशत के पास 32 प्रतिशत भूमि है, तथा शीर्ष 1 प्रतिशत के पास 18 प्रतिशत भूमि है। यह भूमि स्वामित्व के अत्यधिक संकेन्द्रण को दर्शाता है।
- लगभग 46 प्रतिशत ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं, जो व्यापक बहिष्करण को प्रदर्शित करता है।
- किसी गाँव में सबसे बड़े भूमिधर के पास औसतन 12.4 प्रतिशत भूमि होती है, तथा 3.8 प्रतिशत गाँवों में एक ही स्वामी के नियंत्रण में 50 प्रतिशत से अधिक भूमि है।
- भूमि असमानता अत्यधिक है। ग्राम-स्तरीय गिनी गुणांक लगभग 71.1 है। केरल में सर्वाधिक असमानता (लगभग 90) है, जबकि कर्नाटक और राजस्थान में अपेक्षाकृत कम असमानता (65 से कम) पाई गई।
- भूमिहीनता पंजाब में सर्वाधिक (73 प्रतिशत) है, इसके पश्चात् बिहार (59 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (51 प्रतिशत) का स्थान है। राजस्थान (34 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (39 प्रतिशत) में यह अपेक्षाकृत कम है।

भूमि स्वामित्व के निर्धारक

- प्राकृतिक कारक, जैसे उपजाऊ भूमि और उच्च कृषि उत्पादकता, बड़े भूमिधरों द्वारा भूमि संचय को प्रोत्साहित करते हैं।
- ऐतिहासिक कारक, विशेषकर जमींदारी व्यवस्था, ने भू-स्वामी प्रभुत्व को जन्म दिया, जबकि पूर्व रियासतों में अपेक्षाकृत कम असमानता पाई जाती है।
- बाजार शक्तियाँ, जैसे सड़कों, रेलमार्गों, मंडियों तथा वित्तीय संस्थानों की निकटता, भूमि के संकेन्द्रण को बढ़ाती हैं। जिन गाँवों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है, वहाँ असमानता अधिक पाई जाती है।
- उत्तराधिकार संबंधी नियमों तथा संकट की स्थिति में भूमि विक्रय के कारण छोटे जोतों का विखंडन होता है, जिससे भूमि का संकेन्द्रण और बढ़ता है।

विधिक एवं नीतिगत उपाय

- भारत में जमींदारी उन्मूलन, बटाईदारी सुधार (जैसे ऑपरेशन बर्गा), भूमि सीमा विधि तथा जोतों के एकीकरण जैसे उपाय लागू किए गए, ताकि भूमि का पुनर्वितरण हो सके और दक्षता बढ़े।
- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। कर्नाटक की 'भूमि' परियोजना जैसी पहलें पारदर्शिता बढ़ाने और विवाद कम करने में सहायक हैं।

असमानता कम करने हेतु उठाए गए कदम

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के माध्यम से वन-आश्रित समुदायों तथा जनजातीय आबादी के भूमि अधिकारों को मान्यता दी गई, जिससे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास किया गया।
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 भूमि अधिग्रहण की स्थिति में उचित प्रतिकर तथा पुनर्वास सुनिश्चित करता है।
- भूदान और ग्रामदान आंदोलनों (1951) ने स्वैच्छिक भूमि पुनर्वितरण को प्रोत्साहित किया।

चुनौतियाँ

- भूमि सुधारों को भूमिधर अभिजात वर्ग के प्रतिरोध, अप्रभावी क्रियान्वयन, बेनामी प्रथाओं, अपूर्ण बटाईदारी सुधारों, कमजोर भूमि अभिलेखों तथा जाति-आधारित बहिष्करण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- भूमि राज्य सूची का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जिससे समान परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते।

निष्कर्ष

- भारत में भूमि असमानता गहराई से संरचनात्मक है, जिसमें एक ओर अत्यधिक भूमि संकेन्द्रण है और दूसरी ओर व्यापक भूमिहीनता।
- न्यायसंगत ग्रामीण विकास के लिए समावेशी, प्रभावी और सतत् भूमि सुधारों की आवश्यकता है।

पशु आहार का विनियमन

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी उस विनियमन को निरस्त कर दिया, जिसमें दुग्ध उत्पादक पशुओं के लिए गोवंशीय अथवा सूअर मूल के मांस या अस्थि चूर्ण युक्त पशु आहार पर प्रतिबंध लगाया गया था।

न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने कहा कि एफएसएसएआई का अधिकार-क्षेत्र केवल मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों तक सीमित है।
- अतः यह प्राधिकरण पशु आहार के लिए मानक निर्धारित नहीं कर सकता, भले ही उसका प्रभाव दूध और मांस जैसे पशु-उत्पादों की गुणवत्ता पर पड़ता हो।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

- **स्थापना:** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित; मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक आधार पर मानक निर्धारित करना तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय का विनियमन करना, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध हो।
- **प्रवर्तन:** प्राधिकरण तथा राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण पूरे देश में अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन करते हैं।

विधायिकाओं में महिलाओं का आरक्षण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बल दिया है कि विधायिकाओं में महिलाओं का आरक्षण भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार वर्ष 2029 के चुनावों से पूर्व नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को शीघ्र लागू करने पर विचार कर रही है।

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति

- लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्ष 2004 तक 5 से 10 प्रतिशत के बीच रहा।
- वर्ष 2014 में यह बढ़कर 12 प्रतिशत हुआ। अठारहवीं लोकसभा में यह लगभग 14 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 24 प्रतिशत से कम है।
- राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 9 प्रतिशत है।
- अंतर-संसदीय संघ (2024) के अनुसार भारत का वैश्विक स्थान 143वाँ है।

भारत में आरक्षण का ढाँचा

- तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तथा चौहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- यह अधिनियम संविधान में अनुच्छेद 330A, 332A तथा अनुच्छेद 239AA में संशोधन करता है।
  - **अनुच्छेद 330A:** लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण।
  - **अनुच्छेद 332A:** राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण।
  - **अनुच्छेद 239AA में संशोधन:** दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण।
- आरक्षण का क्रियान्वयन अधिनियम लागू होने के पश्चात् आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन के पश्चात् किया जाएगा।
- आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम प्रत्येक परिसीमन के पश्चात् संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण

- लैंगिक पूर्वाग्रह
- सामाजिक अपेक्षाएँ
- कार्य और पारिवारिक दायित्वों का दबाव
- उत्पीड़न एवं असुरक्षा
- राजनीतिक संपर्कों तक सीमित पहुँच

महत्त्व

- **महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा:** निर्णय-निर्माण में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी उनके वास्तविक सशक्तिकरण को सुदृढ़ करती है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती:** इससे भारतीय लोकतंत्र अधिक समावेशी, सहभागी और उत्तरदायी बनता है।
- **विधायी प्रभावशीलता में वृद्धि:** विविध दृष्टिकोणों के कारण नीतिनिर्माण और निर्णय अधिक संतुलित एवं प्रभावी होते हैं।
- **वास्तविक समानता की स्थापना:** यह राजनीति में महिलाओं के दीर्घकालिक अल्प-प्रतिनिधित्व को कम करने में सहायक है।

निष्कर्ष

- महिलाओं का आरक्षण एक संरचनात्मक सुधार है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करता है तथा अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक शासन सुनिश्चित करता है।

सिंधी भाषा में भारत का संविधान

सिंधी भाषा दिवस (10 अप्रैल, 2026) के अवसर पर सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में सिंधी भाषा में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- द्वि-लिपि प्रकाशन
- इस अनुवाद को दो लिपियों में प्रकाशित किया गया है-
  - देवनागरी लिपि (प्रथम संस्करण)
  - फारसी लिपि (द्वितीय संस्करण)

महत्त्व

- सिंधी एक हिन्द-आर्य भाषा समूह की भाषा है।
- इसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा में वेदांत तथा सूफी दर्शन का सुंदर समन्वय मिलता है।

संवैधानिक स्थिति

- सिंधी भारत के संविधान की इक्कीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा जोड़ी गई भाषाओं में से एक है।
- यह संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है।

संविधान की मूल भाषा

- भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रारूपित किया गया था।
- घनश्याम दास गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसका आधिकारिक हिन्दी अनुवाद तैयार किया।
- अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों संस्करणों पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
- दोनों संस्करण 24 जनवरी, 1950 को प्रस्तुत किए गए थे।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA)

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) के भारत क्षेत्र के जोन -7 का सम्मेलन हाल ही में गोवा में सम्पन्न हुआ।

परिचय

- इसकी स्थापना वर्ष 1911 में 'एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन' के रूप में हुई थी। उपनिवेशवाद की समाप्ति के पश्चात् वर्ष 1948 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ रखा गया।
- यह राष्ट्रमंडल की सबसे प्राचीन संस्थाओं में से एक है।

उद्देश्य

- संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।
- सुशासन को बढ़ावा देना।
- विधि के शासन की स्थापना।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा।
- युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

संरचना

- यह नौ भौगोलिक क्षेत्रों में फैली 180 से अधिक विधायिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है।
- इसकी सदस्यता संस्थागत होती है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, प्रांतीय तथा क्षेत्रीय संसदें सम्मिलित होती हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था

- महासभा इसकी सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है।
- कार्यकारी समिति प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है।
- इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ: भारत क्षेत्र

- **परिचय:** भारत क्षेत्र में कुल 32 विधायिकाएँ सम्मिलित हैं। अफ्रीका के पश्चात् भारत में इस संघ की सदस्य शाखाओं की संख्या सर्वाधिक है।
- **नेतृत्व एवं सचिवालय:**
  - लोकसभा के अध्यक्ष भारत क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं।
  - इसका सचिवालय भारतीय संसद परिसर में लोकसभा के अंतर्गत स्थित है।

- **प्रशासनिक क्षेत्र:**
  - **क्षेत्र 1:** उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
  - **क्षेत्र 2:** दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब।
  - **क्षेत्र 3:** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
  - **क्षेत्र 4:** ओडिशा, पश्चिम बंगाल
  - **क्षेत्र 5:** बिहार, झारखंड
  - **क्षेत्र 6:** छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान
  - **क्षेत्र 7:** गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र
  - **क्षेत्र 8:** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना
  - **क्षेत्र 9:** केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु

व्हिप

हाल ही में सत्तारूढ़ दल ने अपने सांसदों को विस्तारित बजट सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-पंक्ति व्हिप जारी किया।

व्हिप क्या है?

- व्हिप किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सांसदों या विधायकों को जारी किया गया निर्देश होता है, जिसके माध्यम से उन्हें किसी विशेष विषय पर दल की आधिकारिक नीति के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है
- **उत्पत्ति:** 'व्हिप' शब्द ब्रिटिश संसदीय परंपरा से लिया गया है। इसका आशय दल के सदस्यों को दल की निर्धारित नीति के अनुसार चलने के लिए सुनिश्चित करना है।
- **संवैधानिक स्थिति:** व्हिप का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। यह एक संसदीय परंपरा है।
- **प्रवर्तन:** व्हिप की अवहेलना करने पर सांसद या विधायक को दल-बदल विरोधी विधि के अंतर्गत सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- **मुख्य व्हिप:** प्रत्येक राजनीतिक दल अपने संसदीय दल में से एक वरिष्ठ सदस्य को मुख्य व्हिप नियुक्त करता है। मुख्य व्हिप की सहायता के लिए अतिरिक्त व्हिप भी नियुक्त किए जाते हैं।

व्हिप (Whips)	
प्रकार	**महत्त्व**
एक-पंक्ति व्हिप: सदस्यों को मतदान की सूचना दी जाती है। अनुपस्थित रहने या मतदान से विरत रहने की अनुमति होती है।	**अनुशासन बनाए रखना:** महत्त्वपूर्ण मतदान के समय दल की एकता और उपस्थिति सुनिश्चित करता है।
दो-पंक्ति व्हिप: सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। परंतु किस प्रकार मतदान करना है, यह अनिवार्य नहीं होता।	**संचार का माध्यम:** दल के नेतृत्व और सांसदों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
तीन-पंक्ति व्हिप: यह सबसे कठोर प्रकार का व्हिप है। सदन में उपस्थिति अनिवार्य होती है। सदस्यों को दल के निर्देशानुसार ही मतदान करना होता है।	**प्रतिक्रिया प्राप्त करना:** महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों की राय जानने में नेतृत्व की सहायता करता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III)

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मार्च 2025 के पश्चात् बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक जारी रखने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए कुल परिव्यय को 80,250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपये किया गया है, ताकि लंबित ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

PMGSY का परिचय

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इसका उद्देश्य असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सर्व-ऋतु सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विकास

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (2000)
- असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने पर केंद्रित।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II (2013)
- विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर केंद्रित।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (2016)
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुदृढ़ करने हेतु।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (2019)
- ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और एकीकरण पर केंद्रित।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (2024-25 से 2028-29)
- 25,000 नई पात्र बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के विस्तार की प्रमुख विशेषताएँ

- **पूर्णता की समय-सीमा भू-भाग की प्रकृति के आधार पर बढ़ाई गई है:**
  - **समतल क्षेत्र:** सड़कों और पुलों का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा किया जाएगा।
  - **पर्वतीय क्षेत्र:** तकनीकी चुनौतियों के कारण सड़कों का निर्माण मार्च 2028 तक तथा पुलों का निर्माण मार्च 2029 तक पूरा किया जाएगा।
- 31 मार्च 2025 से पूर्व स्वीकृत लेकिन अभी तक आवंटित न की गई परियोजनाओं को अब निविदा प्रक्रिया और कार्यान्वयन के लिए अनुमति दी गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 161 लंबी अवधि वाले पुलों (LSBs) को 961 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृति प्रदान की है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के उद्देश्य:** यह योजना मुख्य संपर्क मार्गों और प्रमुख ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित तक संपर्क में सुधार करना है:
  - ग्रामीण कृषि बाजार
  - उच्च माध्यमिक विद्यालय
  - स्वास्थ्य सुविधाएँ

महत्त्व

- बाजारों तक पहुँच में सुधार होगा।
- परिवहन लागत में कमी आएगी।
- विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर होगी।
- समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की विकासात्मक खाई कम होगी।
- विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में सहायता मिलेगी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का त्यागपत्र

हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ने भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया।

परिचय

- भारत में एकल (एकीकृत) न्यायिक व्यवस्था है, जो पूरे देश में विधि की एकरूप व्याख्या सुनिश्चित करती है।
  - न्यायपालिका की संरचना
  - भारत का उच्चतम न्यायालय – अनुच्छेद 124 से 147
  - उच्च न्यायालय – अनुच्छेद 214 से 231
  - अधीनस्थ न्यायालय – अनुच्छेद 233 से 237

भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताएँ

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता (संविधान की मूल संरचना का भाग)
- न्यायिक पुनर्विलोकन
- शक्तियों का पृथक्करण
- विधि का शासन।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद

- अनुच्छेद 214 – राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- अनुच्छेद 216 – उच्च न्यायालय का गठन
- अनुच्छेद 217 – नियुक्ति तथा पद की शर्तें
- अनुच्छेद 218 – पद से हटाने संबंधी प्रावधानों का अनुप्रयोग
- अनुच्छेद 219 – शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 220 से 224 – अन्य प्रावधान

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- **अनुच्छेद 217(1):** राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श के पश्चात् न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं-
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश
  - संबंधित राज्य के राज्यपाल
  - संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- **योग्यताएँ:**
  - भारत का नागरिक होना।
  - कम-से-कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो; अथवा
  - किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
- **कार्यकाल:** 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
- **शपथ या प्रतिज्ञान:** अनुच्छेद 219 के अनुसार न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। इसमें संविधान के प्रति निष्ठा तथा भय या पक्षपात के बिना कर्त्तव्यों के पालन का संकल्प शामिल होता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया

- **आधार:** सिद्ध कदाचार, अक्षमता
- **प्रक्रिया:** संसद के किसी भी सदन में इससे सम्बंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।
- **प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है:**
  - सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत;
  - तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन।
  - इसके पश्चात् राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाता है।
  - राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।
- **त्यागपत्र:** उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है।

बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली

भारत मौसम विज्ञान विभाग को बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली (MHEW-DSS) के विकास के लिए वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है

परिचय

- एमएचईडब्ल्यू-डीएसएस एक उन्नत डिजिटल मंच है, जो मौसम पूर्वानुमान, जोखिम आकलन तथा चेतावनी प्रसार की प्रक्रिया को स्वचालित करता है।
- यह नागरिकों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा विशिष्ट हितधारकों के लिए उपयोगी है।
- इस प्रणाली का शुभारंभ जनवरी 2024 में मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया।
- इसका विकास भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी आंतरिक विशेषज्ञता और मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वदेशी रूप से किया।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस पहल का नोडल मंत्रालय है।

कार्यप्रणाली

- यह मंच उपग्रहों, रडारों तथा सतही एवं उच्च-वायुमंडलीय संवेदकों से प्राप्त वास्तविक समय के आँकड़ों को एक केंद्रीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली-सक्षम तंत्र में एकीकृत करता है।
- इससे स्थानिक विश्लेषण और दृश्यांकन संभव होता है।
- यह मैनुअल प्रक्रियाओं के स्थान पर एक स्वचालित समेकित प्रणाली प्रदान करता है।
- परिणामस्वरूप मौसम संबंधी जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार अधिक तीव्र गति से होता है।

प्रमुख विशेषताएँ और प्रदर्शन में सुधार

- **आँकड़ा स्वचालन:** 90 प्रतिशत से अधिक आँकड़ा प्रसंस्करण (संग्रह, गुणवत्ता परीक्षण और एकीकरण) स्वचालित है।
- **मॉडल एकीकरण:** 95 प्रतिशत से अधिक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल इनपुट का उपयोग किया जाता है।
- **प्रणाली पुनर्रचना:** पूर्वानुमान प्रक्रिया को वास्तविक समय चेतावनी और त्वरित निर्णय के लिए पूर्णत: पुनर्गठित किया गया है।
- **अग्रिम समय:** पूर्वानुमान अवधि 5 दिनों से बढ़कर 7 दिन हो गई है।
- **गति:** पूर्वानुमान तैयार करने का समय 6 घंटे से घटकर लगभग 3 घंटे रह गया है।
- **सटीकता:** पूर्वानुमान की सटीकता में लगभग 30 प्रतिशत सुधार हुआ है।

महत्त्व

- चक्रवात, बाढ़ और लू जैसी आपदाओं के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करता है। वास्तविक समय आधारित समेकित सूचना के माध्यम से निर्णय-निर्माण में सुधार करता है।
- जन-धन की हानि को कम कर सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
- प्रौद्योगिकी-आधारित शासन और वैज्ञानिक पूर्वानुमान प्रणाली की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

- MHEW-DSS स्वचालन, वास्तविक समय आँकड़ा एकीकरण और उन्नत मॉडलिंग को संयोजित कर भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को नई ऊँचाई प्रदान करता है। इससे आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता दोनों सुदृढ़ होते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग

- **स्थापना:** 1875
- वर्ष 2025 में इसने 150 वर्ष पूर्ण किए।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र
- भारत उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र है और चक्रवातों की निगरानी तथा नामकरण के लिए उत्तरदायी है।

मिशन मौसम

- यह व्यापक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत एमएचईडब्ल्यू-डीएसएस का विकास किया गया।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई रूपरेखा (2015-2030)
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई रूपरेखा एक गैर-बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे 18 मार्च 2015 को सेंदाई, जापान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया।
- यह 2015 से 2030 तक की अवधि के लिए आपदा जोखिम को कम करने, आपदा-रोधी क्षमता विकसित करने और विकास उपलब्धियों की रक्षा हेतु वैश्विक मार्गदर्शक रूपरेखा है।

संविधान संशोधन विधेयक

लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार-विमर्श हुआ। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत की जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आकार तथा संरचना में वृद्धि करना था।

संवैधानिक संशोधन

- संशोधन एक विधायी प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन, नवीन प्रावधानों का समावेश अथवा किसी प्रावधान का निरसन किया जाता है।
- अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।
- यह प्रक्रिया लचीलेपन और कठोरता का समन्वय है, जिससे संविधान एक गतिशील दस्तावेज बना रहता है।
- किंतु संसद संविधान की "मूल संरचना" को परिवर्तित नहीं कर सकती, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय, 1973 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया।

संविधान संशोधन की प्रक्रियाएँ

संविधान में संशोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं।

- **साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 के बाहर):** उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है।
- **यह प्रक्रिया निम्न विषयों पर लागू होती है:**
  - अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
  - नागरिकता से संबंधित प्रावधान
  - पाँचवीं अनुसूची के विषय
- **विशेष बहुमत (अनुच्छेद 368):** प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों जैसे विषयों पर लागू होती है।

- **विशेष बहुमत तथा राज्यों की पुष्टि:** संघीय ढाँचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।
- **उदाहरण:**
  - राष्ट्रपति का निर्वाचन
  - सातवीं अनुसूची
- **राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व:** संसद में विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात् कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होता है।

चरणबद्ध प्रक्रिया

- विधेयक लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती।
- दोनों सदनों में पृथक-पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
- साधारण विधेयकों के विपरीत, मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
- यदि विधेयक संघीय प्रावधानों से संबंधित है, तो इसे राज्यों की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।
- संसद तथा आवश्यक होने पर राज्यों से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
- 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात् राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है।

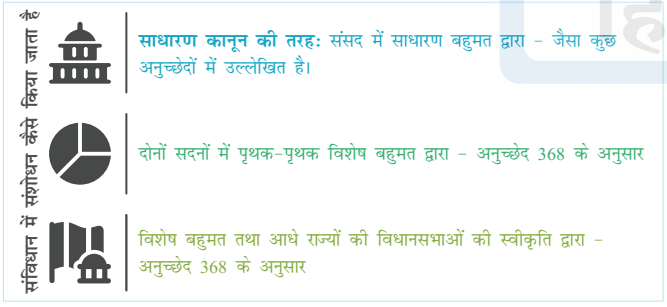

चुनौतियाँ

- खंडित राजनीतिक परिदृश्य में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना कठिन होता है।
- शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण की आशंका।
- परिसीमन के कारण क्षेत्रीय असंतुलन की संभावना।
- मूल संरचना के आधार पर न्यायिक परीक्षण की संभावना।

महत्त्व

- सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप संविधान को अद्यतन बनाए रखता है।
- महिलाओं के आरक्षण जैसे सामाजिक न्याय संबंधी सुधारों को संभव बनाता है।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

- संविधान संशोधन की प्रक्रिया शासन के आधुनिकीकरण और संवैधानिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करती है।
- भविष्य के सुधारों में राज्यों और विपक्ष के साथ व्यापक सहमति बनाना आवश्यक है, ताकि संघीय संतुलन तथा संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण तथा चिकित्सा अभ्यास हेतु अनुज्ञप्ति विनियम, 2026 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करते हुए चिकित्सा शिक्षा की क्षमता का विस्तार करना है।

एनएमसी का परिचय

- एनएमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा संस्थानों का सर्वोच्च वैधानिक नियामक है।
- इसकी स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत की गई और यह 25 सितंबर 2020 से कार्यरत है।
- इसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में शासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

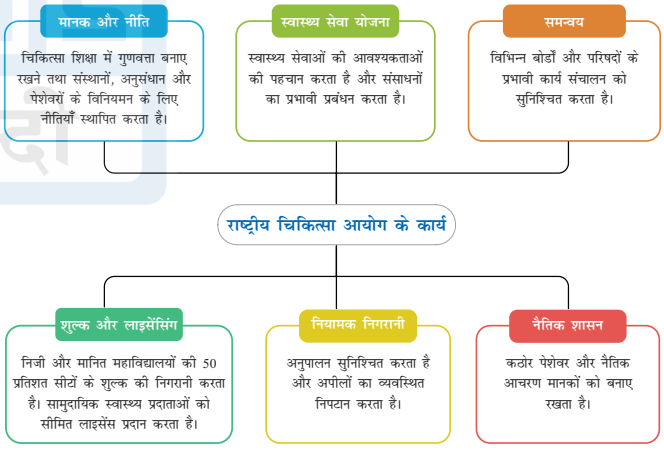

संरचना

- आयोग में एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- **चार स्वायत्त बोर्ड**
  - स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (UGMEB)
  - स्नातक चिकित्सा शिक्षा का विनियमन करता है।
  - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (PGMEB)
  - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का विनियमन करता है।
  - चिकित्सा मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण बोर्ड (MARB)
  - संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है।
  - आचार एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (EMRB)

- राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का संधारण करता है और व्यावसायिक नैतिकता की निगरानी करता है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- **शासन संबंधी अंतराल:**
  - आयोग की संरचना में चिकित्सा पेशेवरों का प्रभुत्व है।
  - लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व सीमित है।
- **शिकायत निवारण प्रणाली:**
  - अपील की व्यवस्था प्रभावी रूप से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों तक सीमित है।
  - इससे रोगियों की भागीदारी कम हो जाती है।
- **शुल्क विनियमन:**
  - निजी महाविद्यालयों की केवल 50% सीटों पर शुल्क नियंत्रण लागू है।
  - शेष सीटों पर अत्यधिक शुल्क वसूले जाने की संभावना बनी रहती है।
- **नैतिक पर्यवेक्षण:** स्पष्ट समय-सीमा और न्यायिक विशेषज्ञता का अभाव निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर:** इसका अद्यतन धीमी गति से हो रहा है। इससे अप्रमाणित या अयोग्य चिकित्सकों के पंजीकरण का जोखिम उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग चिकित्सा शासन में एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधार है, किंतु भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व, समावेशन और प्रभावी विनियमन से संबंधित चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

अर्बन चैलेंज फंड (UCF)

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में शहरी चुनौती कोष तथा ऋण पुनर्भुगतान गारंटी उप-योजना के परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परिचय

- शहरी चुनौती कोष एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बड़े पैमाने पर शहरी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- **वित्तीय परिव्यय:**
  - केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
  - इसका लक्ष्य पाँच वर्षों में कुल 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना है।
- **चुनौती-आधारित चयन:** परियोजनाओं का चयन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। केवल परिवर्तनकारी, वित्तपोषण योग्य और सुधारोन्मुख प्रस्तावों को सहायता दी जाएगी।
- **वित्तपोषण प्रतिरूप:**
  - 25 प्रतिशत - केंद्रीय सहायता
  - न्यूनतम 50 प्रतिशत - बाजार स्रोतों से (ऋण, नगर निगम बॉण्ड, निजी पूँजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी)
  - शेष 25 प्रतिशत - राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का योगदान या अतिरिक्त बाजार उधारी
- **प्रमुख क्षेत्र:**
  - शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास
  - शहरों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करना
  - जल एवं स्वच्छता अवसंरचना

पात्रता एवं दायरा

- वर्ष 2025 के अनुमान के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर
- सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियाँ
- 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख औद्योगिक शहर
- **अपवर्जन:** निम्न योजनाओं के अंतर्गत पहले से वित्तपोषित परियोजनाएँ पात्र नहीं होंगी-
  - अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0
  - स्वच्छ भारत मिशन 2.0
  - अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ।

ऋण पुनर्भुगतान गारंटी उप-योजना (CRGSS)

छोटे तथा वित्तीय रूप से कमजोर शहरों को पूँजी बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराने हेतु 5,000 करोड़ रुपये की गारंटी व्यवस्था बनाई गई है।

- **लक्षित शहर:**
  - द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहर
  - पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के शहर
- **गारंटी प्रावधान:**
  - **प्रथम ऋण:** 70 प्रतिशत गारंटी (अधिकतम 7 करोड़ रुपये तक)
  - **पश्चातवर्ती ऋण:** 50 प्रतिशत गारंटी (अधिकतम 7 करोड़ रुपये तक)
- **परियोजना सीमा:**
  - प्रथम चरण में 20 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएँ
  - बाद के चरणों में 28 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएँ

मार्गदर्शक सिद्धांत एवं प्राइवेट क्षेत्रक की भूमिका

- **बाजार-संबद्ध वित्तपोषण:** निजी पूँजी को आकर्षित कर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना।
- **सुधार-संबद्ध निधि विमोचन:** शासन, वित्तीय सुधार (जैसे संपत्ति कर सुधार) तथा नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति पर ही धनराशि जारी की जाएगी।
- **परिणाम-आधारित दृष्टिकोण:** व्यय के बजाय ठोस परिणामों के आधार पर सफलता का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रमुख चुनौतियाँ

इसके नवोन्मेषी स्वरूप के बावजूद, शहरी चुनौती कोष के समक्ष क्रियान्वयन से संबंधित अनेक चुनौतियाँ हैं:

- **शहरी स्थानीय निकायों की सीमाएँ:** कई नगरपालिकाओं का राजस्व आधार कमजोर है, उनकी ऋण-योग्यता कम है, तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और वित्तीय मॉडलिंग जैसी जटिल परियोजना तैयारी के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है।
- **राजकोषीय जोखिम:** यदि परियोजनाएँ अपेक्षित राजस्व उत्पन्न करने में असफल रहती हैं, तो बाजार से उधारी पर अत्यधिक निर्भरता ऋण-संकट उत्पन्न कर सकती है।
- **निजी क्षेत्र की अनिच्छा:** निवेशक प्राय: जल और स्वच्छता जैसे कम प्रतिफल या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से बचते हैं, जब तक कि अत्यधिक स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था और व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित न हो।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** बड़े और समृद्ध शहर प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों में सफल होने की बेहतर स्थिति में होते हैं, जिससे छोटे नगरों या भौगोलिक रूप से वंचित क्षेत्रों के पीछे छूट जाने की संभावना रहती है।
- **समन्वय संबंधी समस्याएँ:** केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच कार्यों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध अंतर-संस्थागत सहयोग आवश्यक है।

निष्कर्ष

- शहरी चुनौती कोष भारत की शहरी विकास रणनीति में एक प्रतिमानात्मक परिवर्तन का प्रतीक है, जो अवसंरचना विकास को वित्तीय स्थिरता और प्रशासनिक सुधारों के साथ समन्वित करता है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्थानीय उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करके यह विकसित भारत की परिकल्पना का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बनता है, जिसका उद्देश्य शहरों को आर्थिक विकास के आत्मनिर्भर इंजनों में परिवर्तित करना है।

स्माइल योजना

आजीविका और उद्यम के लिए हाशिये पर स्थित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों जैसे संवेदनशील समूहों के समावेशी पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संमेकन को बढ़ावा दे रही है।

परिचय

- इसका शुभारंभ 12 फरवरी 2022 को किया गया।
- स्माइल एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका क्रियान्वयन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह भारत का पहला एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा है, जो पहचान और बचाव से लेकर पुनर्वास, कौशल विकास तथा दीर्घकालिक आजीविका सहायता तक की संपूर्ण प्रक्रिया को समाहित करता है।
- **घटक:**
  - भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास
  - सहमति-आधारित पहचान, प्रोफाइलिंग और पुनर्वास पर आधारित।
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु समग्र पुनर्वास
  - गरिमा, संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक समावेशन पर केंद्रित।
- **उद्देश्य:**
  - पुनर्वास के माध्यम से धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति-मुक्त बनाना, दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय।
  - हाशिये पर स्थित व्यक्तियों के लिए गरिमा, सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- कक्षा 9 से स्नातकोत्तर स्तर तक ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री दक्ष योजना जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है।
- स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित की जाती है, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवरेज तथा लिंग-पुष्टि शल्यचिकित्सा तक पहुँच शामिल है।
- गरिमा गृह आश्रय-गृह स्थापित किए जाते हैं, जो बेघर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करते हैं।
- प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए जाते हैं, जो अपराधों की निगरानी और समयबद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
- सेवाओं, जानकारी और शिकायत सहायता तक पहुँच के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जाती है।

प्रगति

- जनवरी 2026 तक लगभग 30,257 भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की पहचान की गई है और विभिन्न शहरों में 8,129 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है।

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना ने 21 अप्रैल 2026 को कुल सकल नामांकन के रूप में 9 करोड़ अभिदाताओं का ऐतिहासिक आँकड़ा पार कर लिया।

परिचय

- इसका शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था।
- यह भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
- **लक्षित समूह:** यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना मुख्यत: गरीबों, वंचित वर्गों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- **पात्रता:** 18 से 40 वर्ष आयु के सभी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में आयकरदाता हैं या पूर्व में आयकरदाता रह चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- **पेंशन लाभ:** 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि अंशदान के स्तर पर निर्भर करती है।

दल-बदल विरोधी कानून

हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का निर्णय लिया, जिससे दल-बदल विरोधी कानून के अनुप्रयोग को लेकर प्रश्न उठे हैं।

पृष्ठभूमि

- **"आया राम गया राम"** वाक्यांश 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में तीन बार दल बदलने के पश्चात् प्रसिद्ध हुआ।
- दल-बदल विरोधी विधि संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने एक-तिहाई विभाजन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया।
- संबंधित अयोग्यताएँ अनुच्छेद 102(1) और 191(1) में भी निहित हैं।

उद्देश्य

- पद या व्यक्तिगत लाभ के लिए होने वाले दल-बदल को रोकना।
- सरकार की स्थिरता बनाए रखना।
- दलगत अनुशासन सुनिश्चित करना।

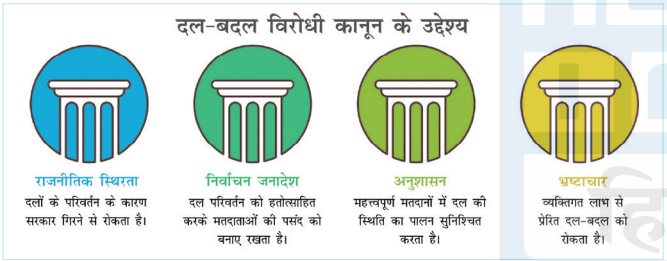

अयोग्यता के आधार

- यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
- यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और 15 दिनों के भीतर पार्टी उसे क्षमा नहीं करती।
- यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य छह माह के पश्चात् किसी दल में शामिल होता है।

अपवाद

- यदि किसी विधायी दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय के पक्ष में हों, तो अयोग्यता लागू नहीं होती।
- अध्यक्ष या सभापति निष्पक्षता हेतु अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं और पश्चात् में पुनः शामिल हो सकते हैं।

दल-बदल पर निर्णय

- लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेते हैं।
- कार्यवाही औपचारिक याचिका प्राप्त होने पर प्रारंभ होती है।
- संबंधित सदस्य को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
- निर्णय स्वतः नहीं होता; आवश्यकता पड़ने पर मामला समिति को भेजा जा सकता है।
- निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होता है।

प्रमुख न्यायिक निर्णय

- **किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू, 1992:** अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं।
- **रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ, 1994:** व्यवहार के आधार पर सदस्यता त्याग का अनुमान लगाया जा सकता है।
- **केइशाम मेघचंद्र सिंह निर्णय, 2020:** अयोग्यता याचिकाओं पर सामान्यतः तीन माह के भीतर निर्णय किया जाना चाहिए।
- **पाड़ी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य, 2025:** अध्यक्ष द्वारा निर्णय में देरी पर चिंता व्यक्त की गई।

चुनौतियाँ

- निर्णय में विलंब से विधायी स्थिरता प्रभावित होती है।
- पीठासीन अधिकारी की राजनीतिक संबद्धता के कारण पक्षपात के आरोप लगते हैं।
- अध्यक्ष के निर्णय से पूर्व न्यायालय का सीमित हस्तक्षेप।
- कठोर व्हिप के कारण सदस्यों की अभिव्यक्ति और विवेक की स्वतंत्रता सीमित होती है।
- दो-तिहाई विलय प्रावधान के माध्यम से सामूहिक दल-बदल विधि की भावना को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष

- दल-बदल विरोधी विधि ने राजनीतिक अस्थिरता को कम किया है, किंतु अत्यधिक दलगत नियंत्रण और प्रक्रियागत विलंब के कारण विचार-विमर्श आधारित लोकतंत्र को कमजोर भी किया है।
- अतः स्वतंत्र निर्णय-प्रक्रिया, समयबद्ध निस्तारण और संतुलित सुधार आवश्यक हैं।

प्रोजेक्ट एआई4 वाटर पॉलिसी

प्रोजेक्ट एआई4 वाटरपॉलिसी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बेहतर प्रतिपुष्टि और अंतिम छोर तक उत्तरदायी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए राजस्थान में समुदाय-आधारित जल शासन को सुदृढ़ किया।

परिचय

- यह सिरोही और पाली जिलों में संचालित एक प्रायोगिक परियोजना थी, जिसका उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करने के बजाय समुदायों की बात "सुनना" था।
- एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल ने 50 गाँवों में 352 साक्षात्कार किए।
- ये साक्षात्कार व्हाट्सऐप के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में वाणी और पाठ के रूप में लिए गए।

- प्रतिभागियों में पानी मित्र, पंचायत प्रतिनिधि और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल थे।
- प्रणाली ने वास्तविक समय में विषयगत विश्लेषण किया, जिससे प्रमुख समस्याओं की पहचान हुई और क्षेत्रीय दलों द्वारा त्वरित सत्यापन संभव हुआ।

प्रमुख परिणाम

- परियोजना ने महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ, वित्तीय विलंब तथा पंचायत प्रक्रियाओं के प्रति कम जागरूकता जैसी समस्याओं को उजागर किया।
- साथ ही स्थानीय स्तर की सफल पहलों की भी पहचान की गई।
- इन निष्कर्षों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्रचना की गई और सरकारी अधिकारियों के साथ अधिक प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया।
- अनुवर्ती मूल्यांकन में सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि, आत्मविश्वास में सुधार तथा प्रशासनिक प्रतिक्रिया में तेजी देखी गई।

महत्त्व

- यह परियोजना शीर्ष-से-निचले सेवा वितरण मॉडल से सहभागी शासन की ओर परिवर्तन को दर्शाती है। इसमें नागरिक केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि समाधान के सह-निर्माता बनते हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिपुष्टि तंत्र और वास्तविक समय निर्णय-निर्माण को सशक्त करती है तथा मानवीय मध्यस्थों की भूमिका का पूरक बनती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश अनिवार्य

लखनऊ पब्लिक स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2026 में भारत का उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पड़ोस के विद्यालयों, जिनमें निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय भी शामिल हैं, को राज्य द्वारा आवंटित विद्यार्थियों को बिना विलंब प्रवेश देना अनिवार्य है। न्यायालय ने इसे एक राष्ट्रीय मिशन बताया।

निर्णय की प्रमुख बातें

- राज्य द्वारा सूची भेजे जाने के पश्चात् विद्यालयों के लिए प्रवेश देना विधिक रूप से अनिवार्य है।
- प्रवेश से इंकार करना अनुच्छेद 21क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है।
- यह सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है।
- अनुपालन न होने पर शिक्षा का अधिकार केवल औपचारिक वादा बनकर रह जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

- अनुच्छेद 21क (86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- पूर्व में यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का भाग था।
- अनुच्छेद 51क(क) माता-पिता या अभिभावकों पर बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्त्तव्य निर्धारित करता है।

प्रमुख प्रावधान

- पड़ोस के विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण तथा राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निरुद्धीकरण, निष्कासन या बोर्ड परीक्षा नहीं।
- विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
- सरकारों का दायित्व कि वे अवसंरचना, शिक्षक और अधिगम मानक सुनिश्चित करें।

महत्त्व

- सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 21क की प्रवर्तनीयता को सुदृढ़ करता है।
- सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक है।
- कोठारी आयोग की समान विद्यालय प्रणाली की अवधारणा को बल देता है।
- मानव पूँजी विकास को प्रोत्साहित करता है।
- सतत् विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप है।

चुनौतियाँ

- निजी विद्यालयों द्वारा प्रतिरोध और प्रवेश में विलंब।
- वर्दी, पुस्तकें आदि पर छिपी लागत का बोझ।
- निगरानी और उत्तरदायित्व में कमियाँ।
- राज्यों के बीच कार्यान्वयन में असमानताएँ।

ई-प्राप्ति पोर्टल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लंबे समय से लंबित बिना दावा किए गए तथा निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि खातों की समस्याओं के समाधान हेतु ई-प्राप्ति पोर्टल प्रारंभ कर रहा है।

परिचय

- ई-प्राप्ति एक समर्पित डिजिटल मंच है, जो पुराने कर्मचारी भविष्य निधि खातों की पहचान, अनुश्रवण, सार्वभौमिक खाता संख्या से संबद्धता तथा पुनः सक्रियण की सुविधा प्रदान करता है।
- यह आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करता है, जिससे सुरक्षित रूप से उन खातों तक भी पहुँच संभव होती है जो सार्वभौमिक खाता संख्या से जुड़े नहीं हैं।
- यदि रोजगार छोड़ने के पश्चात् 36 माह तक किसी खाते में अंशदान नहीं किया जाता, या वह सक्रिय सार्वभौमिक खाता संख्या से संबद्ध नहीं होता, तो वह कर्मचारी भविष्य निधि खाता निष्क्रिय हो जाता है।

महत्त्व

- यह लगभग 31.83 लाख निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि खातों की समस्या का समाधान करेगा, जिनमें से अनेक दशकों से निष्क्रिय पड़े हैं। यह सेवानिवृत्त और निष्क्रिय सदस्यों को अपनी बचत तक सरल पहुँच तथा धन की पुनर्प्राप्ति में सहायता प्रदान करेगा।
- यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डिजिटल प्रशासन को और सुदृढ़ करेगा तथा इसके उच्च-स्तरीय दावा निपटान तंत्र (वित्त वर्ष 2025-26 में 8.31 करोड़ दावों के निपटान) का पूरक बनेगा।

नीति आयोग

हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही इसके पाँच पूर्णकालिक सदस्यों में से चार को प्रतिस्थापित किया गया है।

परिचय

- नीति आयोग (भारत के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान) की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी।
- इसने योजना आयोग का स्थान लिया। इसका उद्देश्य सतत् विकास, नीतिगत नवाचार और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है।
- प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके कार्यकारी कार्यों का संचालन करते हैं।
- **शासी परिषद:**
  - भारत के प्रधानमंत्री
  - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
  - दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
  - नीति आयोग के उपाध्यक्ष
  - नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य

नीति आयोग का कार्यकारी ढाँचा

सहकारी संघवाद पर केंद्रित

सहकारी संघवाद, दीर्घकालिक विकास और नीति अनुसंधान पर बल देता है।

नेतृत्व

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है, जिसमें उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संचालन परिषद शामिल होते हैं।

दृष्टिकोण

निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने वाला दृष्टिकोण अपनाता है, जो राज्यों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

परामर्शदायी निकाय

यह एक परामर्शदायी निकाय है, जिसके पास प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्ति नहीं होती।

केंद्रबिंदु

पाँच वर्षीय योजनाएँ तैयार नहीं करता, बल्कि दीर्घकालिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

2 अंतरराष्ट्रीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः खोलने के उद्देश्य से प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जिससे वैश्विक सुरक्षा निर्णयों में वीटो शक्ति की भूमिका उजागर हुई।

UNSC का परिचय

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी।
- इसका प्रमुख दायित्व अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
- यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा अंग है जिसके प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी सदस्य देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं।

संरचना और संघटन

परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं:

- **स्थायी सदस्य (P5- वीटो शक्ति सहित):** चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका
- **अस्थायी सदस्य:** कुल 10 सदस्य, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष के लिए चुना जाता है।
- **क्षेत्रीय वितरण:**
  - अफ्रीका: 3
  - एशिया-प्रशांत: 2
  - पूर्वी यूरोप: 1
  - लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र: 2
  - पश्चिमी यूरोप और अन्य: 2
- स्थायी सदस्यों में से किसी एक का भी वीटो, बहुमत समर्थन होने पर भी किसी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली

- **मतदान:** प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए कम-से-कम 9 अनुकूल मत तथा किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो न होना आवश्यक है।
- **अध्यक्षता:** परिषद की अध्यक्षता सदस्यों के बीच अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार प्रतिमाह बदलती रहती है।
- **बाध्यकारी स्वरूप:** सदस्य देशों के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करना और लागू करना अनिवार्य होता है।

कार्य और शक्तियाँ

- **संघर्ष समाधान:** विवादों की जाँच करना और मध्यस्थता के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना।
- **प्रतिबंध:** आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध, जैसे हथियार प्रतिबंध, लगाना।
- **शांति स्थापना:** युद्धविराम बनाए रखने और नागरिकों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (ब्लू हेलमेट) तैनात करना।
- **बल प्रयोग की अनुमति:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना।
- **जाँच संबंधी भूमिका:** संघर्ष क्षेत्रों में तथ्य-जाँच मिशन भेजना और समाधान की सिफारिश करना।
- **संस्थागत भूमिका:** संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति की अनुशंसा करना। नए सदस्य देशों के प्रवेश की अनुशंसा करना।

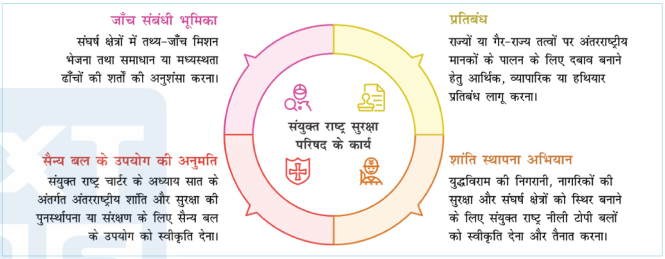

महत्त्व

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा बल प्रयोग की वैधता से संबंधित वैश्विक स्तर की केंद्रीय संस्था है।
- यह प्रमुख शक्तियों के लिए संघर्षों के प्रबंधन का प्रमुख मंच प्रदान करती है, जैसा कि समकालीन भू-राजनीतिक संकटों में देखा जाता है।

मैडमैन सिद्धान्त

पश्चिम एशिया में जारी संकट के संदर्भ में मैडमैन सिद्धांत पर पुनः चर्चा हो रही है, विशेषकर डोनाल्ड ट्रम्प की विदेश नीति की शैली के संदर्भ में, जहाँ रणनीतिक अनिश्चितता और परोक्ष कूटनीति ने एक नाजुक युद्धविराम स्थापित करने में योगदान दिया।

मैडमेन सिद्धांत क्या है?

- मैडमैन सिद्धांत विदेश नीति और सामरिक रणनीति का एक सिद्धांत है, जिसमें कोई नेता जानबूझकर स्वयं को अविवेकपूर्ण, अप्रत्याशित या अत्यधिक कठोर कदम उठाने के लिए तत्पर प्रदर्शित करता है, जिसमें युद्ध अथवा परमाणु टकराव की संभावना भी शामिल हो सकती है।
- इसका उद्देश्य विरोधियों को रियायतें देने के लिए विवश करना होता है, ताकि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि तनाव की वृद्धि वास्तविक और नियंत्रण से बाहर हो सकती है।
- **उत्पत्ति:** यह सिद्धांत विशेष रूप से रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से जुड़ा हुआ है। इसका प्रयोग शीत युद्ध काल में, विशेषकर वियतनाम युद्ध के संदर्भ में किया गया था।

- **कार्यप्रणाली:** यह मुख्यत: मनोवैज्ञानिक संकेतों पर आधारित होता है। इसका केंद्र बिंदु प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि विरोधी पक्ष की धारणाओं और निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित करना होता है।

मैडमैन सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ

- **रणनीतिक अप्रत्याशितता:** नेता विरोधियों को अनिश्चित बनाए रखने के लिए असंगत रुख, अचानक धमकियाँ या नीतिगत परिवर्तन अपनाते हैं।
- **विश्वसनीय चरम धमकियाँ:** ऐसी भाषा और संकेतों का उपयोग किया जाता है जो यह दर्शाएँ कि नेता असंगत या अत्यधिक कठोर सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
- **धारणा प्रबंधन:** वास्तविक सैन्य शक्ति के उपयोग की अपेक्षा विरोधी की मनोवैज्ञानिक धारणा को प्रभावित करना अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

भारत-डेनमार्क आर्थिक संबंध

डेनमार्क ने भारत में प्रथम डेनिश वाणिज्य मंडल की स्थापना की घोषणा की है, जिसे नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।

परिचय

- यह वाणिज्य मंडल भारत और डेनमार्क के बीच व्यावसायिक संपर्क के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करेगा।
- यह भारत में कार्यरत डेनिश कंपनियों को सहयोग प्रदान करेगा।
- साथ ही नई कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश को सुगम बनाएगा।

भारत-डेनमार्क संबंध

- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1949 में स्थापित हुए।
- वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को हरित सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया, जिसका केंद्र सतत् विकास है।
- **आर्थिक संबंध:** भारत और डेनमार्क के बीच 400 से अधिक वर्षों से व्यापारिक संबंध विद्यमान हैं। भारत में 225 से अधिक डेनिश सहायक कंपनियाँ कार्यरत हैं, जो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं।
  - वर्ष 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- **व्यापार संरचना:**
  - भारत के द्वारा डेनमार्क को निर्यात
    - वस्त्र
    - वाहन एवं उनके पुर्जे
    - लोहा और इस्पात
    - धातु उत्पाद
    - चमड़े के उत्पाद
  - डेनमार्क के भारत को निर्यात
    - औषधियाँ
    - विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक मशीनरी
    - धातु अपशिष्ट
    - अयस्क
    - कार्बनिक रसायन
- **प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता:** फरवरी 2024 में दोनों देशों ने कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने हेतु प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

स्थानों का चीन द्वारा काल्पनिक नामकरण

भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने को "काल्पनिक और शरारतपूर्ण" बताते हुए स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है।

चीन की कार्रवाइयाँ

- चीन अरुणाचल प्रदेश को "जांगनान" (दक्षिणी तिब्बत) बताता है।
- उसने 2017, 2021 और 2023 में कई नामकरण सूचियाँ जारी की हैं।
- **विवादित क्षेत्रों में उसने नए प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण किया है:**
  - **हेआन और हेकांग काउंटी:** हेश्आन और हेकांग काउंटी, जो अक्साई चिन पठार (लद्दाख) के कुछ हिस्सों को कवर करती हैं-यह भारत और चीन के बीच विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र है।
  - **सेनलिंग काउंटी:** सेनलिंग काउंटी, जो काराकोरम पर्वतमाला के निकट स्थित है; यह पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) और वाखान कॉरिडोर (अफगानिस्तान) के नजदीक है-यह एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील त्रि-जंक्शन क्षेत्र है।

भारत की प्रतिक्रिया

- विदेश मंत्रालय ने पुन: स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
- भारत इन कदमों को नक्शों और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से अवैध क्षेत्रीय दावों को वैधता देने का प्रयास मानता है।
- ये कार्रवाइयाँ PoK से गुजरने वाले CPEC को लेकर चिंताओं से भी जुड़ी हैं जो वर्ष 2020 के पूर्वी लद्दाख गतिरोध के पश्चात् संबंध सामान्य करने के प्रयासों को प्रभावित करती हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

- वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के बीच वास्तविक सीमा है। भारत इसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर मानता है, जबकि चीन लगभग 2,000 किलोमीटर मानता है।
- **तीन क्षेत्र:**
  - **पूर्वी क्षेत्र:** अरुणाचल प्रदेश-सिक्किम
  - **मध्य क्षेत्र:** उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश
  - **पश्चिमी क्षेत्र:** लद्दाख

ब्रिक्स और क्वाड समूह

भारत, ब्रिक्स की अध्यक्षता के साथ, मई 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स और क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ब्रिक्स की बैठक 14-15 मई 2026 को निर्धारित है, जबकि क्वाड की बैठक मई के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की अपेक्षा है।

परिचय

- **उत्पत्ति:** ब्रिक का गठन 2006 में (संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान) हुआ। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जिसके पश्चात् यह ब्रिक्स कहलाया।
- **सदस्य (11):** ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया।
- **साझेदार देश (2025):** बेलारूस, बोलिविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम।
- **प्रकृति:** यह संधि-आधारित चार्टर के बिना एक अनौपचारिक अंतर-सरकारी समूह है। यह सर्वसम्मति-आधारित घोषणाओं के माध्यम से कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक शासन, आर्थिक समन्वय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग।
- **सहयोग के स्तंभ:**
  - **राजनीतिक और सुरक्षा:** राजनयिक संबंधों, संघर्ष समाधान और रक्षा पर केंद्रित।
  - **अर्थव्यवस्था और वित्त:** व्यापार, निवेश और वित्तीय स्थिरता से संबंधित। सांस्कृतिक और जन-से-जन आदान-प्रदान शिक्षा, कला और पर्यटन के माध्यम से पारस्परिक समझ को बढ़ावा देता है।

भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता (2026)

- **विषय:** "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण।"
- शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा।
- कार्यसूची में डॉलर पर निर्भरता में कमी, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, जलवायु वित्त, जल सुरक्षा और वायुमंडलीय प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- आधार और यूपीआई जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को विस्तार योग्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- पश्चिम एशिया संकट पर सदस्य देशों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों, विशेषकर ईरान-संयुक्त अरब अमीरात संबंधों, के कारण भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन की चुनौती है।

चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (DokM/Quad)

- **सदस्य:** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
- **उत्पत्ति:** वर्ष 2004 की सुनामी के पश्चात् इसका उद्भव हुआ, वर्ष 2007 में शिंजो आबे द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया, वर्ष 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया।
- **प्रकृति:** यह एक अनौपचारिक सामरिक मंच है। इसका कोई सचिवालय, संधि या पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धता नहीं है।
- **उद्देश्य:** मुक्त, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना।

क्वाड की प्रमुख पहलें

- **मालाबार अभ्यास:** वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के साथ इसका विस्तार हुआ। वर्ष 2021 शिखर सम्मेलन "क्वाड की भावना" सिद्धांतों को अपनाया गया।
- **क्वाड कैंसर मूनशॉट:** भारत 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के एचपीवी टीके, जाँच किट और निदान उपकरण उपलब्ध कराएगा।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज पहल:** आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और निर्भरता संबंधी जोखिमों को कम करने का उद्देश्य है।

पश्चिम एशिया संघर्ष पर UNDP की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने "मध्य पूर्व में सैन्य तनाव-वृद्धि: एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर प्रभाव" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

परिचय

- यह रिपोर्ट 36 देशों को सम्मिलित करती है। यह 22 यूएनडीपी देश कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं, अनुकरणों तथा विश्लेषणात्मक आकलनों पर आधारित है।
- इसमें 28-दिवसीय संघर्ष परिदृश्य तथा 8 माह तक की समायोजन अवधि का विश्लेषण करके दीर्घकालिक प्रभावों का अनुमान लगाया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर

- रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष केवल भू-राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मानव विकास आघात है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र को 97 अरब अमेरिकी डॉलर से 299 अरब अमेरिकी डॉलर तक की आर्थिक हानि हो सकती है, जो क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% से 0.8% के बराबर है।
- गंभीर परिस्थितियों में विश्व स्तर पर 88 लाख तक लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं।
- ईंधन की ऊँची कीमतें, माल ढुलाई एवं बीमा लागत में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा निवेश लागत में बढ़ोतरी क्रय-शक्ति को कम करती है और खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती है।

भारत पर विशिष्ट प्रभाव

- भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 4 लाख से 25 लाख तक बढ़ सकती है; गंभीर अनुमान के अनुसार यह वृद्धि लगभग 24.6 लाख हो सकती है।
- गरीबी दर 23.9% से बढ़कर 24.2% तक पहुँच सकती है, जिससे गरीबों की कुल संख्या लगभग 35.40 करोड़ हो सकती है। भारत मानव विकास सूचकांक की प्रगति में 0.03 से 0.12 वर्ष तक की हानि झेल सकता है।

ऊर्जा और व्यापार पर निर्भरता

- भारत अपने तेल की आवश्यकता का 90% से अधिक आयात करता है। कच्चे तेल का 40% से अधिक, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का 90% तथा उर्वरकों का 45% से अधिक पश्चिम एशिया से आता है। घरेलू यूरिया उत्पादन का लगभग 85% आयातित द्रवीकृत प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। भारत के कुल निर्यात का 14% तथा कुल आयात का 20.9% पश्चिम एशिया से संबंधित है। इसमें 48 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर-तेल निर्यात शामिल हैं।

खाद्य, कृषि और प्रेषण

- लागत में वृद्धि और आपूर्ति व्यवधान खरीफ फसल मौसम को प्रभावित कर सकते हैं और खाद्य असुरक्षा को बढ़ा सकते हैं।

- खाड़ी सहयोग परिषद देशों में भारत के लगभग 93.7 लाख श्रमिक कार्यरत हैं।
- भारत को प्राप्त कुल प्रेषण का 38% से 40% भाग खाड़ी क्षेत्र से आता है।
- लगभग 61.1 लाख टन उपलब्ध यूरिया भंडार केवल अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करता है।

रोजगार और क्षेत्रीय प्रभाव

- भारत के लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिससे वे आर्थिक झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ी हुई लागत, आपूर्ति की कमी, रोजगार हानि तथा कार्य घंटों में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- चिकित्सीय उपकरणों की लागत लगभग 50% तक बढ़ सकती है। औषधियों की कीमतों में 10% से 15% तक वृद्धि हो सकती है।

नीतिगत सिफारिशें

- देशों को संवेदनशील आबादी की सुरक्षा के लिए झटकों के प्रति उत्तरदायी सामाजिक संरक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए। ऊर्जा, खाद्य तथा आपूर्ति शृंखलाओं में विविधीकरण और लचीलापन विकसित किया जाना चाहिए।
- सरकारों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा असंगठित श्रमिकों को सहयोग देना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

एजेक प्लस

एजेक प्लस की बैठक में भारत ने समुद्री ऊर्जा गलियारों में उत्पन्न व्यवधानों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।

परिचय

- **स्थापना:** एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी (Asia Zero Emission Community - AZEC) जापान के नेतृत्व में वर्ष 2023 में प्रारम्भ किया गया एक मंच है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयासों को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा के साथ समन्वित करना है।
- **मॉडल:** यह एशिया-विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण ढाँचा प्रदान करता है, जो विभिन्न एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट विकास चरणों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:**
  - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से हाइड्रोजन, अमोनिया तथा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित तकनीकों के आदान-प्रदान को सक्षम बनाना।
  - **सतत् विकास:** आर्थिक विस्तार से समझौता किए बिना कार्बन तटस्थता प्राप्त करना।
  - **आपूर्ति शृंखला लचीलापन:** पूरे महाद्वीप में ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता को सुदृढ़ करना।
- **एजेक प्लस रूपरेखा:** इस विस्तारित पहल में अतिरिक्त एशियाई देशों तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें एशियन डेवेलपमेंट बैंक (ADB) और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) शामिल हैं।
- **विकसित होता अधिदेश:** उत्सर्जन संबंधी मुद्दों से आगे बढ़ते हुए, एजेक प्लस अब समुद्री सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच तथा व्यापक ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों जैसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है।

दक्षिणी लेबनान में इजराइल की 'येलो लाइन'

10-दिवसीय युद्धविराम के पश्चात् इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 'येलो लाइन' की स्थापना की घोषणा की है। यह उसकी सुरक्षा रणनीति के एक नए चरण को दर्शाता है।

येलो लाइन क्या है?

- येलो लाइन एक सैन्य सीमांकन तथा तैनाती सीमा है, जिसे इजराइल ने संघर्ष क्षेत्र में नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करने के लिए निर्धारित किया है।
- यह इजराइली सैनिकों की तैनाती की अंतिम सीमा को चिह्नित करती है; इसके आगे किसी भी प्रकार की आवाजाही को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।
- यह एक अस्थायी परिचालन सीमा तथा अवरोध क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने और नागरिकों की आवाजाही को सीमित करने में सहायता मिलती है।

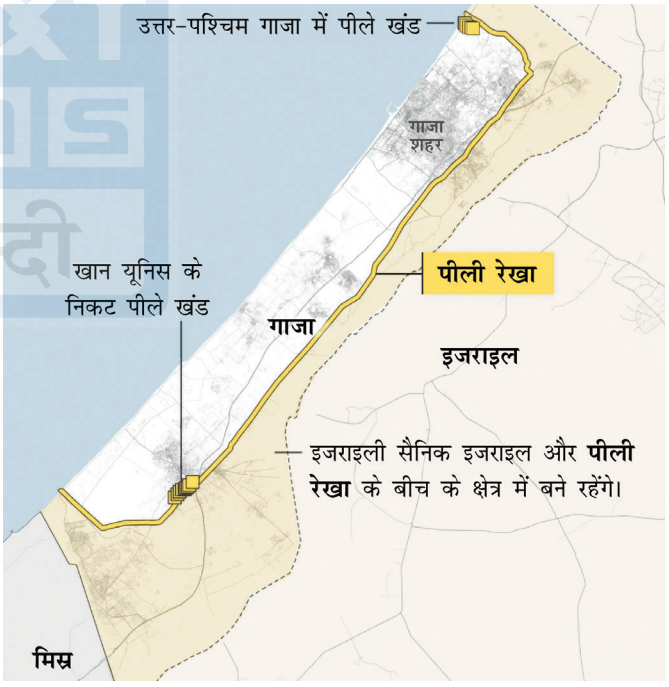

उत्पत्ति और विकास

- इस अवधारणा का पहली बार उपयोग अक्टूबर 2025 में गाजा पट्टी के युद्ध के दौरान किया गया था। वहाँ इसने क्षेत्र को इजराइल-नियंत्रित और फिलिस्तीनी-नियंत्रित भागों में विभाजित किया था।
- इसे गाजा के भीतर निश्चित अंतराल पर लगाए गए पीले रंग के खंभों द्वारा भौतिक रूप से चिह्नित किया गया था। लेबनान में इसका उपयोग यह दर्शाता है कि इजराइल किसी अन्य संघर्ष क्षेत्र में 'गाजा प्रतिरूप' को अपनाने का प्रयास कर रहा है।

उद्देश्य

- यह एक अग्रिम रक्षात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य हमास और हिज्बुल्लाह जैसे संगठनों को इजराइल की सीमाओं के निकट सक्रिय होने से रोकना है।
- इसके माध्यम से इजराइल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रख सकता है, नागरिकों की वापसी को सीमित कर सकता है, उग्रवादी ढाँचे को नष्ट कर सकता है तथा इस रेखा के आगे भी सैन्य अभियान जारी रख सकता है।

चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध छूट की समाप्ति

यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भारत को चाबहार पोर्ट पर संचालन हेतु दी गई प्रतिबंध छूट 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गई। इसके पश्चात् भारत ने अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन प्रारंभ किया है, जिसमें दीर्घकालिक उद्देश्यों को बनाए रखते हुए अस्थायी रूप से पीछे हटने का विकल्प भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

- भारत और ईरान ने वर्ष 2003 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- वर्ष 2015 में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। वर्ष 2016 में भारत-ईरान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से संपर्क व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया।
- वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंधों से छूट प्रदान की, क्योंकि यह अफगानिस्तान के समर्थन में महत्त्वपूर्ण माना गया।

चाबहार पोर्ट का परिचय

- यह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी (मकरान तट) पर स्थित है। यह ईरान का एकमात्र महासागरीय बंदरगाह है।
- **इसमें दो टर्मिनल हैं:**
  - **शाहिद कलंतरी:** शाहिद बेहेश्ती (यही वह टर्मिनल है जिसमें भारत की भागीदारी है) यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को प्रत्यक्ष समुद्री पहुँच प्रदान करता है। कांडला से इसकी दूरी लगभग 550 समुद्री मील तथा मुंबई से लगभग 786 समुद्री मील है।
  - **हालिया प्रगति:**
    - भारत ने अपने कुछ कार्मिकों को वापस बुला लिया है। लगभग 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश दायित्व का अग्रिम भुगतान कर दिया है।
    - शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल में अपनी हिस्सेदारी किसी ईरानी संस्था को हस्तांतरित करने पर विचार कर रहा है।
    - यह स्थिति भारत के समक्ष एक रणनीतिक दुविधा प्रस्तुत करती है-
    - सहभागिता जारी रखकर अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठाना, अथवा
    - दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रखते हुए भागीदारी सीमित करना।

भारत के लिए महत्त्व

- **भू-राजनीतिक एवं सामरिक महत्त्व:** यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान करता है। यह दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के संगम पर स्थित है। यह चीन के ग्वादर बंदरगाह के सामरिक संतुलन के रूप में कार्य करता है।
- **संपर्क एवं व्यापार:**
  - यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का प्रवेश द्वार है।
  - यह समुद्री, रेल तथा सड़क मार्गों का बहु-माध्यम परिवहन जाल है, जो भारत को ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है।
  - यह क्षेत्रीय संपर्क के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
  - इससे कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे बाजारों तक पहुँच आसान होती है तथा परिवहन समय और लागत कम होती है।
- **आर्थिक एवं ऊर्जा संबंधी महत्त्व:**
  - यह लौह अयस्क, चीनी और चावल के व्यापार को सुगम बनाता है।
  - यह तेल आयात लागत को कम करने में सहायक हो सकता है।
  - मानवीय एवं क्षेत्रीय भूमिका
  - इसके माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुँचाई जा सकती है। यह भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और संपर्क रणनीति को सुदृढ़ करता है।

भारत-रूस रीलोस (RELOS) समझौता

भारत और रूस ने भारत-रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक विनिमय समझौते को क्रियान्वित कर दिया है।

RELOS का परिचय

- RELOS एक लॉजिस्टिक सहायता समझौता है, जो अधिकृत गतिविधियों के दौरान सैन्य इकाइयों की तैनाती और मेजबानी हेतु मानकीकृत प्रक्रियाएँ स्थापित करता है।
- यह उन प्रशासनिक, लॉजिस्टिक तथा परिचालन व्यवस्थाओं को परिभाषित करता है, जब एक देश की सेनाएँ दूसरे देश के क्षेत्र, वायुक्षेत्र या जलक्षेत्र में उपस्थित हों।
- यह कोई स्थायी सैन्य अड्डा व्यवस्था नहीं है; इसकी वैधता 5 वर्ष की है (जिसे बढ़ाया जा सकता है) तथा यह दोनों देशों को एक-दूसरे की सुविधाओं तक पारस्परिक पहुँच प्रदान करता है।
- **अन्य समझौतों से तुलना:** RELOS, भारत के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हुए लिमोआ, कॉमकासा और बेका (LEMOA, COMCASA - BECA) जैसे समझौतों के समान है, किंतु इसे विशेष रूप से भारत-रूस रक्षा सहयोग के लिए तैयार किया गया है।

मुख्य बिंदु

- यह दोनों देशों के बीच सैनिकों, युद्धपोतों तथा सैन्य विमानों की आवाजाही को विनियमित करता है।
- यह नौसैनिक पोतों के लिए पारस्परिक रूप से वायुक्षेत्र उपयोग और बंदरगाहों पर आगमन (Port Calls) की सुविधा प्रदान करता है।
- यह ईंधन भरने, मरम्मत, रखरखाव तथा आपूर्ति जैसी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराता है।
- यह संयुक्त सैन्य अभ्यासों, प्रशिक्षण, तैनाती तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों पर लागू होता है, और आपसी सहमति से इसके दायरे का विस्तार किया जा सकता है।

भारत के लिए महत्त्व	रूस के लिए महत्त्व
• यह रूस के सैन्य अड्डों तक पहुँच प्रदान करता है, जो वलादिवोस्टक (प्रशांत महासागर क्षेत्र) से लेकर Murmansk (आर्कटिक क्षेत्र) तक फैले हुए हैं। • यह रूस के 40 से अधिक सैन्य अड्डों के नेटवर्क का उपयोग करते हुए लंबी दूरी की सैन्य तैनाती क्षमता को सुदृढ़ करता है। • यह विशेष रूप से रूसी मूल के सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए परिचालन पहुँच, सहन-क्षमता तथा लॉजिस्टिक सहायता में सुधार करता है।	• यह भारत के बंदरगाहों और वायु अड्डों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे रूस की हिन्द महासागर क्षेत्र में उपस्थिति और अधिक सुदृढ़ होती है। • यह बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में रूस की भूमिका को और मजबूत करता है।

द्रुज्बा पाइपलाइन

यूक्रेन से होकर गुजरने वाले द्रुज्बा पाइपलाइन खंड के माध्यम से रूसी तेल प्रवाह पुनः आरंभ होने के पश्चात् हंगरी ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन द्वारा दिए जाने वाले 90 अरब यूरो के ऋण पर अपना वीटो हटा लिया।

परिचय

- द्रुज्बा (अर्थात् "मित्रता") पाइपलाइन विश्व के सबसे लंबे कच्चे तेल पाइपलाइन तंत्रों में से एक है।
- यह रूस के तेल क्षेत्रों को मध्य एवं पूर्वी यूरोप से जोड़ती है। इसका निर्माण सोवियत यूनियन द्वारा किया गया था और यह वर्ष 1964 में चालू हुई।
- इसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद (कोमेकोन) के सदस्य देशों को तेल उपलब्ध कराना तथा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को सोवियत ऊर्जा तंत्र से जोड़ना था।
- **उद्देश्य:** यूरोप तक रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाला स्थलमार्ग उपलब्ध कराना।
  - समुद्री परिवहन पर निर्भरता को कम करना।
- **मार्ग और संरचना:**
  - **उद्गम:** इसका उद्गम रूस के अल्मेत्येव्स्क क्षेत्र से होता है, जहाँ साइबेरिया, यूराल और कैस्पियन क्षेत्र से आने वाला तेल एकत्रित होता है।
  - **प्रमुख मार्ग:** यह बेलारूस से होकर गुजरती है और इसके पश्चात् दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है -
    - **उत्तरी शाखा:** पोलैंड → जर्मनी
    - **दक्षिणी शाखा:** यूक्रेन → हंगरी → स्लोवाकिया → चेक गणराज्य
- **पारगमन की विशेषताएँ:** यूरोप को तेल आपूर्ति के लिए यह यूक्रेन और बेलारूस के सहयोग पर निर्भर करती है। यूक्रेन से होकर गुजरने वाला दक्षिणी मार्ग भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील है।

महत्त्व

- यह विशेष रूप से स्थलरुद्ध देशों, जैसे हंगरी और स्लोवाकिया, के लिए ऊर्जा आपूर्ति की एक महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा बनी हुई है।
- यह एक भू-राजनीतिक साधन के रूप में कार्य करती है, जिसके अवरोध प्रतिबंधों, वित्तीय सहायता संबंधी निर्णयों तथा यूरोपीय संघ-रूस ऊर्जा संबंधों को प्रभावित करते हैं।

संयुक्त अरब अमीरात ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर

यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात ने यह निर्णय अपने राष्ट्रीय हित, ऊर्जा उत्पादन क्षमता और दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के आधार पर लिया।

OPEC का परिचय

- ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके मूल संस्थापक सदस्य सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला, कुवैत और इराक थे।
- **उद्देश्य:** यह संगठन बाजार में स्थिर और उचित कीमतें बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति और मांग संबंधी नीतियों का समन्वय करता है, साथ ही तेल उत्पादक देशों के लिए निरंतर आय सुनिश्चित करता है।
- **वर्तमान सदस्यता:** इसमें 11 सदस्य देश शामिल हैं: अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला।

OPEC+ का परिचय

- OPEC+ अब एक विस्तृत ढाँचा है, जिसमें 21 सदस्य शामिल हैं। इसमें OPEC के 11 मूल देश और तेल उत्पादन करने वाले 10 अन्य प्रमुख देश शामिल हैं: रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ब्रुनेई, बहरीन, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, सूडान और मलेशिया।
- **गठन:** इसकी स्थापना 2016 में अल्जीयर्स समझौते (सितंबर 2016) और उसके पश्चात् OPEC तथा गैर-OPEC निर्यातकों के बीच हुए वियना समझौते (नवंबर 2016) के पश्चात् की गई थी।
- **उद्देश्य:** इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बाजार को स्थिर करना था। इसका गठन, अमेरिका में शेल तेल के उत्पादन में तेजी से हुई वृद्धि के कारण तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था।

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP)

विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का खाद्य सहायता अभिकरण है तथा भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है।

WFP का परिचय

- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी।
- यह 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है।
- इसका संचालन पूर्णत: स्वैच्छिक अंशदानों पर आधारित है, जो सरकारों, निगमों तथा निजी दाताओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- इसका कार्य सतत् विकास लक्ष्य-2 (शून्य भूख) के अनुरूप है।
- इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्य

- संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारी के दौरान आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करना।
- बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा अन्य संवेदनशील समूहों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना।
- कुपोषण तथा अवरुद्ध शारीरिक विकास को कम करने के लिए कार्य करना।
- विद्यालय भोजन कार्यक्रम संचालित करना, जिससे विद्यालय उपस्थिति और शिक्षण परिणामों में सुधार हो।
- सामुदायिक सुदृढ़ता तथा खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को समर्थन देना।

प्रमुख योगदान

- वर्ष 2020 में भूख से लड़ने तथा युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- यह वैश्विक खाद्य संकट प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, जिसमें विश्वभर में तीव्र भूख की स्थिति का आकलन किया जाता है।

चांगी नौसैनिक अड्डा

भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सुनयना, आईओएस सागर के अंतर्गत तैनाती के दौरान सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुँचा। यह माले, फुकेत और जकार्ता के पश्चात् उसका चौथा बंदरगाह पड़ाव था।

परिचय

- इस तैनाती में 16 मैत्रीपूर्ण देशों के बहुराष्ट्रीय दल के सदस्य सम्मिलित हैं।
- यह महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) की परिकल्पना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।
- **चांगी नौसैनिक अड्डा**
  - **स्थिति:** यह सिंगापुर के पूर्वी छोर पर चांगी हवाई अड्डे के निकट स्थित है।
  - **सामरिक स्थिति:** यह मलक्का जलडमरूमध्य तथा दक्षिण चीन सागर के निकट स्थित है। इस कारण यह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक पर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है।
  - **क्षमता:** यहाँ बड़े युद्धपोतों, विमानवाहक पोतों तथा उभयचर पोतों को ठहराया जा सकता है।
  - **भूमिका:** यह सिंगापुर को समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है।
- **भारत-सिंगापुर रसद समझौता, 2017:** इस समझौते के अंतर्गत भारतीय नौसेना को चांगी नौसैनिक अड्डे का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त है। इसका उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत, रखरखाव तथा परिचालन सहायता के लिए किया जाता है।

भारत के अन्य सामरिक विदेशी बंदरगाह

- **दुक्म बंदरगाह (ओमान)** – अरब सागर तक पहुँच के लिए।
- **सबांग बंदरगाह (इंडोनेशिया)** – मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के निकट।
- **अन्य प्रमुख बंदरगाह:**
  - चाबहार (ईरान)
  - हैफा (इजराइल)
  - सित्तवे (म्यांमार)
  - चट्टोग्राम (बांग्लादेश)
  - मोंगला (बांग्लादेश)

भारत-मिस्र रक्षा सहयोग

भारत और मिस्र ने काहिरा में संयुक्त रक्षा समिति की 11वीं बैठक आयोजित की। यह बैठक वर्ष 2023 में स्थापित सामरिक साझेदारी तथा वर्ष 2022 के रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण रही।

पृष्ठभूमि

- **ऐतिहासिक संबंध:** सिंधु घाटी और नील नदी सभ्यताओं के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। पश्चात् में यूनानी-रोमी तथा इस्लामी संपर्क मार्गों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
  - जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में दोनों देशों के घनिष्ठ संबंध विकसित हुए।
  - दोनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई।
  - वर्ष 1956 के स्वेज संकट के दौरान भी सहयोग किया।
- **शीत युद्ध के बाद:** 1990 के दशक से आर्थिक सुधारों के साथ संबंधों में नई गति आई।

वर्तमान स्थिति

- **राजनीतिक संबंध:**
  - वर्ष 2023 में संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। उच्च स्तरीय यात्राओं में वृद्धि हुई।

- वर्ष 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने।

- **आर्थिक संबंध:**
  - द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6 से 7 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है।
  - पेट्रोलियम, उर्वरक तथा वस्त्र क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है।
  - भारतीय निवेश औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्रों में मौजूद है।
- **भू-सामरिक महत्त्व:**
  - स्वेज नहर पर मिस्र का नियंत्रण भारत के व्यापार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - हिंद महासागर और भूमध्यसागर के बीच संपर्क के संदर्भ में दोनों देशों के हित समान हैं।

रक्षा सहयोग की रूपरेखा

- **संस्थागत व्यवस्था:** संयुक्त रक्षा समिति दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का प्रमुख संस्थागत तंत्र है।
- **प्रमुख सहयोग क्षेत्र**
  - संयुक्त प्रशिक्षण एवं सैन्य अभ्यास
  - रक्षा उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी सहयोग
  - समुद्री सुरक्षा सहयोग
- **साइक्लोन एक्सरसाइज:** यह दोनों देशों की विशेष बलों का संयुक्त अभ्यास है। इसका केंद्र आतंकवाद-रोधी अभियान, मरुस्थलीय एवं शहरी युद्धकौशल तथा विशेष अभियानों के समन्वय पर है।

संयुक्त रक्षा समिति की 11वीं बैठक के प्रमुख परिणाम

- **रक्षा रूपरेखा (2026-27):**
  - सैन्य स्तर के संपर्कों का विस्तार
  - संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों की तीव्रता में वृद्धि
  - समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना
  - अभ्यासों के आकार और जटिलता में वृद्धि
  - रक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादन संबंधों को सशक्त करना।
- **रक्षा उद्योग सहयोग:**
  - भारत ने 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के रक्षा उत्पादन तथा 100 से अधिक देशों को 4 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का उल्लेख किया।
  - रक्षा उद्योग सहयोग योजना विकसित करने पर सहमति बनी।
  - सह-विकास, सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा औद्योगिक साझेदारी पर बल दिया गया।
  - यह आत्मनिर्भर भारत तथा रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन देता है।
- **समुद्री सहयोग:**
  - पहली बार दोनों नौसेनाओं के बीच औपचारिक वार्ताएँ आयोजित की गईं।
  - नौवहन की स्वतंत्रता तथा हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संलयन केंद्र की भूमिका पर बल दिया गया।
  - समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।
- **वायु सेना सहयोग:** मिस्र की वायु सेना नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय संपर्क स्थापित किए गए। संयुक्त अभ्यासों और प्रशिक्षण आदान-प्रदान की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

चुनौतियाँ

- व्यापार असंतुलन तथा अपर्याप्त रूप से उपयोग की गई संभावनाएँ
- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी
- नियामकीय तथा नौकरशाही बाधाएँ
- चीन तथा अन्य वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा
- पश्चिम एशिया-उत्तरी अफ्रीका (WANA) में क्षेत्रीय अस्थिरता

आगे की राह

- **आर्थिक:** व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता/मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं के माध्यम से व्यापार का विस्तार; अफ्रीका तथा यूरोप के प्रवेशद्वार के रूप में मिस्र का उपयोग।
- **रक्षा:** सह-उत्पादन, निर्यात तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना (स्वेज-हिंद महासागर क्षेत्रीय संबंध)।
- **ऊर्जा तथा प्रौद्योगिकी:** हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा डिजिटल अवसंरचना में सहयोग।
- **बहुपक्षीय:** वैश्विक दक्षिण के मंचों, जलवायु वार्ताओं तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों में संयुक्त भूमिका।

जापान द्वारा रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में ढील

हाल ही में जापान ने हथियारों के निर्यात पर दशकों पुराने प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, जिससे घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति मिल गई। भारत ने इस कदम का स्वागत किया और दोनों पक्षों ने व्यावहारिक रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

जापान द्वारा नीतिगत परिवर्तन

- जापान की पूर्व नीति, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अपनाए गए उसके शांतिवादी संविधान के अनुच्छेद 9 पर आधारित थी, हथियारों के निर्यात को पाँच गैर-घातक श्रेणियों तक सीमित करती थी: बचाव, परिवहन, चेतावनी, निगरानी तथा बारूदी सुरंग निष्कासन।
- वर्ष 2026 का संशोधन एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत प्रक्षेपास्त्रों, विध्वंसक युद्धपोतों तथा लड़ाकू विमानों जैसी घातक प्रणालियों के निर्यात की अनुमति दी गई है।
- यह परिवर्तन वर्ष 2023 में "उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के तीन सिद्धांतों" में किए गए संशोधन पर आधारित है, जिसने रक्षा हस्तांतरण में अधिक लचीलापन प्रदान किया।
- निर्यात केवल 17 विश्वसनीय साझेदार देशों तक सीमित है, जिनके साथ रक्षा समझौते हैं (जिनमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा फिलीपींस शामिल हैं)। प्रत्येक हस्तांतरण के लिए जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- सक्रिय संघर्ष में शामिल देशों अथवा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन देशों को निर्यात सामान्यतः निषिद्ध है, तथा प्राप्तकर्त्ता देशों को उपकरणों का उपयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप करना होगा।

परिवर्तन के प्रेरक कारक

- **औद्योगिक तर्क:** जापान का रक्षा उद्योग केवल "आत्मरक्षा बलों" तक सीमित बाजार के कारण बाधित था, जिससे ठहराव उत्पन्न हुआ। विस्तार तथा दीर्घकालिक स्थिरता के लिए निर्यात आवश्यक माना गया।
- **वैश्विक युद्धक वायु कार्यक्रम प्रेरक:** यूनाइटेड किंगडम तथा इटली के साथ वैश्विक युद्धक वायु कार्यक्रम में भागीदारी (वर्ष 2035 तक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का विकास) के लिए लागत प्रबंधन तथा परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु निर्यात में लचीलापन आवश्यक है।
- **भूराजनैतिक संदर्भ:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ, विशेषकर चीन की आक्रामकता।

भारत के लिए निहितार्थ

- रक्षा प्रणालियों में सह-विकास, सह-उत्पादन तथा उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावनाएँ विस्तृत होंगी।
- आपूर्ति शृंखला एकीकरण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी सहित रक्षा औद्योगिक सहयोग को और गहरा किया जा सकेगा।
- क्वाड सहित हिंद-प्रशांत सुरक्षा संरचना में समन्वय और अधिक सुदृढ़ होगा।

भारत-जापान रक्षा सहयोग

- संस्थागत तंत्रों में रक्षा उपकरण तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर संयुक्त कार्यदल तथा अनेक समझौते शामिल हैं:
  - सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (2008)
  - रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन (2014)
  - सूचना संरक्षण समझौता (2015)
  - आपूर्ति तथा सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान संबंधी समझौता (2020)
- **नियमित त्रि-सेवा अभ्यास परस्पर संचालन क्षमता को सुदृढ़ करते हैं:**
  - जिमेक्स (नौसैनिक)
  - मालाबार (संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ)
  - धर्म गार्जियन (थल सेना)
  - वीर गार्जियन (वायु सेना)
- **तटरक्षक सहयोग:** वर्ष 2017 से औद्योगिक संबंधों में निरंतर वृद्धि हुई है, जिनमें यूनिकॉर्न नेवल उंज (2024) जैसे सह-विकास परियोजनाएँ शामिल हैं।

व्यापक भारत-जापान सामरिक संबंध

- राजनयिक संबंध वर्ष 1952 से स्थापित हैं, जिन्हें वर्ष 2014 में विशेष सामरिक तथा वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
- भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा हिंद-प्रशांत महासागर पहल का जापान की मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत दृष्टि के साथ सामंजस्य है।
- व्यापार (22.8 अरब डॉलर), निवेश (43.2 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश), अवसंरचना, अंतरिक्ष (इसरो-जाक्सा) तथा वैश्विक पहलों (अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन, आपूर्ति शृंखला प्रत्यास्थता पहल) में सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।

चुनौतियाँ

- जापान के पक्ष में व्यापार असंतुलन
- सांस्कृतिक तथा भाषाई बाधाएँ
- भारत में अवसंरचनात्मक सीमाएँ
- जन-से-जन संपर्कों का सीमित स्तर
- क्षेत्रीय भूराजनैतिक तनाव

आगे की राह

- रक्षा सह-उत्पादन तथा निर्यात सहयोग को और गहरा करना
- भारतीय निर्यात को बढ़ाकर व्यापार असंतुलन कम करना
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार करना
- जन-से-जन संपर्कों तथा कौशल संबंधों को सुदृढ़ करना।

सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क

भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत मालदीव के लिए 30 अरब रुपये की निकासी को स्वीकृति प्रदान की, जिससे वित्तीय सहायता तथा क्षेत्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि की।

फ्रेमवर्क का परिचय

- यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल के अंतर्गत एक द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था है, जो वर्ष 2012 से क्रियाशील है। इसका उद्देश्य सार्क देशों को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता उपलब्ध कराना है।
- मुद्रा अदला-बदली दो देशों के बीच पूर्व-निर्धारित शर्तों पर मुद्राओं के विनिमय का एक अनुबंध है, जो बाजार की अस्थिरता के प्रभाव से बचते हुए अस्थायी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।

संरचना एवं कार्यप्रणाली

- यह भारतीय रिजर्व बैंक तथा सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से संचालित होती है।
- **इसके अंतर्गत शामिल हैं:**
  - **भारतीय रुपया अदला-बदली सुविधा:** 25,000 करोड़ रुपये
  - **अमेरिकी डॉलर/यूरो अदला-बदली सुविधा:** 2 अरब अमेरिकी डॉलर
- यह व्यवस्था देशों को भुगतान संतुलन पर दबाव की स्थिति में त्वरित रूप से निधि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएँ

- **तरलता सहायता:** बाह्य आर्थिक दबाव के समय महँगे बाजार ऋण पर निर्भर हुए बिना तत्काल विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराती है।
- **पूर्व-निर्धारित शर्तें:** विनिमय दर तथा बाजार संबंधी जोखिमों को न्यूनतम करती हैं।
- **क्षेत्रीय एकीकरण:** दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक परस्पर निर्भरता को सुदृढ़ करती है।

- **रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण:** क्षेत्रीय लेन-देन में भारतीय रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

महत्त्व

- संकट की स्थितियों में क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करती है।
- भारत की आर्थिक कूटनीति तथा पड़ोसी देशों के साथ सहभागिता को मजबूत करती है।
- वित्तीय दृष्टि से क्षेत्रीय शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करती है।

सार्क (SAARC)

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी।
- **सदस्य देश:** अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका।
- **सचिवालय:** काठमांडू, नेपाल।

उद्देश्य

- आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति को तीव्र करना।
- दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना।
- अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना।

सिद्धांत

- सर्वसम्मति आधारित निर्णय-प्रक्रिया।
- द्विपक्षीय तथा विवादास्पद मुद्दों को विचार-विमर्श से बाहर रखना

शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक 2026

किर्गिजस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया।

भारत की स्थिति के प्रमुख बिंदु

- भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य-सहनशीलता दृष्टिकोण पर बल दिया तथा दोहरे मानदंडों के विरुद्ध चेतावनी दी।
- भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवादी सुरक्षित ठिकाने कार्रवाई से अछूते नहीं रहेंगे।
- भारत ने सदस्य देशों से उन देशों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया जो आतंकवाद को आश्रय या समर्थन प्रदान करते हैं, तथा कहा कि आतंकवाद-रोधी प्रयासों में राजनीतिक दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए।
- भारत ने पुन: दोहराया कि आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद का मुकाबला करना शंघाई सहयोग संगठन का मूलभूत सिद्धांत है।
- भारत ने वर्ष 2025 की तियानजिन घोषणा का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद की निंदा तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- भारत ने क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना के महत्त्व पर बल दिया, जो खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, उग्रवाद-निरोध तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- भारत ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन किया, जिसमें संघर्ष के स्थान पर सह-अस्तित्व, सहयोग तथा संवाद को प्राथमिकता दी जाए।
- भारत ने कूटनीति तथा संवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और "वसुधैव कुटुम्बकम्" के मार्गदर्शक सिद्धांत को शांति तथा एकता के आधार के रूप में प्रस्तुत किया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

उत्पत्ति तथा विकास

- शंघाई सहयोग संगठन की उत्पत्ति वर्ष 1996 में स्थापित शंघाई फाइव से हुई, जिसमें चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान तथा ताजिकिस्तान शामिल थे। पश्चात् में वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के सम्मिलित होने के साथ इसका विस्तार किया गया।
- **वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के दस सदस्य हैं:** चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे पर्यवेक्षक राज्य भी हैं।
- संगठन की आधिकारिक भाषाएँ रूसी तथा चीनी हैं और राज्याध्यक्ष परिषद् इसका सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। शंघाई सहयोग संगठन के दो स्थायी निकाय हैं, अर्थात् सचिवालय, जो बीजिंग में स्थित है, तथा क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना, जो ताशकंद में स्थित है।
- भारत वर्ष 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना और वर्ष 2023 में इसने अध्यक्षता ग्रहण की। यह समूह विश्व की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या तथा लगभग 30 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है।
- **उद्देश्य:** शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना है, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग तथा राजनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना है।

भारत के लिए महत्त्व

- यह संगठन भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं, विशेषकर आतंकवाद तथा कट्टरपंथ से संबंधित मुद्दों को उठाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- भारत को चीन तथा पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय परिवेश में संवाद करने तथा क्षेत्रीय सुरक्षा विमर्श में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।
- यह मंच मध्य एशिया के तेल, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुँच को सुदृढ़ करता है।
- यह मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार तथा निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराता है। भौगोलिक सीमाओं के बावजूद यह संगठन भारत की मध्य एशिया तक पहुँच को सुदृढ़ करने में सहायक है।

चुनौतियाँ

- संगठन के भीतर चीन और पाकिस्तान के निकट सामंजस्य के कारण प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर भारत का प्रभाव सीमित हो जाता है।

- चीन तथा पाकिस्तान के साथ जारी भूराजनैतिक तनाव भारत की रचनात्मक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा विषयों पर अत्यधिक ध्यान के कारण आर्थिक तथा विकासात्मक सहयोग अपेक्षाकृत पीछे रह जाता है।
- सर्वसम्मति आधारित निर्णय-प्रक्रिया के कारण प्रगति धीमी होती है तथा परिणामों की प्रभावशीलता सीमित रहती है।

ब्रिक्स-मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका (MENA) दूतों की बैठक: पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स के उप-विदेश मंत्रियों तथा मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका के लिए विशेष दूतों की बैठक में ईरान के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका-इजराइल के युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

परिचय

- सदस्य देश एक साझा आधिकारिक रुख पर सहमत नहीं हो सके, जिससे पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों पर तीखे मतभेद स्पष्ट हुए।
- **भारत द्वारा अध्यक्षीय वक्तव्य:** ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत ने सर्वसम्मत घोषणा के स्थान पर चर्चाओं का सार प्रस्तुत करने वाला वक्तव्य जारी किया।
- **वक्तव्य में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया:**
  - इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष तथा गाजा की स्थिति
  - मानवीय सहायता में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी की भूमिका
  - लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर हमलों को लेकर चिंता

भारत की स्थिति तथा कूटनीतिक संतुलन

- भारत ने इजराइल की आलोचना करने वाली भाषा को संतुलित करने का प्रयास किया, जिसका अधिकांश सदस्य देशों ने विरोध किया।
- कुछ संदर्भों में "इजराइल" के स्थान पर "अधिकृत शक्ति" शब्द के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया।
- भारत ने भावी फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में "पूर्वी यरुशलम" का उल्लेख हटाने का सुझाव दिया, जो वर्ष 2017 के पश्चात् इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच संतुलित दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सर्वसम्मति न बनने के कारण

- विस्तारित ब्रिक्स संरचना (जिसमें ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं) ने वैचारिक विविधता तथा भूराजनैतिक मतभेदों को बढ़ाया है।
- सदस्य देशों के इजराइल-फिलिस्तीन तथा पश्चिम एशिया संघर्षों पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं, जिससे सर्वसम्मति बनाना कठिन हो गया है।
- मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका पर विशेष ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि यह क्षेत्र सीधे संघर्ष से प्रभावित है, जिससे संवेदनशीलता और दाँव दोनों बढ़ गए हैं।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सऊदी अरब को आमंत्रित किया गया है, किंतु उसने औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण नहीं की है।
- यह समूह विश्व की लगभग 41 प्रतिशत जनसंख्या, लगभग 24 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद तथा लगभग 16 प्रतिशत वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
- **उत्पत्ति तथा संरचना:**
  - "ब्रिक" शब्द का प्रयोग जिम ओ'नील ने वर्ष 2001 में किया था। समूह का औपचारिक गठन वर्ष 2006 में हुआ, प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित हुआ तथा वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के पश्चात् इसका नाम ब्रिक्स हो गया।
  - ब्रिक्स तीन प्रमुख स्तंभों के माध्यम से कार्य करता है:
    - राजनीतिक तथा सुरक्षा सहयोग
    - आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग
    - सांस्कृतिक तथा जन-से-जन संपर्क
  - निर्णय-प्रक्रिया सर्वसम्मति पर आधारित है, जो सदस्यता विस्तार के साथ अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।
  - न्यू डेवलपमेंट बैंक ऋण, गारंटी तथा अंशपूँजी सहायता के माध्यम से विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका (MENA)

- यह क्षेत्र लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत है। यह यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के बीच एक महत्त्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र है और तेल तथा प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों से समृद्ध है।
- यह क्षेत्र हॉर्मुज जलडमरूमध्य, स्वेज नहर तथा बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक मार्गों के माध्यम से वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1994 के 610 अरब डॉलर से बढ़कर वर्तमान में लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जिसमें खाड़ी देशों में प्रौद्योगिकी अपनाने की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।
- चीन इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। भारत तथा इटली के साथ भी उल्लेखनीय व्यापारिक संबंध हैं। सऊदी अरब, मिस्र, ईरान तथा संयुक्त अरब अमीरात की ब्रिक्स भागीदारी से लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की अतिरिक्त निर्यात क्षमता उत्पन्न होने की संभावना है।

3 अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) को लागू हुए 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएँगे, जो भारत के प्रमुख ग्रामीण आवास मिशन के एक दशक को चिह्नित करता है।

PMAY-G क्या है?

- **उद्देश्य:** ग्रामीण इलाकों में "सभी के लिए आवास" उपलब्ध कराना – पात्र ग्रामीण परिवारों (जिनमें बेघर परिवार और शून्य, एक या दो कमरों वाले कच्चे घरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं) को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना।
- **लाभार्थी का चयन:** सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 के आवास-वंचन मापदंडों का उपयोग करके, जिनका सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है।
- **वित्तपोषण का स्वरूप:** मैदानी इलाकों में 60:40 (केंद्र:राज्य); पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
- **नोडल मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)
- **वित्तीय सहायता:**
  - इकाई का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर।
  - मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख; पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में ₹1.30 लाख।
  - स्वच्छ भारत मिशन के साथ तालमेल (convergence) के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹12,000

योजना में सुधार

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):** वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है।
- **जियो-टैगिंग:** निर्माण के हर चरण पर समय और तारीख के साथ तस्वीरें अपलोड की जाती हैं, ताकि रियल-टाइम निगरानी की जा सके।
- **AI-आधारित निगरानी:** अनियमितताओं का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग; लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन (जिसमें पलक झपकने का पता लगाना भी शामिल है)।
- **ग्राम-स्तरीय पदाधिकारी:** स्वीकृत किए गए हर घर को एक स्थानीय पदाधिकारी से जोड़ा जाता है, जो लाभार्थी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखता है।
- **सामाजिक ऑडिट:** हर ग्राम पंचायत साल में कम से कम एक बार औपचारिक सामाजिक ऑडिट करती है।

परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI)

पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI फरवरी 2026 के 56.9 से गिरकर मार्च 2026 में 53.9 पर आ गया है।

PMI क्या है?

- PMI एक सर्वे-आधारित आर्थिक संकेतक है जो पिछले महीने की तुलना में कारोबारी स्थितियों में आए बदलावों को दर्शाता है।
- यह मौजूदा और निकट-अवधि के आर्थिक रुझानों, दोनों के बारे में जानकारी देता है।
- इसे मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं और एक समग्र सूचकांक (कम्पोजिट इंडेक्स) के रूप में अलग-अलग तैयार किया जाता है।
- PMI को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार (बढ़ोतरी) को दर्शाता है, 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन (गिरावट) को दर्शाता है, और 50 का आंकड़ा कोई बदलाव न होने को दर्शाता है।
- PMI को विश्व भर की कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए आईएचएस मार्किट (IHS Markit) द्वारा संकलित किया जाता है, जो अब एस एंड पी ग्लोबल (S&P Global) का हिस्सा है।

कर साथी

आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया एक AI-सक्षम डिजिटल चैटबॉट प्लेटफॉर्म, जो नए आयकर अधिनियम, 2025 के ढाँचे के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर मामलों पर 24×7 मार्गदर्शन प्रदान करता है।

परिचय

- यह ITR फाइलिंग, कर के नियमों, फॉर्म, नोटिस, कटौतियों, रिफंड और कंप्लायंस से जुड़े सवालों के लिए चौबीसों घंटे मदद प्रदान करता है।
- यह प्रत्यक्ष कर से जुड़े सभी रिसोर्स, जैसे फॉर्म, चालान, ई-पेमेंट, ई-वेरिफिकेशन और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है।
- यह करदाताओं की शिकायतों को सुलझाने और कंप्लायंस से जुड़े सवालों में मदद करता है।

महत्त्व

- यह भारत के AI-आधारित डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में किए जा रहे बड़े प्रयासों का एक हिस्सा है।
- आयकर अधिनियम, 2025 में सुगम संक्रमण को सुगम बनाता है।

एड वैलोरम ड्यूटी

संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट वाली दवाओं और उनसे जुड़े एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) के आयात पर 100% एड वैलोरेम ड्यूटी लगाने की घोषणा की है।

भारत का हित

- अमेरिका भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ भारत के कुल फार्मा निर्यात का लगभग 40% हिस्सा जाता है।
- अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं में से लगभग 47% की आपूर्ति करके भारत अमेरिकी जेनेरिक बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए है।

एड वैलोरेम ड्यूटी क्या है?

- एड वैलोरेम ड्यूटी एक सीमाशुल्क है जिसकी गणना आयातित सामान के घोषित मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है - यह विशिष्ट टैरिफ से अलग होती है, जो कीमत की परवाह किए बिना वजन, आयतन या मात्रा के आधार पर लगाए जाते हैं।
- जैसे-जैसे आयातित उत्पाद का मूल्य बढ़ता है, ड्यूटी का कुल बोझ भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है।
- 100% एड वैलोरेम ड्यूटी खरीदार के लिए आयातित उत्पाद की लैंडेड कॉस्ट को प्रभावी रूप से दोगुना कर देती है, जिससे घरेलू स्तर पर उत्पादित विकल्प कीमत के मामले में कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं।

RBI द्वारा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के वर्गीकरण में बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक शाखाओं के अलावा, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को उनके कार्यों के आधार पर दो श्रेणियों में बाँटा जाना चाहिए, और उनके वेतन तय करने में एकरूपता लाने का सुझाव दिया है।

परिचय

- RBI ने तीन तरह के डिलीवरी पॉइंट तय करने का प्रस्ताव दिया है - बैंक शाखाएं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट-बैंकिंग आउटलेट (BC-BO) और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट-बैंकिंग टचपॉइंट (BC-BT)
- बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को दूरदराज के इलाकों में रिटेल बैंकिंग के काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे बैंकों की पहुँच बढ़ती है और वित्तीय समावेशन में मदद मिलती है।
- BC-BOs बैंक खाते खोलना; टर्म डिपॉजिट खाते खोलना; नकद जमा और निकासी; फंड ट्रांसफर; डेबिट कार्ड जारी करना/ब्लॉक करना जैसे कई कार्य कर सकेंगे।
- BC-BTs सीमित सेवाएँ देंगे, जैसे कि छोटी रकम के लेन-देन और पैसे भेजना, और वे अपने काम के घंटे अपनी सुविधा के अनुसार रख सकेंगे।
- अभी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के बीच कोई वर्गीकरण नहीं है, जबकि उन्हें मिलने वाला कमीशन हर बैंक में अलग-अलग होता है।
- 2025 तक, अलग-अलग बैंकों ने 16 लाख से ज्यादा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नियुक्त किए हुए थे।

सॉइल सखियाँ

पश्चिमी महाराष्ट्र के सूखा-प्रवण जिलों में "सॉइल सखियाँ" पहल महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता में भी सुधार कर रही है।

पहल

- इसे 2023 में 'मान देशी फाउंडेशन' के 'कृषि और जलवायु कार्रवाई कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था।
- यह ग्रामीण महिलाओं को "सॉइल सखियों" के रूप में प्रशिक्षित करती है, ताकि वे मिट्टी की जाँच और वैज्ञानिक खेती के तरीकों को बढ़ावा दे सकें।
- इसे सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर और पुणे जिलों में लागू किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- सॉइल सखियाँ मिट्टी के नमूने इकट्ठा करती हैं और प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिट्टी की जाँच करवाने में मदद करती हैं। इससे किसानों को बेहतर फसल और पोषक तत्त्व प्रबंधन के लिए उपयोगी रिपोर्ट मिलती हैं।
- सॉइल सखियाँ हर महीने लगभग ₹8,000-₹10,000 कमाती हैं (पेट्रोल भत्ते के अलावा)।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं।

परिचय

- **आरंभ:** 2015 में।
- **उद्देश्य:** गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि आय-सृजन वाली गतिविधियों के लिए छोटे पैमाने के व्यावसायिक उद्यमों को सहायता देना।
- **लक्षित समूह:** नए उद्यमी, छोटे दुकानदार, महिला उद्यमी, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर, फल/सब्जी विक्रेता और छोटी विनिर्माण इकाइयाँ। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, RRB, लघु वित्त बैंकों, MFI और NBFC द्वारा दिए जाते हैं।
- **PMMY के अंतर्गत, मुद्रा ने चार उत्पाद बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं:**
  - **शिशु:** 50,000/- रुपये तक के ऋण शामिल हैं।
  - **किशोर:** 50,000/- रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं।
  - **तरुण:** 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं।
  - **तरुण प्लस:** 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं।
- इन ऋणों में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में सावधि वित्तपोषण और कार्यशील पूँजी की जरूरतें शामिल हैं; इसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन आदि भी शामिल हैं।
- ब्याज दर RBI के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है, और इसमें पुनर्भुगतान की शर्तें लचीली होती हैं।

खनिज रियायत नियमों में संशोधन

खान मंत्रालय ने खनन क्षेत्र में हाल के सुधारों को लागू करने के लिए खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।

परिचय

- ये नए नियम खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) में 2025 के संशोधन के माध्यम से किए गए बदलावों पर आधारित हैं।

संशोधन नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- **समीपवर्ती क्षेत्र को शामिल करना:** गहरे स्थित खनिजों के लिए खनन पट्टा (ML) या समग्र लाइसेंस (CL) धारकों को, आस-पास के (समीपवर्ती) क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक बार का विस्तार दिया गया है।
  - यह विस्तार खनन पट्टा के लिए मौजूदा क्षेत्र के 10% और समग्र लाइसेंस के लिए मौजूदा क्षेत्र के 30% तक सीमित है। इसका उद्देश्य खनिज भंडारों का इष्टतम निष्कर्षण सुनिश्चित करना है, जो अन्यथा अलाभकारी रह सकते हैं।
- **लघु और प्रमुख खनिजों के लिए प्रावधान:** ये नियम उन मामलों से निपटने के लिए एक स्पष्ट तरीका प्रदान करते हैं, जहाँ 2025 से पहले दिए गए पुराने लघु खनिज पट्टों में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं।
  - लघु खनिजों में विशेष रूप से भवन निर्माण के पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और साधारण रेत शामिल हैं।
  - प्रमुख खनिजों में लघु खनिजों के अलावा अन्य सभी खनिज शामिल हैं; उदाहरणों में कोयला, लौह अयस्क, जस्ता, चूना पत्थर, बॉक्साइट और सोना शामिल हैं।
  - लघु खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है; जबकि प्रमुख खनिज केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

स्टैगफ्लेशन

अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति में भारी रुकावट पैदा कर दी है, जिससे 1970 के दशक जैसे स्टैगफ्लेशन का डर फिर से सताने लगा है।

स्टैगफ्लेशन क्या है?

- **परिभाषा:** आर्थिक विकास का स्थिर/नकारात्मक होना + उच्च बेरोजगारी + उच्च महंगाई-इन तीनों का एक साथ होना।
- **यह शब्द किसने गढ़ा:** ब्रिटिश राजनेता इयान मैकलियोड (1960 के दशक में)।
- **यह खतरनाक क्यों है:** सामान्य मौद्रिक नीति के उपाय इसमें नाकाम हो जाते हैं; ब्याज दरें बढ़ाने से महँगाई तो कम होती है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाती है; वहीं दरें घटाने से विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन महँगाई और ज्यादा बढ़ जाती है।

यह कैसे होता है?

- एक सामान्य अर्थव्यवस्था में, कीमतें और उत्पादन एक स्थिर आपूर्ति-माँग वक्र (supply-demand curve) के साथ-साथ चलते हैं।
- आपूर्ति में कोई नकारात्मक झटका (जैसे युद्ध, महामारी या प्रतिबंध) पूरे आपूर्ति वक्र को बाईं ओर खिसका देता है।
- इसके परिणामस्वरूप, कीमतों का स्तर वही रहने पर भी, उत्पादक कम उत्पादन की आपूर्ति करते हैं; ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो इनपुट की लागत बढ़ जाती है, या फिर लॉजिस्टिक्स (परिवहन व्यवस्था) में रुकावट आ जाती है।

स्किल्स आउटकम्स फंड

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने स्किल्स आउटकम्स फंड बनाने के लिए एक अभियान आरंभ किया है।

परिचय

- इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए बेहतर करियर के अवसर पैदा करना है।
- यह स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड की उपलब्धियों को आगे बढ़ाता है; यह भारत की पहली परिणाम-आधारित परियोजना थी जिसे राष्ट्रिय कौशल विकास निगम (NSDC) ने 2021 में प्रारंभ किया था।
- स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड ने निजी क्षेत्र के संसाधनों और ज्ञान का उपयोग किया, और इसमें केवल प्रशिक्षण पूरा करने के बजाय, वास्तविक नौकरी मिलने और लंबे समय तक रोजगार बने रहने को प्राथमिकता दी गई।
- NSDC ही इस नए फंड का नेतृत्व और प्रबंधन भी करेगा।
- वित्तीय सहायता सीधे तौर पर करियर के पक्के परिणामों से जुड़ी है, जिसमें विशेष रूप से नौकरी मिलने और रोजगार के जारी रहने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

CAFE-III मानक

- कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता III (Corporate Average Fuel Efficiency-CAFE III) मानकों को 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए ईंधन दक्षता की और भी सख्त शर्तें होंगी।

CAFE मानक

- कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता या CAFE मानकों को पहली बार 2017 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पेश किया गया था। यह भारत के उन प्रयासों का हिस्सा था जिनका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और सड़क परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा जारी किए गए ये ईंधन दक्षता नियम M1 श्रेणी के वाहनों पर लागू होते हैं-यानी ऐसी यात्री कारें जिनमें नौ लोगों तक के बैठने की जगह हो और जिनका अधिकतम वजन 3,500 किलोग्राम हो।
- ये नियम कॉर्पोरेट औसत ईंधन खपत पर सीमा तय करते हैं। इस खपत को प्रति 100 किलोमीटर में इस्तेमाल हुए लीटर के हिसाब से मापा जाता है, और यह सीमा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऑटोमेकर द्वारा बेचे गए वाहनों के औसत वजन पर आधारित होती है।
- चूंकि ईंधन की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन सीधे तौर पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इन नियमों का उद्देश्य कंपनियों को उनके पूरे बेड़े (Fleet) की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रेरित करके कार्बन की तीव्रता को कम करना है।

- **CAFE मानकों के चरण:**
  - पहला चरण, जिसे 2017-18 में लागू किया गया था, उसमें औसत ईंधन खपत की सीमा 5.5 लीटर/100 किमी और उत्सर्जन की सीमा <130 ग्राम CO_2/ किमी तय की गई थी।
  - दूसरा चरण, जो 2022-23 से लागू है, उसने इन सीमाओं को और सख्त करते हुए 4.78 लीटर/100 किमी और <113 ग्राम CO_2/ किमी कर दिया।
  - तीसरा चरण, CAFE III (या CAFE 2027), अनुमेय ईंधन खपत को घटाकर 3.72-3.01 लीटर/100 किमी की सीमा में लाने का प्रस्ताव करता है, और इसके साथ ही उत्सर्जन के 91.7 ग्राम CO_2/ किमी से नीचे गिरने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)

e-NAM पोर्टल बाजार के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है; इसमें जुड़ी हुई मंडियों की संख्या 2024 में 1,389 से बढ़कर मार्च 2026 तक 1,656 हो गई है, जो 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तृत है।

e-NAM

- कृषि उत्पादों के लिए पूरे भारत में काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल।
- APMC मंडियों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार में जोड़ता है।
- कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 'लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ' (SFAC) द्वारा संचालित।
- **उद्देश्य:**
  - कृषि उत्पादों के लिए 'एक राष्ट्र, एक बाजार';
  - बेहतर मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा।

मुख्य विशेषताएं

- **ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म:** किसान अपने उत्पाद अलग-अलग बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बेच सकते हैं; और यह भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है।
- **गुणवत्ता जाँच:** वैज्ञानिक गुणवत्ता परीक्षण उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।
- **पारदर्शी बोली प्रणाली:** बिचौलियों/गुटबंदी को कम करती है; और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देती है।
- **एकीकृत लाइसेंस:** व्यापारी कई मंडियों में काम कर सकते हैं।
- **ऑनलाइन भुगतान प्रणाली:** किसानों को सीधा भुगतान मिलने से देरी और शोषण कम होता है।

e-NAM पोर्टल

- **सिंगल-विंडो सेवा:** उत्पादों की आवक, गुणवत्ता जाँच, बोली, भुगतान - सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर।
- **यूनिक लॉट ID ट्रैकिंग:** हर लॉट को गेट एंट्री से लेकर अंतिम बिक्री तक मोबाइल के जरिए ट्रैक किया जाता है।
- **लाइव मूल्य डैशबोर्ड:** उत्पादों के वास्तविक समय के मूल्य, मंडी में आवक, व्यापार की मात्रा - ये सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
- **12 भाषाओं वाला इंटरफेस:** हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, तमिल, ओडिया और अन्य।
- **द्वितीयक बिक्री मॉड्यूल:** प्लेटफॉर्म के भीतर ही पहले से खरीदे गए लॉट को दोबारा बेचने की सुविधा देता है।
- **अंतर-राज्यीय व्यापार सुविधा:** राज्य एकीकृत लाइसेंस व्यापारियों को राज्यों की सीमाओं के पार भी बोली लगाने में सक्षम बनाता है।

मोरचेला मशरूम

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार मोरचेला (मोरेल मशरूम) की सफलतापूर्वक खेती की है।

परिचय

- मोरचेला, जिसे कश्मीर में स्थानीय रूप से 'कांगाइच' के नाम से जाना जाता है, एक दुर्लभ और कीमती खाने योग्य फंगस है। यह प्राकृतिक रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों के खास जंगल वाले इकोसिस्टम में, बारिश के मौसम की एक छोटी सी अवधि के दौरान उगता है।
- बाजार में इसकी कीमत 15,000 से 40,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है।
- इस मशरूम को इसके तेज स्वाद, बेहतरीन पोषण तत्त्वों और औषधीय गुणों के लिए बहुत महत्त्व दिया जाता है। इसके औषधीय गुणों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-ट्यूमर और एंटी-माइक्रोबियल गुण शामिल हैं।
- मोरचेला की खेती करना लंबे समय से एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती रही है। इसकी वजह इसका जटिल जीवन चक्र, सहजीवी (Symbiotic) पारिस्थितिक व्यवहार और पर्यावरण से जुड़ी बहुत ही खास जरूरतें हैं।
- भारत में कहीं भी इसकी व्यावसायिक स्तर पर खेती नहीं की जाती है।

रिलीफ योजना

सरकार ने 'निर्यात संवर्धन मिशन' के अंतर्गत 'रिलीफ' (RELIEF) योजना का विस्तार किया है, ताकि उन भारतीय निर्यातकों को सहायता दी जा सके जो माल ढुलाई की बढ़ती लागत, बीमा प्रीमियम और पश्चिम एशिया में समुद्री परिवहन में आने वाली बाधाओं से प्रभावित हैं।

निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (RELIEF) योजना

- सरकार ने मार्च 2026 में 'रिलिफ' योजना प्रारंभ की थी, ताकि उन भारतीय निर्यातकों को सहायता दी जा सके जिन्हें माल ढुलाई की उच्च लागत, बीमा प्रीमियम और पश्चिम एशिया में युद्ध से संबंधित व्यापारिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इसे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) के माध्यम से लागू किया जाता है।
- यह योजना विशेष रूप से MSME निर्यातकों को बीमा सहायता, जोखिम कवरेज और पुनर्भुगतान सहायता प्रदान करती है, जिसमें पिछली और भविष्य की, दोनों तरह की खेप (shipments) शामिल होती हैं।

- इसके अंतर्गत उन खेपों को शामिल किया गया है जिन्हें UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल और यमन जैसे देशों में पहुँचाया जाना है या वहाँ से आगे भेजा जाना है।

विस्तार

- इस योजना का विस्तार करके इसमें मिस्र और जॉर्डन को भी पात्र गंतव्य देशों के रूप में शामिल किया गया है।
- इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि 16 मार्च 2026 से ECGC की नई 'होल टर्नओवर पॉलिसी' लेने वाले निर्यातक, इस योजना के 'घटक II' (Component II) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

राष्ट्रीय न्यूनतम आधार वेतन स्तर

हाल ही में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री श्रमिकों के असंतोष ने भारत के लंबे समय से स्थिर राष्ट्रीय न्यूनतम आधार वेतन स्तर (NFLMW) में संशोधन हेतु केंद्र सरकार के प्रयासों को तेज कर दिया है। वर्तमान में 350-450 रुपये/दिन के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श चल रहा है।

राष्ट्रीय न्यूनतम आधार वेतन स्तर

- NFLMW एक आधारभूत वेतन सीमा है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके नीचे कोई भी राज्य विधिक रूप से अपना न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर सकता।
- राज्यों को स्थानीय कौशल स्तर, भौगोलिक परिस्थितियों और व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए इस आधार स्तर के बराबर या उससे अधिक न्यूनतम वेतन निर्धारित करना होता है।
- इस अवधारणा की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (NCRL) से हुई थी, जिसकी अध्यक्षता झीनाभाई दरजी (1991) ने की थी। आयोग ने अंतर्राज्यीय वेतन असमानताओं को कम करने हेतु प्रारंभ में इसे स्वैच्छिक आधार पर अनुशंसित किया था।
- वेतन संहिता, 2019 ने इसे एक परामर्शात्मक दिशानिर्देश से उन्नत कर विधिक रूप से बाध्यकारी वैधानिक आधार स्तर का दर्जा प्रदान किया।

ट्रक माउंटेड एटेन्यूएटर्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रक माउंटेड एटेन्यूएटर्स (TMAs) जैसे उन्नत सुरक्षा सिस्टम लगा रहा है।

TMAs

- TMAs खास तौर पर डिजाइन किए गए, टक्कर के असर को सोखने वाले सुरक्षा उपकरण हैं, जो कर्मचारियों और सड़क इस्तेमाल करने वालों, दोनों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं।
- टक्कर होने पर, ये सिस्टम गतिज ऊर्जा को सोख लेते हैं और उसे फैला देते हैं, जिससे टक्कर का बल कम हो जाता है। इससे इन कामों में मदद मिलती है:
  - वाहन के आगे काम कर रहे रखरखाव कर्मचारियों की सुरक्षा करना;
  - टक्कर मारने वाले वाहन में बैठे लोगों के लिए चोट लगने का खतरा कम करना;
  - राजमार्ग पर चल रहे काम की जगहों पर दुर्घटनाओं की गंभीरता को कम करना।
- कई मायनों में, TMAs एक अदृश्य ढाल की तरह काम करते हैं – जो खतरे और इंसानी जान के बीच खड़े रहते हैं।
- लगाए गए TMAs में तेज रोशनी वाली विग-वैग चेतावनी लाइटें लगी होती हैं, जिससे कम रोशनी और कोहरे वाले मौसम में भी चीजें साफ दिखाई देती हैं।

निजी स्वर्ण खनन परियोजना

आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के जोन्नागिरि में भारत की पहली बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खदान के शुभारंभ ने भारत के स्वर्ण भंडार, उत्पादन घाटे तथा घरेलू खनन के सामरिक महत्त्व पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है।

परिचय

- स्वर्ण एक नरम, सघन, अत्यधिक तन्य तथा संक्षारण-प्रतिरोधी बहुमूल्य धातु है, जो प्रकृति में अपने मूल रूप में पाई जाती है।
- भारत में तेल के पश्चात् स्वर्ण दूसरा सबसे बड़ा आयात है, जहाँ घरेलू माँग की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष लगभग 1,000 टन स्वर्ण आयात किया जाता है।
- बिहार लगभग 43% हिस्सेदारी के साथ स्वर्ण भंडार में अग्रणी है, इसके पश्चात् राजस्थान (~25%) और कर्नाटक (~20%) का स्थान है, जबकि केरल में नदियों और तटीय क्षेत्रों के किनारे महत्त्वपूर्ण प्लेसर (जलोढ़) निक्षेप पाए जाते हैं।
- कर्नाटक भारत के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 97% योगदान देता है, मुख्यतः रायचूर स्थित हट्टी गोल्ड माइंस के माध्यम से।
- चीन वैश्विक स्वर्ण उत्पादन में लगभग 10% हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है, इसके पश्चात् रूस और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।
- स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक है। स्विट्जरलैंड वैश्विक स्वर्ण निर्यात में भी प्रमुख है तथा विश्व के लगभग 70% स्वर्ण का परिशोधन करता है।

भारत जामुन के विकास के केंद्र के रूप में

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सिजीजियम (Syzygium-जामुन) की उत्पत्ति पहले की सोच से कहीं अधिक पहले हुई थी, और इसके विकास में भारत ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई।

उत्पत्ति और विकास

- पहले माना जाता था कि सिजीजियम (Syzygium) की उत्पत्ति केवल ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण-पूर्व एशिया तक ही सीमित थी।
  - भारत से मिले हालिया जीवाश्म प्रमाणों ने इस धारणा को चुनौती दी है और इसकी उत्पत्ति को कहीं अधिक प्राचीन सिद्ध किया है।
- हिमाचल प्रदेश के कसौली फॉर्मेशन से खोजे गए नए प्रारंभिक मायोसीन जीवाश्म (~20 मिलियन वर्ष पूर्व)-जिनमें 11 अच्छी तरह से संरक्षित पत्तियाँ शामिल हैं और जिनकी पहचान सिजीजियम पैलियोसैलिसीफोलियम (Syzygium paleosalicifolium) के रूप में की गई है-भारत में इसकी निरंतर उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।

- अब इस वंश (genus) की उत्पत्ति का पता पूर्वी गोंडवाना (~80 मिलियन वर्ष पूर्व) से लगाया गया है।
- भारत प्रारंभिक विविधीकरण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहाँ से यह वंश पश्चात् में दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला।

जामुन

- जामुन फूलों वाले पौधों की एक प्रजाति है जो मायर्टेसी (Myrtaceae) परिवार से संबंधित है।
- यह प्रजाति उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली हुई है और इसमें पारिस्थितिक और आर्थिक महत्त्व वाली प्रजातियाँ शामिल हैं।
- **औषधीय गुण:** आयुर्वेद और यूनानी जैसी चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में जामुन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह विशेष रूप से जंबोलिन जैसे यौगिकों के कारण अपने मधुमेह-रोधी गुणों के लिए जाना जाता है।
- **वितरण:** जामुन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और फिलीपींस में व्यापक रूप से पाया जाता है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** इस प्रजाति का उपयोग अक्सर सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में किया जाता है, क्योंकि यह वनीकरण और बंजर भूमि के सुधार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत समुद्री बीमा पूल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के समुद्री व्यापार की मजबूती को बढ़ाने के लिए 12,980 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी के साथ 'भारत समुद्री बीमा पूल' (BMI पूल) बनाने को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- BMI पूल एक घरेलू बीमा व्यवस्था है जो जहाज के ढाँचे और मशीनरी, माल, सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (P&I), और युद्ध के जोखिम जैसे मुख्य क्षेत्रों में पूरी सुरक्षा देती है।
- यह भारत के झंडे वाले और भारत के नियंत्रण वाले जहाजों को सुरक्षा देता है, जिनमें वे जहाज भी शामिल हैं जो संघर्ष वाले अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में काम करते हैं; साथ ही, यह भारत और विश्व भर के बंदरगाहों के बीच माल की आवाजाही को भी सुरक्षा देता है।
- यह 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' के अनुरूप है और 2047 तक एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बनने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है।
- इसी तरह की सरकारी सहायता वाली व्यवस्थाएँ यूनाइटेड किंगडम, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी मौजूद हैं।

अतिरिक्त जानकारी

- भारत का समुद्री क्षेत्र, देश के 70% से ज्यादा व्यापार को मात्रा के हिसाब से और लगभग 95% व्यापार को मूल्य के हिसाब से संभालता है; फिर भी, इस विशाल इकोसिस्टम के लिए बीमा कवरेज ज्यादातर विदेशी हाथों में ही रहा है।
- यह ढाँचागत कमजोरी हाल ही में लाल सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों में आई रुकावटों के दौरान साफ तौर पर सामने आई। उस समय, कई वैश्विक बीमा कंपनियों ने या तो प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी कर दी या फिर कवरेज पूरी तरह से वापस ले लिया, जिससे भारतीय निर्यातकों और शिपिंग ऑपरेटरों को बढ़े हुए वित्तीय जोखिम और परिचालन संबंधी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।

प्रोजेक्ट दंतक

प्रोजेक्ट दंतक ने 1961 से भूटान में अपनी लगातार सेवा के 65 साल पूरे होने पर अपना स्थापना दिवस मनाया।

परिचय

- प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विजन के अंतर्गत भूटान की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और उसके सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करने के लिए की गई थी।
- इसे देश की पहली मोटर-योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। 1968 तक, इसने कई प्रमुख मार्गों का निर्माण पूरा कर लिया था, जिनमें समद्रुप जोंगखर-त्राशिगांग सड़क और फुंटशोलिंग-थिम्पू राजमार्ग शामिल हैं।
- इसका नेतृत्व सीमा सड़क संगठन (BRO) करता है।

प्रगति

- प्रोजेक्ट दंतक भूटान की कनेक्टिविटी और सामाजिक-आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है। इसने 1,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें ईस्ट-वेस्ट हाईवे भी शामिल है। इसके अलावा, इसने राजमार्गों, हवाई अड्डों, पुलों, अस्पतालों, स्कूलों और संचार नेटवर्क जैसी प्रमुख बुनियादी सुविधाओं का भी निर्माण किया है।
- हाल के वर्षों में, इसने सड़कों को चौड़ा करके और कॉन्फ्लुएंस-हा तथा समद्रुप जोंगखर-त्राशिगांग राजमार्ग जैसे प्रमुख मार्गों को उन्नत करके बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे सुरक्षा और यात्रा की दक्षता में सुधार हुआ है।
- भूस्खलन और सड़कों को हुए नुकसान के पश्चात् कनेक्टिविटी को तेजी से बहाल करके इसने आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया है।

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड

मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) में इस्तेमाल होने वाले मुख्य कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

PCBs

- यह एक परतदार यांत्रिक संरचना है जो किसी सर्किट में लगे घटकों को थामे रखती है और उन्हें आपस में विद्युत रूप से जोड़ती है।

- इसका उपयोग लगभग सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, AI सर्वर और स्मार्टवॉच में किया जाता है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जोड़ने के लिए एक आधार प्रदान करता है और उनके बीच बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है।

PCB निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल

- **रेजिन:** उच्च-शुद्धता वाले पॉलीफेनिलीन ईथर (PPE) और एपॉक्सी रेजिन, लैमिनेट्स (बोर्ड के इन्सुलेटिंग आधार) के लिए महत्त्वपूर्ण आधार सामग्री के रूप में कार्य करते हैं।
- **कॉपर फॉइल:** यह मुख्य प्रवाहकीय सामग्री है, जिसकी लागत कुल कच्चे माल की लागत का लगभग 60% होती है।
- **ग्लास फाइबर:** इसका उपयोग आधार (substrate) के भीतर एक सुदृढ़कारी सामग्री के रूप में किया जाता है, जो संरचनात्मक मजबूती और इन्सुलेशन प्रदान करता है।
- **हीलियम और ब्रोमीन:** कतर विश्व के एक-तिहाई से अधिक हीलियम (जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी में होता है) की आपूर्ति करता है, जबकि दो-तिहाई ब्रोमीन (जिसका उपयोग एचिंग के लिए होता है) इजराइल और जॉर्डन से आता है।

मुख्य मुद्दे

- सऊदी अरब के जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हुए एक हमले ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में उपयोग होने वाली एक मुख्य सामग्री (PPE रेजिन) के उत्पादन को बाधित कर दिया है।
- वैश्विक PCB निर्माण में चीन का वर्चस्व है; वैश्विक उत्पादन में उसका हिस्सा 50% से अधिक है, जिससे 'एकल-स्रोत निर्भरता' (single-source concentration) का जोखिम उत्पन्न हो गया है।
- भारत का PCB उद्योग अभी भी आयातित कच्चे माल जैसे कॉपर-क्लैड लैमिनेट्स, विशेष रसायनों और सोल्डरिंग यौगिकों पर अत्यधिक निर्भर है।
- भारत अपनी PCB संबंधी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया से आयात करके करता है, जिससे यह रक्षा, दूरसंचार और EV (इलेक्ट्रिक वाहन) क्षेत्रों के लिए एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति बन गई है।

भारत के नीतिगत हस्तक्षेप

- **इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS), 2025:**
  - अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा MeitY के अंतर्गत ₹22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित।
  - विशेष रूप से PCBs, SMD पैसिव, Li-ion सेल, कैपेसिटर, कनेक्टर, कॉपर लैमिनेट - उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जहाँ आयात पर निर्भरता सबसे ज्यादा है।
  - 25% तक की पूँजी सब्सिडी और बढ़ी हुई बिक्री पर 4-6% का प्रोत्साहन प्रदान करता है - यह PLI से अलग है (जो अंतिम उत्पाद की बिक्री पर इनाम देता है)।
- **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM) के लिए PLI:**
  - वैश्विक कंपनियों (Foxconn और Tata के माध्यम से Apple) को भारत में विनिर्माण करने के लिए आकर्षित किया।
  - भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है।
  - **सीमा:** यह असेंबली पर केंद्रित है, न कि कंपोनेंट/PCB विनिर्माण पर।
- **सेमीकंडक्टर मिशन (भारत सेमीकंडक्टर मिशन):**
  - छह सेमीकंडक्टर परियोजनाएँ निष्पादन के चरण में हैं; ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार और परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं।
  - इसका लक्ष्य 2030 तक एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर-से-PCB मूल्य श्रृंखला स्थापित करना है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण

कोयला मंत्रालय ने 14वें वाणिज्यिक कोयला नीलामी दौर के अंतर्गत चार कोयला खदानों के लिए 'कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते' (CMDPAs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ ही भारत में पहली बार 'भूमिगत कोयला गैसीकरण' (UCG) के प्रावधान लागू किए गए हैं।

भूमिगत कोयला गैसीकरण क्या है?

- भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) एक नई तकनीक है जो पारंपरिक खनन विधियों का उपयोग किए बिना, सीधे कोयला परत के भीतर ही कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित कर देती है।
- यह तकनीक गहरी, पतली, या अन्यथा खनन के लिए अनुपयुक्त कोयला भंडारों का उपयोग संभव बनाती है, जिससे भारत के उपयोग योग्य ऊर्जा संसाधनों का विस्तार होता है।

कोयला गैसीकरण

कोयला गैसीकरण, कोयले को 'सिन्गैस' (संश्लेषण गैस) में बदलने की एक प्रक्रिया है। सिन्गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन (H_2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का मिश्रण होती है, जिसे उच्च तापमान पर भाप और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करवाकर बनाया जाता है। सिन्गैस का उपयोग इन चीजों के उत्पादन के लिए एक कच्चे माल (फीडस्टॉक) के रूप में किया जाता है:

- **अमोनिया** → उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त
- **मेथेनॉल** → ईंधन और रासायनिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त
- **हाइड्रोजन** → स्वच्छ ऊर्जा वाहक
- **सिंथेटिक प्राकृतिक गैस** → आयातित LNG का विकल्प

महत्त्व

- UCG, पारंपरिक कोयला निकालने के साथ-साथ ज्यादा साफ और ज्यादा कुशल ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है।
- सिन्गैस का इस्तेमाल खाद (जैसे यूरिया और अमोनिया), साथ ही मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर और सिंथेटिक ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे आयात में संभावित कमी आ सकती है।

कोयला खदान/ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौता (CMDPA/CBDPA)

- यह कमर्शियल कोयला खदान आवंटियों के लिए माइलस्टोन पर आधारित सिस्टम तय करता है, जो समय पर विकास और संचालन सुनिश्चित करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को प्रोजेक्ट की समय-सीमा से जोड़ता है।
- जल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यह राजस्व हिस्से पर 50% प्रोत्साहन देता है और यदि ब्लॉक समय पर चालू हो जाता है, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) की वापसी की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन

- सरकार ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन प्रारंभ किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण हासिल करना है।
- इसका समर्थन करने के लिए, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स के लिए ₹8,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, साथ ही ₹64,000 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश भी चल रहे हैं।
- यह पहल अंडरग्राउंड कोयला गैसीकरण (UCG) जैसी उन्नत विधियों को भी बढ़ावा देती है, ताकि उन कोयला भंडारों का उपयोग किया जा सके जहाँ पहुँचना मुश्किल है, और साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम किया जा सके।

त्याग अनुपात

हाल ही में वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में वृद्धि के माध्यम से कोविड-कालीन मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया गया था, किन्तु बढ़ती तेल कीमतें पुनः मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम उत्पन्न कर रही हैं। अमेरिका ने बहुत कम आर्थिक कीमत चुकाकर महँगाई को कम किया; UK को मंदी का सामना करना पड़ा; और भारत की विकास दर धीमी हुई, लेकिन वह आर्थिक गिरावट से बच गया।

त्याग अनुपात

- त्याग अनुपात एक आर्थिक अनुपात है जो किसी देश के कुल उत्पादन और आउटपुट पर बढ़ती और घटती महंगाई के प्रभाव को मापता है।
- इसकी गणना उत्पादन में हुई कमी को महँगाई में हुई प्रतिशत गिरावट से भाग देकर की जाती है; यह दर्शाता है कि महंगाई में हर 1% की कमी के लिए कितना आउटपुट (उत्पादन) का नुकसान होता है।

महत्त्व

- त्याग अनुपात, आउटपुट के नुकसान के रूप में महँगाई को कम करने की कीमत को दर्शाता है।
- यह नीति-निर्माताओं को यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि जब ऊँची ब्याज दरों जैसे उपायों का उपयोग करके महंगाई को कम किया जाता है, तो उत्पादन में कितनी गिरावट आ सकती है।

सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2024-25 को आधार वर्ष मानते हुए एक नए सेवा उत्पादन सूचकांक का प्रस्ताव रखा है।

ISP की आवश्यकता

- सेवा क्षेत्र भारत के सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में 50% से अधिक का योगदान देता है, फिर भी अल्पकालिक रुझानों की निगरानी के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के समकक्ष कोई सूचकांक मौजूद नहीं है।
- ISP इस कमी को पूरा करेगा और IIP का पूरक बनेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों की अधिक व्यापक समझ विकसित हो सकेगी।
- वर्तमान में ऐसे किसी सूचकांक के अभाव में सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का वास्तविक समय (real-time) में आकलन करना सीमित हो जाता है।

डिफ्लेटर्स का उपयोग

- यह सूचकांक बैंकिंग, बीमा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में कीमतों में होने वाले बदलावों को समायोजित करने के लिए 'सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक' (PPIs) का उपयोग करेगा।
- जिन क्षेत्रों में PPI उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ उनके विकल्प के रूप में उस विशिष्ट क्षेत्र के 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPIs) का उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है, भारत में आधिकारिक डेटा के लिए केंद्रीय एजेंसी है। 2019 में CSO और NSSO को मिलाकर गठित इस कार्यालय का नेतृत्व भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् करते हैं।
- **कार्य:**
  - NSO बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करता है, राष्ट्रीय आय (GDP/GNP) का संकलन करता है, और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय मानक निर्धारित करता है।
  - यह राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
- **प्रमुख प्रकाशन:**
  - **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS):** GDP और पूँजी निर्माण।
  - **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS):** रोजगार के रुझान।
  - **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और ASI:** औद्योगिक प्रदर्शन।
  - **उपभोक्ता व्यय और सामाजिक उपभोग:** गरीबी और सेवाओं का उपयोग।
  - **सांख्यिकीय वर्ष पुस्तिका और ऊर्जा सांख्यिकी:** व्यापक क्षेत्रीय और ऊर्जा संबंधी डेटा।

4 पर्यावरण

बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने अपनी अभिनव प्रौद्योगिकी "लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से बायो-बिटुमेन - कृषि अवशेष से सड़कों तक" के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया।

बायो-बिटुमेन

- **विकसितकर्ता:** CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा CSIR-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।
- इसे सड़क निर्माण में अपनाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के लिए विकसित किया गया है।
  - बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी कृषि बायोमास और फसल अवशेषों को ऊष्मा-रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करती है, जिससे पेट्रोलियम-आधारित बिटुमेन का एक नवीकरणीय और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प तैयार होता है।
  - इस प्रौद्योगिकी ने पारंपरिक बिटुमेन के समकक्ष प्रदर्शन प्रदर्शित किया है, साथ ही महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ भी प्रदान किए हैं।
- **महत्त्व:** यह पहल फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी। भारत वर्तमान में अपनी बिटुमेन आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है, और बायो-बिटुमेन जैसी नवाचार तकनीकें विदेशी निर्भरता को उल्लेखनीय रूप से कम करते हुए घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगी।

बिटुमेन

- बिटुमेन हाइड्रोकार्बन का एक काला, गाढ़ा मिश्रण है, जो कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन (fractionation) से बनता है; सड़क निर्माण में यह एक महत्त्वपूर्ण बाइंडर (जोड़ने वाले पदार्थ) के रूप में काम करता है।
- बायो-बिटुमेन बनाने की प्रक्रिया में फसल कटने के पश्चात् बचे चावल के पुआल को इकट्ठा करना, उसे पैलेट (गोलियों) का रूप देना, बायो-ऑयल बनाने के लिए उसका पायरोलिसिस करना और उसके पश्चात् उसे पारंपरिक बिटुमेन के साथ मिलाना शामिल है।

राइस व्हेल

अमेरिका में तेल और गैस ड्रिलिंग के विस्तार से राइस व्हेल के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

राइस व्हेल

- यह बेलीन व्हेल परिवार बैलेनोप्टेरिडी (Balaenopteridae) से संबंधित है और व्हेल की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। वर्तमान में इनकी संख्या 100 से भी कम हैं।
- **वितरण एवं आवास:** यह मेक्सिको की उत्तरी खाड़ी क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है और लंबी प्रवासन यात्रा किए बिना पूरे वर्ष इसी क्षेत्र में निवास करती है।
- **आहार:** मुख्यत: छोटी मछलियों और स्क्विड पर निर्भर रहती है।
- **खतरे:** तेल ड्रिलिंग, पोतों की टक्कर तथा जलवायु परिवर्तन।
- **संरक्षण स्थिति:** इसे IUCN रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

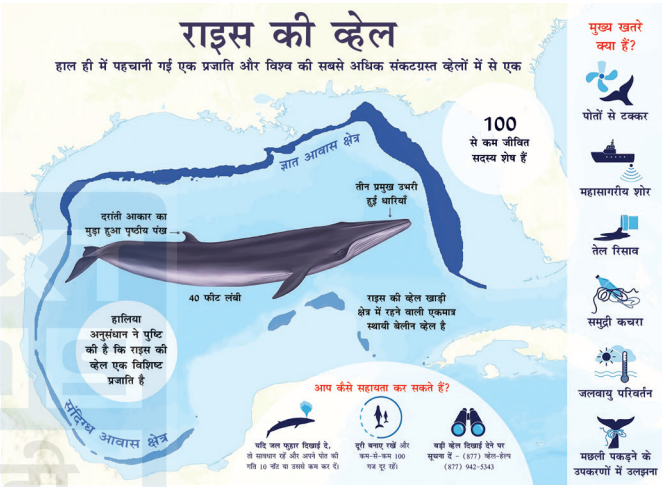

अतिरिक्त जानकारी

इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (IWC) की स्थापना 1946 में एक वैश्विक संस्था के रूप में की गई थी, जो व्हेल के शिकार के प्रबंधन और उनके संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, IWC में 80 से अधिक सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

E20 पेट्रोल

भारत ने 1 अप्रैल, 2025 से सभी ईंधन स्टेशनों पर E20 पेट्रोल के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन को आधिकारिक रूप से अनिवार्य कर दिया है।

परिचय

- यह भारत के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका मूल लक्ष्य 2030 तक 20% मिश्रण प्राप्त करना था, किन्तु संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2022) के अंतर्गत इसे अग्रिम रूप से 2025 तक कर दिया गया।
- इस अनिवार्यता को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।
- मिश्रण में प्रयुक्त एथेनॉल एक जैव ईंधन है, जो मुख्यत: गन्ना, मक्का, शेष खाद्यान्न और अधिशेष चावल जैसे कृषि कच्चे पदार्थों से प्राप्त किया जाता है।

- इसे इन फसलों के किण्वन और आसवन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जिससे यह एक नवीकरणीय और घरेलू स्रोत आधारित ऊर्जा इनपुट बनता है।
- E20 पेट्रोल का ऑक्टेन रेटिंग लगभग 95 RON होता है, जो सामान्य पेट्रोल के 91-92 RON की तुलना में अधिक है - अर्थात् यह अधिक सुगम इंजन दहन तथा बेहतर एंटी-नॉक प्रदर्शन प्रदान करता है।

महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** यह कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करता है। भारत अपनी तेल आवश्यकता का 85% से अधिक आयात करता है, जिससे वह वैश्विक मूल्य झटकों और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना रहता है।
- **कृषि संबंध:** यह एथेनॉल उत्पादक फसलों की निरंतर मांग उत्पन्न करता है तथा गन्ना और मक्का किसानों को प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करता है।
- **जलवायु प्रतिबद्धताएँ:** जैव ईंधन मिश्रण शुद्ध जीवन-चक्र कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों के अनुरूप है।

फॉरएवर केमिकल्स

यूरोपीय संघ ने जल में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। ये नियम PFAS जैसे हानिकारक रसायनों पर लागू होते हैं, जिन्हें अक्सर "Forever Chemicals" (हमेशा बने रहने वाले रसायन) कहा जाता है।

परिचय PFAS

- PFAS (Per-and Polyfluoroalkyl Substances) इंसानों द्वारा बनाए गए रसायनों का एक बहुत बड़ा समूह है। इनमें कार्बन और फ्लोरीन के बीच बहुत मजबूत बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये रसायन बहुत ज्यादा स्थिर होते हैं और आसानी से टूटते या नष्ट नहीं होते।
- स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत, इन रसायनों को 'Persistent Organic Pollutants' (POPs) की श्रेणी में रखा गया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) एक विधिक तौर पर जरूरी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद बहुत ज्यादा खतरनाक केमिकल्स से इंसानी सेहत और पर्यावरण की रक्षा करना है।

ऑक्टोपस में हेक्टोकोटाइलस

हाल के शोध ने ऑक्टोपस में हेक्टोकोटाइलस के एक नए कार्य को उजागर किया है, जिससे उनमें उन्नत संवेदी और प्रजनन संबंधी अनुकूलन का पता चला है।

हेक्टोकोटाइलस

- हेक्टोकोटाइलस नर ऑक्टोपस में पाई जाने वाली एक विशेष रूप से विकसित भुजा है, जिसे पारंपरिक रूप से प्रजनन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संरचना माना जाता रहा है।
- हालाँकि, नए निष्कर्षों से यह साबित हुआ है कि यह संवेदी कार्य भी करता है, जिससे यह एक बहु-कार्यीय अंग बन जाता है।
- हेक्टोकोटाइलस नर ऑक्टोपस को रासायनिक संकेतों के माध्यम से अपनी मादा साथी की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

जम्मू और कश्मीर में झीलों का पतन

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने पाया है कि 1967 के पश्चात् से जम्मू और कश्मीर की लगभग आधी झीलें गायब हो चुकी हैं, और उन्होंने एक पारिस्थितिक संकट की चेतावनी दी है।

मुख्य कारण

- अनियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ और अतिक्रमण;
- कमजोर संस्थागत समन्वय; एक एकीकृत नियामक ढाँचे का अभाव, जिसके कारण भूमि-उपयोग में बदलाव हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख UT की प्रमुख झीलें

- **डल झील:** मीठे जल की एक प्रसिद्ध झील, जो अपनी हाउसबोट, शिकारा और तैरते बगीचों (राद) के लिए जानी जाती है।
- **वुलर झील:** वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है और यह विवर्तनिक (tectonic) गतिविधियों के कारण बनी है। इसे झेलम नदी से जल मिलता है और इसे एक रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **पैंगोंग त्सो:** यह ऊँचाई पर स्थित खारे जल की एक झील है जो तिब्बत तक फैली हुई है; यह अपने बदलते रंगों और रणनीतिक महत्त्व के लिए जानी जाती है।
- **त्सो मोरीरी:** यह ऊँचाई पर स्थित खारे जल की एक और झील है और एक रामसर स्थल भी है।
- **मानसबल झील:** इसे इस क्षेत्र की सबसे गहरी मीठे जल की झीलों में से एक माना जाता है; नूर जहाँ द्वारा बनवाया गया मुगल उद्यान 'झरोखा बाग' इसी झील के किनारे स्थित है।
- **होकरसर आर्द्रभूमि:** इसे अक्सर 'आर्द्रभूमियों की रानी" कहा जाता है।
- **सुरिनसर झील और मानसर झील:** ये जुड़वाँ झीलें हैं और रामसर स्थल भी हैं।

सिंधु नदी डॉल्फिन

यह डॉल्फिन विश्व के सबसे ज्यादा संकटग्रस्त मीठे जल के सिटेशियन (जलीय स्तनधारियों) में से एक है और सिंधु नदी तंत्र की एक प्रमुख प्रजाति है।

परिचय

- सिटेशियन ऐसे जलीय स्तनधारी होते हैं जिनमें व्हेल, डॉल्फिन और पोरपोइज शामिल हैं।
- सिंधु नदी डॉल्फिन कभी पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में फैली हुई थी।

- लेकिन जल के बहाव पर नियंत्रण, नदियों के बीच संपर्क टूटने, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मछली पकड़ने के जाल में फँसने के कारण इसका दायरा काफी सिकुड़ गया है।
- सिंधु नदी डॉल्फिन असल में अंधी होती है; यह रास्ता खोजने, शिकार करने और रुकावटों से बचने के लिए पूरी तरह से 'इकोलोकेशन' (प्रतिध्वनि-निर्धारण) पर निर्भर रहती है।

माइक्रोबियल मीथेन

एक नए अध्ययन के मुताबिक, तेल और गैस के उन कुओं से जो अब उत्पादन नहीं कर रहे हैं, माइक्रोबियल मीथेन का रिसाव पहले के अनुमानों से लगभग 1,000 गुना ज्यादा दर से हो रहा है।

परिचय

- माइक्रोबियल मीथेन (या बायोजेनिक मीथेन) एक मीथेन गैस है जिसे सूक्ष्मजीवों, खास तौर पर 'मेथेनोजेन' कहे जाने वाले आर्किया द्वारा बनाया जाता है। यह ऑक्सीजन की कमी वाले (एनारोबिक) वातावरण में जैविक पदार्थों के सड़ने-गलने से बनती है।
- यह वैश्विक कार्बन चक्र का एक अहम हिस्सा है, जो आर्द्रभूमि, धान के खेतों, लैंडफिल और जुगाली करने वाले जानवरों के पाचन तंत्र में बनती है। जब मीथेन वातावरण में छोड़ी जाती है, तो यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस बन जाती है, चाहे वह किसी भी स्रोत से आई हो।

ओक वृक्ष

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी में नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य के लिए ओक के वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी है।

परिचय

- ओक, फैगेसी (agaceae) परिवार के क्वेरकस (Quercus) जीनस से संबंधित है और भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में इसका बहुत सामाजिक और इकोलॉजिकल महत्त्व है।
- ओक को तीन समूहों में बाँटा जा सकता है, जिन्हें कभी-कभी उप-वंश भी माना जाता है: सफेद ओक, लाल ओक और काला ओक।
- ओक के वृक्ष 75 साल की उम्र में पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और इनकी औसत उम्र 150-250 साल होती है। हालाँकि, सबसे पुराने ओक के वृक्ष 1,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
- **जलवायु की जरूरतें:** ओक के वृक्ष आम तौर पर समशीतोष्ण जलवायु में अच्छी तरह पनपते हैं।
- **भारत में ओक के वृक्ष:** हिमालय में, समुद्र तल से 800 से 3,000 मीटर की ऊँचाई के बीच ओक की 35 प्रजातियाँ पाई गई हैं।
- **उत्तराखंड में पाए जाने वाले ओक हैं:** बांज ओक, मोरू ओक, खर्सू ओक, रियांज ओक और फालियाथ ओक।
- **महत्त्व:**
  - ओक के जंगल झरनों के फिर से भरने को बढ़ावा देकर जल-विभाजन (watershed) की सुरक्षा में मदद करते हैं।
  - इन वृक्षों पर लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स (ये तीनों ही काई जैसे पौधे हैं), ऑर्किड और अन्य फूल वाले पौधे उगते हैं, जिससे कई परतों वाले छोटे-छोटे आवास (microhabitats) बन जाते हैं।
  - पक्षी और स्तनधारी जानवर, जैसे कि जे (jays), हिमालयी लंगूर, लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरियाँ और एशियाई काले भालू, ओक की पत्तियों और बीजों (acorns) को खाते हैं; अक्सर वे इन्हें मुश्किल समय के लिए जमा करके रख लेते हैं।
  - ओक का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा अपने घरों के पास के जंगलों से ईंधन की लकड़ी और चारे के रूप में किया जाता है।
- **खतरे:** वृक्षों की अत्यधिक कटाई-छँटाई, जानवरों की चराई, और ईंधन तथा चारे के लिए लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल।

प्रोजेक्ट हिम सरोवर

लद्दाख में 'प्रोजेक्ट हिम सरोवर' प्रारंभ किया गया है।

परिचय

- **उद्देश्य:** इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से बर्फ इकट्ठा करना और जल निकाय बनाना है, ताकि लद्दाख में जल की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया जा सके।
- यह प्रोजेक्ट पिघलती हुई बर्फ और ग्लेशियर के जल को इकट्ठा करने के लिए स्टोरेज तालाब बनाएगा।
  - ये तालाब सिंचाई और ग्रामीण इलाकों की जल की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे।
- इस पहल का उद्देश्य जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन के लिए एक स्थानीय मॉडल विकसित करना भी है।
  - चूँकि लद्दाख की घाटियाँ अपनी जल की जरूरतों के लिए बर्फबारी और ग्लेशियरों पर निर्भर रहती हैं, इसलिए मौसम में होने वाले अप्रत्याशित बदलावों के कारण जल की कमी हो रही है, जिसका गाँव वालों की आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है।
  - इस प्रोजेक्ट को भारतीय सेना, ITBP, BRO और स्थानीय समुदायों से सहयोग मिला है।
- **महत्त्व:** इससे इस क्षेत्र में स्थानीय आजीविका और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। यह जल की कमी की समस्या का समाधान करेगा, सिंचाई को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में जलवायु-अनुकूलता को बढ़ाएगा।

शहतूश ऊन

दिल्ली की एक न्यायालय ने जयपुर के एक आर्ट गैलरी मालिक को शहतूश शॉल को गैर-विधिक तरीके से निर्यात करने की कोशिश करने के आरोप में दोषी ठहराया है।

परिचय

- शहतूश ऊन तिब्बती मृग के बालों से मिलती है, जिसे 'चिरू' भी कहा जाता है। यह ऊन पाने के लिए इस जानवर को मार दिया जाता है।
- भारत में शहतूश का व्यापार पूरी तरह से मना है और विश्व भर में भी इस पर रोक लगी हुई है।

तिब्बती मृग (Pantholops Hodgsonii)

- चिरू एक मध्यम आकार का बोविड (मवेशी जैसा जानवर) है जो सिर्फ तिब्बती पठार (3,250-5,500m) के ऊँचे पहाड़ी घास के मैदानों में पाया जाता है।
- **रहने की जगह:** ये तिब्बत, चिंगहाई और चीन के शिनजियांग के सूखे और ठंडे घास के मैदानों में रहते हैं; भारत के लद्दाख (चांगथांग इलाका) में भी इनकी थोड़ी आबादी है।
- **दिखने में:** इनके शरीर का रंग हल्के भूरे से लेकर लाल-भूरा होता है और पेट सफेद होता है। नर जानवरों के चेहरे और पैरों पर काले निशान होते हैं, जो मादा जानवरों में नहीं होते।
- **संरक्षण की स्थिति:** IUCN की रेड लिस्ट में इसे अभी 'संकट के करीब' (Near Threatened - NT) श्रेणी में रखा गया है। इसे इन सूचियों में शामिल किया गया है:
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में,
  - संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I (जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाता है) में, 1975 से।

समुद्री स्थानिक योजना

ओडिशा सरकार ने हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद राज्य में एकीकृत तटीय और समुद्री योजना के लिए एक समुद्री स्थानिक योजना (MSP) प्रारंभ करना है।

परिचय

- भारत में 2019 से ही भारत और नॉर्वे के सहयोग से सतत् महासागर नियोजन का काम चल रहा है। पहले चरण में, इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों - पुडुचेरी और लक्षद्वीप में लागू किया गया था।
- 550 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटरेखा वाला ओडिशा, दूसरे चरण में MSP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

समुद्री स्थानिक योजना (MSP) क्या है?

- समुद्री स्थानिक योजना सतत् और एकीकृत महासागर प्रबंधन का एक जरिया है। इसका मकसद ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और जलवायु के प्रति लचीलेपन को मजबूत करना है।
- यह बंदरगाहों, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग को संभव बनाता है।
- इस योजना के अंतर्गत, जल के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए बेंथिक मैपिंग की जाती है। पर्यटन, मत्स्य पालन, समुद्री घास, समुद्री शैवाल की खेती और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए लवणता और तापमान जैसे मापदंडों का भी विश्लेषण किया जाता है।

आक्रामक प्रजातियाँ

मालाबार बॉटनिकल गार्डन और प्लांट साइंसेज संस्थान के वनस्पतिशास्त्री एन. अलीम यूसुफ को केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करने हेतु 'वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर' का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

इस नवाचार के बारे में

- यह एप्लिकेशन, नियोफाइट ID, एक AI-पावर्ड मोबाइल टूल है जो यूजर्स को इमेज कैप्चर करके इनवेसिव पौधों की प्रजातियों की पहचान करने में मदद करता है। इसे उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल 'YOLOv11' का उपयोग करके बनाया गया है, जो 'रियल-टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन' (वस्तुओं की तत्काल पहचान) की सुविधा देता है।
- यह ऐप केरल में पाई जाने वाली लगभग 100 आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान कर सकता है।
- यह मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे यह स्थानीय समुदायों के लिए आसानी से सुलभ हो जाता है।
- यह आक्रामक प्रजातियों के फैलाव का मानचित्रण करने के लिए 'जियोस्पेशियल ट्रैकिंग' (भौगोलिक स्थिति पर नजर रखने की तकनीक) को एकीकृत करता है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और नीतिगत हस्तक्षेप में सहायता मिलती है।

आक्रामक प्रजातियाँ

- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ ऐसे गैर-मूल पौधे या जीव होते हैं जो तेजी से फैलते हैं और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं। वे अक्सर मूल प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा में उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है और पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है।
- **आक्रामक विदेशी प्रजातियों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:**
  - तेज प्रजनन और विकास,
  - फैलने की उच्च क्षमता,
  - 'फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी' (नई परिस्थितियों के अनुसार शारीरिक रूप से ढलने की क्षमता), और
  - विभिन्न प्रकार के भोजन पर तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहने की क्षमता।
- **उदाहरण:** सेन्ना स्पेक्टेबिलिस (Senna spectabilis), लैंटाना कैमरा (Lantana camara), यूपेटोरियम (Eupatorium) और डोलीचंद्रा यूंगिस-काटी (Dolichandra unguis-cati)

अमेजन वर्षावन

एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि 2023-2024 में लगातार पड़े सूखे ने अमेजन वर्षावन की नमी और बायोमास को तीन दशकों से भी ज्यादा समय के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँचा दिया है, जो गंभीर पारिस्थितिक तनाव का संकेत है।

परिचय

- अमेजन वर्षावन, अमेजन नदी बेसिन के अन्तर्गत स्थित है।
- अमेजन नदी, जल प्रवाह की मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और नील नदी के बाद, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है।
  - **मुख्य सहायक नदियाँ:** रियो नीग्रो, मदीरा और जिंगू।
  - **जलग्रहण क्षेत्र:** ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलीविया।
- यह वर्षावन 9 देशों में फैला हुआ है, जिसका लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में स्थित है। शेष वर्षावन पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है।
- अमेजन, पृथ्वी पर सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है, जहाँ ज्ञात वन्यजीव प्रजातियों में से लगभग 10% प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

जियोफेजी

जिब्राल्टर में पाए जाने वाले बारबरी मैकाक बंदरों को, बंदरों की दूसरी आबादी की तुलना में, ज्यादा बार मिट्टी खाते हुए (जियोफेजी) देखा गया है।

परिचय

- यह मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या जमीन से मिलने वाले पदार्थों-जैसे चॉक या काओलिन-को खाने का एक आम व्यवहार है।
- यह कई तरह के जानवरों के समूहों में, और कुछ इंसानी आबादी में भी देखा जाता है; खासकर गर्म इलाकों में।
- यह विश्व भर की कई संस्कृतियों में पाया जाता है, लेकिन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह ज्यादा आम है- खासकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और गाँव में रहने वाले लोगों के बीच।
- इसका संबंध सेहत या पोषण से जुड़ी जरूरतों से हो सकता है-जैसे कि जी मिचलाना कम करना-लेकिन इसके असल कारणों को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है।

बारबरी मैकाक

- यह सहारा के उत्तर में अफ्रीका में पाया जाने वाला एक अनोखा प्राइमेट है और यूरोप का एकमात्र जंगली बंदर है।
- कभी उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में फैला हुआ, यह अब मुख्य रूप से अल्जीरिया और मोरक्को के छोटे जंगली इलाकों में पाया जाता है, और जिब्राल्टर में इसकी आबादी है।
- यह प्रजाति CITES के अपेंडिक्स I में लिस्टेड है और IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज इसे एंडेंजर्ड के तौर पर वर्गीकृत करती है।

बारबरी मैकाक में मिट्टी खाने की आदत

- जिब्राल्टर मैकाक अक्सर मिट्टी खाते हैं, खासकर तब जब वहाँ बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं और वे इंसानों का दिया हुआ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें खनिजों की कमी होती है। मिट्टी खाने की यह आदत शायद उन्हें पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने या उनके भोजन से जहरीले तत्त्वों को निकालने में मदद करती है।
- यह व्यवहार आम है, सामाजिक रूप से साझा किया जाता है, प्रजनन से जुड़ा हुआ नहीं है, और ऐसा लगता है कि यह उनकी खाने की आदतों पर इंसानों के प्रभाव की एक प्रतिक्रिया है।

शेखा झील पक्षी अभयारण्य

भारत ने उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को अपना 99वाँ रामसर स्थल घोषित किया है; इसके साथ ही, इस सूची में अब उत्तर प्रदेश के 12 स्थल शामिल हो गए हैं।

परिचय

- यह एक मीठे जल का आर्द्रभूमि (वेटलैंड) पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऊपरी गंगा नहर द्वारा हुआ है।
- यह 'सेंट्रल एशियन फ्लाईवे' पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास स्थल है, और 'बार-हेडेड गूज', 'पेंटेड स्टॉर्क' तथा बत्तखों व जलपक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए शीतकालीन आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है।

रामसर साइटों की सूची में भारत के नवीनतम जुड़ाव

- **सिलीसेढ़ झील (राजस्थान):** 95वीं रामसर साइट
- **कोपरा जलाशय (छत्तीसगढ़):** 96वीं रामसर साइट
- **पटना पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश):** 97वीं रामसर साइट
- **छारी-ढंड संरक्षण रिजर्व (गुजरात):** 98वीं रामसर साइट

रामसर अभिसमय क्या है?

- रामसर स्थल एक ऐसा वेटलैंड (आर्द्रभूमि) है जिसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्त्व का दर्जा दिया गया है।
- रामसर अभिसमय सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौतों में से एक है, जिस पर सदस्य देशों ने अपनी अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियो के पारिस्थितिक स्वरूप को संरक्षित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे।
- इस पर 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1975 में लागू हुआ।
- भारत 1982 में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस

वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन से पहले, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) 'नई दिल्ली घोषणा' पर विचार-विमर्श कर रहा है। यदि इसे अपनाया जाता है, तो यह बिग कैट के संरक्षण पर पहला अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र होगा।

IBCA

- इसे भारत द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सात बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है:
- बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा।
- प्ठब के अंतर्गत आने वाली सात बिग कैट प्रजातियों में से पाँच भारत में पाई जाती हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता।
- यह उन 97 "रेंज देशों" के लिए खुला है, जहाँ ये बिग कैट पाई जाती हैं।
- इसका उद्देश्य बिग कैट और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए वैश्विक ज्ञान, संसाधनों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को जुटाना है।

बिग कैट की संरक्षण स्थिति

प्रजाति	संरक्षण स्थिति	प्रमुख परियोजना (वर्ष)	विशेष विशेषता
बाघ	संकटग्रस्त	प्रोजेक्ट टाइगर (1973)	नारंगी रंग का शरीर और काली धारियाँ
एशियाई शेर	संकटग्रस्त	एशियाई शेर पुनर्प्रवेश परियोजना (2004)	एकमात्र सामाजिक बड़ी बिल्ली; समूह (prides) में रहती है
तेंदुआ	सुभेद्य	–	रोसेट धब्बे; उत्कृष्ट पर्वतारोही
हिम तेंदुआ	सुभेद्य	प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009)	संतुलन के लिए लंबी पूँछ; शक्तिशाली पिछली टाँगें
चीता	विलुप्त (पुनः स्थापित)	प्रोजेक्ट चीता (2022)	सबसे तेज भूमि पर दौड़ने वाला जानवर; ठोस धब्बे

G7 की मरुस्थलीकरण संबंधी घोषणा

हाल ही में G7 पर्यावरण मंत्रियों ने मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे को अपने एजेंडा के केंद्र में रखा तथा इन परिस्थितियों को 'प्रणालीगत वैश्विक चुनौतियाँ' और 'सुरक्षा जोखिम गुणक' बताया।

घोषणा की प्रमुख विशेषताएँ

- **संकट का स्वरूप:**
  - मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के कारण मृदा उर्वरता में गिरावट, जल संकट तथा पारितंत्र सेवाओं की हानि होती है।
  - यह विशेष रूप से कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करता है।
  - विश्व की लगभग 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, जिससे लगभग 3.2 अरब लोग प्रभावित हैं।
- **सुरक्षा खतरे के रूप में पर्यावरणीय दबाव:** G7 ने मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे को 'सुरक्षा जोखिम गुणक' के रूप में चिन्हित किया है।
  - अंतर्राज्यीय संघर्षों के 40% से अधिक मामले भूमि और जल विवादों से जुड़े हुए हैं।
  - पर्यावरणीय क्षरण संसाधनों की प्रतिस्पर्धा, बाध्य प्रवासन तथा राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है।
  - यह विशेष रूप से साहेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु-संघर्ष संबंध (climate-conflict nexus) की पुष्टि करता है।

भारत में भूमि संकट

- ISRO के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार, 2018-19 तक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 29.7%) भूमि क्षरण से प्रभावित हो चुका था।
  - भारत के लगभग 30% भौगोलिक क्षेत्र (लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर) में मरुस्थलीकरण की समस्या है।
- मृदा स्वास्थ्य में गिरावट खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करती है, क्योंकि 40% से अधिक जनसंख्या कृषि और भूमि-आधारित आजीविका पर निर्भर है।
- भारत 1994 में UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता बना (1996 में अनुमोदन किया) तथा बॉन चैलेंज और UNCCD ढाँचे के अंतर्गत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि के पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 18.94 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन कर चुका है।

भारत की प्रमुख नीतिगत पहलें

- **अरावली ग्रीन वॉल परियोजना (2023):** हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में विस्तृत एक हरित गलियारा, जो अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है।
- **मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCD)**, जिसे 2023 में संशोधित किया गया तथा MGNREGS, CAMPA और PMKSY के साथ एकीकृत किया गया।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताओं (UNCCD एवं SDGs) के साथ सामंजस्य:** भारत UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता है तथा भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) और लाखों हेक्टेयर क्षरित भूमि के पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध है।
  - मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा संबंधी कार्यवाही SDG 2 (खाद्य सुरक्षा), SDG 13 (जलवायु कार्यवाही) तथा SDG 15 (स्थलीय जीवन) के समर्थन में है।
- **ग्रीन इंडिया मिशन (GIM),** जिसे 2025 में ₹12,190 करोड़ के परिव्यय के साथ संशोधित किया गया, जिसका लक्ष्य 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनीकरण करना है।
- PMKSY के अंतर्गत एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)

G7 की नीतिगत प्रतिबद्धताएँ

- **समेकित नीतिगत दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन:**
  - क्षेत्रीय सोच से आगे बढ़कर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को जोड़ने वाले प्रणाली-आधारित ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  - यह भूमि को सतत् विकास, जलवायु सहनशीलता और शांति निर्माण के केंद्र में मान्यता देता है।

- **भूमि पुनर्स्थापन और सूखा सहनशीलता:** सतत् भूमि प्रबंधन, पारितंत्र पुनर्स्थापन और सूखा तैयारी को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
  - दीर्घकालिक सहनशीलता के लिए पारितंत्र-आधारित दृष्टिकोणों को महत्त्वपूर्ण माना गया है।
- **वित्तपोषण तंत्र:** सार्वजनिक और निजी निवेश आधारित मिश्रित वित्त मॉडल पर बल दिया गया है, जो हरित वित्तपोषण ढाँचों की वैश्विक माँग के अनुरूप है।
- **मरुस्थलीकरण से परे अन्य फोकस क्षेत्र:** अतिरिक्त घोषणाओं में जैव विविधता संरक्षण, महासागर संरक्षण, जल प्रबंधन, परिपत्र अर्थव्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण तथा सहनशील अवसंरचना शामिल हैं।
- यह एक समग्र पर्यावरणीय शासन दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

UNCCD और COP17 (उलानबटार, मंगोलिया; अगस्त 2026)

- UNCCD मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे से निपटने के लिए मुख्य वैश्विक समझौता है।
  - **बहाली के लिए जरूरी निवेश (2025-30):** हर दिन $1 अरब
  - **UNCCD COP16 (2024, रियाद, सऊदी अरब):** भूमि की बहाली के लिए $12 अरब का वादा किया गया; भारत ने 'अरावली ग्रीन वॉल' पहल को पेश किया।
- **विषय (2026):** भूमि की बहाली, उम्मीद की बहाली।
- **संभावित नतीजे:** वादों को अमल में लाना, और कमजोर इलाकों पर ध्यान देना।

दूसरे संस्थागत तंत्र:

- **बॉन चैलेंज (2011):** 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने का वैश्विक वादा
- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा:** लक्ष्य 2 और 11 भूमि की बहाली से जुड़े हैं
- **पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर UN दशक (2021-30):** UNEP-FAO की संयुक्त पहल
- **G20 वैश्विक जमीन पहल:** भारत की G20 अध्यक्षता (2022) के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत 2040 तक क्षरित भूमि को 50% तक कम करना है।

विश्व टैपिर दिवस

हाल ही में, टैपिरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर 'विश्व टैपिर दिवस' मनाया गया।

टैपिर

- टैपिर बड़े शाकाहारी स्तनधारी जीव हैं।
- टैपिर दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों और वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- टैपिर बीजों के प्रसारक के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, और ये जीव जगत में जीवित बचे सबसे पुराने वंशों में से एक हैं।
- इनके अस्तित्व के लिए आवास की हानि, शिकार और मानवीय अतिक्रमण जैसे खतरे मौजूद हैं।

प्रकार और IUCN रेड लिस्ट की स्थिति	
लोलैंड टैपिर	सुभेद्य
पर्वतीय टैपिर	संकटग्रस्त
मलय टैपिर	संकटग्रस्त
बेयर्ड का टैपिर	संकटग्रस्त

नीलगिरि तहर सर्वेक्षण

हाल ही में, तमिलनाडु वन विभाग ने अपनी प्रमुख परियोजना 'प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर' के अंतर्गत नीलगिरि तहर (तमिलनाडु का राजकीय पशु) का तीसरा समन्वित सर्वेक्षण प्रारंभ किया है।

नीलगिरि तहर

- यह भारत की ऐसी 12 प्रजातियों में से दक्षिण भारत का एकमात्र खुर वाला (ungulate) पर्वतीय पशु है और तमिलनाडु का राजकीय पशु है।
- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - संगम तमिल साहित्य में नीलगिरि तहर के कई संदर्भ मिलते हैं।
  - दो महाकाव्यों - 'शिलप्पादिकारम' और 'जीवक चिंतामणि' - में नीलगिरि तहर और उसके आवास का वर्णन मिलता है।
- **आवास और वितरण:**
  - नीलगिरि तहर ऊँचे स्थानों पर चट्टानों, घास से ढकी पहाड़ियों और खुले इलाकों में पाया जाता है।
  - नीलगिरि तहर अब मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्यों में उपयुक्त आवास के अलग-थलग हिस्सों तक ही सीमित रह गया है।
  - केरल की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरि तहर की सबसे बड़ी आबादी का घर है।
- **खतरे:** आवास के नुकसान और शिकार के कारण इसकी संख्या में काफी गिरावट आई है।
- **संरक्षण की स्थिति:** इसे IUCN की रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' (Endangered) श्रेणी में रखा गया है और यह भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित है।
- **उठाए गए कदम:** 'प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर' 2023 में प्रारंभ किया गया था और यह व्यापक संरक्षण रणनीतियों पर केंद्रित है; इनमें आवास प्रबंधन, आबादी की निगरानी और वैश्विक विशेषज्ञों के सहयोग से उन्नत वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग शामिल है।

डॉल्फिन मित्र पहल

प्रयागराज के वन विभाग ने सामुदायिक भागीदारी और नदी की निगरानी के जरिए गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को मजबूत करने के लिए 'डॉल्फिन मित्र' स्वयंसेवक नेटवर्क प्रारंभ किया है।

परिचय

- गंगा नदी डॉल्फिन (Platanista gangetica) विश्व की उन कुछ डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है जो पूरी तरह से मीठे जल में रहती हैं; इसे आधिकारिक तौर पर 1801 में पहचाना गया था।
- यह भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है।
- ये गदले (धुंधले) नदी के वातावरण में रहने के लिए खास तौर पर अनुकूलित होती हैं; गंगा डॉल्फिन की आँखों में क्रिस्टलीय लेंस नहीं होता, जिससे यह व्यावहारिक रूप से अंधी होती है।
- यह पूरी तरह से एक बहुत विकसित 'इकोलोकेशन' प्रणाली के जरिए अपना रास्ता ढूँढ़ती है और शिकार करती है; यह शिकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक (पराश्रव्य) ध्वनियाँ निकालती है।

पारिस्थितिक महत्त्व

- डॉल्फिन जलीय खाद्य शृंखला के शिखर पर होती है; यह मछलियों और क्रस्टेशियन (कवचधारी जीवों) की आबादी को नियंत्रित करती है और 'ट्रॉफिक संतुलन' (पोषण संतुलन) बनाए रखती है।
- नदी के किसी हिस्से में इसकी मौजूदगी साफ और स्वस्थ मीठे जल का एक विश्वसनीय 'बायोइंडिकेटर' (जैविक संकेतक) है, जिसके कारण इसे "गंगा का बाघ" की उपाधि मिली है। इसी आधार पर भारत सरकार ने 2009 में इसे 'राष्ट्रीय जलीय जीव' घोषित किया था।

उठाए गए कदम

- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन (2020):** 'प्रोजेक्ट टाइगर' की तर्ज पर प्रारंभ किया गया; यह तकनीक का उपयोग करके डॉल्फिन और उनके जलीय आवास के संरक्षण पर केंद्रित है – इसमें प्रदूषण कम करना, मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीके अपनाना और समुदाय की भागीदारी शामिल है।
- **राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस:** हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है – यह वही तारीख है जब 2009 में इस प्रजाति को 'राष्ट्रीय जलीय जीव' घोषित किया गया था।
- **विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (VGDS):** बिहार के भागलपुर में स्थित, यह भारत का एकमात्र विशेष डॉल्फिन अभयारण्य है। गंगा डॉल्फिन की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा यहीं पाया जाता है।
- **संरक्षण कार्य योजना (2016):** भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार की गई; यह डॉल्फिन के लिए मुख्य खतरों की पहचान करती है और उनके आवास की गुणवत्ता, शिकार के आधार में कमी, और नदी में होने वाले यातायात के प्रभावों का आकलन करती है।
- **WPA अनुसूची I:** इसे बाघों और हाथियों के समान ही संरक्षण का दर्जा (Tier) प्राप्त है।

लैंडफिल से मीथेन का उत्सर्जन

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के दो अपशिष्ट लैंडफिल, अपशिष्ट क्षेत्र में मीथेन का उत्सर्जन करने वाले विश्व के शीर्ष 25 स्थानों में शामिल हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- सिकंदराबाद (तेलंगाना) स्थित साइट चौथे स्थान पर रही, जबकि मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित साइट विश्व भर में 12वें स्थान पर रही।
- सबसे ज्यादा उत्सर्जन ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) के पास होता है, जहाँ हर घंटे लगभग 7.6 टन मीथेन निकलती है। विश्व भर में, 707 वेस्ट साइट्स से मीथेन के 2,994 गुबार (plumes) देखे गए।

लैंडफिल से मीथेन क्यों निकलती है?

- लैंडफिल से मीथेन तब निकलती है जब ऑर्गेनिक वेस्ट ऑक्सीजन की गैर-मौजूदगी (एनारोबिक स्थितियों) में सड़ता है, जिससे बिना प्रबंधन वाले डंपसाइट उत्सर्जन के बड़े हॉटस्पॉट बन जाते हैं।

मीथेन

- मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात् से ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 30% हिस्से के लिए जिम्मेदार है।
- 20 साल की अवधि में, यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्मी को रोकने में लगभग 86 गुना ज्यादा असरदार होती है।
- यह वायुमंडल में कम समय (~12 साल) तक रहती है, लेकिन इसका कम समय के लिए गर्मी बढ़ाने वाला असर बहुत ज्यादा होता है।

वाष्पीकरण की माँग

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 2025 के अंत तक, विश्व की लगभग 30% जमीन सूखे की चपेट में आ जाएगी। यह 1990 के दशक में दर्ज किए गए लगभग 10% के आंकड़े से लगभग तीन गुना ज्यादा है, और यह इस बात का संकेत है कि सूखे के बनने और उसके गंभीर होने के तरीके में एक बुनियादी ढाँचागत बदलाव आ रहा है।

परिचय

- सूखे का पुराना पैटर्न मुख्य रूप से बारिश की कमी के कारण बनता था, जबकि सूखे का उभरता हुआ नया पैटर्न वाष्पीकरण की मांग से तय होता है।
- वाष्पीकरण की माँग का मतलब है कि वातावरण में पृथ्वी की सतह से वाष्पीकरण और पौधों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन के जरिए जल खींचने की कितनी क्षमता है।
- यह तापमान, हवा की गति, नमी और बादलों के छाए रहने जैसे कारकों से प्रभावित होता है। जब यह मांग ज्यादा होती है, तो इससे सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।

मुख्य अवधारणाएँ

- **वाष्पोत्सर्जन (ET):** संभावित वाष्पोत्सर्जन, तापमान की दी गई स्थितियों में जल के लिए वायुमंडल की सैद्धांतिक माँग है – तापमान बढ़ने के साथ यह तेजी से बढ़ती है।
- **हिम सूखा:** एक ऐसी स्थिति जहाँ बारिश की कमी के बजाय, बर्फ के जमाव (snowpack) में कमी के कारण निचले इलाकों में जल की कमी होती है।

- **डे जीरो:** वह बिंदु जब किसी शहर की नगरपालिका जल आपूर्ति प्रणाली प्रभावी रूप से ठप हो जाती है; 2018 में केप टाउन में पैदा हुए लगभग-संकट के कारण यह अवधारणा विश्व स्तर पर चर्चा में आई।
- **संयुक्त सूखा-ताप घटनाएँ:** सूखा और अत्यधिक गर्मी का एक साथ या क्रमवार होना – ये एक-दूसरे को और मजबूत करते हैं; गर्मी वाष्पीकरण की माँग को बढ़ाती है, जबकि सूखा सतह के तापमान को और अधिक बढ़ा देता है।
- **ला नीना:** मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में होने वाली एक आवधिक शीतलन की घटना, जिसका ऐतिहासिक रूप से सूखे से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश से संबंध रहा है।
  - 2025 में सूखे के रुझानों को पलटने में इसकी विफलता, प्राकृतिक विविधताओं की तुलना में मानव-जनित तापमान वृद्धि (anthropogenic warming) के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है।

विश्व पृथ्वी दिवस 2026

पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

परिचय

- **इतिहास:** पृथ्वी दिवस मनाने का विचार गेलॉर्ड नेल्सन ने प्रस्तावित किया था; यह तब हुआ जब सांता बारबरा तेल रिसाव जैसी घटनाओं के पश्चात् पर्यावरण संबंधी चिंताएँ प्रमुखता में आईं।
- पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ते पर्यावरणीय क्षरण की प्रतिक्रिया के रूप में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय मात' पृथ्वी दिवस' के रूप में नामित किया।
- **2026 के लिए विषय:** हमारी शक्ति, हमारा ग्रह।

E100 ईंधन, फ्लेक्स-फ्यूल वाहन

सरकार भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए E100 ईंधन की ब्लेंडिंग और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की ओर बदलाव करने पर विचार कर रही है।

परिचय

- ये कदम पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुए बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच उठाए गए हैं, जिसने कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को रोक दिया है।
- सरकार ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के मिश्रण की अनुमति दे दी है, जिसे इस्तेमाल किए हुए कुकिंग ऑयल या इथेनॉल से बनाया जाता है।
- यह नोटिफिकेशन विधिक तौर पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को हाइड्रोकार्बन के एक जटिल मिश्रण के रूप में और साथ ही कुकिंग ऑयल या इथेनॉल के साथ मिश्रित सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन के रूप में परिभाषित करता है, जिससे SAF के लिए एक विधिक आधार तैयार होता है।

E100 क्या है?

- E100 का मतलब ऐसे ईंधन से है जिसमें 100% इथेनॉल होता है या लगभग 100% होता है, क्योंकि जल की थोड़ी मात्रा दहन (combustion) को बेहतर बनाती है।
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन इथेनॉल और पेट्रोल के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं – शुद्ध पेट्रोल से लेकर E100 तक – जिसमें लगे ऑनबोर्ड सेंसर इंजन के पैरामीटर को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं।
- ब्राजील 2003 से विश्व का सबसे विकसित फ्लेक्स-फ्यूल प्रोग्राम चला रहा है, जहाँ गन्ने से बना इथेनॉल वाहनों के बेड़े के एक बड़े हिस्से को ऊर्जा देता है।

5 भूगोल

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष में यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों के शामिल होने के बाद, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में संभावित रुकावट को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

परिचय

- बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, जिसे अरबी में "आँसुओं का द्वार" (Gate of Tears) भी कहा जाता है, लाल सागर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।
- यह एक तरफ यमन और दूसरी तरफ 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' के बीच स्थित है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से और आगे चलकर हिंद महासागर से जोड़ता है।
- यह विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री 'चोकपॉइंट्स' (तंग समुद्री रास्तों) में से एक है।

रणनीतिक महत्त्व

- बाब अल-मंडेब से विश्व भर में होने वाले तेल और प्राकृतिक गैस के कुल परिवहन का लगभग 10-12% हिस्सा गुजरता है।
- यह रणनीतिक रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है, जो इसे आगे चलकर भूमध्य सागर से जोड़ती है।
- यह स्वेज-भूमध्यसागरीय पाइपलाइन (SUMED) से भी जुड़ा हुआ है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण गलियारा बन जाता है।
- **US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन** के अनुसार, वर्ष 2023 के शुरुआती 11 महीनों में इस जलडमरूमध्य से 30 मिलियन टन से भी अधिक प्राकृतिक गैस का परिवहन हुआ।
- इसके अलावा, यहाँ से बड़ी मात्रा में कंटेनर यातायात और समुद्र के रास्ते होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 12% हिस्सा भी गुजरा।

अंडमान सागर

बांग्लादेश से मलेशिया जा रही रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों को ले जा रही एक नाव अंडमान सागर में पलट गई।

अंडमान सागर

- अंडमान सागर, हिंद महासागर के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक सीमांत सागर है। इसके उत्तर और पूर्व में म्यांमार, पूर्व में थाईलैंड और मलेशिया, दक्षिण में इंडोनेशिया, तथा पश्चिम में भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं।
- यह मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) के रास्ते दक्षिण चीन सागर से जुड़ता है, और एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी मार्ग के रूप में कार्य करता है- विशेष रूप से भारत और चीन के बीच।
- यह म्यांमार और आसपास के देशों में स्थित बंदरगाहों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री व्यापार को भी बढ़ावा देता है।

सिजिमाली बॉक्साइट खदान

ओडिशा के रायगड़ा जिले में आदिवासी ग्रामीणों और पुलिस के बीच हाल ही में हुई हिंसक झड़पों ने सिजिमाली बॉक्साइट खदान परियोजना की ओर राष्ट्रीय ध्यान खींचा है।

परिचय

- सिजिमाली एक उच्च-गुणवत्ता वाला बॉक्साइट भंडार है जो ओडिशा के रायगड़ा और कालाहांडी जिलों में 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह पूर्वी घाट पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है।
- इसमें अनुमानित 311 मिलियन टन बॉक्साइट अयस्क मौजूद है और इसे 2023 में एक सरकारी नीलामी के माध्यम से वेदांता लिमिटेड को सौंप दिया गया था। इस परियोजना को हाल ही में केंद्र सरकार से सशर्त चरण-1 (Stage-1) वन मंजूरी प्राप्त हुई है।

मुख्य तथ्य

- सिजिमाली से निकाले गए बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिना में परिष्कृत करने के लिए किया जाएगा, जो एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्चा माल है।
- भारत के बॉक्साइट क्षेत्र में ओडिशा का वर्चस्व है; 2021-22 तक, यहाँ देश के कुल बॉक्साइट संसाधनों का 41% और कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 73% हिस्सा मौजूद था।

- प्रमुख बॉक्साइट स्थलों में पंचपतमाली (NALCO द्वारा संचालित, जो विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदानों में से एक है), गंधमर्दन (बरगढ़-बालांगिर, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है), नियामगिरी (जहाँ 2013 में 12 ग्राम सभाओं ने वेदांता की खनन बोली को अस्वीकार कर दिया था), और सिजिमाली शामिल हैं।

घग्गर नदी

घग्गर नदी के पास के गाँवों में प्रदूषित जल के कारण कैंसर के मामले बढ़ने की खबरें आ रही हैं, लेकिन डेटा की कमी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

परिचय

- घग्गर नदी उत्तरी भारत की एक मौसमी, मॉनसून-पोषित नदी है।
- यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित दगशाई गाँव से लगभग 1,927 मीटर की ऊँचाई से निकलती है और पंजाब तथा हरियाणा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और चौतांग नदियाँ शामिल हैं।

अटाकामा रेगिस्तान

अटाकामा की अनोखी परिस्थितियों ने विश्व के कुछ सबसे महत्वाकांक्षी खगोलीय प्रोजेक्ट्स के विकास में मदद की है, जिनमें 'एक्सट्रीमली लार्ज टेलिस्कोप' भी शामिल है।

परिचय

- अटाकामा रेगिस्तान चिली में स्थित है और पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। इसे पृथ्वी का सबसे सूखा, ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर का रेगिस्तान माना जाता है। यह प्रशांत महासागर (पश्चिम) और एंडीज पहाड़ों (पूर्व) के बीच स्थित है।
- यहाँ साल में 300 से ज्यादा साफ रातें होती हैं, जिसका मतलब है कि न बादल होते हैं और न ही बारिश।
- शुष्क जलवायु, ऊँचाई और शहरी रोशनी के प्रदूषण से दूरी का एक दुर्लभ मेल अटाकामा को विश्व के सबसे बड़े जमीन-आधारित खगोलीय प्रोजेक्ट्स का घर बनाता है। हर साल, अटाकामा रेगिस्तान हजारों वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाँच करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है।

लुजोन द्वीप

चीन ने फिलीपींस के लुजोन द्वीप के पूर्व में स्थित जलक्षेत्र में सैन्य अभ्यास किए, जिनमें लाइव-फायर अभ्यास भी शामिल थे।

परिचय

- यह फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे महत्त्वपूर्ण द्वीप है। यह फिलीपीन द्वीपसमूह के उत्तरी भाग में स्थित है और इसके पूर्व में फिलीपीन सागर, दक्षिण में सिबुयान सागर तथा पश्चिम में दक्षिण चीन सागर स्थित है।
- उत्तर में, लुजोन जलडमरूमध्य लुजोन को ताइवान से अलग करता है।

समुद्री हीटवेव्स

एक नए अध्ययन ने चेतावनी दी है कि समुद्री हीटवेव्स के ऊपर से गुजरने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन, तेजी से मजबूत होकर 60% ज्यादा अरबों डॉलर का नुकसान करने वाली आपदाएँ लाते हैं।

समुद्री हीटवेव क्या है?

- समुद्री हीटवेव (MHW) एक खास इलाके में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य रूप से ज्यादा रहने की एक लंबी अवधि होती है। इनकी पहचान दो मुख्य पैमानों से होती है:
- **अवधि:** यह कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चल सकती है।
- **तीव्रता:** इसे लंबे समय के मौसमी औसत से विचलन के रूप में मापा जाता है, जिसे तापमान विसंगति (Temperature Anomaly) कहते हैं।

मुख्य कारण

- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र, वायुमंडल की 90% से ज्यादा अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे उनका मूल तापमान बढ़ जाता है।
- **समुद्री धाराएँ:** गर्म जल के जमाव ठंडे इलाकों की ओर खिसक जाते हैं।
- **वायुमंडलीय प्रणालियाँ:** उत्तरी प्रशांत उच्च (North Pacific High) जैसी उच्च-दबाव प्रणालियाँ सतह की गर्मी को फँसा लेती हैं।
- **अल नीनो:** यह प्रशांत महासागर की सतह का तापमान बढ़ा देता है, जिससे अब तक की सबसे बड़ी MHWs प्रारंभ होती हैं।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के टेरनेट द्वीप के पास, उत्तरी मोलुका सागर में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया।

इंडोनेशिया परिचय

- **भूगोल:** विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह वाला देश, जो भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच, मुख्य दक्षिण-पूर्व एशिया से हटकर स्थित है।
- **मुख्य द्वीप:** सुमात्रा, जावा, कालीमंतन (बोर्नियो), सुलावेसी, पापुआ
  - यह पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते), पापुआ न्यू गिनी और मलेशिया के साथ अपनी जमीनी सीमाएँ साझा करता है।
  - **राजधानी:** जकार्ता (जावा द्वीप पर); कालीमंतन में नुसंतारा में नई राजधानी विकसित की जा रही है।
  - जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम-बहुल देश।
- **टेक्टोनिक स्थिति:** शैसिफिक रिंग ऑफ फायर' पर स्थित, यह एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जहाँ विश्व के लगभग 90% भूकंप आते हैं।
  - यहाँ सक्रिय ज्वालामुखियों का घनत्व विश्व में सबसे अधिक है, जो सुमात्रा से लेकर जावा होते हुए लेसर सुंडा द्वीपों तक फैला हुआ है।
  - मोलुका सागर, जहाँ हाल ही में भूकंप आया था, इंडोनेशिया के उत्तरी क्षेत्र में एक अत्यधिक सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र है।
- **वैश्विक और क्षेत्रीय भूमिका:** गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और ASEAN (1967) का संस्थापक सदस्य।

- आसियान सचिवालय का मुख्यालय जकार्ता में है।
- इंडोनेशिया कजान में रूस की अध्यक्षता में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन में BRICS का पूर्ण सदस्य बन गया। G20 का सदस्य है और 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।
- IONS (इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम) का सदस्य; यह एक समुद्री सहयोग मंच है जिसकी परिकल्पना भारत ने 2008 में की थी।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण

हालिया अनुसंधान से संकेत मिलता है कि AMOC पिछले 1,600 वर्षों में अपने सबसे कमजोर स्तर पर है तथा इसके गंभीर रूप से बंद होने या ध्वस्त होने की संभावना पहले के अनुमान की तुलना में अधिक है।

AMOC क्या है?

- यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक विशाल महासागरीय धारा प्रणाली है, जो गर्म जल को उत्तर की ओर तथा ठंडे, सघन जल को दक्षिण की ओर एक सतत् चक्र में प्रवाहित करती है।
- यह वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट का एक प्रमुख भाग है, जो विश्व के महासागरों में ऊष्मा और पोषक तत्त्वों का वितरण करता है।
- यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म सतही जल को उत्तरी गोलार्ध तक पहुँचाता है, जहाँ यह ठंडा होकर नीचे धँस जाता है और फिर गहरी धारा के रूप में दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है।
- दक्षिण अटलांटिक से यह जल अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा (Antarctic Circumpolar Current) के माध्यम से अन्य महासागरों में फैल जाता है।

कमजोर होने के कारण

- बढ़ते तापमान घनत्व में अंतर को कम कर देते हैं, जिससे नीचे धँसने वाली धाराएँ धीमी पड़ जाती हैं।
- ग्रीनलैंड हिमचादर के पिघलने तथा वर्षा में वृद्धि से लवणता कम हो जाती है, जिससे गहरे जल के निर्माण की प्रक्रिया कमजोर होती है।
- अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि 1980 के दशक से इसमें कमजोरी देखी जा रही है।
  - यद्यपि प्राकृतिक दोलनों के कारण बीच-बीच में विराम आया, किन्तु दीर्घकालिक गिरावट में मानवजनित कारक प्रमुख हैं।
- अंटार्कटिक बॉटम वॉटर के प्रवाह में लगभग 12% (2000-2020) की कमी आई है, जिससे गहरे अटलांटिक का तापमान बढ़ रहा है तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि हो रही है।

कमजोर होने के प्रभाव

- **क्षेत्रीय जलवायु:**
  - **उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप:** अधिक ठंडी सर्दियाँ तथा वर्षा चक्र में व्यवधान।
  - **अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया:** मानसून की कमजोरी तथा सूखे का जोखिम।
- **समुद्र-स्तर में वृद्धि:** धीमा परिसंचरण अमेरिका के पूर्वी तट तथा वैश्विक स्तर पर समुद्र-स्तर को बढ़ाता है।
- **समुद्री पारितंत्र:** पोषक तत्त्वों के प्रवाह में परिवर्तन से मत्स्य संसाधनों पर खतरा उत्पन्न होता है।
- **कार्बन चक्र:** महासागरों द्वारा कार्बन अवशोषण में कमी से वायुमंडलीय CO_2 स्तर और बढ़ सकता है।
- **चरम घटनाएँ:** महासागर-वायुमंडल गतिकी में परिवर्तन के कारण चक्रवातों और ऊष्मा तरंगों का जोखिम बढ़ जाता है।

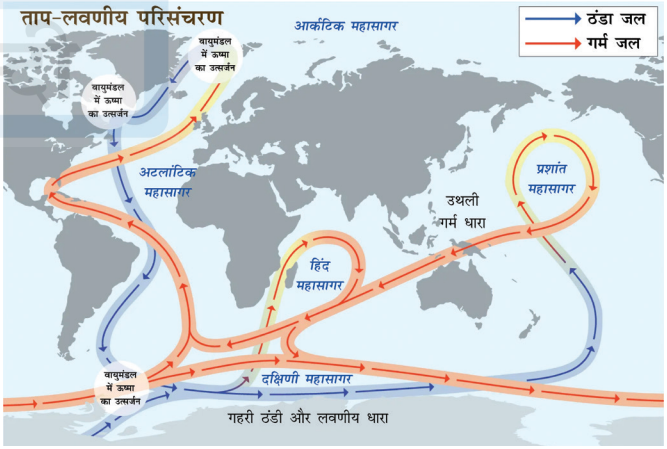

सुझाव

- साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वैश्विक ऊष्मीकरण और मीठे जल के प्रवाह के कारण AMOC कमजोर हो रहा है, जिससे इसके संभावित ध्वस्त होने और गंभीर वैश्विक जलवायु प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ गई है।
- जलवायु टिपिंग पॉइंट से बचने हेतु त्वरित उत्सर्जन कटौती, बेहतर निगरानी तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

6 आंतरिक सुरक्षा

E-3 सेंट्री AWACS

खबरों के मुताबिक, प्रिंस सुल्तान एयर बेस (सऊदी अरब) पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिका का एक E-3 सेंट्री AWACS विमान नष्ट हो गया।

E-3 सेंट्री (AWACS)

- E-3 सेंट्री एक हवाई चेतावनी और नियंत्रण विमान है, जिसे बोइंग ने निगरानी, कमांड और युद्ध प्रबंधन के लिए विकसित किया है।
- AWACS का पूरा नाम हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (Airborne Warning and Control System) है।
- यह बोइंग 707 कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अमेरिकी वायु सेना के मुख्य हवाई कमांड और नियंत्रण विमान के तौर पर काम करता है।
- यह विमान 1977 से सेवा में है, और इसके बेड़े में करीब 32 विमान शामिल हैं। इस विमान के धड़ के ऊपर एक घूमने वाला रडार डोम (रोटोडोम) लगा होता है।
- इसकी पता लगाने की क्षमता 250 मील (~375 किमी) से ज्यादा है। इसमें 'Identification Friend or Foe' (IFF) सिस्टम लगा है, जो अपने और दुश्मन के विमानों में अंतर करने में मदद करता है।
- यह सिस्टम जमीन से आने वाले गैर-जरुरी संकेतों (ग्राउंड क्लटर) को हटाकर कम ऊँचाई पर उड़ने वाले विमानों का भी पता लगा सकता है।
- यह लड़ाकू-इंटरसेप्टर विमानों को उनके लक्ष्यों तक पहुँचने का निर्देश दे सकता है और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। संकट की स्थितियों में, यह शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को डेटा भेज सकता है।

भारत में AWACS

- भारतीय वायु सेना इजरायल में बने तीन 'फाल्कन' AWACS सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ये सिस्टम इल्यूशिन प्स-76 विमानों पर लगे होते हैं और 370-500 किमी की दूरी तक 360 डिग्री कवरेज देते हैं।
- भारत ने DRDO के जरिए NETRA एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW-C) सिस्टम भी डेवलप किया है, जो सर्विलांस और कमांड रोल के लिए ब्राजील के एम्ब्रेयर ERJ-145 प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

LWE-प्रभावित जिले

गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित जिलों के वर्गीकरण में बदलाव किया है।

नया वर्गीकरण (2026)

- इसने पहले की "सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों" वाली श्रेणी को हटाकर, मौजूदा जमीनी हकीकतों के हिसाब से एक तीन-स्तरीय प्रणाली लागू की है।
  - LWE प्रभावित जिलों में बीजापुर (छत्तीसगढ़) और पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड) शामिल हैं।
  - चिंता वाले जिलों में कांकेर (छत्तीसगढ़) शामिल है।
  - विरासत जिले (Legacy Districts) ऐसे स्थिर इलाके हैं, जिन्हें हालात दोबारा बिगड़ने से रोकने के लिए लगातार मदद की जरूरत होती है।
  - थ्रस्ट जिले (Thrust Districts) ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ नक्सली प्रभाव के फैलने की संभावना ज्यादा होती है।
- नौ राज्यों के कुल 35 जिले विरासत और थ्रस्ट श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) क्या है?

- LWE एक कट्टरपंथी वामपंथी विद्रोह है, जिसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी (पश्चिम बंगाल) में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में हुई थी।
- यह विद्रोह छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों तक फैल गया।
  - इन प्रभावित इलाकों को सामूहिक रूप से 'रेड कॉरिडोर' कहा जाता है।
- इसमें गुरिल्ला युद्ध, सरकारी संस्थानों को निशाना बनाना, जबरन वसूली और बच्चों की भर्ती जैसे तरीके अपनाए जाते हैं।

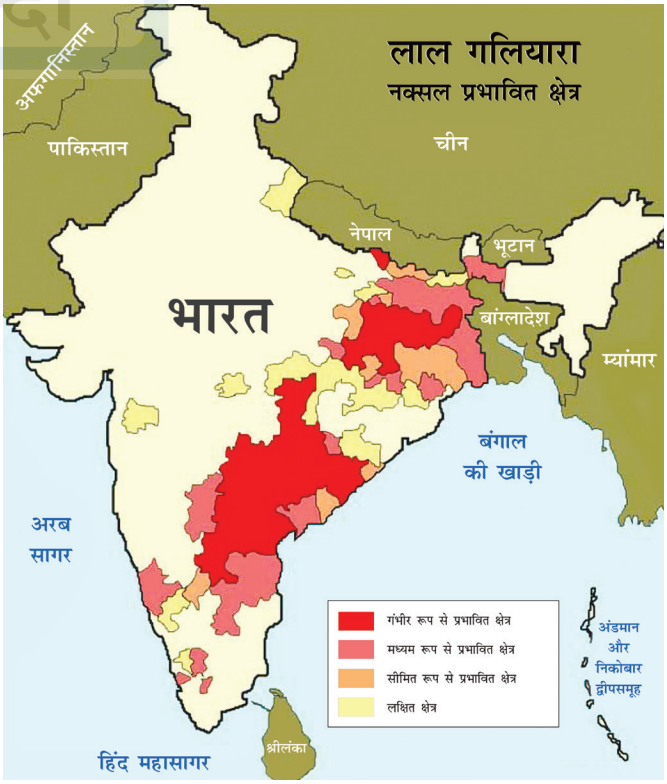

रुझान और महत्त्व

- रेड कॉरिडोर का दायरा 200 से ज्यादा जिलों (2005) से घटकर 2 जिलों (2026) तक सीमित हो गया है।
- सुकमा और नारायणपुर जैसे जिले 2025 तक "सबसे ज्यादा प्रभावित" श्रेणी में शामिल थे।

नक्सली हिंसा में पिछले एक दशक में कमी			
संकेतक	2004-2014	2014-2024	कमी
हिंसक घटनाएँ	16,463	7,744	53%
सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु	1,851	509	73%
नागरिकों की मृत्यु	4,766	1,495	70%

- इस पुनर्वर्गीकरण से संसाधनों का लक्षित आवंटन संभव हो पाता है और LWE-विरोधी रणनीति को जमीनी हकीकतों के साथ जोड़ा जा सकता है।
- केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि भारत अब प्रभावी रूप से "नक्सल-मुक्त" हो चुका है।

सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें सुरक्षा और विकास दोनों को शामिल किया गया है।
- सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत राज्यों को सुरक्षा अभियानों, अनुग्रह राशि, पुनर्वास और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए व्यय की भरपाई की जाती है; 2023-24 तक इस योजना के अंतर्गत ₹1,685 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें निगरानी वाले जिले भी शामिल हैं।
- SAMADHAN रणनीति, आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना, कौशल विकास पहलें (48 ITI, 61 SDC), और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (2025) (21-दिवसीय उग्रवाद-विरोधी अभियान)- ये सभी LWE-विरोधी प्रयासों को मजबूती प्रदान करते हैं।

INS तारागिरी

INS तारागिरी, जो नीलगिरी-क्लास का एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।

INS तारागिरी

- INS तारागिरी, प्रोजेक्ट 17I के अंतर्गत बनने वाले 7 मल्टी-मिशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से चौथा है।
- इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने बनाया है।
- इसका नाम उत्तराखंड की तारागिरी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया है।
- इस पोत में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और इसकी सप्लाई चेन में 200 से ज्यादा MSME शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- इस जहाज को हवाई, सतह और जल के नीचे होने वाले युद्धों में कई तरह की भूमिकाएँ निभाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह कैरियर बैटल ग्रुप्स के लिए एक सुरक्षा कवच (स्क्रीन) के तौर पर काम कर सकता है और अकेले या छोटे समूहों में मिशन को अंजाम दे सकता है।
- इसमें कम रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) और एक ज्यादा सुव्यवस्थित ढाँचा (hull) है, जो इसे बहु-आयामी समुद्री अभियानों में "बेहद घातक स्टेल्थ" क्षमता प्रदान करता है।
- यह MF-STAR रडार, MRSAM, बराक एयर डिफेंस मिसाइलों और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, जिन्हें एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आपस में जोड़ा गया है।
- इसमें पनडुब्बी-रोधी युद्ध (anti-submarine warfare) के लिए एक विशेष प्रणाली है, जिसमें HUMSA सोनार, ट्रिपल टॉरपीडो लॉन्चर और एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) शामिल हैं।
- इसमें 'कंबाइंड डीजल या गैस' (CODOG) प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे तेज गति और लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह लगभग 30 नॉट्स की गति हासिल कर सकता है।
- यह कामोव या MH-60R जैसे एक हेलीकॉप्टर को अपने साथ ले जा सकता है।

प्रोजेक्ट 17A

- प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सात 'स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट' (जंगी जहाज) बनाए जाएँगे। इन जहाजों के नाम पहाड़ों की श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं।
- इन जहाजों में INS नीलगिरि, हिमगिरि, उदयगिरि, तारागिरि, दूनागिरि, विंध्यगिरि और महेंद्रगिरि शामिल हैं।
- फ्रिगेट एक मध्यम आकार का, तेज गति वाला जंगी जहाज होता है। इसका इस्तेमाल एस्कॉर्ट (सुरक्षा) की भूमिकाओं के साथ-साथ पनडुब्बी-रोधी, वायु-रोधी और सतह-रोधी युद्धक अभियानों में किया जाता है।

INS अरिदमन

INS अरिदमन, जो भारत के अरिहंत-क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा है, को INS अरिहंत (2016) और INS अरिघात (2024) की तुलना में एक ज्यादा उन्नत प्लेटफॉर्म के तौर पर कमीशन किया गया है।

INS अरिदमन

- INS अरिदमन भारत की तीसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है, जिसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (ATV) प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह अपने पहले की पनडुब्बियों से बड़ी है और इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 7,000 टन है।
- INS अरिहंत (2016) ने भारत के परमाणु त्रय (Nuclear Triad) के समुद्री हिस्से को स्थापित किया और 2018 में अपनी पहली डेटरेंस पेट्रोलिंग पूरी की।
- INS अरिघात (2024) ने भारत की लगातार जल के नीचे डेटरेंस मौजूदगी को मजबूत किया।

मुख्य विशेषताएँ

- इस पनडुब्बी में मिसाइल तैनात करने के लिए 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूब हैं।
- यह 24 K-15 सागरिका मिसाइलें (रेंज ~700 km) या 8 K-4/K-5 मिसाइलें ले जा सकती है।
  - K-4 मिसाइल की रेंज लगभग 3,500 km है।
  - ये परमाणु-सक्षम पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें (SLBMs) हैं।

भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम 'एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल' (ATV) प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसकी शुरुआत तीन दशक से भी पहले हुई थी।
- इसमें DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय नौसेना और निजी रक्षा कंपनियों के बीच सहयोग शामिल है, जिसमें रूस से शुरुआती तकनीकी सहायता मिली थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी SSBNs विकसित करना है जो परमाणु हथियारों से लैस SLBMs को ले जाने में सक्षम हों।

रणनीतिक महत्त्व

- INS अरिदमन भारत की परमाणु त्रयी को मजबूत करता है, जिसमें जमीन-आधारित (अग्नि), हवा-आधारित (राफेल, Su-30MKI), और समुद्र-आधारित प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- यह "पहले इस्तेमाल नहीं" (No First Use) सिद्धांत के अंतर्गत भारत की विश्वसनीय दूसरी-स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है।
- भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो समुद्र के नीचे परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में सक्षम हैं। इसके चालू होने के साथ ही, भारत के पास समुद्र में तीन ऑपरेशनल SSBNs हो जाएँगे।

T-72 और T-90 टैंकों के लिए TRAWL असेंबली

रक्षा मंत्रालय ने 'ठनल (Indian-IDDM)' श्रेणी के अंतर्गत T-72 और T-90 टैंकों के लिए TRAWL असेंबली की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

TRAWL असेंबली

- TRAWL असेंबली एक माइन-क्लीयरिंग डिवाइस है जिसे एक बैटल टैंक के आगे लगाया जाता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टैंक के ऊपर से गुजरने से पहले ही यह एंटी-टैंक माइंस का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय (डेटोनेट) कर दे।
- इसमें भारी रोलर्स का इस्तेमाल होता है जो माइंस को ट्रिगर करने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, जिससे बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन जाता है।
- इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने माइनफील्ड को पार करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित किया है।
- यह एंटी-टैंक माइंस को निष्क्रिय कर सकता है, जिनमें प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज वाली माइंस भी शामिल हैं।
- यह माइनफील्ड के बीच से वाहनों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने में मदद करता है, जिससे युद्ध के दौरान गतिशीलता और जीवित रहने की संभावना में काफी सुधार होता है।
- **प्लेटफॉर्म का विवरण:**
  - **T-72 (अजेय):** सोवियत मूल का मुख्य बैटल टैंक (1973), जिसका भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और अपग्रेड किया गया है।
  - **T-90 (भीष्म):** उन्नत रूसी मूल का टैंक (1992), जिसमें बेहतर फायर कंट्रोल, कंपोजिट आर्मर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स जैसी खूबियाँ हैं।

डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क

भारत ने 2014 से अपने डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क का विस्तार किया है, जिससे इसकी चालू इकाइयों की संख्या 14 से बढ़कर 50 हो गई है, जो 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।

परिचय

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्रबंधित, इस प्रणाली में कई आपस में जुड़े रडार स्टेशन शामिल हैं जो विशाल क्षेत्रों में मौसम के पैटर्न की निगरानी करते हैं।
- यह नेटवर्क उच्च-सटीकता वाला, वास्तविक समय का डेटा प्रदान करने के लिए परिष्कृत S-बैंड, C-बैंड और X-बैंड रडार का उपयोग करता है।
- इस विस्तार ने "नाउकास्ट" (अल्पकालिक स्थानीय पूर्वानुमान) का पता लगाने की सटीकता को बढ़ाकर 91% कर दिया है।
- **कार्यप्रणाली:** यह प्रणाली डॉप्लर प्रभाव पर आधारित है, जो यह बताता है कि किसी वस्तु की गति के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति कैसे बदलती है।

मुख्य अनुप्रयोग

- **पूर्वानुमान:** यह वर्षा और गरज-चमक वाले तूफानों का पूर्वानुमान लगाने के लिए बादलों और तूफानों के बनने और उनके मार्ग की निगरानी करता है।
- **आपदा चेतावनी:** यह नेटवर्क चक्रवात, बादल फटने, बवंडर और बिजली गिरने जैसी चरम घटनाओं के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- **कृषि सहायता:** यह किसानों को मौसम में होने वाले बदलावों के अनुसार अपनी फसलों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए महत्त्वपूर्ण कृषि-मौसम संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

प्रोजेक्ट चेतक

सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट चेतक ने अपना 47वाँ स्थापना दिवस मनाया है।

प्रोजेक्ट चेतक क्या है?

- भौगोलिक विस्तार के मामले में, प्रोजेक्ट चेतक BRO के सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है।
- इसे 1980 में पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और रक्षा बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और बनाए रखने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह रक्षा बलों और सीमावर्ती समुदायों के लिए हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करता है।
  - यह राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- यह राजस्थान, पंजाब और गुजरात के उत्तरी हिस्सों में काम करता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर जाने वाली प्रमुख फीडर सड़कों का रखरखाव करके रक्षा बलों को सहायता प्रदान करता है। यह प्रोजेक्ट पश्चिमी क्षेत्र में 4,000 किलोमीटर से अधिक के सड़क नेटवर्क का रखरखाव करता है।
- इसमें सीमा सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण के लिए 214 किलोमीटर की खाई-सह-बांध (DCB) शामिल है।

सीमा सड़क संगठन

- BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों, पुलों, सुरंगों और हवाई अड्डों का निर्माण और रखरखाव करता है।
- 1960 से अब तक, इसने 64,100 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 1,179 पुलों, 7 सुरंगों और 22 हवाई अड्डों का निर्माण किया है।
- इसने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा किया है।

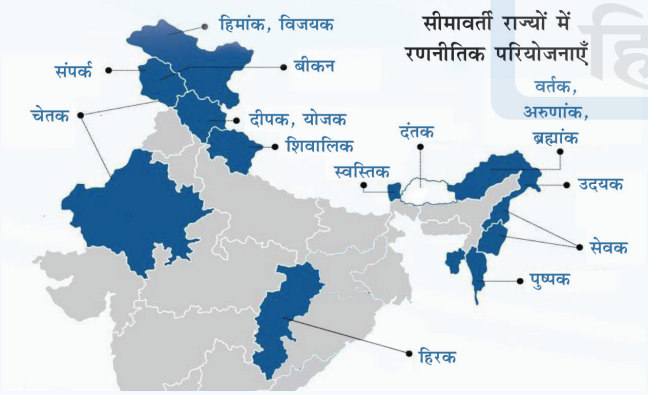

भारत का सैन्य व्यय

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2025 में भारत सैन्य व्यय के मामले में 5वें स्थान पर रहा, जिसका रक्षा व्यय $92.1 बिलियन (≈₹8.6 लाख करोड़) था।

भारत: मुख्य बातें

- **वैश्विक हिस्सेदारी:** वैश्विक सैन्य व्यय में 3.2% का योगदान।
- **बढ़ोतरी:** व्यय में साल-दर-साल 8.9% की बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण ऑपरेशनल जरूरतें, खरीद और पाकिस्तान (मई 2025) के साथ तनाव, तथा चीन के साथ LAC पर जारी गतिरोध है।
- **हथियारों का आयात:** भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है (8.2% हिस्सेदारी), हालाँकि 2016-20 और 2021-25 के बीच आयात में 4% की कमी आई है।
- **रणनीतिक बदलाव:** रूस से हटकर धीरे-धीरे फ्रांस, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर विविधता आई है; रूस की हिस्सेदारी 70% (2011-15) से घटकर 40% (2021-25) रह गई है।

वैश्विक सैन्य रुझान

- **कुल व्यय:** रिकॉर्ड $2,887 बिलियन तक पहुँच गया, जो लगातार 11वीं वार्षिक बढ़ोतरी और वैश्विक GDP का 2.5% है।
- **शीर्ष व्यय करने वाले देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और भारत।
- **यूक्रेन:** हथियारों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता (2021-25) रहा, जिसकी हिस्सेदारी 9.7% थी।
- **पाकिस्तान:** 31वें स्थान पर रहा, जिसका व्यय $11.9 बिलियन (↑11%) था, जो मुख्य रूप से चीन से की गई खरीद के कारण बढ़ा।

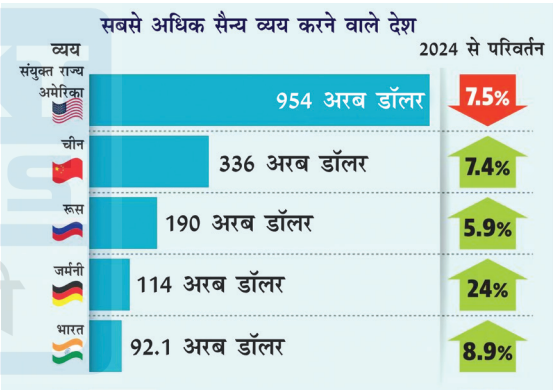

सीपरी

- SIPRI की स्थापना 1966 में स्वीडिश संसद द्वारा एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अनुसंधान करना है, जिसमें हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और संघर्ष समाधान शामिल हैं।
- इसे सरकारी अनुदान, निजी दान और परियोजना-आधारित फंडिंग के मिले-जुले स्रोतों से वित्तपोषित किया जाता है।
- SIPRI का प्रमुख प्रकाशन 'SIPRI इयरबुक' है, जो वैश्विक सैन्य व्यय, हथियारों के हस्तांतरण और सुरक्षा से जुड़े अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर व्यापक डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।
- SIPRI का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है।

अभ्यास

नाम (संस्करण)	भागीदार देश	स्थान	प्रकृति
साइक्लोन -IV (4th)	भारत एवं मिस्र	मिस्र	सैन्य (स्पेशल फोर्सेस)
डाइवेक्स (4th)	भारत एवं श्रीलंका	कोलम्बो, श्रीलंका	नौसैनिक (डाइविंग एक्सरसाइज)

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

आदित्य एल-1 मिशन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय सौर भौतिकी समुदाय से आदित्य एल-1 मिशन के आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

आदित्य एल-1 मिशन

- वर्ष 2023 में प्रक्षेपित आदित्य एल-1 भारत का सूर्य के अध्ययन हेतु पहला समर्पित अंतरिक्ष-आधारित मिशन है। इसे सूर्य तथा उसके बाह्य वायुमंडल के अध्ययन के लिए विकसित किया गया है। मिशन की निर्धारित आयु 5 वर्ष है।
- अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी लैग्रांज बिंदु-1 (एल-1) पर स्थापित किया गया है।
- यह स्थान सूर्य का निरंतर अवलोकन करने की सुविधा देता है। यहाँ से ग्रहण अथवा अन्य अवरोधों के कारण अवलोकन में बहुत कम बाधा आती है।
  - **लैग्रांज बिंदु-1 (एल-1):** एल-1 पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। इस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तथा अंतरिक्ष यान की कक्षीय गति संतुलित रहती है।
  - यही कारण है कि यह निरंतर सौर अवलोकन के लिए आदर्श स्थान माना जाता है।

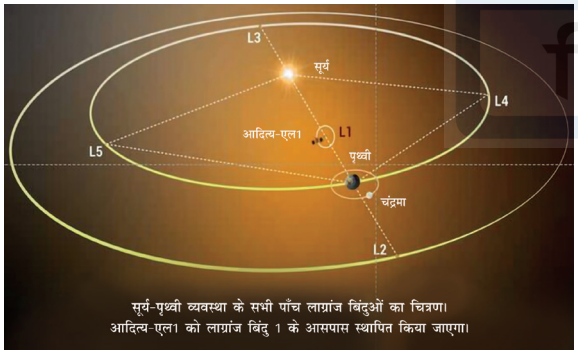

सूर्य-पृथ्वी व्यवस्था के सभी पाँच लाग्रांज बिंदुओं का चित्रण।
आदित्य-एल1 को लाग्रांज बिंदु 1 के आसपास स्थापित किया जाएगा।

- **प्रमुख उपकरण:**
  - **दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC):** यह सूर्य के बाह्यतम वायुमंडलीय स्तर, अर्थात् कोरोना, का अध्ययन करता है।
  - **इसके माध्यम से निम्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है:** कोरोनल तापीयन, कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन (CME), अन्य गतिशील सौर घटनाएँ।
- सौर पराबैंगनी प्रतिबिंब दूरदर्शी (SUIT)
- यह सूर्य का पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य में अवलोकन करता है।
- इसके द्वारा निम्न स्तरों का अध्ययन किया जाता है:
  - प्रकाशमंडल (फोटोस्फीयर)
  - वर्णमंडल (क्रोमोस्फीयर)
- यह सौर विकिरण और उसकी परिवर्तनशीलता को समझने में सहायक है।

मिशन मित्र

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु सेना का एयरोस्पेस चिकित्सा संस्थान के सहयोग से लेह में मिशन मित्र प्रारम्भ किया है।

मिशन मित्र क्या है?

- मित्र (MITRA) का पूर्ण रूप है- मैपिंग ऑफ इंट्रोपरेबल ट्रेट्स एन्ड रेस्पॉन्स असेसमेंट। यह एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य दीर्घावधि अंतरिक्ष अभियानों के दौरान मानव व्यवहार और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है।
- अध्ययन को पृथ्वी पर उपलब्ध एक नियंत्रित किन्तु अत्यंत चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचालित किया जा रहा है।

अध्ययन का स्थान

- यह अध्ययन लेह, लद्दाख के उच्च हिमालयी वातावरण में किया जा रहा है। यहाँ की कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और पृथक परिस्थितियाँ अंतरिक्ष जैसी चुनौतियों का अनुकरण करती हैं।
- **प्रकृति:** यह भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का अपनी तरह का पहला अध्ययन है। इसमें दल-व्यवहार तथा शारीरिक प्रतिक्रियाओं दोनों का समग्र मूल्यांकन किया जा रहा है।

उद्देश्य

- अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक एवं शारीरिक अनुकूलन को समझना।
- दल के सदस्यों के बीच समन्वय और निर्णय क्षमता का परीक्षण करना।
- दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त दल-चयन मानदंड विकसित करना। गगनयान मिशन तथा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना।

महत्त्व

- यह अध्ययन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुदृढ़ करेगा। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के चयन, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
- भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों की सफलता की संभावना बढ़ेगी।

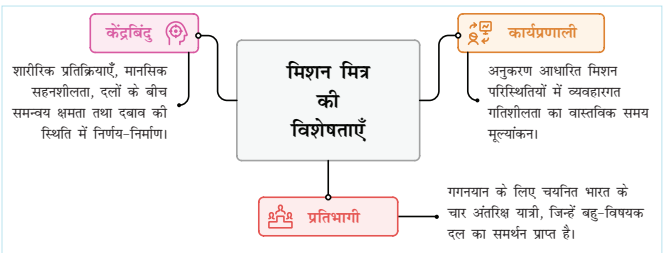

जीएलपी-1 थेरेपी

हाल ही में जीएलपी-1 औषधियों के अनेक रूप भारतीय बाजार में उपलब्ध हुए हैं, जिससे इनके माँग-आधारित सहज उपयोग को लेकर चिंताएँ उभर रही हैं।

परिचय

- जीएलपी-1 औषधि को संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा वर्ष 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- जीएलपी-1 (ग्लूकागॉन-सदृश पेप्टाइड-1 ग्राही उद्दीपक) ऐसी औषधियाँ हैं, जिन्हें टाइप-2 मधुमेह और मोटापे के उपचार के लिए विकसित किया गया है।
  - ये शरीर के हार्मोनल असंतुलन को संतुलित करने में सहायता करती हैं।
  - कार्य करने की प्रक्रिया
  - ये आमाशय के खाली होने की गति को धीमा करती हैं।
  - इससे लंबे समय तक पेट भरा होने का अनुभव होता है।
  - भूख कम लगती है।
  - परिणामस्वरूप शरीर का भार घटने में सहायता मिलती है।

भारत में नियामकीय निगरानी

- भारत के औषधि महानियंत्रक ने जीएलपी-1 औषधियों की अनधिकृत बिक्री और प्रचार पर निगरानी बढ़ा दी है।
- इसका उद्देश्य औषधि आपूर्ति शृंखला में नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। भारत में यह औषधि केवल निम्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकती है- अंत:स्राव रोग विशेषज्ञ, आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ।

उल्कापिंड

आर्टेमिस द्वितीय मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर उल्कापिंडों के प्रभाव देखे।

उल्कापिंड क्या हैं?

- उल्कापिंड अंतरिक्ष से आने वाला ठोस पिंड होता है।
- यह धूमकेतु, क्षुद्रग्रह या उल्काखंड से उत्पन्न हो सकता है।
- जब यह किसी ग्रह या उपग्रह के वायुमंडल (या वायुमंडल के अभाव में सीधे सतह) तक पहुँचकर सुरक्षित रहता है, तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है।

उल्कापिंडों के प्रकार

- **पाषाणीय:** मुख्यत: सिलिकेट खनिजों से बने होते हैं।
- **लौह:** इनमें लोहा और निकेल की मात्रा अधिक होती है।
- **पाषाण-लौह:** इनमें धात्विक और शैल पदार्थ दोनों सम्मिलित होते हैं।

आर्टेमिस II मिशन

- **परिचय:** यह राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मानवयुक्त चंद्र परिक्रमा मिशन है। यह अपोलो 17 मिशन (1972) के पश्चात् चंद्रमा के निकट जाने वाला पहला मानव मिशन है।
- **प्रक्षेपण:** इसका प्रक्षेपण 1 अप्रैल 2026 को किया गया।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री ओरायन अंतरिक्ष यान में सवार हैं। यह 10 दिनों का मिशन है। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर वापस लौटेगा। इस मिशन में चंद्रमा पर अवतरण नहीं किया जाएगा।

नैफ्थलीन डायइमाइड

शोधकर्ताओं ने पाया है कि नैफ्थलीन डायइमाइड (NDI) नामक एक कार्बनिक नैनोपदार्थ के संरचनात्मक और विद्युत गुणों को केवल तापमान बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है।

परिचय

- नैफ्थलीन डायइमाइड (NDI) एक विशेष प्रकार का उभय-आकर्षी (amphiphilic) अणु है।
- उभयप्रिय (amphiphilic) अणु में दो प्रकार के भाग होते हैं: हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक यही विशेषता इसे जल में स्वत: संगठित होकर जटिल संरचनाएँ बनाने में सक्षम बनाती है।

सामान्य तापमान पर व्यवहार

- कमरे के तापमान पर NDI अणु कमजोर अंतराअणुक बलों (असहसंयोजक अंत:क्रियाओं) के माध्यम से एकत्रित होते हैं। ये सूक्ष्म वृत्ताकार नैनोडिस्क बनाते हैं।
- **नैनोडिस्कों की विशेषताएँ:**
  - उच्च विद्युत चालकता,
  - ध्रुवित प्रकाश के साथ अंत:क्रिया करने की क्षमता,
  - ताप देने पर परिवर्तन,
- ताप बढ़ाने पर ये नैनोडिस्क पुनर्संगठित होकर द्विविमीय नैनोपत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रकाश के साथ अंत:क्रिया करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। विद्युत चालकता लगभग सात गुना घट जाती है।

अतिअणुक स्व-संयोजन

- यह घटना अतिअणुक स्व-संयोजन का उदाहरण है। इसमें अणु मजबूत रासायनिक बंधों के बजाय कमजोर असहसंयोजक अंत:क्रियाओं के माध्यम से स्वत: सुव्यवस्थित संरचनाएँ बनाते हैं।
- अंतिम संरचना निम्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है: तापमान, विलायक।

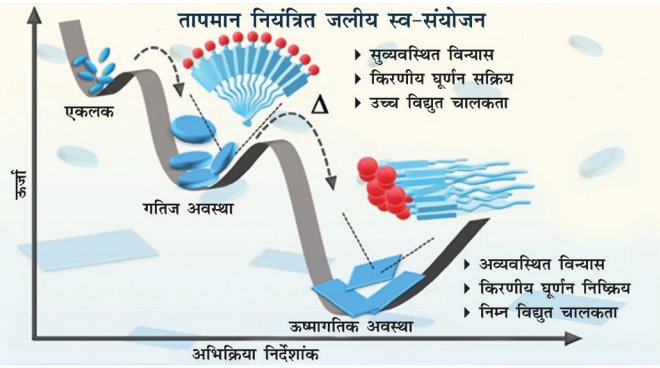

महत्त्व

इस खोज के निम्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं-

- ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट , सेंसर्स, समायोज्य प्रकाश-विद्युत उपकरण
- बायो-इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसेस, अनुकूलनशील पदार्थ, जो बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपने गुण बदल सकते हैं।

फाता मोर्गाना

समुद्र की सतह से कई मीटर ऊपर तैरते हुए दिखाई देने वाले जहाजों के वीडियो सामाजिक माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए हैं, जिससे फाता मोर्गाना नामक प्रकाशीय घटना के प्रति वैज्ञानिक रुचि पुन: बढ़ी है।

परिचय

- फाता मोर्गाना उच्च मरीचिका (सुपीरियर मिराज) का एक प्रकार है।
- यह एक प्रकाशीय घटना है, जिसमें किसी दूरस्थ वस्तु, जैसे- जहाज, समुद्र तट, हिमखंड से आने वाला प्रकाश विभिन्न तापमान वाली वायु-परतों से होकर मुड़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप वस्तु की छवि अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है।
- **नाम की उत्पत्ति:**
  - "फाता मोर्गाना" नाम आर्थर संबंधी कथाओं की जादूगरनी मॉर्गन ले फे से लिया गया है। इतालवी लोककथाओं में उनके बारे में समुद्र से महलों और नगरों के प्रकट होने की कथाएँ वर्णित हैं।
  - इसके पीछे निहित भौतिक विज्ञान
- **प्रकाश का अपवर्तन:**
  - अपवर्तन वह प्रक्रिया है, जिसमें प्रकाश भिन्न प्रकाशीय घनत्व वाले माध्यमों से गुजरते समय मुड़ता है।
  - जब प्रकाश गर्म एवं विरल वायु से ठंडी एवं सघन वायु में प्रवेश करता है, तो वह सघन माध्यम की ओर मुड़ता है।

तापमान प्रतिलोमन

- **सामान्य वायुमंडलीय स्थिति:** सामान्यत: ऊँचाई बढ़ने पर वायु का तापमान घटता है। पृथ्वी की सतह सौर विकिरण को अवशोषित कर ऊपर की वायु को गर्म करती है। ऊँचाई के साथ यह ऊष्मा क्रमश: कम होती जाती है।
- **तापमान प्रतिलोमन की स्थिति:** इस अवस्था में ठंडी एवं सघन वायु नीचे स्थित होती है। उसके ऊपर गर्म एवं हल्की वायु की परत होती है। यही उलटी व्यवस्था फाता मोर्गाना बनने की आवश्यक वायुमंडलीय शर्त है।
- **वायुमंडलीय मार्गदर्शन और क्षितिज से परे प्रकाश संचरण:** तापमान प्रतिलोमन के दौरान दूरस्थ जहाज से आने वाला प्रकाश प्रतिलोमन परत में प्रवेश करता है। इस परत पर प्रकाश लगातार नीचे की ओर अपवर्तित होता है। परिणामस्वरूप प्रकाश ऊपर अंतरिक्ष में जाने के बजाय तापमान प्रवणता का अनुसरण करता है।
- **पृथ्वी की वक्रता के चारों ओर प्रकाश का मुड़ना:** यदि दो वायु-परतों के बीच तापांतर बहुत अधिक हो, तो प्रकाश इतना अधिक मुड़ सकता है कि वह पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करने लगे।
- इससे क्षितिज के पार स्थित वस्तुएँ भी दिखाई देने लगती हैं।
- **उदाहरण:** सामान्य परिस्थितियों में लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु क्षितिज के नीचे छिप जाती है। फाता मोर्गाना की स्थिति में वही वस्तु समुद्र की सतह से ऊपर तैरती हुई दिखाई दे सकती है।

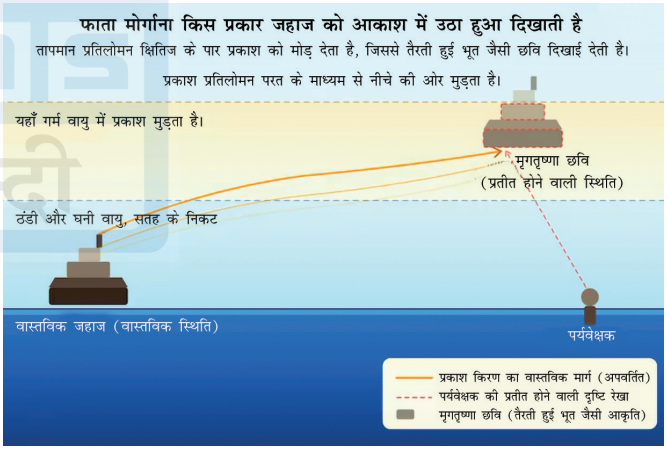

हैफ्नियम-ऑक्साइड मेम्रिस्टर

वैज्ञानिकों ने हैफ्नियम-ऑक्साइड आधारित मेम्रिस्टर विकसित किया है। यह मस्तिष्क से प्रेरित एक नैनो-उपकरण है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में ऊर्जा की खपत को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है।

न्यूरोमॉर्फिक कम्प्यूटिंग

- न्यूरोमॉर्फिक संगणन ऐसी प्रौद्योगिकी है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली का अनुकरण करना है। मानव मस्तिष्क में स्मृति और प्रसंस्करण सिनेप्स में एक साथ होते हैं। इसी कारण मस्तिष्क अत्यंत ऊर्जा-कुशल ढँग से कार्य करता है।
- यह दृष्टिकोण वॉन न्यूमैन संरचना से मूलत: भिन्न है, जिसका उपयोग लगभग सभी आधुनिक सामान्य प्रयोजन संगणकों में किया जाता है। इस

संरचना में स्मृति और प्रसंस्करण इकाइयाँ भौतिक रूप से अलग-अलग होती हैं, जिसके कारण निरंतर आँकड़ा स्थानांतरण से ऊर्जा की उल्लेखनीय खपत होती है।

मेम्रिस्टर क्या है?

- मेम्रिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, जो स्मृति और प्रतिरोध दोनों के गुणों को संयुक्त करता है, जिससे यह एक ही उपकरण के भीतर सूचना का संग्रहण और प्रसंस्करण दोनों कर सकता है।
- पारंपरिक प्रतिरोधकों के विपरीत, मेम्रिस्टर विद्युत आपूर्ति बंद होने के पश्चात् भी अपनी प्रतिरोध अवस्था बनाए रखता है, जिससे अवाष्पशील स्मृति संभव होती है।
- न्यूरोमॉर्फिक प्रणालियों में मेम्रिस्टर कृत्रिम सिनेप्स के रूप में कार्य करता है, जहाँ विभिन्न प्रतिरोध स्तर न्यूरॉनों के बीच संबंधों की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं।
- मेम्रिस्टर p-n संधि तंत्र का उपयोग करता है, जो प्रतिरोध का सुचारु और सतत् समायोजन संभव बनाता है।

सिनेप्स

- सिनेप्स मस्तिष्क में दो तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉनों) के बीच स्थित एक संधि (संपर्क बिंदु) है।
- यह वह स्थान है जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को संकेत (सूचना) प्रेषित करता है। ये संकेत सामान्यतः विद्युत आवेगों और रासायनिक पदार्थों (न्यूरोट्रांसमीटर) के माध्यम से संचारित होते हैं।

ग्लूफोसिनेट

सरकार ने कृषि में उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशी ग्लूफोसिनेट और इसके लवणों के आयात पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है।

ग्लूफोसिनेट-अमोनियम

- यह एक खरपतवारनाशी है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और इसके भूजल में रिसने की संभावना कम होती है।
- इसे अत्यधिक जोखिमपूर्ण रसायन माना जाता है। इसके संभावित दुष्प्रभावों में तंत्रिका-विषाक्तता, प्रजनन संबंधी हानि, हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी प्रभाव तथा भ्रूण को क्षति शामिल हैं।
- इसकी वाष्पशील प्रकृति के कारण किसान तथा आसपास की आबादी इसके संपर्क में श्वसन और त्वचा संपर्क के माध्यम से आ सकती है।

हबल टेंशन

हाल ही में एक वैश्विक खगोलीय सहयोग ने ब्रह्मांड की स्थानीय विस्तार दर का 1% सटीकता के साथ मापन किया।

परिचय

- हबल टेंशन ब्रह्मांड की विस्तार दर के मापन में लगातार बनी रहने वाली असंगति को दर्शाता है। इस विस्तार दर को हबल नियतांक कहा जाता है, जो बताता है कि आकाशगंगाएँ एक-दूसरे से कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। दो प्रमुख मापन विधियाँ परस्पर भिन्न परिणाम देती हैं।
- **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) विधि:** यह विधि महाविस्फोट के अवशिष्ट विकिरण का अध्ययन करती है। इस विकिरण के तापमान में सूक्ष्म उतार-चढ़ावों के विश्लेषण से विस्तार दर लगभग 68 किमी/सेकंड प्रति मेगापारसेक प्राप्त होती है।
- **कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर विधि:** यह विधि निकटवर्ती खगोलीय पिंडों, जैसे सेफीड परिवर्ती तारों और महातारा विस्फोटों (सुपरनोवा), का उपयोग करती है। इनके आधार पर स्थानीय विस्तार दर लगभग 73 किमी/सेकंड प्रति मेगापारसेक प्राप्त होती है।
- **हबल टेंशन:** उपर्युक्त दोनों मानों के बीच का अंतर हबल टेंशन कहलाता है।

महत्त्व

- यह असंगति ब्रह्मांड में अज्ञात भौतिक प्रक्रियाओं की ओर संकेत कर सकती है। यह मापन तकनीकों में संभावित प्रणालीगत त्रुटियों का भी संकेत हो सकती है।
- इसका समाधान ब्रह्मांड विज्ञान तथा ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ को अधिक परिष्कृत करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

पैथोजन एक्सेस एन्ड बेनिफिट शेयरिंग

वर्ष 2025 में अपनाए गए ऐतिहासिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) महामारी समझौते (WPA) में अभी भी अत्यंत आवश्यक रोगजनक अभिगम और लाभ-साझेदारी (PABS) परिशिष्ट शामिल नहीं है।

परिचय

- PABS का उद्देश्य नमूना-साझाकरण को सुनिश्चित लाभों से विधिक रूप से जोड़ना है, जिससे घोषित महामारियों के दौरान औषधि निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य हो जाए कि वे अपने वास्तविक समय के टीकों, उपचारात्मक औषधियों और नैदानिक साधनों (VTD) के उत्पादन का 20% विश्व स्वास्थ्य संगठन को उपलब्ध कराएँ।
- PABS को भारत सहित लगभग 100 निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) का समर्थन प्राप्त है, जो विश्व की लगभग 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं; जबकि इसका विरोध विकसित देशों द्वारा किया जा रहा है, जहाँ विश्व की कुछ सबसे बड़ी औषधि कंपनियाँ स्थित हैं।
- अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के निम्न और मध्यम आय वाले देशों, जहाँ नए रोगजनक प्रायः उत्पन्न होते हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से जैविक सामग्री और जीनोमिक आँकड़े सक्रिय रूप से साझा करें।
- किंतु उस सामग्री का उपयोग करके जीवनरक्षक टीके, उपचारात्मक औषधियाँ और नैदानिक साधन विकसित करने वाले देशों पर इन नैदानिक उत्पादों तक न्यायसंगत और समयबद्ध पहुँच उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं है।

- नमूनों से समाधान तक निष्पक्ष साझेदारी को लागू करने वाले बाध्यकारी विधिक ढाँचे के अभाव में, सीमापार स्वास्थ्य संकटों के प्रति समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया निरंतर चुनौतियों से घिरी रहेगी।

WHO महामारी समझौता

- इसे वर्ष 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया। इसका उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक ऐसे अभिसमय पर वार्ता करना है, जो अंततः एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय साधन के रूप में परिणत होगा।
- इसके अपनाए जाने के पश्चात् अगला महत्त्वपूर्ण चरण महामारी समझौते पर अंतर-सरकारी कार्य समूह (IGWG) द्वारा रोगजनक अभिगम और लाभ-साझेदारी (PABS) प्रणाली के विवरण पर वार्ता करना है। यह समझौता 60 देशों द्वारा अनुमोदन के 30 दिन पश्चात् औपचारिक रूप से प्रभावी होगा।

अल्ट्राल्यूमिनस एक्स-रे सोर्स

रमन अनुसंधान संस्थान (RRI) के वैज्ञानिकों ने एक डिस्टेंट एक्स्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे स्रोत से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ और आवर्ती ऊर्जा-विस्फोटों का विश्लेषण किया है।

ULX क्या है?

- यह अध्ययन ULX M74 X-1 पर केंद्रित है, जो सर्पिल आकाशगंगा M74 में स्थित है। यहाँ खगोलविदों ने अनियमित किंतु बार-बार होने वाली एक्स-किरण ज्वालाएँ देखीं। ULX ऐसे तंत्र होते हैं, जिनमें कोई सघन खगोलीय पिंड-जैसे कृष्ण विवर या न्यूट्रॉन तारा-अपने सहचर तारे से पदार्थ आकर्षित करता है।
- इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि (Accretion) कहा जाता है। अभिवृद्धि के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कुछ मामलों में ये स्रोत एडिंगटन सीमा, अर्थात किसी खगोलीय पिंड की सैद्धांतिक अधिकतम चमक, से 100 गुना से भी अधिक चमक प्रदर्शित करते हैं।
  - यह अध्ययन अति-प्रदीप्त एक्स-किरण स्रोतों की प्रकृति को बेहतर ढँग से समझने में सहायक होगा।
- इससे उन भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, जो इन स्रोतों की अत्यधिक चमक के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर

भारत ने एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर (PFBR) ने कल्पक्कम में क्रांतिक अवस्था (क्रिटिकलिटी) प्राप्त कर ली है।

PFBR क्या है?

- PFBR एक उन्नत नाभिकीय रिएक्टर है, जो जितना विखंडनीय ईंधन उपयोग करता है, उससे अधिक उत्पन्न करता है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसमें यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन का उपयोग किया जाता है।
- इसे तीव्र प्रजनक रिएक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विखंडन अभिक्रिया बनाए रखने के लिए उच्च-ऊर्जा तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग करता है।
- सामान्य रिएक्टरों में मंद (ऊष्मीय) न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। यह उर्वर पदार्थ, जैसे यूरेनियम-238, को विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करता है।
- **क्रांतिक अवस्था (Criticality):**
  - यह वह अवस्था है जब रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया स्वयं-सतत् हो जाती है।
  - उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी होती है कि अभिक्रिया बिना बाहरी हस्तक्षेप के जारी रहती है।

इस उपलब्धि का महत्त्व

- भारत के त्रि-चरणीय नाभिकीय कार्यक्रम में प्रगति PFBR भारत के त्रि-चरणीय नाभिकीय कार्यक्रम के द्वितीय चरण का महत्त्वपूर्ण अंग है। यह उर्वर पदार्थ को विखंडनीय ईंधन में परिवर्तित करता है। इससे तृतीय चरण, अर्थात् थोरियम-आधारित रिएक्टरों, का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **थोरियम क्षमता का उपयोग:** भारत के पास विशाल थोरियम भंडार उपलब्ध हैं। PFBR थोरियम-232 से यूरेनियम-233 जैसे विखंडनीय पदार्थ के उत्पादन में सहायक है।
- **तकनीकी और सामरिक महत्त्व:** भारत वाणिज्यिक तीव्र प्रजनक रिएक्टर विकसित करने वाला रूस के पश्चात् दूसरा देश बन गया है।
  - यह नाभिकीय प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी में भारत की स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

भारत का त्रि-चरणीय नाभिकीय कार्यक्रम

- **स्थापना:** परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई।
  - वर्ष 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर "अप्सरा" चालू किया गया।
  - वर्ष 1969 में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया।
  - इस कार्यक्रम की परिकल्पना डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ने की थी।
- **प्रथम चरण:** दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR)
  - भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) मंदक और शीतलक दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। इस चरण का उद्देश्य प्लूटोनियम-239 का उत्पादन करना है।
  - इन रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्यतः यूरेनियम-238 होता है तथा इसमें यूरेनियम-235 की अत्यल्प मात्रा उपस्थित रहती है। विखंडन के लिए प्रयुक्त प्रमुख पदार्थ यूरेनियम-235 होता है।
  - भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) का उपयोग मंदक तथा शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है।
  - इस चरण का मुख्य उद्देश्य यूरेनियम ईंधन से उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 का उत्पादन करना था।
  - प्लूटोनियम-239 एक विखंडनीय पदार्थ है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

- **द्वितीय चरण (तीव्र प्रजनक रिएक्टर - FBR):**
  - कार्यक्रम के दूसरे चरण में तीव्र प्रजनक रिएक्टरों की स्थापना की जाती है। ये रिएक्टर तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग करके जितना विखंडनीय पदार्थ उपभोग करते हैं, उससे अधिक उत्पन्न करते हैं।
  - इस चरण में प्रथम चरण में उत्पादित प्लूटोनियम-239 को यूरेनियम-238 के साथ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - इस प्रक्रिया से ऊर्जा, यूरेनियम-233 तथा अतिरिक्त प्लूटोनियम-239 का उत्पादन होता है।
  - यूरेनियम-233 भी एक विखंडनीय पदार्थ है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

- **तृतीय चरण (उन्नत भारी जल रिएक्टर - AHWR):**
  - कार्यक्रम के अंतिम चरण में उन्नत भारी जल रिएक्टरों की स्थापना की जाती है।
  - इन रिएक्टरों में प्लूटोनियम-239 को थोरियम-232 के साथ उपयोग किया जाता है।
  - इस प्रक्रिया से ऊर्जा तथा यूरेनियम-233 का उत्पादन होता है।
  - भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
  - इस चरण का उद्देश्य थोरियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग में लाना है।

परमाणु ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत का त्रि-स्तरीय मार्ग

आधार:
संसाधन और सिद्धांत

विश्व के थोरियम भंडार का **25** प्रतिशत भारत में स्थित है।

भारत का कार्यक्रम अंततः अपने विशाल थोरियम भंडार को परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रक्रिया अविखंडनीय "उपजाऊ" पदार्थों (थोरियम) को विखंडनीय पदार्थों (यूरेनियम-233) में परिवर्तित करती है।

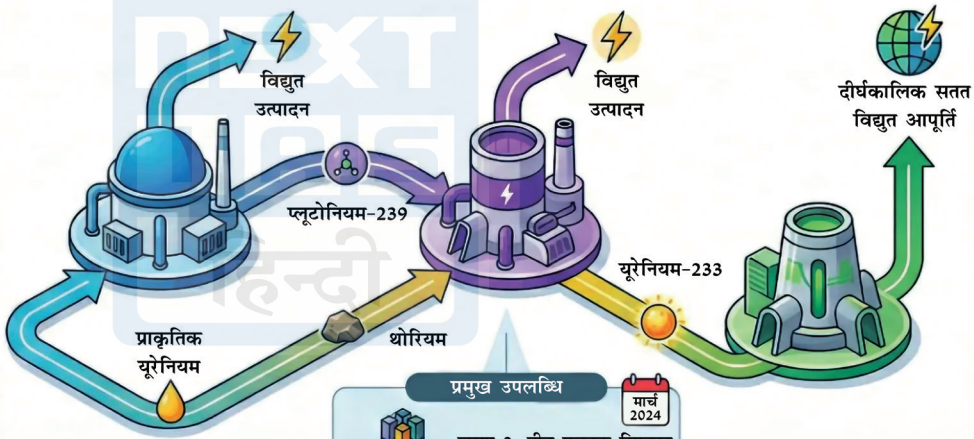

चरण 1: दाबित भारी जल रिएक्टर
प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा सह-उत्पाद के रूप में विखंडनीय प्लूटोनियम-239 उत्पन्न किया जाता है।

प्रमुख उपलब्धि मार्च 2024

चरण 2: तीव्र प्रजनक रिएक्टर
प्लूटोनियम-239 का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा थोरियम को यूरेनियम-233 में परिवर्तित करके अधिक ईंधन "उत्पन्न" किया जाता है।

चरण 3: उन्नत रिएक्टर
चरण 2 से प्राप्त यूरेनियम-233 का उपयोग उन्नत रिएक्टरों में किया जाएगा, ताकि दीर्घकालिक और सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

8 समाज

भारत की शैक्षणिक संस्कृति में छात्रवृत्तियाँ

भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (GER) 2022-23 में केवल 29.5 प्रतिशत रहा, जो यह दर्शाता है कि छात्रवृत्तियों को केवल सीमित आर्थिक सहायता के रूप में नहीं, बल्कि शैक्षणिक नीति के केंद्रीय घटक के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।

वर्तमान स्थिति

- उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51,534 से बढ़कर 2025-26 में 70,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 82,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- अशोका यूनिवर्सिटी जैसे निजी संस्थान लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से लगभग 20 प्रतिशत विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलती है।

छात्रवृत्तियों का महत्त्व

- छात्रवृत्तियाँ आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं से जूझ रहे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रदान करती हैं।
- ये सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने में सहायक हैं। सामाजिक समावेशन, विविधता और योग्यता-आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करती हैं।
- आर्थिक सहायता के अतिरिक्त ये निम्नलिखित अवसर प्रदान कर सकती हैं:
- मार्गदर्शन, नेतृत्व विकास, करियर परामर्श, शैक्षणिक अनुभव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों से छात्रवृत्तियों को जोड़कर भविष्य की कौशल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

प्रमुख छात्रवृत्ति पहलें

- **केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना:** स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए।
- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल:** यह केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एकीकृत मंच है।
- **कॉर्पोरेट और न्यास आधारित योजनाएँ:** व्यावसायिक शिक्षा के लिए योग्यता-सह-आर्थिक स्थिति आधारित छात्रवृत्तियाँ।

प्रमुख चुनौतियाँ

- छात्रवृत्तियों को दीर्घकालिक शैक्षणिक समर्थन के बजाय अल्पकालिक सहायता के रूप में देखा जाता है। सीमित संख्या और असमान क्षेत्रीय वितरण के कारण इनका प्रभाव कम हो जाता है।
- उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत, विशेषकर द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नगरों के परिवारों को हतोत्साहित करती है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के बावजूद सूचना और आवेदन प्रक्रिया तक पहुँच अभी भी बिखरी हुई है।

आगे की राह

- आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन, कौशल विकास आदि। कम नामांकन वाले जिलों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ प्रारम्भ की जाएँ। कर प्रोत्साहनों और समतुल्य अनुदानों के माध्यम से निजी परोपकार को बढ़ावा दिया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक सहायता प्रवेश निर्णयों से स्वतंत्र रहे। इसके अलावा संस्थानों के लिए प्रदर्शन-आधारित समर्थन ढाँचा विकसित किया जाए।

उच्च शिक्षा में रियल इक्विटी गैप

भारत के उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के "उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी संवर्धन विनियम, 2026" पर रोक लगाते हुए कहा कि इसके कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना है।

इक्विटी गैप की प्रकृति

- उच्च शिक्षा में रियल इक्विटी गैप केवल छात्रों के प्रवेश में नहीं, बल्कि वंचित सामाजिक समूहों की शिक्षकों, प्राध्यापकों तथा नेतृत्व पदों पर अपर्याप्त उपस्थिति में निहित है।
- आरक्षण नीतियों ने विद्यार्थियों की पहुँच में सुधार किया है, परंतु प्राध्यापक, प्रशासकीय और निर्णयकारी पदों पर प्रगति धीमी रही है।
- संस्थागत स्तर पर वर्गीकृत आँकड़ों के अभाव में भेदभाव और प्रतिनिधित्व के स्वरूप का समुचित आकलन कठिन हो जाता है।

प्रमुख चिंताएँ

- **संरचनात्मक रोजगार विलंब:** उच्च शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियाँ कम अंतराल पर होती हैं। परिणामस्वरूप प्रतिनिधित्व में सुधार की प्रक्रिया धीमी रहती है।
- **नेतृत्व में कमी:** आरक्षित वर्गों का विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **नीतिगत असंगति:** वर्तमान विनियम शिकायत निवारण, सहायता-सेवा और दंडात्मक प्रावधानों पर अधिक केंद्रित हैं। सक्रिय समावेशन उपायों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है।
- **परिभाषात्मक भ्रम:** समानता को अक्सर केवल भेदभाव-विरोधी अनुपालन तक सीमित कर दिया जाता है।इसके व्यापक सामाजिक सशक्तिकरण पक्ष की उपेक्षा होती है।
- **सामाजिक पृथक्करण का जोखिम:** अत्यधिक पहचान-आधारित नियमन परिसर के भीतर सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता है।
- **संस्थागत गुटबंदी:** पहचान-आधारित राजनीति कभी-कभी समावेशन के बजाय संघर्ष को तीव्र कर सकती है

9 संस्कृति एवं इतिहास

सम्राट सम्प्रति

प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती (31 मार्च 2026) के अवसर पर कोबा, गाँधीनगर में सम्राट सम्प्रति संग्रहालय (सम्प्रति संग्रहालय) का उद्घाटन किया

सम्राट सम्प्रति का परिचय

- सम्राट सम्प्रति मौर्य वंश के पाँचवें सम्राट थे (लगभग 224-215 ईसा पूर्व)।
- वे अशोक के पौत्र तथा कुणाल के पुत्र थे। अशोक की मृत्यु (232 ईसा पूर्व) के पश्चात् साम्राज्य का विभाजन दशरथ और सम्प्रति के बीच हुआ।
- वे श्वेताम्बर जैन परम्परा के प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उन्हें "जैन अशोक" कहा जाता है। उन्हें इन्द्रपालित, संगत तथा विगताशोक के नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन का वर्णन सम्प्रतिकथा, परिशिष्टपर्व तथा प्रभावकचरित में मिलता है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) तथा अपरिग्रह (अधिक संचय न करना) के सिद्धान्तों को बढ़ावा दिया।
- उन्होंने उज्जैन और पाटलिपुत्र से शासन किया तथा जैन संस्थाओं को राजकीय संरक्षण प्रदान किया।

राजा रवि वर्मा

राजा रवि वर्मा की चित्रकला "यशोदा और कृष्ण" नीलामी संस्था सैफरोनार्ट की एक नीलामी में 167.2 करोड़ रुपये में बिकी, जिससे भारतीय कला के लिए एक नया अभिलेख स्थापित हुआ। यह चित्र 1890 के दशक में बनाया गया था, जो उनके कलात्मक जीवन का उत्कर्ष काल था।

राजा रवि वर्मा का परिचय

- राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को किलिमानूर में कोइल थम्पुरान सरदार परिवार में हुआ था।
- उन्होंने त्रावणकोर राजपरिवार के राजकीय संरक्षण में कार्य किया।
- भारतीय विषयों के साथ यूरोपीय शैक्षणिक यथार्थवाद और प्रकृतिवाद का समन्वय करने के कारण उन्हें आधुनिक भारतीय कला का अग्रदूत माना जाता है।
- वे तेल रंगों का प्रयोग करने और शिलामुद्रण द्वारा चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार करने वाले प्रारम्भिक भारतीय कलाकारों में से एक थे। उन्होंने हिन्दू पौराणिक कथाओं तथा भारतीय और ब्रिटिश व्यक्तियों के चित्र बनाए।
- वे उन प्रथम कलाकारों में थे जिन्होंने देवी-देवताओं को यथार्थवादी मानवीय रूप में, शारीरिक संरचना की शुद्धता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया।
- वर्ष 1894 में उन्होंने रवि वर्मा फाइन आर्ट्स लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की।
- इस प्रेस ने लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों के रंगीन शिलामुद्रित चित्र (ओलियोग्राफ) प्रकाशित किए, जिससे कला का व्यापक प्रसार हुआ।
- **प्रमुख कृतियाँ:**
  - हंस दमयंती
  - शकुन्तला
  - जटायु वधम्
  - चाँदनी में महिला
  - दुष्यन्त को प्रेम-पत्र लिखती शकुन्तला
  - श्रीराम द्वारा समुद्र का दमन
- **पुरस्कार एवं सम्मान:**
  - वर्ष 1904 में उन्हें कैसर-ए-हिन्द पदक प्रदान किया गया।
  - उनकी 1873 की चित्रकला "नायर महिला अपने केश संवारते हुए" को राज्यपाल का स्वर्ण पदक तथा वियना प्रदर्शनी में प्रशस्ति-पत्र प्राप्त हुआ।

एलिफेंटा की गुफाएँ

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एलिफेंटा द्वीप पर किए गए उत्खनन में 1,500 वर्ष पुराना टी-आकार का सीढ़ीदार जलाशय प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई 14.7 मीटर, चौड़ाई 6.7 से 10.8 मीटर है, तथा 5 मीटर की गहराई तक सुव्यवस्थित रूप से निर्मित 20 पत्थर की सीढ़ियाँ उजागर हुई हैं।

परिचय

- एलिफेंटा गुफाएँ 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की गईं।
- ये एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं।
- "एलिफेंटा" नाम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने वहाँ प्राप्त एक पत्थर के हाथी के आधार पर दिया था।
- "घारापुरी" का अर्थ है "गुफाओं का नगर"।
- **काल निर्धारण:** इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी (लगभग 550 ईस्वी) के बीच हुआ। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध स्तूप अवशेष इस क्षेत्र में पूर्ववर्ती बसावट का संकेत देते हैं।
- **संरक्षणकर्ता राजवंश:** मुख्य संरक्षणकर्ता महिष्मती के कलचुरी थे। उनसे पूर्व कोंकण मौर्य और उनके पश्चात् चालुक्य तथा राष्ट्रकूट शासकों का प्रभाव रहा।
- **गुफा समूह:**
  - इस परिसर में कुल 7 गुफाएँ हैं।
  - पश्चिमी पहाड़ी पर 5 हिन्दू गुफाएँ।
  - पूर्वी पहाड़ी पर 2 बौद्ध गुफाएँ।
- इनका निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट शिला को काटकर किया गया।
  - गुफा संख्या 1 (महागुफा)
  - यह लगभग 39 मीटर गहरी है।
  - इसमें 27 मीटर वर्गाकार मंडप है।

- मंडप को छह-छह स्तंभों की पंक्तियाँ सहारा देती हैं।

- **स्थापत्य विशेषताएँ:** इसका विन्यास मंडल-आधारित योजना पर आधारित है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है।
- **प्रमुख स्थापत्य अवयव:** मंडप, गर्भगृह, द्वारपाल, शैल-कट गलियारे
- **प्रमुख मूर्तियाँ:** त्रिमूर्ति सदाशिव (7 मीटर) , नटराज , योगीश्वर, अर्धनारीश्वर, रावणानुग्रहमूर्ति, त्रिमूर्ति सदाशिव
- **यह भगवान शिव के तीन रूपों को दर्शाती है:** अघोर, तत्पुरुष, वामदेव
  - ये क्रमश: सृष्टि, पालन और संहार के द्योतक हैं।

विनायक दामोदर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर के संबंध में की गई टिप्पणियों पर दायर एक आपराधिक मानहानि वाद ने पुणे की एक न्यायालय में "स्वतंत्रवीर" उपाधि की उत्पत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

परिचय

- विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें सामान्यत: वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक विचारक, लेखक और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे।
- **शिक्षा:**
  - उन्होंने फर्ग्युसन महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की।
  - इसके पश्चात् वे विधि अध्ययन हेतु लंदन गए।
- **क्रांतिकारी गतिविधियाँ:**
  - वर्ष 1904 में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए समर्पित एक गुप्त संगठन था।
  - लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी का नेतृत्व किया।
  - वहाँ उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को क्रांतिकारी रणनीतियों का संगठन और प्रशिक्षण प्रदान किया।
- **राजनीतिक विचारधारा:**
  - सावरकर हिंदुत्व की अवधारणा के विकास के केंद्रीय व्यक्तित्वों में से एक थे।
  - वे 1937 से 1943 तक हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रहे।
  - इस अवधि में उन्होंने हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा का समर्थन किया।
- **सामाजिक सुधार:**
  - सावरकर ने सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया।
  - उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का विरोध किया।
  - वे सभी सामाजिक वर्गों के लिए समानता के समर्थक थे।
  - उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को साथ भोजन करने और साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
  - उन्होंने निम्नवर्गीय समुदायों के मंदिर प्रवेश का सक्रिय समर्थन किया, जिससे समाज में सुधार और एकता स्थापित हो सके।
- **साहित्यिक योगदान:** उन्होंने 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम संगठित स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- **उन्होंने हिंदुत्व:** कौन है हिन्दू? नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें राष्ट्रीय पहचान संबंधी अपने विचारों का प्रतिपादन किया।

महात्मा ज्योतिराव फुले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक परिवर्तनकारी समाज-सुधारक के रूप में उनकी विरासत का सम्मान किया।

ज्योतिराव फुले का परिचय

- **जन्म:** महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को खटगुण ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में सतारा जिला में स्थित है।
- **उपाधि:** वे मूलत: माली समुदाय से थे और उनके परिवार का उपनाम 'गोरहे' था। 11 मई 1888 को समाजसेवी विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने उन्हें "महात्मा" की उपाधि प्रदान की।
- **विचारधारा और प्रेरणा:** उनके विचार स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थे। वे थॉमस पेन की पुस्तक दी राइट्स ऑफ मैन से गहराई से प्रभावित थे।

सामाजिक योगदान

- **शिक्षा और विवाह:** 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ।दोनों ने 1848 में भिडेवाड़ा में भारत का प्रथम बालिका विद्यालय स्थापित किया।
- **बालहत्या प्रतिबंधक गृह:** वर्ष 1863 में उन्होंने भारत का प्रथम आश्रय-गृह स्थापित किया।इसका उद्देश्य शिशुहत्या की रोकथाम करना तथा गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान करना था।
- **सत्यशोधक समाज:** 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
- "सत्य की खोज करने वालों" का यह संगठन वंचित समुदायों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यरत था।
- **शब्दावली:** पारंपरिक वर्ण-व्यवस्था से बाहर रहने वाले उत्पीड़ित समुदायों के लिए "दलित" शब्द का प्रयोग करने का श्रेय ज्योतिराव फुले को दिया जाता है।
- **प्रमुख कृतियाँ:**
  - गुलामगिरी
  - शेतकर्याचा आसूड
  - तृतीय रत्न

जरथुस्त्र धर्म

प्राचीन फारस में भेड़िये को प्राय: बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यह धारणा जरथुस्त्र धर्म की मान्यताओं में गहराई से निहित थी। इस विश्वास ने ऐतिहासिक रूप से उस क्षेत्र में मनुष्यों और वन्यजीवों के संबंधों को प्रभावित किया।

जरथुस्त्र धर्म का परिचय

- **उत्पत्ति:** जरथुस्त्र (जोरोआस्टर) द्वारा प्राचीन फारस (वर्तमान ईरान) में लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व के बीच इस धर्म की स्थापना की गई। यह विश्व के सबसे प्राचीन एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है।
- **एकेश्वरवाद:** यह धर्म अहुरा मज्दा की उपासना पर आधारित है।अहुरा मज्दा को सत्य और ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है।
- **ऐतिहासिक परिवर्तन:** 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लामी विजय के पश्चात् ईरान में इस धर्म का प्रभाव घटने लगा। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अनेक अनुयायी भारत आए, जहाँ उन्हें पारसी कहा जाता है।
- **भारत में उपस्थिति:** पारसी भारत में मान्यता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 57,264 थी। अल्प संख्या के बावजूद उनका भारतीय समाज पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

पवित्र ग्रन्थ

- **अवेस्ता:** अवेस्ता इस धर्म का मुख्य पवित्र ग्रंथ है। इसमें अनुष्ठान, प्रार्थनाएँ और नैतिक शिक्षाएँ संकलित हैं।
- **गाथाएँ:** गाथाएँ अवेस्ता का सबसे प्राचीन भाग हैं। इन्हें स्वयं जरथुस्त्र द्वारा रचित स्तुतिगान माना जाता है।
- **प्रमुख दार्शनिक विचार:**
  - ब्रह्मांडीय द्वैतवाद
  - ब्रह्मांड को अहुरा मज्दा (सद्गुण) और अंग्रा मैन्यु (दुष्ट शक्ति) के मध्य संघर्ष के रूप में देखा जाता है।
- **नैतिक त्रयी:** जीवन तीन मूल सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है-
  - हुमता (सद्विचार)
  - हुख्ता (सद्वचन)
  - ह्वर्श्ता (सत्कर्म)
- **आशा (सत्य):** यह धर्मनिष्ठा, सत्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सिद्धांत है।
- **स्वतंत्र इच्छा:** मनुष्य स्वयं सही और गलत के बीच चयन करने के लिए उत्तरदायी है। नैतिक आचरण के माध्यम से वह अच्छाई की विजय में योगदान देता है।
- **न्याय और परलोक:** आत्माओं का निर्णय उनके सांसारिक कर्मों के आधार पर किया जाता है। इस धर्म में साओश्यंत नामक भावी उद्धारकर्ता और अंतत: अच्छाई की अंतिम विजय की कल्पना की गई है।
- **धार्मिक प्रतीक एवं उपासना:**
  - अग्नि (पवित्र ज्वाला)
  - अग्नि शुद्धता और दिव्य प्रकाश का प्रतीक है।
  - इसे अग्नि मंदिरों में निरंतर प्रज्वलित रखा जाता है।
- **फरवहर:** यह पंखों वाला प्रतीक आत्मा की नैतिक उन्नति और चयन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
- **पवित्र तत्त्व:** जल, पृथ्वी और वायु को भी पवित्र माना जाता है। प्रकृति को प्रदूषित करना वर्जित समझा जाता है।
- **नवजोत संस्कार:** इस संस्कार के माध्यम से बालक या बालिका को धर्म में दीक्षित किया जाता है। उन्हें सुद्रेह (पवित्र वस्त्र) और कुस्ती (पवित्र कमरबंध) प्रदान किया जाता है।
- **प्रमुख उत्सव:**
  - नौरोज
  - नौरोज इस धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण उत्सव है।
  - यह नववर्ष, नवजीवन और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है।

अम्बेडकर जयंती

14 अप्रैल 2026 को भारत ने डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई। यह दिवस अम्बेडकर जयंती के नाम से जाना जाता है।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय

- **जन्म:** डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की 14वीं संतान थे।
- **शिक्षा:** जातिगत भेदभाव की गंभीर बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने कोलम्बिया यूनिवर्सिटी तथा लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
- **उपाधियाँ और सम्मान:** वे लोकप्रिय रूप से "बाबासाहेब" के नाम से प्रसिद्ध हैं।वर्ष 1954 में उन्हें "बोधिसत्त्व" की उपाधि दी गई। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- **प्रमुख योगदान:** वे संविधान के शिल्पकार थे उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे का निर्माण किया तथा मौलिक अधिकारों और विधि के समक्ष समानता को सुनिश्चित किया तथा अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता के उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उनके द्वारा अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा गया है।
- **सामाजिक और राजनीतिक सुधार:**
  - जाति एवं लैंगिक न्याय के लिए उन्होंने 1927 के महाड़ सत्याग्रह और 1930 के कालाराम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का समर्थन किया। वायसराय की परिषद् में श्रम सदस्य के रूप में उन्होंने 8 घंटे का कार्यदिवस, न्यूनतम वेतन और मातृत्व लाभ की व्यवस्था प्रारम्भ की।
- **राजनीतिक संगठन:**
  - स्वतंत्र श्रमिक पार्टी (1936)
  - अनुसूचित जाति महासंघ (1942)
  - भारतीय गणतांत्रिक पार्टी की घोषणा (1956)
- **हिन्दू संहिता विधेयक:** भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में उन्होंने 1950 में हिन्दू व्यक्तिगत विधियों के आधुनिकीकरण और महिलाओं को विवाह तथा उत्तराधिकार में समान अधिकार देने हेतु हिन्दू संहिता विधेयक का प्रारूप तैयार किया।
- विरोध के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
- बाद में इसके मूल सिद्धांतों को पृथक अधिनियमों के रूप में लागू किया गया, जैसे:

- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- साहित्यिक और आर्थिक योगदान

- **साहित्यिक योगदान एवं आर्थिक विचार**
  - जाति का विनाश
  - दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी
  - हू वर दी शुद्राज
  - दी बुद्धा एंड हिज धम्मा
- **पत्रिकाएँ:**
  - मूकनायक (1920)
  - बहिष्कृत भारत (1927)
  - बौद्ध धर्म ग्रहण
- **बौद्ध धर्म से वार्ता:**
  - वर्ष 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
  - इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था से बाहर सम्मान और समानता प्राप्त करना था। इस घटना से दलित बौद्ध आंदोलन का प्रारम्भ हुआ।

चन्द्र शेखर (1927-2007)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में चन्द्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2026 उनकी जन्मशती का वर्ष है।

प्रारम्भिक जीवन एवं शिक्षा

- **जन्म:** चन्द्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 (कुछ अभिलेखों में 1 जुलाई) को इब्राहीमपट्टी ग्राम, बलिया जिला में एक कृषक परिवार में हुआ था।
- **शिक्षा:** उन्होंने 1951 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की।
- **प्रारम्भिक प्रेरणाएँ:** छात्र जीवन में वे समाजवादी आंदोलन से जुड़े। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ कार्य किया। वे डॉ. राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे।

राजनीतिक यात्रा एवं विचारधारा

- **समाजवादी पृष्ठभूमि:** उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में वे इसके सचिव रहे। वर्ष 1962 में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए।
- **यंग तुर्क:** वर्ष 1964-65 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए।ईमानदारी, निर्भीक विचारों और एकाधिकारवादी शक्तियों के विरोध के कारण उन्हें "यंग तुर्क" कहा गया।
- **नीतिगत योगदान:** उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दृढ़ समर्थन किया।उन्होंने प्रिवी पर्स (पूर्व रियासतों को दी जाने वाली राजभृत राशि) समाप्त करने का समर्थन किया।
- **पत्रकारिता:** वर्ष 1969 में उन्होंने यंग इंडियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रारम्भ और संपादन किया।

आपातकाल एवं प्रतिरोध

- **गिरफ्तारी:** वर्ष 1975-77 के आपातकाल के दौरान, सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने के बावजूद सरकार का विरोध करने पर उन्हें आंतरिक सुरक्षा संधारण अधिनियम (मीसा) के अंतर्गत कारावास में रखा गया।
- **साहित्यिक कृतियाँ:**
  - कारावास के दौरान उन्होंने मेरी जेल डायरी लिखी।
  - उनकी एक अन्य पुस्तक डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज है।
  - सामाजिक कार्य एवं जनसम्पर्क
- **भारत यात्रा (1983):** वर्ष 1983 में उन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक 4,260 किलोमीटर की पदयात्रा की।इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना और जमीनी समस्याओं को समझना था।
- **प्रशिक्षण केंद्र:** उन्होंने देशभर में लगभग 15 भारत यात्रा केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था।

प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल

- **कार्यकाल:** वे 10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
- **त्यागपत्र:** मार्च 1991 में कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के पश्चात् उन्होंने पदत्याग कर दिया।

जगद्गुरु बसवेश्वर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अप्रैल 2026 को मनाई गई बसव जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- जगद्गुरु बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे 12वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, कवि और राजनेता थे।
- उन्होंने लिंगायत परम्परा की स्थापना की। वे कलचुरी वंश के राजा बिज्जल द्वितीय के मंत्री थे।

लिंगायत परम्परा के संस्थापक

- उन्होंने लिंगायत परम्परा की स्थापना की।यह परम्परा इष्टलिंग के माध्यम से ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध पर बल देती है।
- **पहचान:** लिंगायतों को प्राय: "वीरशैव लिंगायत" नामक हिन्दू उपसमुदाय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें शैव परम्परा का अनुयायी माना जाता है।
- बसवन्ना की शिक्षाओं का उद्देश्य पारंपरिक सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठना था। वे कलचुरी वंश के राजा बिज्जल द्वितीय के मंत्री थे।

सामाजिक योगदान

- **समानता:** वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे।उन्होंने सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा जाति-आधारित पदानुक्रम और भेदभाव के पूर्ण उन्मूलन का समर्थन किया।

- **अनुभव मंटप:** उन्होंने अनुभव मंटप की स्थापना की। इसे विश्व की प्रथम संसद के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यह आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर खुले संवाद का मंच था, जहाँ सभी पृष्ठभूमियों और सभी लिंगों के लोगों का स्वागत किया जाता था।
- **साहित्यिक योगदान:**
  - उन्होंने वचन नामक काव्य-शैली के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का प्रसार किया।
  - उनके वचनों ने जटिल आध्यात्मिक सत्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया।
- **मान्यताएं:**
  - **कायक:** "कार्य ही पूजा है" का सिद्धांत। यह शारीरिक श्रम की गरिमा और ईमानदार आजीविका पर बल देता है।
  - **दासोह:** धन और संसाधनों के समान वितरण का सिद्धांत। यह नि:स्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना को प्रोत्साहित करता है।

आदि शंकराचार्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र और अध्यात्म के महान आचार्य थे।
- उनका जन्म लगभग 788 ईस्वी में कालड़ी में हुआ था। उनका जीवनकाल लगभग 788-820 ईस्वी माना जाता है।
- **अद्वैत वेदान्त:** उन्होंने अद्वैत वेदान्त का प्रतिपादन किया।इसके अनुसार आत्मा (आत्मन) और ब्रह्म (परम चेतना) दोनों एक ही हैं। जीव और ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं है।
- **माया का सिद्धांत:** शंकराचार्य के अनुसार भौतिक जगत का प्रत्यक्ष रूप माया है।यह अज्ञान के कारण वास्तविक प्रतीत होता है।
- **मोक्ष का मार्ग:** उन्होंने ज्ञान (सत्य बोध) को मुक्ति का साधन बताया। ज्ञान प्राप्त होने पर माया का आवरण हट जाता है और अस्तित्व की एकता का बोध होता है।
- **प्रस्थानत्रयी पर भाष्य:** उन्होंने वेदान्त के तीन आधारग्रंथों पर प्रामाणिक भाष्य लिखे- ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता, 12 प्रमुख उपनिषद
- **भक्तिपरक रचनाएँ:** उन्होंने 72 से अधिक स्तोत्रों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं - सौन्दर्य लहरी, शिवानन्द लहरी, निर्वाण षट्कम्, षण्मत व्यवस्था।
- आदि शंकराचार्य को षण्मत व्यवस्था के संगठन का श्रेय दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत छह प्रमुख देवताओं की उपासना को एक दार्शनिक ढाँचे में समन्वित किया गया:
  - शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, मुरुगन (कार्तिकेय), सूर्य।
- उन्होंने प्रत्येक देवता को ब्रह्म की प्राप्ति का वैध मार्ग बताया। इससे विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेद कम हुए और हिन्दू परम्पराओं में समन्वय स्थापित हुआ।

विश्व सूत्र

वस्त्र मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया के भव्य समापन समारोह में "विश्व सूत्र" संग्रह प्रस्तुत किया।

परिचय

- यह पहल विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से तैयार की गई।
- इस संग्रह में भारत के 30 राज्यों की विशिष्ट बुनाइयों को 30 विभिन्न देशों की परिधान-शैलियों और सांस्कृतिक रूपरेखाओं के साथ संयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकला को वैश्विक फैशन प्रवृत्तियों के साथ जोड़ना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **30-30 रूपरेखा:** 30 राज्यों की विजेताओं ने अपने-अपने राज्य की विशिष्ट बुनाई को अंतरराष्ट्रीय परिधान सौंदर्य-बोध के साथ प्रस्तुत किया।
- **उदाहरण:** ओडिशा की इकत बुनाई को यूनानी शैली के साथ रूपांतरित किया गया। बनारसी वस्त्र को संयुक्त अरब अमीरात से प्रेरित परिधान शैली में प्रस्तुत किया गया।

- **कुंबी बुनाई:** गोवा की विजेता साध्वी सतीश साइल ने पारंपरिक कुंबी वस्त्र धारण किया। यह गोवा की एक प्राचीन बुनाई है। "कुन" का अर्थ परिवार तथा "बी" का अर्थ बीज माना जाता है। इसे मध्य यूरोपीय स्कर्ट की शैली में पुन: डिजाइन किया गया।

महत्त्व

- **5F रूपरेखा:** यह पहल प्रधानमंत्री की 5F परिकल्पना को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है- खेत, रेशा, कारखाना, फैशन, विदेश।
- **स्थानीय से वैश्विक:** इसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह "स्थानीय के लिए स्वर" से आगे बढ़कर "स्थानीय से वैश्विक" की अवधारणा को सशक्त करता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:**
  - यह पहल वस्त्रों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करती है।
  - भारतीय हथकरघा को वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक कथा-वाचन और भारत की कोमल शक्ति के प्रभावी माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है।

प्राचीन वस्तुओं की वापसी संबंधी विधियाँ

संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की जाँच के अंतर्गत लगभग 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएँ भारत को लौटाई हैं।

प्राचीन वस्तु क्या है?

प्राचीन वस्तुएँ एवं कला निधि अधिनियम, 1972 (1976 से प्रभावी) के अनुसार -

- सामान्य वस्तुएँ (100 वर्ष या अधिक पुरानी), मूर्तियाँ, सिक्के, चित्रकृतियाँ,
- अभिलेख, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक महत्त्व की अन्य वस्तुएँ, पांडुलिपियाँ और दस्तावेज (75 वर्ष या अधिक पुराने), साहित्यिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक महत्त्व की सामग्री।

अंतरराष्ट्रीय विधिक ढाँचा

- यूनेस्को 1970 अभिसमय
- यूनेस्को का 1970 अभिसमय सांस्कृतिक संपदा को परिभाषित करता है।
- यह अवैध व्यापार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बल देता है।
- प्राचीन वस्तुओं की वापसी का दावा करते समय स्रोत देश को स्वामित्व सिद्ध करना होता है और उसका व्यय भी स्वयं वहन करना पड़ता है।

भारतीय विधिक ढाँचा

- **स्वतंत्रता-पूर्व:** संरक्षण के सीमित प्रावधान उपलब्ध थे।
- **प्राचीन वस्तुएँ** (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947
- प्राचीन वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया गया।
- प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958
- इसका मुख्य उद्देश्य स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों का संरक्षण है।
- प्राचीन वस्तुएँ एवं कला निधि अधिनियम, 1972
- केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्राचीन वस्तुओं का निर्यात निषिद्ध है।
- व्यापारियों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है।

संवैधानिक प्रावधान

- सांस्कृतिक धरोहर की जिम्मेदारी संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित है।
- प्राचीन वस्तुओं की वापसी की प्रक्रिया
- **1947 से पूर्व:** सांस्कृतिक कूटनीति और सद्भावना पर निर्भरता थी। कोई वैश्विक विधिक ढाँचा उपलब्ध नहीं था।
- **1947-1976 के मध्य:** द्विपक्षीय वार्ताओं और घरेलू विधियों पर निर्भरता रही। अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन कमजोर था। भारत ने यूनेस्को अभिसमय का अनुमोदन 1977 में किया।
- **1976 के बाद:** विधिक आधार अधिक सुदृढ़ हुआ। अनधिकृत निर्यात अवैध घोषित होने से विधिक दावों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा वस्तुओं की वापसी सरल हुई।

उल्लेखनीय रूप से वापस प्राप्त प्राचीन वस्तुएँ

- कांस्य अवलोकितेश्वर प्रतिमा, जिस पर शिल्पकार द्रोणादित्य का अभिलेख अंकित है। अभय मुद्रा में लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध प्रतिमा। नृत्यरत गणेश प्रतिमा।

अतिरिक्त जानकारी

- भारत-अमेरिका सांस्कृतिक संपदा समझौता, 2024
- वर्ष 2024 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत से अमेरिका तक प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकना है। यह समझौता यूनेस्को 1970 अभिसमय के अनुरूप है, जिसके दोनों देश पक्षकार हैं।

विरली खंडार उत्खनन

विरली खंडार (पवनी तहसील) में डॉ. प्रभाष साहू के नेतृत्व में चल रहे उत्खनन से विदर्भ क्षेत्र की महापाषाणीय अन्त्येष्टि परम्पराओं के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है।

प्रमुख निष्कर्ष

- अब तक कुल 69 महापाषाणीय समाधियों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ समाधियों का विस्तृत उत्खनन किया जा रहा है। इस स्थल पर पत्थर वृत्त (स्टोन सर्कल) और मेनहिर का संयुक्त स्वरूप मिला है, जो इसे क्षेत्र के अन्य स्थलों, जैसे पिंपलगाँव निपानी और तिरोटा खेरी, से भिन्न बनाता है।
- एक समाधि में लगभग 50 मृद्भांडों की सुव्यवस्थित व्यवस्था पाई गई। बड़े कटोरों को उल्टे कटोरों से ढँककर काली कपासी मिट्टी की परत पर रखा गया था, जिसके नीचे प्राकृतिक मुरम की परत थी।
- **प्राप्त अवशेष:**
  - ताम्र हार
  - **लौह उपकरण:** कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, करछुल, बाणाग्र, अर्ध-मूल्यवान पत्थरों के मनके (विशेष रूप से उत्कीर्ण कर्नेलियन मनके), स्वर्ण कुण्डल।

मेनहिर: अर्थ और महत्त्व

- मेनहिर एक विशाल, मानव-निर्मित, सीधा खड़ा पत्थर होता है। इसका ऊपरी भाग सामान्यत: संकरा होता है। यह अकेले खड़ा हो सकता है या किसी महापाषाणीय परिसर का भाग हो सकता है।
- इसका नाम ब्रिटोनिक भाषा के शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है "लंबा पत्थर"। इनका संबंध समाधि-चिह्नों, अनुष्ठानों तथा कुछ मामलों में खगोलीय संरेखण से होता है।

संबंधित महापाषाणीय संदर्भ

- मुदुमल महापाषाणीय मेनहिर लगभग 3,500-4,000 वर्ष पुराने हैं।
- इन्हें भारत की यूनेस्को संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
- इन्हें संभावित महापाषाणीय खगोलीय वेधशाला माना जाता है। ग्रांड मेनहिर ब्रिजे (20.6 मीटर) विश्व के सबसे बड़े ज्ञात मेनहिरों में से एक है।

महत्त्व

- यह स्थल महापाषाणीय परम्पराओं में क्षेत्रीय विविधता का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है।
- विशेष रूप से पत्थर वृत्त-मेनहिर का संयुक्त स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है।
- इससे मध्य भारत की प्राचीन समाधि प्रणालियों, भौतिक संस्कृति और अनुष्ठानिक परम्पराओं की बेहतर समझ विकसित होती है।

भारत की लौह युगीन महापाषाणीय संस्कृति (लगभग 1200 ईसा पूर्व - 300 ईस्वी)

- यह भारत के पुरातात्त्विक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण चरण है, जिसकी विशेषता लौह प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा विशाल पत्थरों से निर्मित विशिष्ट समाधियाँ हैं।
- **प्रमुख क्षेत्र:** दक्कन पठार
- **दक्षिण भारत:** कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विदर्भ (महाराष्ट्र), ओडिशा
- **महापाषाणीय समाधियों के प्रकार:** समाधि स्मारक, पत्थर वृत्त, डोल्मेन (मेज जैसी संरचना), सिस्ट (पत्थरों से घिरी कब्र), मेनहिर, केर्न वृत्त (पत्थरों का ढेर), गैर-समाधि/स्मारक, सेनोटाफ (प्रतीकात्मक समाधि, जिसमें शव नहीं होता)

प्रमुख विशेषताएँ

- **लौह प्रौद्योगिकी** लौह उपकरणों और अस्त्रों का व्यापक उपयोग:
  - कुल्हाड़ियाँ, भालाग्र, बाणाग्र
  - यह कांस्य युग से लौह युग में संक्रमण को दर्शाता है।
- **मृदभांड:** कृष्ण-लोहित मृद्भांड (Black-and-Red Ware) इसकी प्रमुख विशेषता है। ये प्राय: समाधियों में कब्र-सामग्री के साथ मिलते हैं।
- **कब्र-सामग्री:** लौह उपकरण, ताम्र आभूषण
- **मनके:** ये सामाजिक स्तरभेद तथा परलोक संबंधी विश्वासों को दर्शाते हैं।
- **अस्थि अवशेष:** विस्तारित अथवा द्वितीयक दफन प्रचलित थे। संरक्षण की समस्याओं के कारण कई बार अस्थि अवशेष अनुपस्थित रहते हैं।

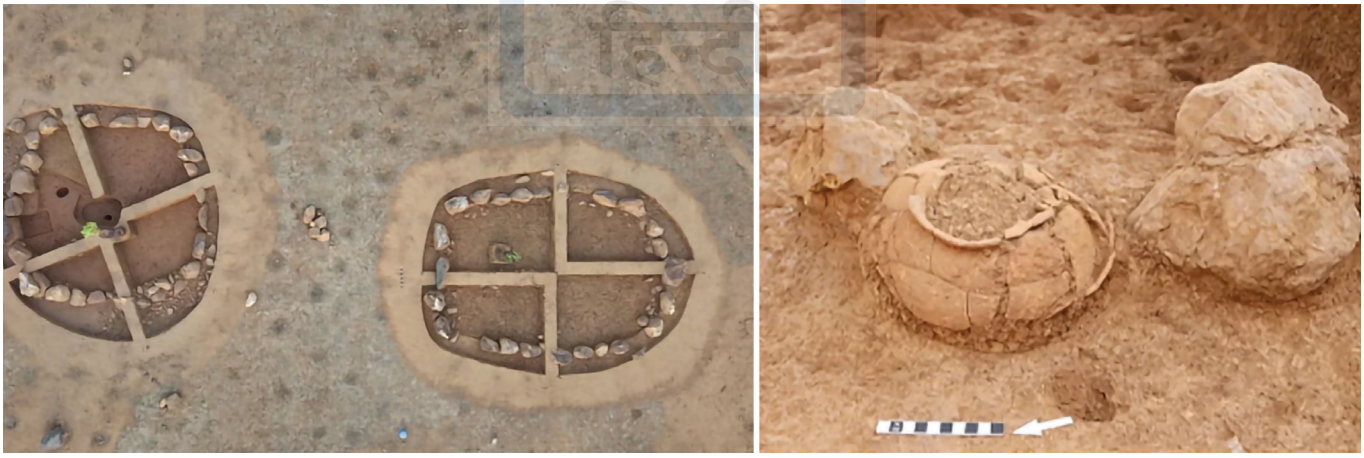

विरली खंडार उत्खनन

10 विविध

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए छह पुस्तकों को अंतिम सूची में स्थान दिया गया है। विजेता की घोषणा 19 मई 2026 को टेट मॉडर्न, लंदन में की जाएगी।

परिचय

- पूर्व में इसे 'मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' कहा जाता था। यह प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनूदित दीर्घ कथा साहित्य या लघु कथा-संग्रह को प्रदान किया जाता है।
- पात्र कृतियाँ मूल रूप से गैर-अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हों तथा 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 के मध्य यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हों।

अतिरिक्त जानकारी

- **वर्ष 2025 का विजेता:** हार्ट लैम्प (Heart Lamp) – बानू मुश्ताक द्वारा रचित (कन्नड़) तथा दीपा भास्थी द्वारा अनूदित। यह अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बनी।
- **बुकर पुरस्कार:** बुकर पुरस्कार एक पृथक पुरस्कार है, जो सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को प्रदान किया जाता है।
- **भारतीय विजेता:** अरुंधति रॉय -दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स (The God of Small Things) किरण देसाई -दी इन्हेरिटेन्स ऑफ लॉस (The Inheritance of Loss) अरविंद अडिगा – दी व्हाईट टाइगर (The White Tiger)

वर्ष 2026 की अंतिम सूची

- इस शॉर्टलिस्ट में सत्ता द्वारा आकार दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास का एक पूरा शताब्दी-काल शामिल है-1930 के दशक के ताइवान से लेकर क्रांति-पश्चात् ईरान और नाजी जर्मनी तक।
- ऑन अर्थ एज इट इज बिनीथ (On Earth As It Is Beneath) – आना पाउला माइया द्वारा रचित (पुर्तगाली); पद्मा विश्वनाथन द्वारा अनूदित। यह एक निरंकुश दंड-उपनिवेश की कथा प्रस्तुत करती है।
- दी नाइट्स आर क्वाइट इन तेहरान (The Nights Are Quiet in Tehran) – शीदा बाजयार द्वारा रचित (जर्मन); रूथ मार्टिन द्वारा अनूदित। यह एक ईरानी परिवार की क्रांति से निर्वासन तक की यात्रा का वर्णन करती है।
- शी हू रिमेन्स (She Who Remains) – रेने कराबाश द्वारा रचित (बल्गेरियाई); इजिडोरा एंजेल द्वारा अनूदित। यह अल्बानियाई आल्प्स की 'शपथबद्ध कुँवारी' परंपरा पर आधारित है।
- दी डायरेक्टर (The Director) – डेनियल केलमान द्वारा रचित (जर्मन); रॉस बेंजामिन द्वारा अनूदित। यह नाजी शासन के दौरान मिलीभगत की पड़ताल करती है।
- दी विच (The Witch) – मारी एनदियाय द्वारा रचित (फ्रांसीसी); जॉर्डन स्टम्प द्वारा अनूदित। यह पीढ़ियों के बीच शक्ति-संबंधों की पड़ताल करती है।
- **ताईवान ट्रेवेलॉग:** यांग शुआंग-जी द्वारा रचित (मंदारिन); लिन किंग द्वारा अनूदित। यह औपनिवेशिक स्मृति का अन्वेषण करती है तथा 2024 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार (अनूदित साहित्य) जीत चुकी है।

भारत का पहला जल-तटस्थ कोचिंग डिपो

कांकरिया कोचिंग डिपो, अहमदाबाद भारत का पहला जल-तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। यह उपलब्धि अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के माध्यम से प्राप्त की गई है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर जल का संरक्षण।
- प्रतिवर्ष लगभग 5.84 करोड़ लीटर जल की बचत।
- मीठे जल पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी।
- भारतीय रेल के लिए एक अनुकरणीय सतत् विकास मॉडल के रूप में स्थापित।

जल उपचार प्रक्रिया

डिपो में जल को पुनः उपयोग योग्य बनाने के लिए बहु-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है।

- **पादप-आधारित शोधन:** इस प्रक्रिया में जीवित पौधों की सहायता से प्रदूषित जल से अशुद्धियों को अवशोषित कर हटाया जाता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी होती है जहाँ प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है।
- **निस्यंदन:**
  - जल को आर्द्रभूमि, रेत तथा कार्बन फिल्टरों से गुजारा जाता है।
  - इससे सूक्ष्म कणों और अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है।
- **रोगाणु-नाशन:**
  - पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है।
  - इससे जल सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग के योग्य बन जाता है।

बायोनेस्ट

हाल ही में सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूरु में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद-बायोनेस्ट ऊष्मायन केंद्र का उद्घाटन किया गया।

BioNEST का परिचय

- इसे बायोटेक्नोलॉजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा भारत के जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभ किया गया।

- इसका उद्देश्य ऐसे जैव-ऊष्मायन केंद्र स्थापित करना है जो उद्योग और शिक्षाजगत के बीच की दूरी को कम करें तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को बाजार-उन्मुख वाणिज्यिक उत्पादों में परिवर्तित करें।
- वित्तीय सहायता सरकार की समेकित योजना बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

सहायता और सेवाएँ

- **बुनियादी ढाँचा:** स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, विशेष उन्नत उपकरणों और स्केल-अप सत्यापन सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- **मार्गदर्शन:** बौद्धिक संपदा (IP) प्रबंधन, विधिक और विनियामक आवश्यकताओं, प्रमाणन और संसाधन जुटाने के मामलों में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **नेटवर्किंग:** ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी मार्गदर्शन और व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख क्षेत्र

नया बायोनेस्ट केंद्र खाद्य और जैव-प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में कार्यरत नवउद्यमों को समर्थन प्रदान करेगा, जैसे-

- पोषक अनुपूरक एवं वनस्पति-आधारित उत्पाद
- सूक्ष्म-सटीक किण्वन
- लाभकारी जीवाणु एवं परजीवोत्तर उत्पाद
- क्रिस्पर तकनीक आधारित प्रौद्योगिकियाँ आदि।

केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CFTRI)

परिचय

- यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की एक घटक प्रयोगशाला है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में गहन अनुसंधान एवं विकास करना है।
- **प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र:** अभियांत्रिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा संसाधन केंद्र हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई।

BIRAC

- बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) एक गैर-लाभकारी, धारा 8, अनुसूची B, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसे भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) ने एक इंटरफेस एजेंसी के तौर पर स्थापित किया है।
- यह उभरते हुए बायोटेक उद्यमों को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- BIRAC लक्षित फंडिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, IP प्रबंधन और हैंडहोल्डिंग योजनाओं के माध्यम से जोखिम पूंजी तक पहुँच प्रदान करता है; ये योजनाएँ बायोटेक फर्मों में नवाचार उत्कृष्टता लाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करती हैं।

दुर्बलता

हाल ही में सेल स्टेम सेल नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने दुर्बलता के उपचार में स्टेम कोशिका चिकित्सा की संभावनाओं को रेखांकित किया है।

दुर्बलता क्या है?

- दुर्बलता ऐसी अवस्था है जिसमें जैविक वृद्धावस्था की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह निम्नलिखित विशेषताओं से पहचानी जाती है-
  - सहनशक्ति में कमी
  - शारीरिक क्षमता में गिरावट
  - रोग या तनाव के पश्चात् धीमी पुनर्प्राप्ति
- यह किसी एक रोग के कारण नहीं होती, बल्कि अनेक दीर्घकालिक जैविक परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है।

आँकड़े

- **वैश्विक स्थिति:** 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में लगभग 25 प्रतिशत तक यह अवस्था पाई जा सकती है।
- **भारत की स्थिति:** भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या वर्ष 2050 तक लगभग 20 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है। यह अवस्था व्यापक रूप से विद्यमान होने की संभावना है, किन्तु इसका निदान प्रायः नहीं हो पाता।

बाबू जगजीवन राम (1908-1986)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

परिचय

- **जन्म:** 5 अप्रैल 1908
- **जन्मस्थान:** चंदवा गाँव (वर्तमान बिहार)
- **निधन:** 1986
- वे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रख्यात राजनेता थे।
- उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात् कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:** महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया।
- **सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान**
  - अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की।
  - अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की।
  - वंचित समुदायों को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
  - संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए विशेष रूप से प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया।

- सरकारी सेवाओं तथा विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों के समर्थक रहे।

- **संविधान सभा में भूमिका:** वे संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों संबंधी परामर्श समिति तथा अल्पसंख्यक उपसमिति में कार्य किया। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के संवैधानिक संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।
- **राजनीतिक जीवन:** लगभग 35 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, जो भारतीय राजनीति में एक दीर्घकालिक रिकॉर्ड है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में भारत के उपप्रधानमंत्री बने।
- **प्रशासनिक एवं नीतिगत योगदान:**
  - **श्रम:** उन्होंने 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' लागू करवाया और संगठित तथा असंगठित श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी ढाँचा स्थापित किया।
  - **कृषि:** मंत्री के तौर पर, 'हरित क्रांति' और 'कृषि विज्ञान केंद्रों' की स्थापना का श्रेय उन्हें ही जाता है।
  - **रक्षा:** 1971 के युद्ध के दौरान उन्होंने भारत का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ।
  - **बुनियादी ढाँचा:** उनके कार्यकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 'हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण' था; इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक डाक और तार नेटवर्क के विस्तार के लिए भी काम किया।
  - **आरक्षण:** सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के समग्र उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण हेतु 'राज्य के हस्तक्षेप' का प्रावधान-इन सभी की सफलता का श्रेय बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं को ही जाता है।
- **विधायी योगदान:** उन्होंने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऑपरेशन नुमखोर

ऑपरेशन नुमखोर प्रीमियम प्रयुक्त वाहनों की तस्करी तथा जाली पंजीकरण दस्तावेजों के माध्यम से चलाए जा रहे अवैध नेटवर्क के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस विषय पर आगामी भारत-भूटान संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

ऑपरेशन नुमखोर का परिचय

- इसे सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि द्वारा सितंबर 2025 में प्रारंभ किया गया।
- इसका उद्देश्य भूटान के माध्यम से महँगे प्रयुक्त वाहनों की तस्करी पर रोक लगाना है।
- यह अभियान जाली वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों के उपयोग और कथित रूप से मोटर वाहन विभाग के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता की भी जाँच करता है। इसके अंतर्गत अनेक राज्यों में व्यापक छापेमारी और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।

समृद्ध ग्राम पहल तथा WSIS पुरस्कार 2026

समृद्ध ग्राम पहल को हाल ही में विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 के अंतर्गत क्रियारेखा C6 (सक्षम वातावरण) श्रेणी में नामित किया गया है। यह समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भारत की डिजिटल अवसंरचना के उपयोग को वैश्विक स्तर पर मिली मान्यता है।

समृद्ध ग्राम पहल का परिचय

- यह भारतनेट द्वारा समर्थित एक एकीकृत भौतिक-डिजिटल सेवा वितरण मॉडल है। इसका संचालन दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है, जो संचार मंत्रालय के अधीन है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक-केंद्रित सेवाएँ सीधे उपलब्ध कराना है।
- क्षेत्रीय संचालन और सामुदायिक जागरूकता में डिजिटल सशक्तिकरण फाउंडेशन सहयोग प्रदान करता है। भारत का पहला समृद्धि केंद्र उमरी गाँव, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया।

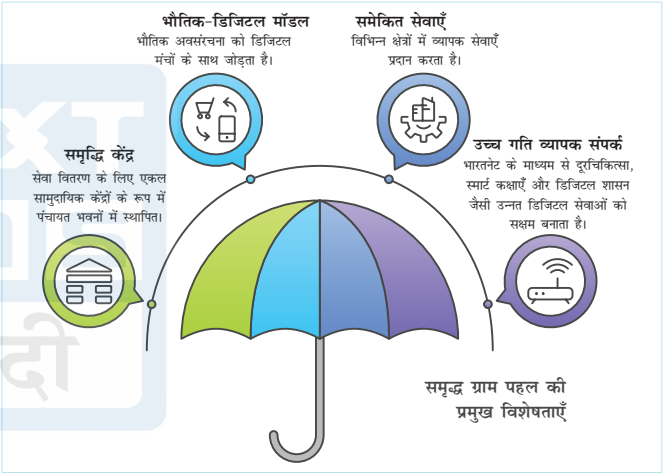

भौतिक-डिजिटल मॉडल

यह मॉडल दो प्रकार की सेवाओं को एकीकृत करता है-

- प्रत्यक्ष (भौतिक) सेवाएँ
- डिजिटल माध्यम से प्रदत्त सेवाएँ
  - इससे ग्रामीण नागरिकों को एक ही केंद्र पर अनेक सेवाएँ सुलभ होती हैं।

विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन एवं WSIS पुरस्कार

- विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन एक वैश्विक बहु-पक्षीय मंच है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में समावेशी डिजिटल समाज और डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन पुरस्कार
- इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं को सम्मानित करते हैं।
- इनका उद्देश्य सतत् विकास तथा सतत् विकास लक्ष्यों में योगदान देने वाली पहलों को वैश्विक पहचान प्रदान करना है। विजेताओं और अग्रणी पहलों को विश्व स्तर पर उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मान्यता दी जाती है।

सुरक्षित यात्रा का अधिकार

हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।

संवैधानिक व्याख्या

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व आरोपित करता है कि वह यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे।
- अवैध पार्किंग, गड्ढों अथवा असुरक्षित आधारभूत संरचना जैसी टाली जा सकने वाली परिस्थितियों के कारण होने वाली मृत्यु, राज्य के इस दायित्व के निर्वहन में विफलता मानी जाएगी।

न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर नए ढाबों, भोजनालयों तथा अन्य वाणिज्यिक संरचनाओं के निर्माण या संचालन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया।
- भारी एवं वाणिज्यिक वाहनों को राजमार्गों, मुख्य मार्गों अथवा पक्के कंधों पर खड़ा करने या रोकने पर रोक लगाई गई, सिवाय निर्धारित विश्राम स्थलों या मार्ग-सुविधा केंद्रों के।
- सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 60 दिनों के भीतर अनधिकृत संरचनाओं को हटाने या ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया।
- राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र के भीतर कोई भी प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञप्ति जारी नहीं कर सकेगा।
- प्रत्येक जिले में जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया गया।

चिंताजनक आँकड़े

राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का केवल लगभग 2 प्रतिशत हैं। इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली लगभग 30 प्रतिशत मृत्यु इन्हीं पर होती हैं।

महत्त्व

- यह निर्णय अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए सड़क सुरक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़ता है।
- राज्य को रोकी जा सकने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

बनेई मेनाशे

हाल ही में ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के अंतर्गत मणिपुर और मिजोरम से बनेई मेनाशे समुदाय के लगभग 240-250 सदस्य तेल अवीव पहुँचे। इन्हें नोफ हा-गलील जैसे नगरों में बसाने की योजना है।

बनेई मेनाशे कौन हैं?

- 'बनेई मेनाशे' का अर्थ है "मनश्शे की संतानें"। ये मुख्यतः मणिपुर और मिजोरम के मिजो तथा कुकी समुदायों से संबंधित हैं।
- इनकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 7,000 है। ये स्वयं को इजराइल की दस लुप्त जनजातियाँ में से मनश्शे जनजाति का वंशज मानते हैं।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (प्रवासन वृत्तांत और पहचान निर्माण)
- परंपरा के अनुसार इनके पूर्वज 722 ईसा पूर्व में असीरियाई विजय के पश्चात् निर्वासित हुए।
- माना जाता है कि वे फारस, अफगानिस्तान होते हुए उत्तर-पूर्व भारत पहुँचे।
- यद्यपि ऐतिहासिक और आनुवंशिक प्रमाण निर्णायक नहीं हैं।
- इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान निम्न प्रभावों से विकसित हुई-
- उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के ईसाई मिशनरी प्रभाव
- स्थानीय पुनरुत्थानवादी आंदोलन
- अमिशाव तथा शावेई इजराइल जैसे यहूदी संगठनों से संपर्क
- 1980 के दशक से समुदाय के अनेक लोगों ने यहूदी धर्म और उसकी परंपराएँ अपनाईं।

मान्यता और इजराइल में प्रवासन

- वर्ष 2005 में इजराइल के मुख्य रब्बिनेट ने उन्हें "इजराइल की लुप्त संतति" के रूप में मान्यता दी।
- उनका प्रवासन 'अलियाह' अर्थात् वापसी प्रवास के माध्यम से होता है।
- प्रवासन में सहयोग
- यहूदी एजेंसी फॉर इजराइल (JAFI)
- इजराइल सरकार की विभिन्न योजनाएँ
- 1980 के दशक से हजारों लोग चरणों में पलायन कर चुके हैं।

विश्व होम्योपैथी दिवस 2026

विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को डॉ. सैमुअल हैनिमैन (1755-1843) की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे जर्मनी के चिकित्सक थे और होम्योपैथी पद्धति के प्रवर्तक थे।

वर्ष 2026 की थीम

- **थीमः** सतत् स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी
- यह थीम सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं पर बल देती है तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) के अनुरूप है।

परिचय

- **सिद्धांतः** होम्योपैथी प्राकृतिक उपचार के सिद्धांत "समः समं शमयति" (समान समान का उपचार करता है) पर आधारित है। अर्थात् जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न करता है, वही पदार्थ अत्यल्प मात्रा में रोगी के समान लक्षणों का उपचार कर सकता है।

- **उत्पत्ति:** 'होम्योपैथी' शब्द यूनानी शब्दों होमोइस (समान) और पैथोस (कष्ट) से बना है। इसे अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डॉ. हैनिमैन ने व्यवस्थित रूप दिया। उनकी पुस्तक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इस पद्धति का मूल ग्रंथ मानी जाती है।
- **औषधि निर्माण पद्धति:** औषधियाँ पौधों, खनिजों तथा पशु स्रोतों से तैयार की जाती हैं। इन्हें क्रमिक विरलीकरण (dilution) सक्शन (succussion) की प्रक्रिया से निर्मित किया जाता है।

भारत में होम्योपैथी

- **इतिहास:** भारत में इसका परिचय लगभग 1810 में हुआ। वर्ष 1839 में जॉन मार्टिन होनिगबर्गर ने महाराजा रणजीत सिंह का सफल उपचार किया, जो एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर था।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत में विश्व के सबसे बड़े होम्योपैथिक चिकित्सा तंत्रों में से एक विद्यमान है।
  - 3.45 लाख से अधिक पंजीकृत चिकित्सक कार्यरत हैं।
  - 291 शिक्षण संस्थान संचालित हैं।
- **विनियमन:**
  - राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत की गई।
  - इसने 5 जुलाई 2021 से कार्य प्रारम्भ किया।
  - यह होम्योपैथी शिक्षा और अभ्यास का प्रमुख नियामक निकाय है।
- **आयुष में स्थान:**
  - होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुष पद्धति का एक प्रमुख अंग है। आयुष में निम्नलिखित चिकित्सा पद्धतियाँ सम्मिलित हैं-
  - आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा-रिग्पा।
  - **नोट:** आयुष मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी।

डेटा पुनर्कथन

- 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243-झ से 243-V तक के अंतर्गत भाग 9-ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 43-ख को राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व के रूप में जोड़ा गया, ताकि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक संचालन को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया।
- बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 अनेक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियों के विनियमन हेतु अधिनियमित किया गया।
- भारतीय मूल के विदेशी नागरिक तथा भारतीय मूल के व्यक्ति योजनाओं का 2015 में विलय किया गया, और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक कार्डधारकों को आजीवन वीजा सुविधा प्राप्त है, किंतु उन्हें भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण हेतु एकल उद्देश्यात्मक मानदंड के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति सीमा प्रस्तावित की।
- किसी कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण कराने के लिए न्यूनतम 10 करोड़ रुपये की शुद्ध स्वामित्व निधि आवश्यक है।
- आवास वित्त कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण हेतु न्यूनतम 20 करोड़ रुपये की पूंजी आधार की आवश्यकता होती है।
- ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट तथा दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों का एक प्रमुख स्रोत है।
- ऑस्ट्रेलिया-भारत महत्त्वपूर्ण खनिज अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2023 में 50 लाख अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहयोग से महत्त्वपूर्ण खनिज अनुसंधान और नवाचार को सुदृढ़ करने के लिए की गई।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को 2009 की रणनीतिक साझेदारी से उन्नत कर 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया।
- भारत और दक्षिण कोरिया ने 2015 में अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया, जिससे रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ।
- भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान जी-20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कराने में सफलता प्राप्त की, जिससे वैश्विक शासन में 1.4 अरब से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व सुदृढ़ हुआ।
- भारत ने वैश्विक जलवायु वार्ताओं में हानि एवं क्षति कोष का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु-संवेदनशील देशों के लिए 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञाएँ प्राप्त हुईं।
- भारत द्वारा प्रोत्साहित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100 से अधिक देश शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की पहुँच का विस्तार कर रहे हैं।
- भारत जलवायु प्रतिबद्धताओं और विकासात्मक ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु कोयले के "पूर्ण समाप्ति" के स्थान पर "क्रमिक कमी" का समर्थन करता है।
- सम्राट सम्प्रति पाँचवें मौर्य सम्राट थे, जिन्होंने लगभग 224-215 ईसा पूर्व शासन किया और जैन परंपरा में उन्हें "जैन अशोक" कहा जाता है।
- एलीफेंटा गुफाएँ, जिन्हें 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, मुंबई बंदरगाह स्थित एलीफेंटा द्वीप (घारापुरी) पर स्थित हैं।
- एलीफेंटा गुफाओं की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव प्रतिमा लगभग 7 मीटर ऊँची है और शिव के तीन स्वरूपों-सृष्टि, संरक्षण और संहार-का प्रतिनिधित्व करती है।
- विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों के संगठन हेतु अभिनव भारत सोसायटी की स्थापना की।
- पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता है, जबकि गाथाएँ स्वयं जरथुस्त्र द्वारा रचित स्तोत्र मानी जाती हैं।
- भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1927 का महाड़ सत्याग्रह दलितों के लिए सार्वजनिक जलस्रोतों तक समान पहुँच की माँग के लिए किया गया था।
- महाराष्ट्र के विरली खंडार में उत्खनन से लौह युगीन अंत्येष्टि परंपराओं से संबंधित 69 महापाषाणीय समाधियाँ प्राप्त हुई हैं।
- प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 100 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तु को प्राचीन वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्राचीन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारत में जीएलपी-1 औषधियाँ वर्तमान में केवल अंत:स्राव विशेषज्ञों, हृदय रोग विशेषज्ञों तथा आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा ही लिखी जा सकती हैं।
- आदित्य-एल1, जिसका प्रक्षेपण 2023 में किया गया, सूर्य और उसके बाह्य वायुमंडल के अध्ययन के लिए भारत का प्रथम समर्पित अंतरिक्ष-आधारित सौर मिशन है।
- आदित्य-एल1 को सूर्य-पृथ्वी लाग्रांज बिंदु-1 पर स्थापित किया गया है, जिससे बिना बार-बार ग्रहण के सूर्य का निरंतर अवलोकन संभव होता है।
- आर्टिमिस II, जिसका प्रक्षेपण 1 अप्रैल 2026 को किया गया, 1972 में अपोलो-17 के पश्चात् नासा का प्रथम मानवयुक्त चंद्र परिक्रमा मिशन है।
- फाटा मोर्गाना (Fata Morgana) तापमान व्युत्क्रमण और वायुमंडलीय अपवर्तन से उत्पन्न एक प्रकार का उच्च मरीचिका प्रभाव है, जिसमें दूरस्थ वस्तुएँ क्षितिज से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती हैं।
- कल्पक्कम स्थित भारत के प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर ने क्रांतिकता (criticality) प्राप्त की, जिससे भारत रूस के पश्चात् वाणिज्यिक तीव्र प्रजनक रिएक्टर विकसित करने वाला दूसरा देश बना।
- वामपंथी उग्रवाद का प्रारंभ वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में हुआ।
- समाधान रणनीति तथा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (2025) भारत के वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।
- आईएनएस तरागिरी परियोजना 17-क के अंतर्गत निर्मित चौथा स्टील्थ निर्देशित प्रक्षेपास्त्र फ्रिगेट है, जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
- आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बी है, जो भारत की परमाणु त्रयी के समुद्री घटक को सुदृढ़ करती है।
- आईएनएस अरिदमन 24 K-15 सागरिका प्रक्षेपास्त्र अथवा 8 K-4/K-5 पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र ले जा सकती है; K-4 प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर है।

स्वयं परीक्षण

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. "उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था स्थायी गुटबंधनों की अपेक्षा रणनीतिक लचीलेपन से अधिक चिह्नित है।" वैश्विक शक्ति-राजनीति की बदलती प्रकृति की चर्चा कीजिए तथा संतुलनकारी एवं स्वरूप-निर्माता शक्ति के रूप में भारत की संभावित भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
2. पश्चिम एशिया में भारत की "रणनीतिक पृथक्करण" नीति ने उसकी कूटनीतिक लचीलापन को सुदृढ़ किया है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
3. "भारत एक ओर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर रहा है।" इस दृष्टिकोण में निहित अवसरों और अंतर्विरोधों का परीक्षण कीजिए।
4. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक महत्त्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है। चर्चा कीजिए।
5. भारत-श्रीलंका संबंध समकालीन रणनीतिक आवश्यकताओं जितने ही सभ्यतागत संबंधों से भी प्रभावित होते हैं। समुद्री सुरक्षा, तमिल प्रश्न तथा हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
6. पाक जलडमरूमध्य में मछुआरा विवाद आजीविका संबंधी चिंताओं, पर्यावरणीय स्थिरता और कूटनीति के अंतर्संबंध को दर्शाता है। परीक्षण कीजिए।
7. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग से विकसित होकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो गए हैं। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में इस परिवर्तन के महत्त्व की चर्चा कीजिए।
8. महत्त्वपूर्ण खनिज इक्कीसवीं सदी की भू-राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं। सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाओं तथा ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
9. लोकतांत्रिक एवं समुदाय-आधारित संरचना के बावजूद भारत की अनेक सहकारी संस्थाएँ वित्तीय रूप से कमजोर और निष्क्रिय बनी हुई हैं। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए।
10. राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था भारत के सहकारी आंदोलन की सफलता में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
11. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पारंपरिक बैंकों से किस प्रकार भिन्न हैं? भारत की वित्तीय प्रणाली में उनकी बढ़ती महत्ता तथा उनसे संबंधित विनियामक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
12. "वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम का निर्धारण केवल आकार के आधार पर नहीं किया जा सकता।" उच्च स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पहचान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित कार्यप्रणाली के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
13. मुक्त व्यापार समझौते प्रायः व्यापारिक साझेदारों के बीच असमान लाभ उत्पन्न करते हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
14. भारत में इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। चर्चा कीजिए।
15. भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विधिक और संवैधानिक मुद्दों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
16. "इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार लोकतांत्रिक शासन का एक अनिवार्य घटक बनकर उभरा है।" अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में परीक्षण कीजिए।
17. बार-बार होने वाले इंटरनेट शटडाउन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक साख को कमजोर कर सकते हैं। चर्चा कीजिए।
18. जलवायु कूटनीति भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सहयोग का भी एक प्रमुख क्षेत्र बनती जा रही है। जलवायु न्याय और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण के प्रति भारत के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए।
19. कोयले के "पूर्ण समाप्ति" के स्थान पर "क्रमिक कमी" पर भारत का बल वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
20. भारत की वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा केवल आर्थिक वृद्धि पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि बहुलवाद, सह-अस्तित्व और मानवतावाद जैसे सभ्यतागत मूल्यों को अभिव्यक्त करने की उसकी क्षमता पर भी आधारित है। चर्चा कीजिए।